केवल विभागीय आंतरिक उपयोग हेतु

सत्यमेव जयते

जीएसटी अधिकारियों

के लिए

पुस्तिका

प्रथम संस्करण, अप्रैल, 2026

वस्तु एवं सेवा कर – एक सरल एवं व्यावहारिक मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक परिसर, विशाखापट्टनम,आंध्र प्रदेश

जीएसटी अधिकारियों के लिए पुस्तिका
(प्रथम संस्करण, अप्रैल 2026)

संकलित द्वारा
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक परिसर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश

जीएसटी अधिकारियों के लिए पुस्तिका

कॉपीराइट © 2026 प्रकाशक द्वारा

प्रथम संस्करण : अप्रैल 2026

प्रकाशक:

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक परिसर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश

तृतीय एवं चतुर्थ तल, स्रिया कॉम्प्लेक्स, नरसिंहनगर,
विशाखापट्टनम - 530 024. आंध्र प्रदेश

केवल NACIN / CBIC के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं आंतरिक उपयोग हेतु

आपके मूल्यवान सुझाव एवं फीडबैक निम्न ई-मेल पर भेजे जा सकते हैं:
psadg.nacinvsp-cbec@gov.in

अस्वीकरण (Disclaimer):

यह पुस्तिका जीएसटी कानून के कुछ चयनित प्रावधानों का संकलन है, जिसे विभागीय प्रशिक्षण एवं संदर्भ के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
समझने में सुविधा हेतु प्रावधानों को सरल शब्दों में सारणीबद्ध एवं व्याख्यायित किया गया है।
यह प्रकाशन केवल NACIN / CBIC के अंतर्गत आंतरिक उपयोग के लिए है तथा इसके किसी भी अंश को विधिक (कानूनी) उद्देश्यों के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता।

भूमिका

मुझे अत्यंत हर्ष है कि मैं जीएसटी अधिकारियों हेतु पुस्तिका का प्रथम संस्करण हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ–यह एक ऐसा प्रयास है जो प्रशिक्षुओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर कानून की समझ को सरल एवं व्यवस्थित बनाता है, साथ ही सेवा में कार्यरत अधिकारियों को उनके दैनिक कार्य में एक व्यावहारिक संसाधन प्रदान करता है। भारत सरकार तथा क्षमता निर्माण आयोग इस बात पर बल दे रहे हैं कि प्रशिक्षण सामग्री को अंग्रेज़ी के अलावा भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि अधिकारी अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे अधिगम परिणामों में उल्लेखनीय सुधार होता है।

इस संस्करण की अधिकांश सामग्री सारणीबद्ध (tabular) रूप में प्रस्तुत की गई है, जिससे प्रशिक्षु एवं अधिकारी प्रावधानों को सहज एवं शीघ्र समझ/संदर्भित कर सकें। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य सीबीआईसी (CBIC) से जुड़ने वाले नए प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए है, फिर भी यह सभी जीएसटी अधिकारियों हेतु एक उपयोगी संदर्भ पुस्तिका का कार्य करता है। इसमें सतर्कता एवं प्रशासन से संबंधित अंश–जैसे आचरण नियमावली, अवकाश नियम, भत्ते, जीएफआर इत्यादि–को सम्मिलित किया गया है, जिससे यह विभागीय विषयों के लिए एक व्यापक एवं एकमात्र स्रोत बन गया है।

मुझे विश्वास है कि यह संस्करण आपकी जीएसटी शिक्षण यात्रा में एक विश्वसनीय साथी के रूप में कार्य करता रहेगा। मैं विभागीय साथियों से सक्रिय सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित करता हूँ ताकि आगामी संस्करणों को और सशक्त बनाया जा सके। आपके मूल्यवान सुझाव–सुधार, परिशिष्ट या विलोपन से संबंधित– psadg.nacinvsp-cbec@gov.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं ।

मैं नैसिन, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापत्तनम के इस प्रयास हेतु सक्रिय प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए डॉ. एम. सुब्रमण्यम , प्रधान महानिदेशक, NACIN का हृदय से आभारी हूँ। मैं श्री अभिषेक माजी – सहायक आयुक्त, केंद्रीय प्रभाग, Vizag CGST, श्री ए. एम. मैथ्यूज़ – सहायक निदेशक (सेवानिवृत्त), श्री ओमकार कौशिक – अधीक्षक, केंद्रीय प्रभाग, Vizag CGST, सुश्री सुष्मिता प्रिया – अधीक्षक, केंद्रीय प्रभाग, Vizag CGST, श्री पी. एस. माधव – सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAD, NACIN Vizag) , के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस अद्यतन संस्करण हेतु जीएसटी-संबंधित सामग्री को परिष्कृत किया। मेरा आभार श्री आयुष्मान त्यागी – निरीक्षक, श्री वीरभद्र नवीन – निरीक्षक, सुश्री नेहा यादव – निरीक्षक, श्री अशोक कुमार – कार्यकारी सहायक (EA), श्री विजेंद्र सिंह – आशुलिपिक ग्रेड–I के प्रति भी है, जिन्होंने लेखा, प्रशासन एवं सतर्कता संबंधी अनुभागों का अद्यतन किया।

रवि किरण

(रवि किरण ईदरा)
अपर महा निदेशक
एनएसीआईएन विशाखापट्टनम

अनुक्रमणिका

भाग - A : परिचय (पृष्ठ 7-20)

- करधान का अवलोकन
- अप्रत्यक्ष करधान के मूलभूत सिद्धांत
- CBIC - भूमिका एवं कार्य
- नागरिक चार्टर (अंतिम अद्यतन: 11.12.2024)
- CBIC - संगठनात्मक संरचना
- जोनल स्तर पर संगठनात्मक चार्ट
- नव नियुक्त अधिकारियों हेतु चेकलिस्ट
- स्मार्ट तरीके से कार्य करना

भाग - B : जीएसटी - एक दृष्टि में (पृष्ठ 21-182)

जीएसटी का आधारभूत ढांचा

- वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- जीएसटी में सम्मिलित कर
- भारत के जीएसटी की विशेषताएँ
- जीएसटी की अब तक की यात्रा
- जीएसटी का अवलोकन

आपूर्ति (supply)एवं परिभाषाएँ

- अधिनियम में परिभाषित वस्तुएँ एवं सेवाएँ
- आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र
- अनुसूची–I
- अनुसूची–II
- अनुसूची–III
- आपूर्ति के प्रकार

- मिश्रित, समवेत एवं प्रधान आपूर्ति

पंजीकरण एवं कर भुगतान

- जीएसटी पंजीकरण
- समग्र कारोबार (Aggregate Turnover)
- व्यक्ति की परिभाषा
- पंजीकरण स्वीकृति की समय-सीमा
- पंजीकरण रद्द करना / निरस्तीकरण
- रिवर्स चार्ज मेकैनिज़्म (RCM)
- अचल संपत्ति किराया एवं अधिसूचनाएँ
- कंपोज़िशन योजना

मूल्यांकन, ITC एवं चालान

- आपूर्ति का मूल्य
- छूट एवं डिस्काउंट
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)
- नियम 42 - ITC रिवर्सल
- आपूर्ति का स्थान
- कर चालान

रिटर्न, ई-सिस्टम

- रिटर्न एवं नियत तिथियाँ
- Input Service Distributor (ISD)
- ई-इनवॉइसिंग
- ई-वे बिल (EwB)

ऑडिट, मांग, अपील

- लेखा परीक्षण (ऑडिट)
- मांग प्रावधान (धारा 73, 74, 74A, 76) Demands
- कारण बताओ नोटिस (SCN)
- निर्णयन (Adjudication)
- अपराध एवं दंड
- अपील की प्रक्रिया

अन्य महत्त्वपूर्ण विषय

- रिफंड

- कर आवेशन (Tax Evasion)
- संशोधन (वित्त अधिनियम 2024-2025)
- महत्वपूर्ण परिपत्र / फ़ॉर्म
- SCN एवं आदेश का प्रारूप

भाग - C : प्रशासन / स्थापना / सतर्कता (पृष्ठ 183 - 255)

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न
- CCS (आचरण) नियम, 1964
- अवकाश नियम
- ब्याजयुक्त अग्रिम
- अवकाश यात्रा रियायत (LTC)
- कल्याण कोष

भाग - D : राजभाषा (Official Language) (पृष्ठ 256-264)

- राजभाषा से संबंधित सामान्य जानकारी
- प्रशासनिक इकाइयाँ
- कार्यालय टिप्पणियाँ (Office Notings)
- शासकीय पत्राचार में प्रयुक्त वाक्यांश

****

परिचय
कराधान का अवलोकन

'कर' को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। सरल शब्दों में, यह *"किसी गतिविधि पर अनिवार्य वित्तीय योगदान"* है। ऐसी गतिविधि को विधिक भाषा में *"करयोग्य घटना (Taxable Event)"* कहा जाता है। वह व्यक्ति (चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक संगठन) जो ऐसी करयोग्य घटना करता है, कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है और उसे *"करदाता (Taxpayer)"* कहा जाता है। विधायिका (Legislature) कानून बनाकर कर अधिरोपित करती है, कार्यपालिका (Executive) कर वसूल करती है, और न्यायपालिका (Judiciary) कर कानूनों एवं प्रक्रियाओं की व्याख्या एवं सुधार करती है जब कभी उन पर प्रश्न उठता है।

कराधान सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार *"किसी भी कर को विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार के बिना न तो अधिरोपित किया जाएगा और न ही वसूल किया जाएगा।"* संविधान में स्पष्ट सूचियाँ दी गई हैं जो कराधान की शक्तियाँ संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों को प्रदान करती हैं।

संघ सरकार स्तर पर, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के माध्यम से कर प्रशासन का कार्य करता है। करों को सामान्यतः दो वर्गों में बाँटा जाता है - प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) और अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)। राजस्व विभाग के अधीन दो बोर्ड कार्यरत हैं - **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** तथा **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)**। पहला प्रत्यक्ष करों का और दूसरा अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन करता है।

आयकर (Income Tax) व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाने वाला कर है। निगम कर (Corporation Tax) कंपनी की करयोग्य आय पर लगाया जाने वाला कर है। ये दोनों ही कर *प्रत्यक्ष कर* हैं क्योंकि इन्हें व्यक्ति/कंपनी द्वारा सीधे सरकार को अदा किया जाता है।

सीमा शुल्क (Customs Duty) आयात या निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाता है। संघ उत्पाद शुल्क (Union Excise Duty) वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाता है (मानव उपभोग

हेतु मद्य पर नहीं, जिस पर राज्यों द्वारा 'राज्य उत्पाद शुल्क' लगाया जाता है)। जीएसटी लागू होने के बाद भी कुछ वस्तुएँ अब भी 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क' के अधीन हैं। सेवाकर (Service Tax), जो सेवाओं पर पहले लगाया जाता था, पूरी तरह जीएसटी में समाहित हो गया। 1 जुलाई 2017 से, वस्तु एवं सेवा कर (GST) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर नया कर है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर और जीएसटी सभी *अप्रत्यक्ष कर* हैं। इन्हें अप्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरकार द्वारा उपभोक्ताओं/जनता से व्यवसायिक इकाइयों के माध्यम से वसूले जाते हैं। अतः अप्रत्यक्ष करों में, अंतिम उपभोक्ता ही वास्तविक करदाता होता है और व्यवसाय (करदाता) वास्तव में सरकार के *एजेंट* की भाँति कर वसूल करते हैं।

संघ बजट 2025-26 के अनुसार, संघ के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की संरचना (सकल कर राजस्व - बजट अनुमान 2025-26) निम्नलिखित है:

कर का प्रकार

कर का नाम एवं प्रतिशत भागीदारी
बजट अनुमान 2025-26 (₹ करोड़ में)

Nature of Tax (कर का प्रकार)	Name of the Tax & % Share (कर का नाम एवं प्रतिशत भागीदारी)	Budget Estimate 2025-26 (₹ Crores / करोड़ में)
Direct Tax (प्रत्यक्ष कर)	निगम कर (25%)	10,82,000
	आयकर (34%)	14,38,000
Indirect Tax (अप्रत्यक्ष कर)	सीमा शुल्क (6%)	2,40,000
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क (8%)	3,22,000
	सेवाकर* (0.02%)	100
	वस्तु एवं सेवा कर (28%)	11,78,000

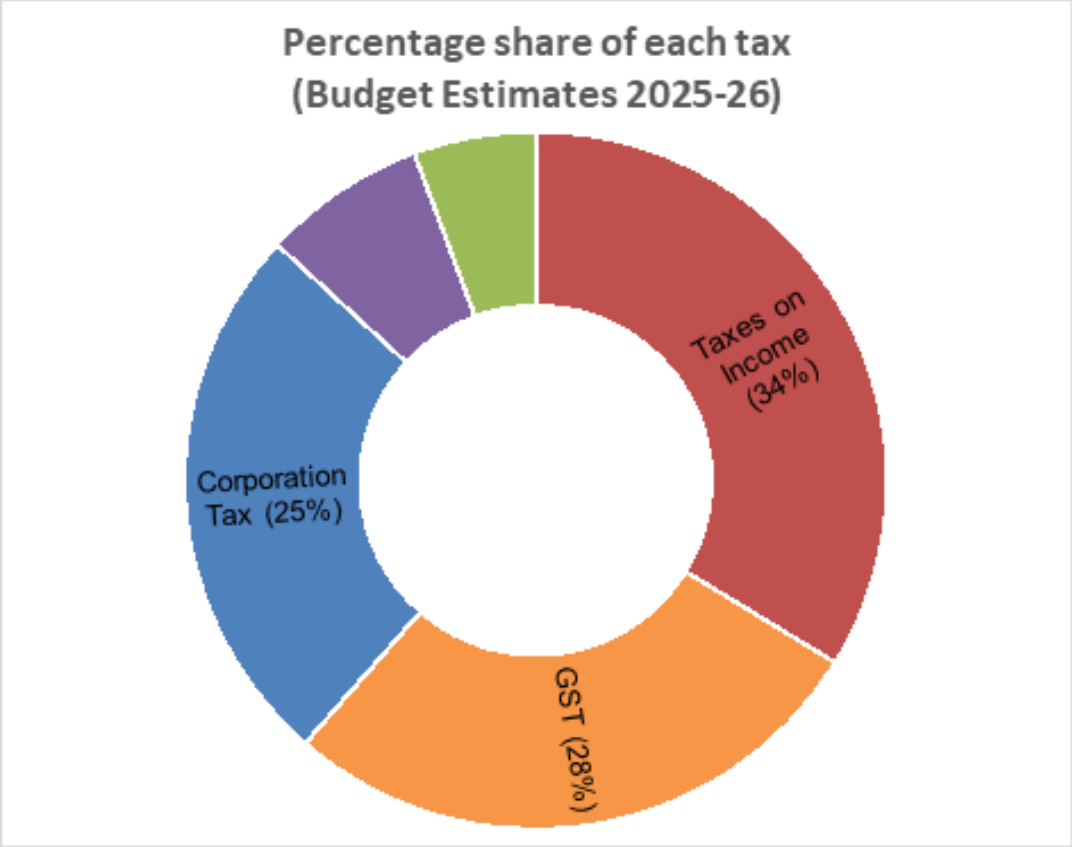

2.अप्रत्यक्ष कराधान के मूलभूत सिद्धांत

प्रत्यक्ष करों (Direct Taxes) में कर का बोझ सीधे करदाता पर होता है, जबकि अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) में कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर डाला जाता है। आपूर्ति के मूल्य (Value of Supply) के अतिरिक्त उपभोक्ता बिल/चालान में अप्रत्यक्ष कर भी चुकाते हैं। ऐसे करदाता/व्यवसाय वह वसूला गया कर निर्धारित समयावधि में सरकार को जमा कराने के लिए बाध्य होते हैं। इसी *'अप्रत्यक्ष'* स्वरूप के कारण अप्रत्यक्ष करों की वसूली अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है, ताकि जनता/उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया गया कर वास्तव में सरकारी कोष तक पहुँचे और व्यवसायिक संस्थाओं की जेब में न चला जाए। यही कारण है कि कर भुगतान की निकटता से निगरानी एवं राजस्व रिसाव की रोकथाम विभागीय अधिकारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अप्रत्यक्ष कर मूलतः *'उपभोग कर (Consumption Taxes)'* होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का उपभोग करता है, वह कर चुकाता है। ये प्रत्यक्ष करों से भिन्न होते हैं, जो आय पर लगाए जाते हैं और कुछ व्यक्तियों को या एक निश्चित आय सीमा तक छूट प्रदान करते हैं। अतः अप्रत्यक्ष करों की दरें उपभोक्ताओं के आर्थिक स्तर एवं उपभोग की वस्तुओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अप्रत्यक्ष करों की वसूली की लागत भी विशेषकर भारत में

बहुत कम है। लोकहित में कुछ छूटें दी जाती हैं। कभी-कभी व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु *शर्तीय छूटें* भी दी जाती हैं। अप्रत्यक्ष करों की वसूली में अच्छे व्यवहार (Good Practices) से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एवं निर्यात में वृद्धि होती है, जिससे व्यापार संतुलन एवं विदेशी मुद्रा भंडार अनुकूल होते हैं।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर (GST/VAT) एक प्रसिद्ध अप्रत्यक्ष कर है। यह *मूल्य संवर्धित कराधान (Value-Added Taxation)* के सिद्धांत पर आधारित है। वैश्विक स्तर पर, विशेषकर यूरोपीय संघ (EU) आदि देशों में, वस्तु एवं सेवा कर को मूल्य संवर्धित कर (VAT) कहा जाता है। इस प्रकार *'VAT'* शब्द एक कर (GST) का नाम भी है और एक कराधान सिद्धांत भी। नाम से स्पष्ट है कि VAT आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर कर संग्रहण का प्रावधान करता है। करदाता द्वारा देय *नेट VAT* की गणना इस प्रकार होती है - आउटपुट वस्तुओं/सेवाओं पर देय VAT से, इनपुट/इनपुट सेवाओं पर पहले से अदा किया गया VAT (जिसे *इनपुट टैक्स क्रेडिट - ITC* कहा जाता है) घटा दिया जाता है। यह पद्धति कराधान के *"कास्केडिंग प्रभाव (Cascading Effect)"* को समाप्त करती है। यदि VAT को प्रत्येक चरण पर बिना ITC की कटौती के वसूला जाए, तो "कर पर कर" *(Tax on Tax)* लगने लगता है और प्रत्येक स्तर पर आपूर्ति का मूल्य अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है।

अतः *इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)* करदाता के लिए लगभग *"नकदी"* के समान होता है। इसलिए ITC का दावा करना, उसकी वास्तविक पात्रता, उसका सत्यापन तथा रिफंड आदि किसी भी VAT व्यवस्था के अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं।

3.सी बी आई सी (CBIC) - भूमिका एवं कार्य

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) (पूर्व में *केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड - CBEC* के नाम से जाना जाता था) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन *राजस्व विभाग* का एक अंग है।

यह बोर्ड सीमा शुल्क (Customs), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के अधिरोपण और वसूली से संबंधित नीतियों के निर्माण का कार्य करता है।

सीबीआईसी इन करों का प्रशासन अपनी अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से करता है, जिनमें *सीमा शुल्क गृह (Custom Houses)*, *केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय (Central GST Commissionerates)* आदि शामिल हैं।

विजन:

हितधारक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रगतिशील अप्रत्यक्ष कर नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करके तथा सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत के सामाजिक - आर्थिक विकास में भागीदारी करना।

मिशन

एक मजबूत अप्रत्यक्ष कर और सीमा नियंत्रण प्रशासन, सेवाओं की डिलीवरी की दृष्टि से, जो -- सरल और अनुमानित- निष्पक्ष और न्यायसंगत- पारदर्शी- प्रौद्योगिकी संचालित और जो -- विश्वास आधारित स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है- ईमानदार करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है- जोखिम आधारित प्रवर्तन के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाता है- लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की वैध आवाजाही को सक्षम बनाता है- राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को पूरक बनाता है - पेशेवर और नैतिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण में निरंतर निवेश करता है, और- व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है

हमारा

आदर्श वाक्य "देश सेवार्थ कर संचय" राष्ट्र की सेवा में कर संग्रह मुख्य

मूल्य - ईमानदारी और विवेकशीलता - निष्पक्षता और न्याय - शिष्टाचार और समझ - वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता - ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा - तत्परता और दक्षता हमारी **अपेक्षाएं** हम नागरिकों से अपेक्षा करते हैं पूछताछ और सत्यापन में स्पष्ट और स्पष्ट रहें - अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें। **हमारे मानक** हम निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निम्नलिखित प्रमुख सेवाएँ प्रदान करने की आकांक्षा रखते हैं:

क्र. सं.	**प्रमुख सेवाएँ**	**समय सीमा**
1	i. घोषणाओं, सूचनाओं, आवेदनों और रिटर्न सहित सभी लिखित संचार की पावती	3 दिन

	ii. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त संचार की पावती	तुरंत
2	घोषणाओं या आकलनों सहित मामलों पर निर्णय बताना	15 दिन
3	i. सीमा शुल्क के रिफंड दावे का निपटान ii. जीएसटी के रिफंड दावों का निपटान	पूर्ण आवेदन प्राप्ति से 90 दिन पूर्ण आवेदन प्राप्ति से 60 दिन
4	i. वापसी की मंजूरी	
	(क) वापसी दावों के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण के मामले में	निर्यात से 3 दिन
	(बी) ड्रॉबैक दावों के मैन्युअल प्रसंस्करण के मामले में	मैन्युअल रिटर्न दाखिल करने के 15 दिन
	ii. ड्यूटी ड्रॉबैक की ब्रांड दर का निर्धारण	आवेदन पूर्ण होने की तिथि से 25 दिन
5	कार्गो रिलीज समय	
	(क) निर्यात के मामले में, i. समुद्री कार्गो ii. एयर कार्गो iii. आईसीडी iv. एलसीएस	 i. 24 घंटे ii. 12 घंटे iii. 24 घंटे iv. 24 घंटे
	(ख) आयात के मामले में, i. समुद्री कार्गो ii. एयर कार्गो iii. आईसीडी iv. एलसीएस	 i. 48 घंटे ii. 24 घंटे iii. 48 घंटे iv. 48 घंटे
6	जीएसटी पंजीकरण	i. 7 दिन (जहां आधार संख्या प्रमाणित है) ii. 30 दिन (जहां आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना गया है, या आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, या जहां

		आवेदक की पहचान परिसर के भौतिक सत्यापन के लिए की जाती है।
7	पंजीकरण में संशोधन, यदि पात्र पाया जाए	15 दिन
8	जीएसटी पंजीकरण रद्द करना	आवेदन की तिथि से 30 दिन
9	ऑडिट (अंकेक्षण) शुरू करने से पहले अग्रिम सूचना	न्यूनतम 15 दिन
10	लेखापरीक्षा का समापन, यदि लेखापरीक्षिती के परिसर में किया जा रहा हो क. जीएसटी ऑडिट ख. सीमा शुल्क लेखा परीक्षा	 क. ऑडिट शुरू होने से 90 दिन ख. ऑडिट शुरू होने से 30 दिन
11	लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की सूचना क. जीएसटी ऑडिट ख. सीमा शुल्क लेखा परीक्षा	 a. ऑडिट के समापन के 30 दिन बाद ख. ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के 7 दिन बाद
12	यदि विभाग द्वारा अपेक्षित न हो तो जब्त दस्तावेजों और चीजों को छोड़ना	कारण बताओ नोटिस जारी होने के 30 दिन बाद
13	कारखाने/गोदाम परिसर में निर्यात माल की पूर्ण जांच और निकासी	उचित अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर
14	निर्यात खेप के लिए स्व-सीलिंग की अनुमति	उचित अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर
15	मूल आदेश/अपील आदेश जारी करना	**जीएसटी** **मूल आदेश** (ओ-आई-ओ)**:** व्यक्तिगत सुनवाई की समाप्ति की तिथि से 30 दिन, जहाँ सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो। **मूल आदेश:** अपील दायर करने की तिथि से 1 वर्ष। **सीमा शुल्क**

		मूल आदेश / अपील आदेश: व्यक्तिगत सुनवाई की समाप्ति की तिथि से 30 दिन, जहाँ सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध हो।
16	अनंतिम मूल्यांकन (Provisional assessment) को अंतिम रूप देना	**जीएसटी** अनंतिम आदेश पारित होने की तिथि से 6 महीने **सीमा शुल्क** जांच के समापन या अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की तिथि से 30 दिन
17.	निर्यात संवर्धन योजनाओं में बांड Bond और बीजी Bank Guarantee की वापसी	
	(क) जब सत्यापन के लिए सीमा शुल्क द्वारा चयन नहीं किया जाता है	ईओडीसी सहित पूर्ण आवेदन प्राप्ति से 10 दिन
	(ख) अन्य मामले जिनकी जांच नहीं की जा रही है	ईओडीसी सहित पूर्ण आवेदन प्राप्ति से 30 दिन
18	सीपीग्राम्स (CPGRAMS)	21 दिन
19	व्यापार में आसानी के लिए सुझाव (ईओडीबी) - यह प्रमुख सुविधा व्यापार/व्यापार संघों/करदाताओं से सुझाव प्राप्त करने और सीबीआईसी द्वारा उन पर उचित विचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई है।	

हमारी प्रतिबद्धता : हम निम्नलिखित का प्रयास करेंगे: - स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना - नागरिकों को अप्रत्यक्ष कर कानूनों के बारे में शिक्षित करना - सेवा वितरण मानकों को निरंतर बढ़ाना - परामर्शदात्री और सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देना - जीएसटी सेवा केंद्रों/सुविधा काउंटरों के साथ-साथ वेबसाइट www.cbic.gov.in पर भी सूचना और अन्य सहायता प्रदान करना - अखंडता को बढ़ावा देने के व्यापक राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में भ्रष्टाचार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना ।

शिकायत निवारण : हम प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर शिकायतों की पावती देंगे और प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर अंतिम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। - यदि निर्धारित समय मानदंडों के भीतर शिकायत का जवाब नहीं दिया जाता है या प्रस्तावित उपाय संतोषजनक नहीं है, तो अगले उच्च प्राधिकारी के पास अपील दायर की जा सकती है। अपील पर प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा ।

<u>नोट:</u>

- सूचना का अधिकार अधिधनयम, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4.1.बी के तहत प्रकाशित की जाने वाली आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.cbic.gov.in पर उपलब्ध है । - अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित समय मानदंडों का भी पालन किया जाएगा।

5.सीबीआईसी (CBIC) - संगठनात्मक संरचना

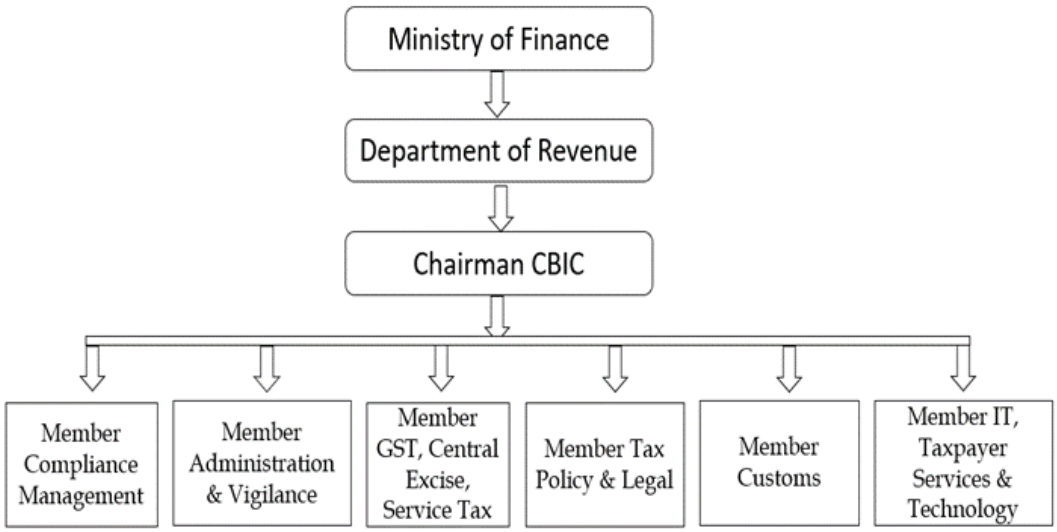

सीबीआईसी के विभिन्न क्षेत्र (Zones) पूरे देश को आच्छादित करते हैं। इन क्षेत्रों को आगे आयुक्तालयों (Commissionerates), प्रभागों (Divisions) और परिक्षेत्रों (Ranges) में विभाजित किया गया है, जिनके माध्यम से सीजीएसटी एवं आईजीएसटी (और कुछ क्षेत्रों में सीमा शुल्क) का प्रशासन किया जाता है। प्रमुख शहरों में सीमा शुल्क आयुक्तालय ('Custom Houses') तथा सीमा शुल्क के प्रशासन हेतु विशेष क्षेत्र (Zones) स्थापित किए गए हैं।

जीएसटी (तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के मामलों में, 'कार्यकारी आयुक्तालय' (Executive Commissionerates) सामान्य एवं दैनिक अनुपालन मामलों का कार्य संभालते हैं। इसके अतिरिक्त, करदाताओं के व्यवसायों की नियमित ऑडिट के लिए विशिष्ट 'ऑडिट आयुक्तालय' तथा प्रभावित करदाताओं द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई के लिए 'अपील आयुक्तालय' भी कार्यरत हैं।

इन *क्षेत्रीय संरचनाओं (Field Formations)* के अतिरिक्त, सीबीआईसी में अनेक *निदेशालय (Directorates)* भी कार्यरत हैं, जो विशिष्ट कार्यों का संचालन करते हैं, जैसे–

- मानव संसाधन (DGHRD)
- सीमा शुल्क में राजस्व गुप्तचर (DRI)
- जीएसटी गुप्तचर एवं जाँच (DGGI)
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (NACIN)
- करदाता सेवाएँ (DGTS)
- प्रदर्शन प्रबंधन (DGPM)
- सतर्कता (DGV)
- विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन (DGARM)
- विधिक मामले (DLA)
- रसद, मूल्यांकन, निर्यात संवर्द्धन, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाएँ इत्यादि।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क एवं मादक पदार्थ अकादमी (NACIN) इन्हीं निदेशालयों में से एक है, जिसका उद्देश्य *नवीन अभ्यर्थियों (Group A, B एवं C कैडर)* तथा सेवा में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। नैसिन का मुख्यालय **पालसमुद्रम, श्री सत्य साई ज़िला, आंध्र प्रदेश** में स्थित है। यह मुख्य रूप से *प्रत्यक्ष भर्ती ग्रुप-A (आईआरएस - C&IT) अधिकारियों के दीक्षांत प्रशिक्षण, मध्यम-कैरियर प्रशिक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणों* का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त, नैसिन के कई *क्षेत्रीय परिसरों (Zonal Campuses - ZTIs)* की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य सभी कैडरों के अधिकारियों का दीक्षांत प्रशिक्षण एवं सेवा में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

Organisational Chart at Zonal Level

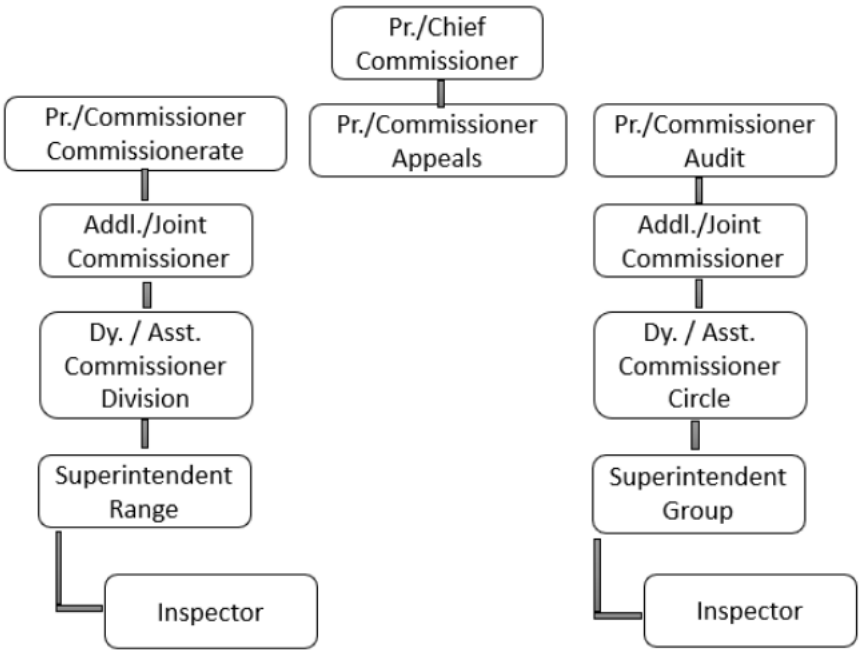

महत्त्वपूर्ण वेबसाइटें

- **वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)** : https://finmin.nic.in
- **राजस्व विभाग (Department of Revenue)** : https://dor.gov.in
- **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** : https://www.cbic.gov.in
- **करदाताओं हेतु जीएसटी पोर्टल (GST Portal for Taxpayers)** : https://services.gst.gov.in
- **जीएसटी परिषद् (GST Council)** : https://gstcouncil.gov.in
- **जीएसटी नेटवर्क (GST Network)** : https://gstn.org.in
- **ई-वे बिल पोर्टल (E-way Bill Portal)** : https://ewaybillgst.gov.in
- **ई-इनवॉइस पोर्टल (E-Invoice Portal)** : https://einvoice1.gst.gov.in
- **विभागीय अधिकारियों हेतु इंट्रानेट पोर्टल** :
    - https://antarang.icegate.gov.in
    - https://saksham.cbic.gov.in

7.नव नियुक्त अधिकारियों हेतु चेकलिस्ट

क्रम सं.	प्रक्रिया का नाम
1	पहचान पत्र (Identity Card)
2	एईबीएएस (आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली - AEBAS) में नामांकन
3	पैन कार्ड (PAN Card)
4	एनएसडीएल (NSDL) के माध्यम से पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या - PRAN) खाता खोलना
5	पीएफएमएस (लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली - PFMS) में प्रोफ़ाइल बनाना
6	सेवा पुस्तिका (Service Book) खोलना
7	ई-एचआरएमएस (ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली - e-HRMS) में पंजीकरण
8	आई-गॉट (समेकित सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल - iGOT) पर नामांकन
9	नामांकन प्रपत्र जमा करना, जैसे फॉर्म-1 एवं 2, सामान्य नामांकन प्रपत्र (CGEGIS एवं ग्रेच्युटी हेतु) तथा गृह नगर घोषणा
10	सीजीएचएस (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना - CGHS) का आवेदन, यदि पात्र हों
11	सरकारी ई-मेल आईडी का निर्माण
12	एसएसओआईडी (एकल साइन ऑन पहचान - SSOID) प्राप्त करना
13	वीपीएन (Virtual Private Network) एवं ई-ऑफिस में मैपिंग
14	स्पैरो (Sparrow) में मैपिंग
15	जीएसटी बैक ऑफिस (BO) एप्लीकेशन में मैपिंग
16	एसएसओआईडी आधारित क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर एमएस 365 (MS 365) लॉगिन हेतु मैपिंग

17	नाम पट्टिका (Name Plate)
18	वर्दी/औपचारिक परिधान (Uniform/Formal Wear)
19	नव नियुक्त अधिकारियों द्वारा एनपीएस/यूपीएस (NPS/UPS) में नामांकन विकल्प का प्रयोग
20	सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) के अंतर्गत पहली नियुक्ति पर परिसंपत्तियों (चल एवं अचल) और देयताओं का विवरण प्रस्तुत करना

§§§

8.स्मार्ट तरीके से कार्य करना

व्यक्तिगत एवं कार्यालयीय उत्पादकता हेतु प्रौद्योगिकी सुझावों पर संक्षिप्त वीडियो

क्रम सं.	प्लेलिस्ट की सामग्री	प्लेलिस्ट का QR कोड
(Office 365 एवं सरकारी मेल)	*(Office 365 and GOV Mail)*	
1	माइक्रोसॉफ़्ट 365 - अवलोकन एवं विशेषताएँ	
2	माइक्रोसॉफ़्ट 365 - दस्तावेज़ कैसे बनाएं और साझा करें?	
3	माइक्रोसॉफ़्ट 365 - सीबीआईसी कार्यकारी आयुक्तालय में प्रभावी उपयोग	
4	एमएस टीम्स पर ऑनलाइन बैठकें आयोजित करना	
5	ई-ऑफिस (संस्करण 7.2.5) - शुरुआती हेतु अवलोकन	
6	ई-ऑफिस (संस्करण 7.2.5) से सीधे पत्र एवं संलग्नक ई-मेल करना ('स्वयं-प्रेषण' विकल्प)	
7	सरकारी ई-मेल (GOV Mail) का प्रभावी उपयोग हेतु मूलभूत सुझाव	

8	मोबाइल पर सरकारी ई-मेल को सिंक करना / सरकारी मेल जीओवी मेल हेतु IMAP सक्षम करना	

तकनीकी शॉर्टकट्स पर वीडियो

क्रम सं.	वीडियो का शीर्षक (हिन्दी)	प्लेलिस्ट का QR कोड
1	एंड्रॉइड डिवाइस में वॉइस टाइपिंग कैसे सक्षम करें	
2	पृष्ठों को स्कैन करके एकल PDF फ़ाइल कैसे बनाएं?	
3	आईफोन कीबोर्ड पर वॉइस टाइपिंग कैसे करें?	
4	विंडोज़ 10/11 में वॉइस टाइपिंग (Voice to Text)	
5	पीसी या लैपटॉप (Windows) पर स्क्रीनशॉट कैसे लें	
6	विंडोज़ 11 या 10 पर ऑडियो सहित स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें	
7	एंड्रॉइड पर स्क्रीन रिकॉर्ड करने का सर्वोत्तम तरीका	
8	वर्ड में “Track Changes” और टिप्पणियाँ उपयोग करना	
9	व्हाट्सऐप पर लाइव लोकेशन कैसे साझा करें	
10	विंडोज़ पर स्प्लिट स्क्रीन का उपयोग कैसे करें	

****

भाग - B : जीएसटी - एक दृष्टि में

वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक दृष्टि में

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

भारत में 1-7-2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने का मार्ग संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने प्रशस्त किया। संविधान के अनुच्छेद 246A ने संसद ('केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर' - CGST) और राज्य विधानसभाओं ('राज्य वस्तु एवं सेवा कर' - SGST) को वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों के आपूर्ति पर कर लगाने हेतु कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया तथा संसद को यह अधिकार दिया कि वह ऐसे कर ('एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर' - IGST) लगाए जहाँ ऐसी आपूर्ति अंतर-राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान होती है।

संघवाद की भावना हमारे संविधान की एक मौलिक एवं आधारभूत विशेषता है। संविधान की सप्तम अनुसूची में पृथक सूचियाँ सम्मिलित हैं - संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इन सूचियों में संघ और राज्य विधानमंडलों के कराधान संबंधी अधिकार शामिल हैं। तदनुसार, आयकर, कॉरपोरेट कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (तथा पूर्व में सेवा कर) आदि संसद द्वारा लगाए जाते थे और केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते थे। इसी प्रकार, "सेल्स टैक्स" / "मूल्य संवर्धित कर (VAT)" राज्यों की विधानसभाओं द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता था तथा संबंधित राज्य कार्यपालिका द्वारा एकत्र किया जाता था।

इसी विरासत की पृष्ठभूमि में, जब भारत के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) की परिकल्पना की गई, तो एक **'समवर्ती एवं द्वैध GST मॉडल'** को अपनाया गया।

2.जीएसटी में सम्मिलित कर

केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले कर	राज्यों द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले कर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (CENVAT) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	मूल्य संवर्धित कर / बिक्री कर (VAT / Sales Tax) मनोरंजन कर

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लगाया गया उत्पाद शुल्क	विलासिता कर (Luxury Tax)
सेवा कर	लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ पर कर
अतिरिक्त सीमा शुल्क (Additional Customs Duty) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (Special Additional Duty of Customs)	राज्य उपकर एवं अधिभार (जहाँ तक वे वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं)
-	ओक्ट्रॉय और प्रवेश कर (Octroi and Entry Tax)
-	क्रय कर (Purchase Tax)

3.भारत के वस्तु एवं सेवा कर (GST) की कुछ विशेषताएँ

- **जीएसटी परिषद्** सर्वोच्च संघीय निकाय है (अनुच्छेद 279A)
- **गंतव्य-आधारित उपभोग कर** (Destination-based consumption tax)
- **समानांतर 'द्वैध' जीएसटी प्रणाली** (Concurrent 'dual' GST)
- जीएसटी के घटक - केंद्रीय जीएसटी (CGST), राज्य जीएसटी/केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी (SGST/UTGST) तथा एकीकृत जीएसटी (IGST)
- केंद्र एवं राज्यों द्वारा **समान कानून**
- कर योग्य घटना (Taxable Event) है - वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति (Supply).
- **कर की बहु-दरें** (Multiple Rates of Tax)उपभोग के गंतव्य का निर्धारण करने हेतु **आपूर्ति का स्थान प्रावधान** (Place of Supply provisions)
- मूल्य संवर्धन पर **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)**
- **आईटी-आधारित प्रणाली** (IT-based system) के माध्यम से इंटरफेस
- **ई-वे बिल प्रणाली** तथा राज्यों की सीमाओं पर चेक पोस्टों का उन्मूलन
- **प्रवेशद्वार सीमा सीमा-सीमा (Threshold Limits)** की व्यवस्था ताकि छोटे व्यवसाय जीएसटी दायरे से बाहर रहें
- **संरचना योजना (Composition Scheme)** - जिससे छोटे व्यापारी आईटीसी श्रृंखला से बाहर रहने का विकल्प चुन सकें

- **करदाताओं का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण** - सामान्य प्रशासनिक कार्यों (जैसे जांच, ऑडिट आदि) हेतु, साथ ही खुफिया-आधारित जांच और प्रवर्तन के मामलों में "परस्पर सशक्तिकरण" (Cross-Empowerment) का प्रावधान
- **आईजीएसटी की प्राप्तियों का वितरण** केंद्र और राज्यों के बीच है

जीएसटी की अब तक की यात्रा (GST Journey So Far)

- **करदाताओं के आधार में वृद्धि:** जीएसटी प्रणाली में सक्रिय करदाताओं की संख्या ने एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है;

अब तक की जीएसटी यात्रा

- **करदाताओं के आधार में वृद्धि (Growth in Taxpayer Base):**
  जीएसटी प्रणाली में सक्रिय करदाताओं की संख्या ने निरंतर वृद्धि का रुझान प्रदर्शित किया है।

अब तक की जीएसटी यात्रा

- **कर दाताओं के आधार में वृद्धि (Growth in Taxpayer Base):**

  जीएसटी प्रणाली में सक्रिय करदाताओं की संख्या ने निरंतर वृद्धि का रुझान प्रदर्शित किया है।

- 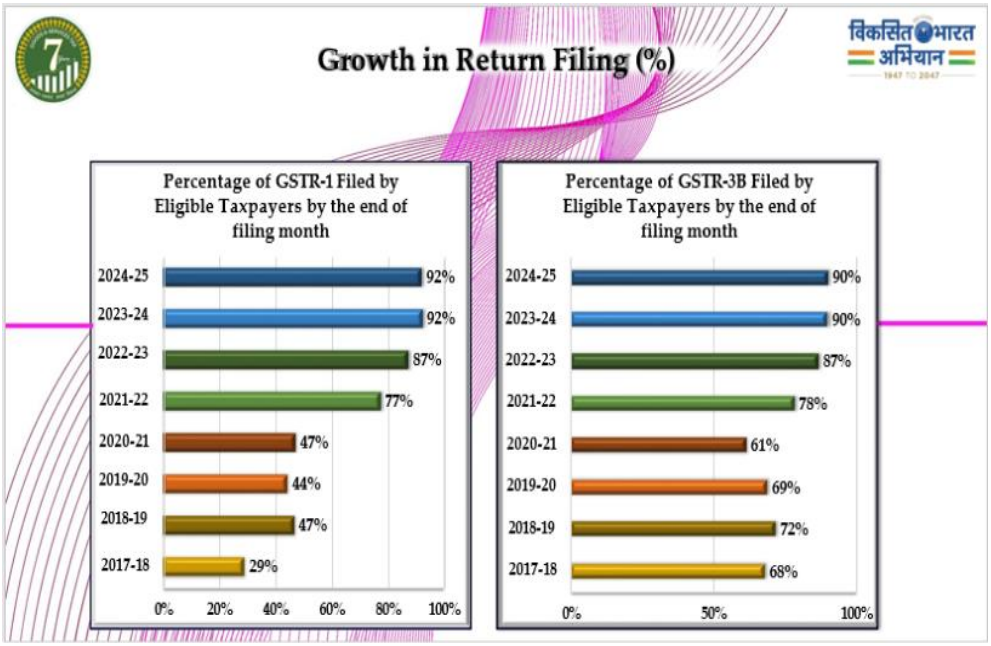

रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि (Growth in Return Filing):

अप्रैल माह के दौरान दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या प्रारम्भ से ही वर्षों के साथ नियमित वृद्धि को दर्शाती है।

संख्याओं में जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र (GST Ecosystem in Numbers):

वर्ष 2024 के दौरान ई-वे बिल, ई-इनवॉइस, भुगतान लेन-देन, कर संग्रहण आदि अपनी स्थापना से अब तक के सभी उच्चतम स्तरों को पार करते हुए सर्वाधिक पाए गए।

संख्याओं में जीएसटी

GST Ecosystem in Numbers
(As on 31st October 2024)
विकसित भारत अभियान
1947 TO 2047
1.48 Cr.
Registered Taxpayers
147.10 Cr*
Total Returns Filed
538.38 Cr.*
E-way Bill
7,58,072*
Total Invoice Upload
81.37 Lakh Cr.*
Payment Through the Portal
37.02 Cr*
Total No. of Payment Transactions
24.85 Lakh
Highest Returns Transactions in a day
10.65 Lakh
Highest Payment Transactions in a day
* Cumulative figure

पारिस्थितिकी तंत्र (GST Ecosystem in Numbers):

वर्ष 2024 के दौरान ई-वे बिल, ई-इनवॉइस, भुगतान लेन-देन तथा कर संग्रहण की संख्या अब तक के सभी उच्चतम स्तर पर रही, जिसने जीएसटी लागू होने के बाद से स्थापित सभी पूर्ववर्ती रिकार्डों को पार कर लिया।

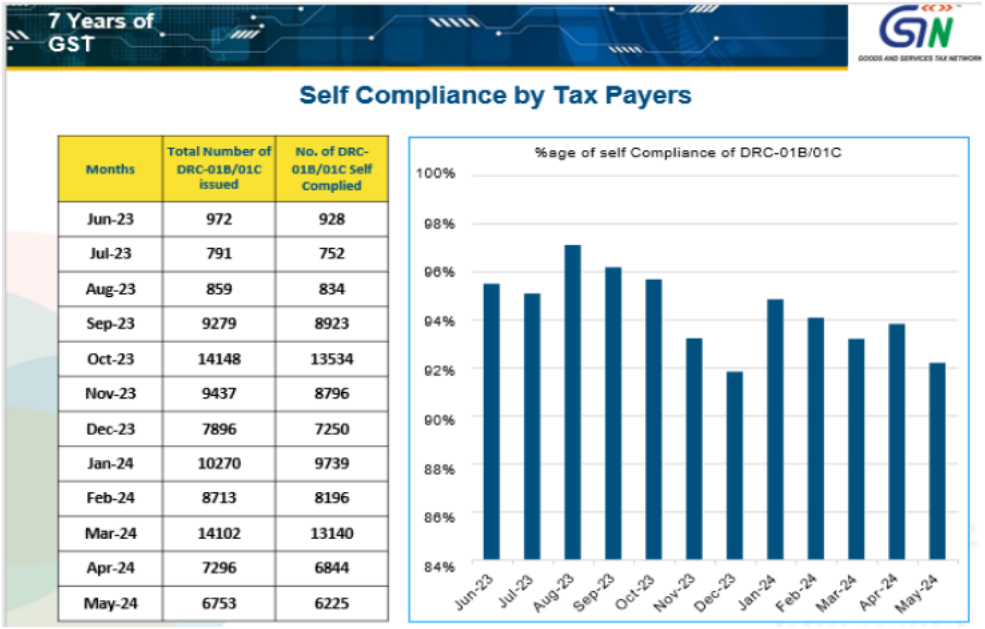

Months	Total Number of DRC-01B/01C issued	No. of DRC-01B/01C Self Complied
Jun-23	972	928
Jul-23	791	752
Aug-23	859	834
Sep-23	9279	8923
Oct-23	14148	13534
Nov-23	9437	8796
Dec-23	7896	7250
Jan-24	10270	9739
Feb-24	8713	8196
Mar-24	14102	13140
Apr-24	7296	6844
May-24	6753	6225

5.जीएसटी अवलोकन (GST Overview)

विषय	विवरण
कानून (Law)	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (CGST Act) समेकित वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (IGST Act) केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (UTGST Act) विभिन्न राज्यों के राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (SGST Acts)
नियम (Rules)	सीजीएसटी नियम, आईजीएसटी नियम, यूटीजीएसटी नियम तथा राज्यों के एसजीएसटी नियम
प्रभावी तिथि (Effective from)	01.07.2017
कर योग्य घटना (Taxable Event)	वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति

वस्तुएँ जो वर्तमान में जीएसटी के अधीन नहीं हैं	- मानव उपभोग हेतु मदिरा तथा अपशोधित अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल / रेक्टिफाइड स्पिरिट (धारा 9(1)) - पेट्रोलियम कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), उच्च गति डीज़ल, विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) तथा प्राकृतिक गैस (धारा 9(2))
दरें (Rates)	- सामान्यतः 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28% - कीमती धातुओं के लिए पृथक कर दर - "सितंबर 2025 से दरें बदलकर 0%, 5%, 18%, and 40% हो गई हैं।"
कर दरें, संशोधन आदि की अनुशंसा हेतु प्राधिकरण	वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council)
पंजीकरण हेतु वार्षिक समग्र कारोबार सीमा (वस्तुओं की आपूर्ति)	- सामान्य श्रेणी राज्यों के लिए: ₹40 लाख प्रति वर्ष - विशेष श्रेणी राज्यों के लिए: ₹20 लाख प्रति वर्ष (01.04.2019 से प्रभावी) *(राज्यों के लिए सीमा संशोधन वैकल्पिक है)*
पंजीकरण हेतु वार्षिक समग्र कारोबार सीमा (सेवाओं की आपूर्ति)	- सामान्य श्रेणी राज्यों के लिए: ₹20 लाख प्रति वर्ष - विशेष श्रेणी राज्यों के लिए: ₹10 लाख प्रति वर्ष (01.07.2017 से प्रभावी)
QRMP एवं IFF योजना हेतु पात्रता सीमा	पिछले वर्ष का वार्षिक समग्र कारोबार ₹5 करोड़ तक
संयोजन योजना (Composition Levy) की सीमा	- वस्तुओं के लिए: ₹1.5 करोड़ तक - सेवाओं के लिए: ₹50 लाख तक *(अन्य शर्तों के अधीन)*
ई-वे बिल छूट सीमा	₹50,000/- तक के माल प्रेषण पर
ई-इनवॉइस छूट सीमा (01.08.2023 से प्रभावी)	जिन व्यवसायों का किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक समग्र कारोबार ₹5 करोड़ से कम है, उन्हें ई-इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता नहीं

6.अधिनियम में परिभाषित वस्तुएँ और सेवाएँ

वस्तुएँ (Goods)	सेवाएँ (Services)
(धारा 2(52), सीजीएसटी अधिनियम)	**(धारा 2(102), सीजीएसटी अधिनियम)**
"वस्तुएँ" का अर्थ है प्रत्येक प्रकार की *चल संपत्ति*	**"सेवाएँ" का अर्थ है** वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी चीज़
सम्मिलित (Includes): (1) प्रवर्तनीय दावा (Actionable Claim) (2) उगती हुई फसलें (3) घास तथा भूमि से जुड़ी या उसका हिस्सा बनी वस्तुएँ	**सम्मिलित (Includes):** धन के उपयोग से संबंधित गतिविधि या उसका रूपांतरण, नकद या अन्य किसी माध्यम से, जिसके लिए पृथक प्रतिफल लिया जाता है
अपवर्जित (Excludes): (1) धन (Money) (2) प्रतिभूतियाँ (Securities)	**अपवर्जित (Excludes):** (1) वस्तुएँ (Goods) (2) धन (Money) (3) प्रतिभूतियाँ (Securities)

धारा	विवरण (Description)
S.7(1)(a) - अर्थ (Meaning)	वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की सभी प्रकार की आपूर्ति ➤ जैसे कि बिक्री, अंतरण, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निस्तारण ➤ किया गया या करने के लिए सहमति दी गई ➤ प्रतिफल (Consideration) के लिए ➤ किसी व्यक्ति (Person) द्वारा ➤ व्यापार के दौरान या उसके संवर्धन में
S.7(1)(aa)	किसी व्यक्ति (व्यक्ति को छोड़कर) द्वारा अपने सदस्यों या घटकों को अथवा उनसे, नकद, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई गतिविधियाँ/लेन-देन।
S.7(1)(b)	➤ सेवाओं का आयात ➤ प्रतिफल के लिए ➤ चाहे व्यापार के दौरान या उसके संवर्धन में हो या न हो

S.7(1)(c)	अनुसूची-I में निर्दिष्ट गतिविधियाँ, जिन्हें बिना प्रतिफल के भी आपूर्ति माना जाएगा।
S.7(1A)	गतिविधियाँ जिन्हें वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा - अनुसूची-II।
S.7(2) - आपूर्ति में सम्मिलित नहीं (Supply does not include)	अनुसूची-III में निर्दिष्ट गतिविधियाँ।

8.अनुसूची-I (Schedule-I) : सीजीएसटी अधिनियम, 2017

ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें प्रतिफल न मिलने पर भी "आपूर्ति" माना जाएगा

क्रम सं.	गतिविधि (Activity)
1	व्यवसाय के दौरान अथवा उसके संवर्धन में, किसी व्यक्ति (Taxable Person) द्वारा स्थायी हस्तांतरण (Permanent transfer) या व्यावसायिक संपत्ति का त्याग, जहाँ Input Tax Credit (ITC) लिया गया हो।
2	किसी व्यक्ति (Taxable Person) द्वारा अपने संबंधित व्यक्ति (Related Person) या अलग व्यवसाय (Distinct Person) को वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति, जब वह व्यवसाय के दौरान अथवा उसके संवर्धन में हो। *(उपहार जो किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 तक प्रदान किए जाते हैं, उन्हें आपूर्ति नहीं माना जाएगा।)*
3	किसी व्यक्ति (Taxable Person) द्वारा किसी एजेंट को वस्तुओं की आपूर्ति या एजेंट द्वारा उस व्यक्ति को वस्तुओं की आपूर्ति, जब एजेंट उस व्यक्ति की ओर से काम कर रहा हो।

4	व्यवसायिक संपत्ति (Business Assets) का उपयोग निजी प्रयोजन (Personal Use) के लिए या किसी अन्य को निःशुल्क उपलब्ध कराना, जब ऐसी संपत्ति पर ITC लिया गया हो।

9.अनुसूची-II (Schedule-II) : सीजीएसटी अधिनियम, 2017

किन्हें वस्तुओं की आपूर्ति और किन्हें सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा

क्रम सं.	गतिविधि (Activity)	आपूर्ति का प्रकार (Supply)
1. Transfer (हस्तांतरण)	- वस्तुओं के शीर्षक (Title) का कोई भी हस्तांतरण, वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा। - वस्तुओं में अधिकार या अविभाजित हिस्सेदारी का कोई भी हस्तांतरण, बिना शीर्षक के हस्तांतरण के, सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा। - ऐसे किसी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं का शीर्षक हस्तांतरित होना, जिसमें यह शर्त हो कि सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होने पर भविष्य की किसी तिथि पर संपत्ति स्थानांतरित होगी, वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा।	वस्तुएँ / सेवाएँ (जैसा लागू हो)
2. भूमि और भवन (Land and Building)	- भूमि के लीज़, किरायेदारी, उपभोगाधिकार (Easement), भूमि पर कब्ज़े हेतु लाइसेंस, सेवाओं की आपूर्ति माने जाएँगे। - किसी इमारत (व्यावसायिक, औद्योगिक या आवासीय परिसर) का व्यवसाय या वाणिज्य हेतु, पूर्ण या आंशिक रूप से लीज़/किराये पर देना, सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।	सेवाएँ

3. उपचार या प्रक्रिया (Treatment or Process)	- किसी अन्य व्यक्ति की वस्तुओं पर किया गया कोई भी उपचार या प्रक्रिया, सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।	सेवाएँ
4. व्यावसायिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण (Transfer of business assets)	(a) जब व्यवसाय की परिसंपत्तियों का हिस्सा बनी वस्तुओं का, व्यवसाय करने वाले व्यक्ति द्वारा अथवा उसके निर्देश पर इस प्रकार हस्तांतरण/निपटान किया जाता है कि वे अब परिसंपत्तियों का हिस्सा न रहें, तो यह वस्तुओं की आपूर्ति मानी जाएगी। (b) जब व्यवसाय हेतु धारण/प्रयुक्त वस्तुओं का उपयोग निजी प्रयोजन हेतु या किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है, तो ऐसा उपयोग/उपलब्ध कराना सेवाओं की आपूर्ति मानी जाएगी। (c) जब कोई व्यक्ति करदाता रहना बंद कर देता है, तो उसकी व्यवसाय परिसंपत्तियों में शामिल वस्तुओं को ऐसा माना जाएगा कि वे उसके द्वारा करदाता रहना बंद करने से ठीक पहले व्यवसाय के दौरान/संवर्धन में आपूर्ति की गई हैं। **अपवाद:** - यदि व्यवसाय को एक निरंतर व्यवसाय (Going Concern) के रूप में किसी अन्य को स्थानांतरित किया गया हो; या - यदि व्यवसाय किसी व्यक्तिगत प्रतिनिधि द्वारा चलाया जा रहा हो जिसे करदाता माना जाता है।	वस्तुएँ / सेवाएँ (जैसा लागू हो)
5. सेवाओं की आपूर्ति (Supply of Services)	निम्नलिखित को सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा:	सेवाएँ

	- अचल संपत्ति का किराये पर देना; - परिसर/भवन/संरचना का निर्माण (पूर्ण या आंशिक), जिसे क्रेता को बिक्री हेतु बनाया गया हो, सिवाय उन मामलों के जहाँ संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाणपत्र या प्रथम अधिभोग (Occupation) से पूर्व प्राप्त हो चुका हो; - बौद्धिक संपदा अधिकार का अस्थायी हस्तांतरण/उपयोग का अनुमति; - सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ़्टवेयर का विकास, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, अनुकूलन, उन्नयन, संवर्धन, कार्यान्वयन; - किसी कार्य से परहेज़ करने, किसी कार्य/स्थिति को सहन करने अथवा कोई कार्य करने के दायित्व को स्वीकार करना; - किसी वस्तु के उपयोग का अधिकार स्थानांतरित करना, किसी भी प्रयोजन हेतु (निर्धारित अवधि हो या न हो), नकद, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर।	
6. मिश्रित आपूर्ति (Composite Supply)	निम्नलिखित मिश्रित आपूर्तियाँ, सेवाओं की आपूर्ति मानी जाएँगी: - धारा 2(119) में परिभाषित कार्य अनुबंध (Works Contract); - वस्तुओं की आपूर्ति, जो किसी सेवा के भाग के रूप में या अन्य किसी रूप में हो, जैसे मानव उपभोग हेतु भोजन या पेय पदार्थ (मद्यपान योग्य मदिरा को छोड़कर), जब ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर हो।	सेवाएँ

10. **अनुसूची-III (Schedule-III) : सीजीएसटी अधिनियम, 2017**

ऐसी गतिविधियाँ/लेन-देन जिन्हें न तो वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति

क्रम सं.	गतिविधि / लेन-देन (Activity / Transaction)
1	रोजगार के दौरान या उसके संबंध में, कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को प्रदान की गई सेवाएँ।
2	किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ, जिनका गठन वर्तमान में प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत हुआ है।
3	(a) संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल सदस्यों, पंचायत सदस्यों, नगरपालिका सदस्यों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य। (b) संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी पद को धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उस क्षमता में किए गए कर्तव्य। (c) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित किसी निकाय में अध्यक्ष, सदस्य या निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्तव्य, जो इस उप-खंड के लागू होने से पूर्व कर्मचारी नहीं माने जाते।
4	अंतिम संस्कार, दफन, दाह-संस्कार या शवगृह से संबंधित सेवाएँ, जिनमें मृतक का परिवहन भी सम्मिलित है।
5	भूमि की बिक्री और, अनुसूची-II के पैरा 5(b) के अधीन, भवन की बिक्री।
6	प्रवर्तनीय दावे (Actionable Claims), *निर्दिष्ट प्रवर्तनीय दावों (Specified actionable claims)* को छोड़कर।
7	गैर-करयोग्य क्षेत्र (Non-Taxable Territory) से किसी अन्य गैर-करयोग्य क्षेत्र तक वस्तुओं की आपूर्ति, बिना वस्तुओं के भारत में प्रवेश किए।
8	(a) गोदाम में रखी वस्तुओं की आपूर्ति, उनके होम कंजम्पशन हेतु क्लीयरेंस से पहले। (b) कंसाइनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को वस्तुओं की आपूर्ति, जब वस्तुओं को मूल स्थान (भारत के बाहर स्थित बंदरगाह) से भेज दिया गया हो लेकिन होम कंजम्पशन हेतु क्लीयरेंस से पहले, केवल टाइटल डॉक्यूमेंट्स के समर्थन (Endorsement) के द्वारा।
9	सह-बीमा (Co-Insurance) समझौतों में, लीड बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को प्रीमियम का वितरण (Apportionment), बशर्ते लीड बीमाकर्ता पूरे

	प्रीमियम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर तथा समेकित कर का भुगतान करे, जो बीमित द्वारा अदा किया गया है।
10	पुनर्बीमा (Reinsurance) के मामले में, बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को प्रदान की गई सेवाएँ, जहाँ पुनर्बीमा प्रीमियम से "Ceding Commission" अथवा "Reinsurance Commission" घटाई जाती है। बशर्ते पुनर्बीमाकर्ता द्वारा पूरे सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर तथा समेकित कर का भुगतान किया जाए, जिसमें उक्त कमीशन भी सम्मिलित हो।
नोट: क्र. 9 और 10 **वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2024 (अधिनियम संख्या 15, दिनांक 16.08.2024)** की धारा 149 द्वारा जोड़े गए हैं।	

11. आपूर्ति के प्रकार

शब्द / प्रकार (Term)	अधिनियम (Statute)	परिभाषा (Definition in Hindi)
कर योग्य आपूर्ति (Taxable Supply)	धारा 2(108), सीजीएसटी अधिनियम	कर योग्य आपूर्ति का अर्थ है ऐसी वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति, जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर लगाया जा सकता है।
आवक आपूर्ति (Inward Supply)	धारा 2(67), सीजीएसटी अधिनियम	किसी व्यक्ति के संबंध में, आवक आपूर्ति का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की प्राप्ति, चाहे वह क्रय, अधिग्रहण या अन्य किसी प्रकार से हो, प्रतिफल सहित या बिना प्रतिफल।
जावक आपूर्ति (Outward Supply)	धारा 2(83), सीजीएसटी अधिनियम	किसी कर योग्य व्यक्ति के संबंध में, जावक आपूर्ति का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति, चाहे वह बिक्री, अंतरण, विनिमय, अदला-बदली, लाइसेंस, किराया, पट्टा, निस्तारण या अन्य किसी रूप में हो, जो व्यवसाय के

		दौरान या उसके संवर्धन में की गई हो या किए जाने के लिए सहमति दी गई हो।
राज्यांतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति (Intra-State Supply of Goods)	धारा 2(64), सीजीएसटी अधिनियम एवं धारा 8(1), आईजीएसटी अधिनियम	राज्यांतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति का अर्थ है – जहाँ आपूर्तिकर्ता का स्थान और वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में हो। **अपवाद:** (i) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के डेवलपर/यूनिट को या उससे वस्तुओं की आपूर्ति, (ii) भारत में आयातित वस्तुएँ जब तक वे सीमा शुल्क सीमाओं को पार नहीं करतीं, (iii) पर्यटक को की गई आपूर्ति (धारा 15 के अनुसार) - इन्हें राज्यांतर्गत आपूर्ति नहीं माना जाएगा।
राज्यांतर्गत सेवाओं की आपूर्ति (Intra-State Supply of Services)	धारा 2(65), सीजीएसटी अधिनियम एवं धारा 8(2), आईजीएसटी अधिनियम	राज्यांतर्गत सेवाओं की आपूर्ति का अर्थ है – जहाँ आपूर्तिकर्ता का स्थान और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में हो। **अपवाद:** विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के डेवलपर/यूनिट को या उससे सेवाओं की आपूर्ति।
अंतर-राज्यीय वस्तुओं की आपूर्ति (Inter-State Supply of Goods)	धारा 7(1), (2), आईजीएसटी अधिनियम	(i) जब आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति का स्थान दो अलग-अलग राज्यों, दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हों। (ii) भारत में आयातित वस्तुएँ, जब तक वे सीमा शुल्क सीमाओं को पार नहीं करतीं।
अंतर-राज्यीय सेवाओं की आपूर्ति (Inter-	धारा 7(3), (4), आईजीएसटी अधिनियम	(i) जब आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति का स्थान दो अलग-अलग राज्यों, दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हों। (ii) भारत में आयातित सेवाएँ भी अंतर-राज्यीय सेवाओं की आपूर्ति मानी जाएँगी।

State Supply of Services)		
अंतर-राज्यीय वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति	धारा 7(5), आईजीएसटी अधिनियम	(i) जब आपूर्तिकर्ता भारत में हो और आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर हो। (ii) SEZ डेवलपर/यूनिट को या उससे आपूर्ति। (iii) कर योग्य क्षेत्र में की गई आपूर्ति, जो न तो राज्यांतर्गत हो और न ही इस धारा के अन्य भागों में आती हो।
शून्य-रेटेड आपूर्ति (Zero-rated Supply)	धारा 2(23) एवं धारा 16, आईजीएसटी अधिनियम	**01.07.2017 से 30.09.2023 तक:** (i) वस्तुओं/सेवाओं/दोनों का निर्यात, (ii) SEZ डेवलपर/यूनिट को आपूर्ति। **01.10.2023 से प्रभावी:** (i) वस्तुओं/सेवाओं/दोनों का निर्यात, (ii) SEZ डेवलपर/यूनिट को *केवल अधिकृत परिचालन (Authorised Operations)* के लिए आपूर्ति।
मुक्त आपूर्ति (Exempt Supply)	धारा 2(47), सीजीएसटी अधिनियम	ऐसी आपूर्ति जिस पर शून्य दर लागू हो या जो धारा 11 (सीजीएसटी अधिनियम) अथवा धारा 6 (आईजीएसटी अधिनियम) के अंतर्गत पूर्णतः कर-मुक्त हो, इसमें गैर-करयोग्य आपूर्ति भी सम्मिलित है।
गैर-करयोग्य आपूर्ति (Non-Taxable Supply)	धारा 2(78), सीजीएसटी अधिनियम	ऐसी वस्तुओं/सेवाओं/दोनों की आपूर्ति, जिन पर इस अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कर नहीं लगाया जा सकता।
निरंतर वस्तुओं की आपूर्ति (Continuous Supply	धारा 2(32), सीजीएसटी अधिनियम	ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति जो लगातार या बार-बार अनुबंध के तहत की जाती है (जैसे तार, केबल, पाइपलाइन आदि के माध्यम से), जिसके लिए आपूर्तिकर्ता नियमित या आवधिक आधार पर चालान जारी करता है। इसमें वे आपूर्तियाँ भी शामिल हैं जिन्हें सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

of Goods)		
निरंतर सेवाओं की आपूर्ति (Continuous Supply of Services)	धारा 2(33), सीजीएसटी अधिनियम	ऐसी सेवाओं की आपूर्ति जो लगातार या बार-बार अनुबंध के तहत, तीन महीने से अधिक अवधि के लिए, आवधिक भुगतान दायित्वों सहित की जाती है। इसमें वे सेवाएँ भी शामिल हैं जिन्हें सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

12.मिश्रित आपूर्ति, समवेत आपूर्ति और प्रधान आपूर्ति (Mixed, Composite & Principal Supply)

प्रकार (Type)	**धारा (Section)**	**परिभाषा (Definition - हिन्दी)**	**उदाहरण (Illustration)**
मिश्रित आपूर्ति (Mixed Supply)	धारा 2(74)	दो या अधिक वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की व्यक्तिगत आपूर्तियाँ, जिन्हें एकल मूल्य (Single Price) पर किया जाता है और जो *समवेत आपूर्ति (Composite Supply)* का गठन नहीं करती।	**उदाहरण:** डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, चॉकलेट, केक, मेवे, कार्बोनेटेड पेय और फलों के रस का पैकेज जब एकल मूल्य पर आपूर्ति किया जाए, तो यह *मिश्रित आपूर्ति* है। इन वस्तुओं को अलग-अलग भी आपूर्ति किया जा सकता है और ये एक-दूसरे पर निर्भर नहीं हैं।
समवेत आपूर्ति (Composite	धारा 2(30)	दो या अधिक कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति, जो स्वाभाविक रूप से एक साथ की जाती है और सामान्य व्यवसाय में एक	**उदाहरण:** जब वस्तुओं की आपूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा एक साथ किए जाते हैं, तो यह *समवेत*

Supply)		साथ आपूर्ति होती है, जिसमें से एक *प्रधान आपूर्ति (Principal Supply)* होती है।	*आपूर्ति* है और इसमें *वस्तुओं की आपूर्ति* प्रधान आपूर्ति है।
प्रधान आपूर्ति (Principal Supply)	धारा 2(90)	वस्तुओं या सेवाओं की ऐसी आपूर्ति, जो *समवेत आपूर्ति* का मुख्य तत्व (Predominant Element) हो और जिसमें सम्मिलित अन्य आपूर्तियाँ सहायक (Ancillary) हों।	**उदाहरण:** ऊपर दिए गए *समवेत आपूर्ति* के उदाहरण में - वस्तुओं की आपूर्ति *प्रधान आपूर्ति* है।

मिश्रित आपूर्ति (Mixed Supply) के उदाहरण

1.दिवाली गिफ्ट हैम्पर

- इसमें चॉकलेट (18%), मेवे (12%) और परफ्यूम की बोतल (28%) शामिल है।
- ₹1,000 के एकल मूल्य पर बेचा गया।
- सभी वस्तुएँ अलग-अलग पहचानी जा सकती हैं और अलग से बेची जा सकती हैं।
- यह एक मिश्रित आपूर्ति है, और 28% जीएसटी लागू होता है (सबसे उच्च दर वाले आइटम के अनुसार)।

2.कॉम्बो ऑफर - टूथपेस्ट + शैम्पू + साबुन

- ₹150 में एक साथ बेचे जाते हैं।
- प्रत्येक वस्तु की कर दर अलग है और ये स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं हैं।
- मिश्रित आपूर्ति - इस कॉम्बो में उच्चतम दर वाले आइटम की जीएसटी दर लागू होगी।

3.घड़ी + वॉलेट + सनग्लास की बिक्री

- छूट वाले मूल्य पर एक पैकेज में बेचा गया।
- सभी को अलग से बेचा जा सकता है और ये एक-दूसरे पर निर्भर नहीं हैं।
- जीएसटी के अंतर्गत इसे मिश्रित आपूर्ति माना जाएगा।

4.स्टेशनरी किट:

- शामिल: पेन (12%), पेंसिल (5%), नोटबुक (12%), रबर (18%)।
- ₹100 के एकल मूल्य पर बेचा गया।
- स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं है।
- 18% पर कर योग्य।

5.हॉलीडे पैकेज

- शामिल: 2-रात होटल ठहराव (18%), गाइडेड टूर (5%), मालिश (18%), भोजन (5%)।
- कुल मूल्य: ₹15,000।
- वस्तुएँ अलग से ली जा सकती हैं → स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं।
- मिश्रित आपूर्ति → 18% पर कर।

कुछ और नवीन और विचारोत्तेजक मिश्रित आपूर्ति के उदाहरण:

ये उदाहरण क्यों विचारोत्तेजक हैं:

- ये डिजिटल और भौतिक वस्तुओं को मिलाते हैं।
- ई-कॉमर्स और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर स्टार्टअप्स द्वारा इस्तेमाल की गई आधुनिक बंडलिंग रणनीतियों को दर्शाते हैं।
- "उद्देश्य बनाम धारणा" पर प्रश्न उठाते हैं: क्या ये वास्तव में स्वतंत्र आपूर्तियाँ हैं, या एकीकृत उपभोक्ता अनुभव के लिए पैकेज किए गए हैं?
- मूल्य निर्धारण, विपणन और कराधान रणनीति पर वर्गीकरण के प्रभाव को दिखाते हैं।

1.स्मार्टवॉच + फ्री स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन (साथ बेचे गए)

- विवरण: एक कंपनी ₹10,000 में एक स्मार्टवॉच बेचती है, जिसमें 6 माह का म्यूजिक/वीडियो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन शामिल है।
- क्यों यह मिश्रित आपूर्ति है: स्मार्टवॉच और सब्सक्रिप्शन स्वतंत्र सेवाएँ/उत्पाद हैं। खरीदार दोनों को अलग से भी खरीद सकता था।
- जीएसटी प्रभाव: यदि स्ट्रीमिंग सेवा पर 18% और घड़ी पर 28% है, तो 28% पूरी राशि ₹10,000 पर लागू होगा।

2.होम डेकोर कॉम्बो: पेंटिंग + सुगंधित मोमबत्ती + ब्लूटूथ स्पीकर

- विवरण: एक लाइफस्टाइल स्टोर ₹5,000 में "मूड किट" प्रदान करता है, जिसमें वॉल पेंटिंग, मोमबत्ती और ब्लूटूथ स्पीकर शामिल हैं।
- क्यों यह मिश्रित आपूर्ति है: ये असंबंधित उत्पाद हैं, जिन्हें सौंदर्य के लिए जोड़ा गया है, आवश्यकता के लिए नहीं।
- जीएसटी प्रभाव: सबसे उच्च जीएसटी दर (जैसे 28% यदि स्पीकर उस श्रेणी में आता है) लागू होगी।

3.ई-बाइक + सोलर चार्जर + बीमा पॉलिसी (एड-ऑन संयुक्त)

- विवरण: एक स्टार्टअप ₹1,20,000 में "ग्रीन ट्रैवल किट" बेचता है जिसमें ई-बाइक, सोलर चार्जर और 1-वर्ष की दुर्घटना बीमा पॉलिसी शामिल है।
- क्यों यह मिश्रित आपूर्ति है: चार्जर और बीमा स्वतंत्र रूप से खरीदे जा सकते हैं और ई-बाइक की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक नहीं हैं।
- जीएसटी प्रभाव: सबसे उच्च दर वाले घटक की जीएसटी दर (चार्जर या बीमा) पूरी राशि पर लागू होगी।

4.गौरमेट एक्सपीरियंस बॉक्स: वाइन + चीज़ + डिजिटल मास्टरक्लास

- विवरण: एक कंपनी उपहार बॉक्स बेचती है जिसमें वाइन, चीज़ और वेबिनार का एक्सेस शामिल है।
- क्यों यह मिश्रित आपूर्ति है: प्रत्येक तत्व स्वतंत्र है और स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं।
- जीएसटी प्रभाव: सबसे अधिक कर योग्य वस्तु (संभवतः वाइन) की दर पूरी राशि पर लागू होगी।

5.फेस्टिवल वेलनेस किट: आयुर्वेदिक तेल + ऑर्गेनिक अगरबत्ती + स्पॉटिफाई मेडिटेशन एक्सेस

- विवरण: एक वेलनेस ब्रांड एक किट बनाता है जिसमें भौतिक वस्तुएँ और डिजिटल एक्सेस शामिल है।
- क्यों यह मिश्रित आपूर्ति है: प्रत्येक वस्तु/सेवा स्वतंत्र है।
- विचार: डिजिटल और भौतिक वस्तुओं के मिश्रण से पारंपरिक वर्गीकरण को चुनौती मिलती है।

6.फ़ैशन सब्सक्रिप्शन बॉक्स + स्टाइलिस्ट कंसल्टेशन

- विवरण: मासिक बॉक्स में टी-शर्ट, एक्सेसरीज़ और 30-मिनट का ऑनलाइन स्टाइलिंग सत्र शामिल है।
- क्यों यह मिश्रित आपूर्ति है: भौतिक वस्तुएँ और सेवा केवल विपणन हेतु जोड़ी गई हैं, आवश्यकता हेतु नहीं।
- प्रभाव: उच्चतम जीएसटी दर लागू होगी।

समवेत आपूर्ति (Composite Supply) के उदाहरण

1.निर्माण सेवा (टर्नकी प्रोजेक्ट)

- प्रधान आपूर्ति: निर्माण सेवा
- सहायक आपूर्तियाँ: सामग्री (सीमेंट, स्टील), श्रम, इंजीनियरिंग सेवा
- एक अनुबंध के अंतर्गत बंडल की गई सेवा → निर्माण सेवा के रूप में कर योग्य।

2.हवाई यात्रा + भोजन

- प्रधान आपूर्ति: हवाई परिवहन
- सहायक आपूर्ति: उड़ान के दौरान भोजन
- स्वाभाविक रूप से बंडल → हवाई यात्रा सेवा के रूप में कर योग्य।

3.होटल में ठहराव + नाश्ता

- प्रधान आपूर्ति: आवास सेवा
- सहायक आपूर्ति: नाश्ता
- पूरा पैकेज होटल आवास की कर दर से कर योग्य।

4.मोबाइल फोन + वारंटी + चार्जर

- प्रधान आपूर्ति: मोबाइल फोन
- सहायक आपूर्ति: वारंटी और चार्जर
- स्वाभाविक रूप से बंडल → मोबाइल फोन की कर दर लागू।

5.क्रेडिट कार्ड जारी करना (बैंकिंग सेवा)

- प्रधान: क्रेडिट कार्ड जारी करना और उपयोग
- सहायक: बीमा/रिवॉर्ड प्रोग्राम
- वित्तीय सेवा की समवेत आपूर्ति।

6.माल परिवहन + बीमा

- प्रधान: माल का परिवहन
- सहायक: बीमा सेवा
- परिवहन सेवा के अंतर्गत कर योग्य।

कुछ और नवीन और विचारोत्तेजक समवेत आपूर्ति के उदाहरण:

ये क्यों महत्वपूर्ण हैं:

- ये सिर्फ किताबों के उदाहरण नहीं, बल्कि वास्तविक व्यापारिक नवाचार को दिखाते हैं।
- खासकर टेक, D2C, सर्विस और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में प्रासंगिक।
- जीएसटी वर्गीकरण पर गहरे प्रश्न उठाते हैं।

1.ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म + हार्डवेयर किट

- उदाहरण: एक एडटेक स्टार्टअप कोर्स (ऑनलाइन क्लास) + टैबलेट देता है।
- समवेत आपूर्ति: प्रधान आपूर्ति कोर्स है; टैबलेट सहायक है।
- जीएसटी दर: कोर्स की दर लागू।
- विचार: टैबलेट आवश्यक माध्यम है या ऐड-ऑन?

2.ई-व्हीकल + चार्जिंग सेवा

- उदाहरण: ई-स्कूटर + चार्जर इंस्टॉलेशन + 1-वर्ष चार्जिंग।
- प्रधान आपूर्ति: ई-स्कूटर; सेवाएँ सहायक।
- जीएसटी दर: ई-स्कूटर की दर लागू।

3.होटल ठहराव + नाश्ता + वाई-फाई

- उदाहरण: होटल रूम + बुफे नाश्ता + वाई-फाई।

- समवेत आपूर्ति: रूम स्टे प्रधान; नाश्ता और वाई-फाई सहायक।
- जीएसटी दर: होटल रूम की दर लागू।

4.क्लाउड स्टोरेज + तकनीकी सहायता

- उदाहरण: 1TB स्टोरेज + 24/7 सपोर्ट।
- प्रधान आपूर्ति: स्टोरेज; सपोर्ट सहायक।
- जीएसटी दर: स्टोरेज की दर लागू।

5.स्मार्टफोन + प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स/OS लाइसेंस

- उदाहरण: स्मार्टफोन + 1-वर्ष प्रीमियम ऐप।
- प्रधान आपूर्ति: स्मार्टफोन; ऐप सहायक।
- जीएसटी दर: स्मार्टफोन की दर लागू।

6.जिम मेंबरशिप + स्वास्थ्य जांच + डाइट प्लान

- प्रधान: जिम सेवा; सहायक: चेकअप व डाइट।
- जीएसटी दर: फिटनेस सेवा की दर लागू।

7.फर्निशिंग कॉन्ट्रैक्ट + डिलीवरी + इंस्टॉलेशन

- प्रधान: फर्नीचर आपूर्ति; सहायक: डिलीवरी/इंस्टॉलेशन।
- जीएसटी दर: फर्नीचर की दर लागू।

8.B2B आईटी सॉल्यूशन: सॉफ़्टवेयर लाइसेंस + ट्रेनिंग

- प्रधान: ERP सॉफ़्टवेयर; सहायक: ट्रेनिंग/सपोर्ट।
- जीएसटी दर: सॉफ़्टवेयर की दर लागू।

§§§

पंजीकरण

13.सकल कारोबार की निर्धारित सीमा पार करने पर पंजीकरण कराने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति: (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22)

क्रम सं.	गतिविधि	राज्य का प्रकार	सीमा (31.03.2019 तक)	सीमा (01.04.2019 से*)
1	माल की बिक्री	सामान्य	20 लाख रुपये से अधिक	40 लाख रुपये से अधिक
		विशेष	10 लाख रुपये से अधिक	20 लाख रुपये से अधिक
2	सेवाओं की आपूर्ति	सामान्य	20 लाख रुपये से अधिक	20 लाख रुपये से अधिक (कोई परिवर्तन नहीं)
		विशेष	10 लाख रुपये से अधिक	10 लाख रुपये से अधिक (कोई परिवर्तन नहीं)

* दिनांक 07 मार्च 2019 की अधिसूचना सं. 10/2019-सीटी के अनुसार 01.04.2019 से प्रभावी।

अतिरिक्त बिंदु :

3. पूर्ववर्ती कानूनों (उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर) के अंतर्गत पंजीकरण धारक व्यक्ति।
4. व्यवसाय को *Going Concern* के रूप में स्थानांतरित करने की स्थिति में, उत्तराधिकारी उस स्थानांतरण/उत्तराधिकार की तिथि से पंजीकरण कराने हेतु उत्तरदायी होगा।
5. उच्च न्यायालय, अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसार दो या अधिक कंपनियों के विलय या विभाजन की स्थिति में, स्थानांतरित कंपनी (Transferee) पंजीकरण कराने हेतु उत्तरदायी होगी।

अनिवार्य पंजीकरण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति (सीमा की परवाह किए बिना)

(CGST अधिनियम, 2017 की धारा 24)

क्रम सं.	व्यक्ति/गतिविधि	विवरण
i	अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाला व्यक्ति	अपवाद: ऐसे सेवा प्रदाता जिनका टर्नओवर सीमा से कम है (अधिसूचना सं.10/2017-सीटी, दिनांक 13.10.2017)।
ii	अस्थायी कर योग्य व्यक्ति (Casual Taxable Person)	जो कर योग्य आपूर्ति करता है।
iii	वे व्यक्ति जिन्हें *Reverse Charge* (RCM) के अंतर्गत कर अदा करना है	
iv	वे व्यक्ति जिन्हें *RCM* के अंतर्गत कर अदा करना है	(दोहराया प्रावधान, स्पष्टीकरण हेतु)।
v	गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति	कर योग्य आपूर्ति करने वाला।
vi	वे व्यक्ति जिन्हें कर काटना है (TDS)	चाहे इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हों या नहीं।
vii	एजेंट के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति	
viii	*Input Service Distributor (ISD)*	चाहे इस अधिनियम के तहत अलग से पंजीकृत हों या नहीं।
ix	ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति	
x	ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ECO)	जिन्हें *TCS* के रूप में स्रोत पर कर एकत्र करना होता है।
xi	वे व्यक्ति जो भारत से बाहर से OIDAR सेवाएँ (Online Information and Database Access or Retrieval) भारत में किसी व्यक्ति (पंजीकृत व्यक्ति को छोड़कर) को उपलब्ध कराते हैं	
xia	वे व्यक्ति जो भारत से बाहर से भारत में किसी व्यक्ति को *ऑनलाइन मनी गेमिंग* सेवाएँ प्रदान करते हैं	(01.10.2023 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 48/2023-सीटी दिनांक 28.09.2023)।

पंजीकरण कराने हेतु उत्तरदायी नहीं होने वाले व्यक्ति

(CGST अधिनियम, 2017 की धारा 23)

क्रम सं.	व्यक्ति/गतिविधि	विवरण
1	वे व्यक्ति जो केवल कर-मुक्त आपूर्ति करते हैं	या ऐसी आपूर्ति जो कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।
2	कृषक	केवल भूमि की खेती से प्राप्त उत्पाद की आपूर्ति तक।
3	वे व्यक्ति जो अंतर-राज्य सेवाओं की आपूर्ति करते हैं	और जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20/10 लाख रुपये से कम है।
4	जॉब वर्कर	जो पंजीकृत व्यक्तियों (RPs) को अंतर-राज्य सेवाएँ प्रदान करते हैं, शर्तों के अधीन छूट प्राप्त।
5	हस्तशिल्प वस्तुओं/निर्धारित उत्पादों की अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति	यदि उनका एग्रीगेट टर्नओवर धारा 22(1) की सीमा से कम है।
6	अस्थायी कर योग्य व्यक्ति (CTP)	यदि वे हस्तशिल्प वस्तुओं या अधिसूचना में निर्दिष्ट उत्पादों की अंतर-राज्य आपूर्ति करते हैं और उनका एटी धारा 22(1) की सीमा से कम है।
7	वे व्यक्ति जो केवल ऐसी बाहरी आपूर्ति करते हैं जिन पर कर RCM के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाया जाता है	**अपवाद:** धातु स्क्रैप की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत, कस्टम्स टैरिफ अधिनियम, 1975)। *(10.10.2024 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 24/2024-सीटी दिनांक 09.10.2024)*।
8	वे व्यक्ति जो केवल सेवाएँ प्रदान करते हैं (धारा 9(5) में निर्दिष्ट को छोड़कर) ECO के माध्यम से	और जिनका एटी 20/10 लाख रुपये से कम है।
9	सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यक्ति ECO के माध्यम से	यदि उनका एटी 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष (विशेष श्रेणी राज्यों में 10 लाख रुपये) से

		कम है, अधिसूचना सं. 34/2023-सीटी, दिनांक 31.07.2023 की शर्तों के अधीन।

14.सकल कारोबार

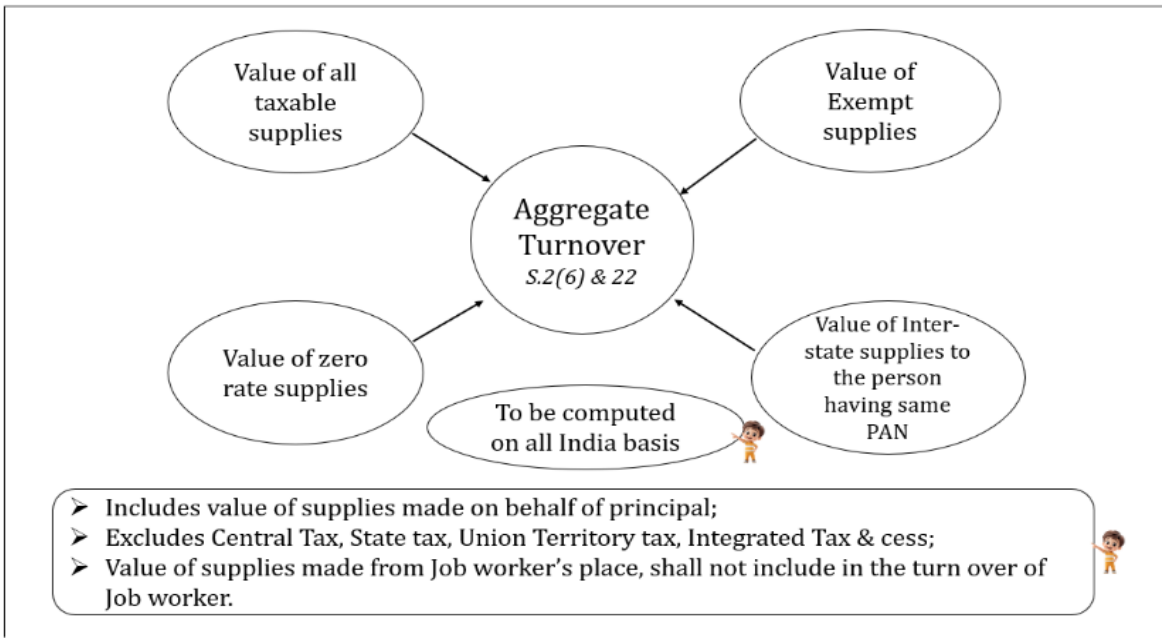

15.व्यक्ति की परिभाषा

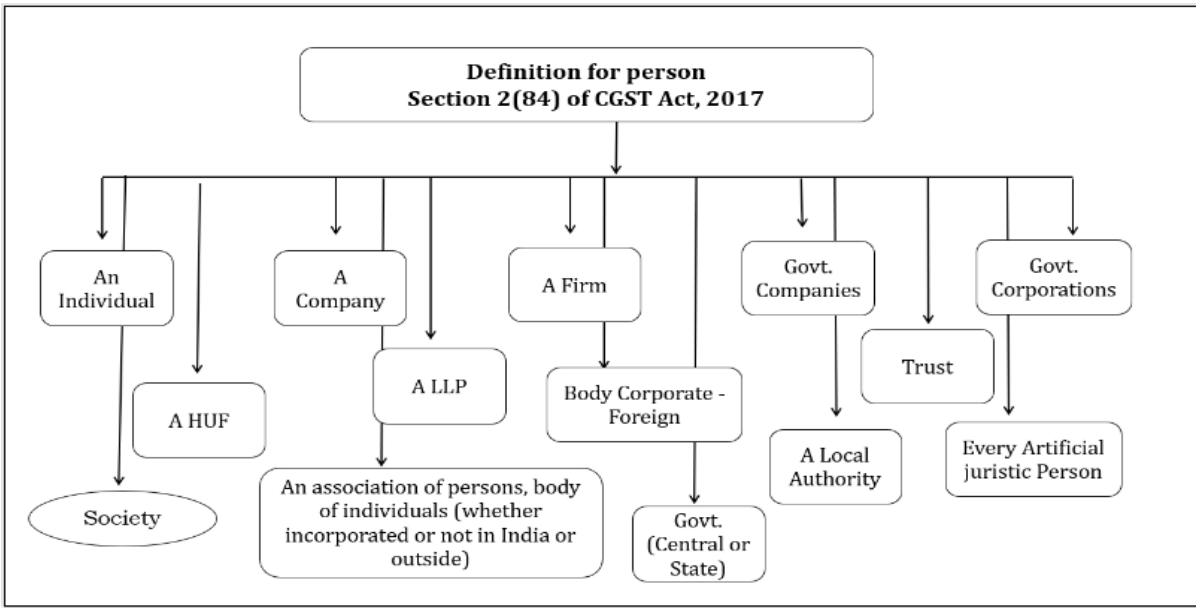

16.पंजीकरण प्रक्रिया की समय-सीमा (Rule 9 of CGST Rules, 2017)

नियम (Rule)	प्रावधान (Provision)	समय-सीमा (Timeline)
R.9(1)	गैर-जोखिम वाले मामले (Non-risky cases)	आवेदन जमा करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर
Proviso to R.9(1)	जोखिम वाले मामले (Risky cases) जहाँ - • आधार संख्या का प्रमाणीकरण करने में विफल रहता है • आधार प्रमाणीकरण कर चुका है लेकिन शारीरिक सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है	आवेदन जमा करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर
R.9(2)	**REG-03** - स्पष्टीकरण / अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज़ माँगने हेतु नोटिस	सात कार्य दिवसों के भीतर
R.9(2)	**REG-04** - करदाता की प्रतिक्रिया (Taxpayer's response) (REG-03 के नोटिस पर)	नोटिस प्राप्त होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर
Proviso to R.9(2)	जोखिम वाले मामले जहाँ - • आधार संख्या का प्रमाणीकरण करने में विफल रहता है • आधार प्रमाणीकरण कर चुका है लेकिन शारीरिक सत्यापन हेतु चिन्हित	आवेदन जमा करने की तिथि से अधिकतम तीस दिनों के भीतर
R.9(3)	यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक है	**REG-06** जारी कर पंजीकरण स्वीकृत किया जाएगा - स्पष्टीकरण प्राप्त होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर

R.9(4)	यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक है	आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख **REG-05** में किया जाएगा
R.9(5)	यदि सक्षम अधिकारी निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है	पंजीकरण हेतु आवेदन को **स्वतः स्वीकृत (deemed approved)** माना जाएगा

17.पंजीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशानिर्देश

(निर्देश सं. 03/2025-जीएसटी, दिनांक 17.04.2025)

17.आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आवेदक से माँगे जाने वाले दस्तावेज़

क्रम संख्या (S.No.)	**विषय (Subject)**	**दिशानिर्देश (Guidelines)**	**मानक / स्पष्टीकरण (Standards / Clarifications)**
1	सामान्य उद्देश्य (General Objective)	अधिकारियों को एकसमान दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और केवल **FORM GST REG-01** में सूचीबद्ध दस्तावेज़ ही स्वीकार करने होंगे; अतिरिक्त दस्तावेज़ तभी यदि उचित कारण हो।	–
2	प्रमुख व्यवसाय स्थल का प्रमाण (Proof of Principal Place of Business)	यदि दस्तावेज़ डिजिटल रूप से अपलोड किए गए हैं तो भौतिक दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं।	PAN, आधार, अन्य फोटो की आवश्यकता नहीं, जब तक विशेष रूप से न कहा गया हो।
3	स्वामित्व वाले परिसर	REG-01 में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज़ स्वामित्व के समर्थन में अपलोड करना	स्वामित्व प्रमाण हेतु कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ या मूल

	(Owned Premises)	होगा: नवीनतम **प्रॉपर्टी टैक्स रसीद** या **नगरपालिका खाता प्रति** या **बिजली बिल / पानी बिल की प्रति**।	भौतिक प्रति नहीं माँगी जानी चाहिए।
4	किराए पर लिए गए परिसर (Rented Premises)	यदि किराया/लीज समझौता पंजीकृत नहीं है - सूचीबद्ध दस्तावेज़ों में से कोई एक + मकान-मालिक का पहचान प्रमाण। यदि पंजीकृत है - समझौता + कोई एक सूचीबद्ध दस्तावेज़ पर्याप्त है।	बिजली/पानी का बिल यदि आवेदक (किरायेदार) के नाम पर है, तो वह + किराया समझौता मान्य प्रमाण है; मकान-मालिक से कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं।
5	सहमति पत्र वाले मामले (Consent Letter Cases - पति/पत्नी/रिश्तेदार)	साधारण कागज़ पर सहमति पत्र + स्वामी का पहचान पत्र + स्वामित्व प्रमाण हेतु कोई एक सूचीबद्ध दस्तावेज़।	कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं माँगा जाना चाहिए।
6	साझा परिसर (Shared Premises)	किराया/लीज समझौता पंजीकृत नहीं है - समझौता + कोई एक सूचीबद्ध दस्तावेज़ + मकान-मालिक का पहचान पत्र। यदि पंजीकृत है - समझौता + कोई एक सूचीबद्ध दस्तावेज़ पर्याप्त।	किराया समझौता + यूटिलिटी बिल + आवेदक का पहचान पत्र पर्याप्त है।
7	कोई समझौता नहीं (No Agreement)	यदि किराए/लीज पर लिया परिसर है और कोई समझौता उपलब्ध नहीं - तो **शपथपत्र** (Affidavit) + कोई एक सूचीबद्ध दस्तावेज़ पर्याप्त है।	शपथपत्र न्यूनतम मूल्य के **ग़ैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर** पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिका मजिस्ट्रेट/नोटरी

			पब्लिक के समक्ष निष्पादित होना चाहिए।
8	विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ Location)	SEZ अनुमोदन प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य।	SEZ प्राधिकरण द्वारा जारी दस्तावेज़ आवश्यक।
9	व्यवसाय की संरचना (Constitution of Business)	यदि आवेदक साझेदार है, तो साझेदारी विलेख अपलोड करना होगा। सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, AOPs, स्थानीय निकाय आदि - पंजीकरण प्रमाणपत्र / व्यवसाय संरचना का प्रमाण अपलोड करना होगा।	कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ जैसे **उद्योग प्रमाणपत्र, MSME प्रमाणपत्र, दुकान पंजीकरण, व्यापार लाइसेंस** आदि नहीं माँगा जाना चाहिए।
10	निषिद्ध प्रश्न (Prohibited Queries)	अधिकारियों को अप्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जैसे - स्थान असंगति, वस्तुओं की उपयुक्तता आदि।	अनावश्यक अनुमानों से बचा जाना चाहिए।

पंजीकरण हेतु आवेदनों के निस्तारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश

(निर्देश संख्या 03/2025-जीएसटी, दिनांक 17.04.2025)

आवेदन प्रसंस्करण (Application Processing):

उचित अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेज़ों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे:

- पठनीय (Legible) हों
- पूर्ण (Complete) हों
- प्रासंगिक (Relevant) हों

अधिकारी को आवेदन के विवरणों की भी जांच करनी चाहिए ताकि:

- पूर्णता की पुष्टि की जा सके
- अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के साथ संबद्धता और प्रति सत्यापन (Cross Verification) किया जा सके
- आवेदक की प्रामाणिकता सत्यापित की जा सके

विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:

- व्यवसाय के प्रधान एवं अतिरिक्त स्थानों के पते के विवरण पर
- आवेदन के साथ अपलोड किए गए पते के प्रमाण-पत्रों पर

जांच में शामिल होना चाहिए:

- पते की पूर्णता एवं शुद्धता
- पते के प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता

जहाँ भी संभव हो, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करके क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, जैसे:

- भूमि रजिस्ट्री वेबसाइटें
- विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइटें
- नगर पालिका पोर्टल्स
- स्थानीय सरकार या प्राधिकरण की वेबसाइटें

अनुमानित एवं अप्रासंगिक प्रश्नों से बचाव (Avoiding Presumptive and Irrelevant Queries):

अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अप्रासंगिक चिंताएँ न उठाएँ, जैसे:

- आवेदक का आवासीय पता किसी अन्य शहर/राज्य में होना,
- वस्तुओं/सेवाओं का स्वरूप स्थान के लिए अनुपयुक्त होना,
- बिना वास्तविक आधार के संदेह करना।

समय सीमा (Time line):

श्रेणी (Category)	समय सीमा एवं शर्तें (Time line & Conditions)
ग़ैर-जोखिम (Non-Risky)	यदि आधार (Aadhaar) सत्यापित है तो **7 कार्य दिवसों** के भीतर स्वीकृति दी जाए।
जोखिमयुक्त (Risky)	**30 कार्य दिवसों** के भीतर, भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद स्वीकृति दी जाए, निम्न परिस्थितियों में: a) आवेदक ने आधार संख्या का प्रमाणीकरण (Authentication) कर लिया है, परंतु उसे जोखिमयुक्त (Risky) के रूप में चिह्नित किया गया है; या b) आवेदक आधार प्रमाणीकरण कराने में विफल रहता है, अथवा आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनता है; या c) अधिकारी यह उपयुक्त समझते हैं कि व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन किया जाए, बशर्ते यह अनुमति सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) से कम रैंक के अधिकारी द्वारा न दी गई हो।

भौतिक सत्यापन (Physical Verification):

जिन मामलों में भौतिक सत्यापन आवश्यक है, वहाँ सक्षम अधिकारी को तुरंत व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन प्रारंभ करना होगा। यह कार्य सीजीएसटी नियमों के नियम 9 को नियम 25 के साथ पढ़ते हुए किया जाएगा।

अधिकारी को भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, सहायक दस्तावेज और फोटोग्राफ **FORM GST REG-30** में आवेदन तिथि से 30 दिनों की समयसीमा से कम-से-कम 5 दिन पूर्व अपलोड करना होगा। भौतिक सत्यापन करने वाला अधिकारी निम्न सुनिश्चित करेगा:

- घोषित प्रमुख व्यवसाय स्थल (Principal Place of Business) के अस्तित्व अथवा अनुपस्थिति पर रिपोर्ट।

- यदि अस्तित्व नहीं है, तो परिसर का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख रिपोर्ट में।
- स्थल पर जीपीएस-सक्षम (GPS-enabled) फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज अपलोड करना।
- यदि एआरएन (ARN) किसी अन्य अधिकार-क्षेत्र से संबंधित है, तो उसे तुरंत पोर्टल के माध्यम से पुनः आबंटित करना।

स्पष्टीकरण मांगना (FORM GST REG-03):

- जहाँ कोई दस्तावेज अपूर्ण है या पठनीय नहीं है, वहाँ सक्षम अधिकारी पूर्ण या स्पष्ट प्रति मांग सकता है।
- जहाँ व्यवसाय स्थल का पता दस्तावेज़ से मेल नहीं खाता है या वह पते का वैध प्रमाण प्रतीत नहीं होता है, वहाँ सक्षम अधिकारी सूचीबद्ध दस्तावेज़ों में से अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकता है।
- यदि पता अस्पष्ट या अपूर्ण है, तो अधिकारी संपूर्ण विवरण प्रमाण सहित मांग सकता है।
- यदि पैन से जुड़ा कोई पंजीकरण जीएसटीआईएन रद्द या निलंबित है, तो स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

REG-03 जारी करने की समय-सीमा:

- यदि जोखिमयुक्त (risky) नहीं चिह्नित है → आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से **7 कार्य दिवसों** के भीतर।
- यदि जोखिमयुक्त चिह्नित है → आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से **30 कार्य दिवसों** के भीतर।

REG-03 द्वारा नोटिस जारी करते समय कर अधिकारी हेतु मुख्य दिशा-निर्देश:

- सूचीबद्ध दस्तावेजों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगने के लिए उप आयुक्त / सहायक आयुक्त से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि कर अधिकारियों की देरी या निष्क्रियता के कारण कोई भी पंजीकरण आवेदन स्वीकृत माना (deemed approval) न हो।
- केवल निर्धारित दस्तावेज ही मांगे जाएं।
- अनुमान आधारित (presumptive) आधार पर कोई सूचना/स्पष्टीकरण न मांगा जाए।
- ऐसे छोटे दोषों पर प्रश्न न उठाए जाएं जो निम्न सिद्ध करने के लिए प्रासंगिक न हों:

- व्यवसाय स्थल का प्रमाण
- व्यवसाय की संरचना

आवेदक को नोटिस (FORM GST REG-03) प्राप्ति की तिथि से **7 कार्य दिवसों** के भीतर **FORM GST REG-04** में उत्तर प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण के बाद निर्णय:

- यदि आवेदक का उत्तर (FORM GST REG-04) संतोषजनक है → **7 दिनों** के भीतर स्वीकृति दें।
- यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है → **7 दिनों** के भीतर **FORM GST REG-05** द्वारा अस्वीकृत करें।
- यदि समय पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है → लिखित कारण बताते हुए आवेदन अस्वीकृत करें।

कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक उपाय:

प्रधान मुख्य आयुक्तों (Principal Chief Commissioners) और मुख्य आयुक्तों (Chief Commissioners) को निर्देश दिए गए हैं कि वे:

- पंजीकरण प्रक्रिया पर निकटता से निगरानी रखें,
- उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई करें,
- पर्याप्त स्टाफिंग सुनिश्चित करें,
- स्थानीय प्रणाली की आवश्यकताओं के आधार पर स्वीकार्य दस्तावेज़ी साक्ष्यों को निर्दिष्ट करने हेतु व्यापार नोटिस (Trade Notices) जारी करें।

18.शिकायत निवारण तंत्र

(निर्देश संख्या 04/2025-जीएसटी, दिनांक 02 मई 2025)

केंद्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे आवेदक जिनकी शिकायतें *निर्देश 03/2025(Instruction No. 03/2025-GST), दिनांक 17.04.2025* का उल्लंघन करते हुए की गई प्रश्नावली (queries) या अस्वीकृति (rejections) से संबंधित हों, वे प्र.मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त (Pr.CC/CC) के पास जा सकते हैं।

आवेदकों को त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

- प्र.मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त (Pr.CC/CC) को आवेदकों के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु एक ईमेल आईडी व्यापक रूप से प्रकाशित करनी चाहिए।
- आवेदकों को अपने ईमेल में **ARN, अधिकार क्षेत्र (केंद्र/राज्य), तथा मुद्दे का संक्षिप्त विवरण** शामिल करना आवश्यक है।
- राज्य अधिकार क्षेत्र से संबंधित शिकायतों को संबंधित राज्य प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति जीएसटी परिषद सचिवालय को भेजी जाएगी।
- प्र.मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त को समय पर शिकायत का निवारण सुनिश्चित करना चाहिए और आवेदकों को सूचित करना चाहिए; यदि प्रश्न उचित हैं, तो आवेदकों को उपयुक्त सलाह दी जानी चाहिए।
- एक **मासिक शिकायत निवारण रिपोर्ट** डीजीजीएसटी (DGGST) को संकलन और बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु भेजी जानी चाहिए।

19.करदाता द्वारा पंजीकरण का निरस्तीकरण (Cancellation of Registration by Tax Payer)

परिस्थितियां जब करदाता पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है (धारा 29 / नियम 22):

- व्यवसाय बंद कर दिया गया है,
- किसी भी कारण से व्यवसाय पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें एकल स्वामी की मृत्यु भी शामिल है,
- किसी अन्य कानूनी इकाई के साथ विलय (amalgamation),
- विभाजन (demerger) या अन्यथा निपटान,
- व्यवसाय की संरचना में कोई परिवर्तन (जैसे कि एकल स्वामित्व को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किया जाना),
- कर योग्य व्यक्ति अब पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है,
- स्वेच्छा से पंजीकरण से बाहर निकलना चाहता है।

यदि एकल स्वामी (sole proprietor) की मृत्यु हो जाती है, तो कानूनी उत्तराधिकारी जीएसटी पंजीकरण के निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार रखते हैं।

पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए आवेदन (नियम 20):

- पंजीकृत व्यक्ति को **FORM GST REG-16** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन में शामिल होगा:
    - स्टॉक में रखे इनपुट्स, अर्धनिर्मित या तैयार माल में निहित इनपुट्स, तथा स्टॉक में रखे पूंजीगत वस्तुओं का विवरण (जिस तारीख से निरस्तीकरण प्रभावी होना है),
    - उस पर देयता (liability),
    - ऐसी देयता के विरुद्ध किए गए भुगतान का विवरण।

समयसीमा:

निरस्तीकरण का कारण उत्पन्न होने की घटना के 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए।

निरस्तीकरण आदेश का निर्गमन [नियम 22(3)]:

- सक्षम अधिकारी **FORM GST REG-19** में निरस्तीकरण आदेश जारी करेगा।
- इसमें उस तारीख का उल्लेख होगा जिससे पंजीकरण निरस्त होना प्रभावी होगा (आवेदक द्वारा निरस्तीकरण अनुरोध में निर्दिष्ट तारीख)।

नोट: किसी भी स्थिति में प्रभावी तारीख आवेदन की तारीख से पूर्व की नहीं हो सकती।

सक्षम अधिकारी करदाता को सभी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

समयसीमा:

आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जाना चाहिए।

निलंबन (Suspension):

निरस्तीकरण कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है। (नियम 29 की परंतुक(Proviso)).

(एसओपी परिपत्र संख्या 69/43/2018-जीएसटी, दिनांक 26.10.2018 देखें)

20.कर अधिकारी द्वारा स्वतः (Suo Moto) निरस्तीकरण [धारा 29(2)]:

कर अधिकारी निम्न परिस्थितियों में स्वतः पंजीकरण निरस्तीकरण प्रारंभ कर सकता है:

- करदाता ने अपने व्यवसाय का पंजीकरण धोखाधड़ी, तथ्यों को छुपाकर या मिथ्या प्रस्तुतीकरण द्वारा कराया है।
- करदाता ने लगातार 6 माह तक रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं।
    - (संयोजन करदाता (composition taxpayer) के मामले में मानदंड 3 माह है।)
- करदाता ने सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल या सेवाओं की आपूर्ति बिना चालान जारी किए की है, ताकि कर से बचा जा सके।
- यह देखा गया है कि करदाता ने माल या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना चालान जारी किया है, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया जा सके या कर की वापसी ली जा सके।
- करदाता ने संग्रहित करों को 90 दिनों के भीतर राजकोष (treasury) में जमा नहीं किया है।
- जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के दौरान कदाचार (misconduct) प्रदर्शित किया गया है।

21.रद्द किए गए पंजीकरण का पुनःस्थापन (Revocation of cancelled registration) (धारा 30 / नियम 23)

- पंजीकृत व्यक्ति (Registered Person) पंजीकरण रद्द किए जाने के आदेश की सेवा की तिथि से **नब्बे दिन** के भीतर, सामान्य पोर्टल पर उचित अधिकारी (Proper Officer) के समक्ष रद्दीकरण को रद्द करने (Revocation) के लिए आवेदन कर सकता है।
  (90 दिन, दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी - अधिसूचना संख्या 38/2023-CT, दिनांक 04-08-2023).
- यह अवधि **आयुक्त (Commissioner)** द्वारा, करदाता (TP) द्वारा पर्याप्त कारण दिखाने पर, **अधिकतम 180 दिन तक** बढ़ाई जा सकती है।
- करदाता को, आवेदन करने से पूर्व, सभी **रिटर्न दायर करने होंगे और देय कर व ब्याज का भुगतान करना होगा।**
- करदाता को रद्दीकरण की तिथि से पुनःस्थापन की तिथि तक के सभी **रिटर्न, पुनःस्थापन की तिथि से 30 दिनों के भीतर** दाखिल करने होंगे।

- यदि उचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि रद्दीकरण के पुनःस्थापन के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह आवेदन प्राप्त होने के **30 दिनों के भीतर आदेश पारित कर पंजीकरण पुनःस्थापित कर सकता है** और इसकी सूचना आवेदक को देगा।
- यदि करदाता उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी करदाता से **7 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर (reply)** देने हेतु नोटिस जारी कर सकता है।
- यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो पुनःस्थापन का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
- यदि उत्तर संतोषजनक है, तो उचित अधिकारी स्पष्टीकरण प्राप्त होने के **30 दिनों के भीतर रद्दीकरण का पुनःस्थापन** कर देगा।
- संबंधित एसओपी परिपत्र संख्या **148/04/2021-GST, दिनांक 18.05.2021** में निहित है।

देय राशि का भुगतान [धारा 29(5)]

जिस व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उसे निम्न में से **जो भी अधिक हो**, उतनी राशि का भुगतान करना होगा:

- स्टॉक में उपलब्ध इनपुट्स, अर्ध-निर्मित या तैयार माल, पूंजीगत वस्तुएँ या संयंत्र एवं मशीनरी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट; या
- उन वस्तुओं पर देय आउटपुट टैक्स।

भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट या कैश लेजर के माध्यम से किया जाएगा।

रद्दीकरण का दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं (धारा 29(3))

पंजीकरण का रद्दीकरण, उस व्यक्ति की कर चुकाने या अधिनियम के तहत दायित्व पूरा करने की जिम्मेदारी को प्रभावित नहीं करता है, **रद्दीकरण से पहले की अवधि के लिए**, चाहे कर एवं बकाया राशि रद्दीकरण से पहले या बाद में निर्धारित क्यों न की गई हो।

22.रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म (RCM) के अंतर्गत करयोग्य वस्तुओं की आपूर्ति

प्रासंगिक धाराएँ:

- धारा 9(3) - सीजीएसटी अधिनियम
- धारा 5(3) - आईजीएसटी अधिनियम

प्रमुख अधिसूचना:

अधिसूचना सं. 04/2017-CT(R), दिनांक 28.06.2017

महत्वपूर्ण परिवर्तन (पिछले संस्करण से):

"मेटल स्क्रैप" की आपूर्ति, यदि **अ-पंजीकृत व्यक्ति (Unregistered Person)** द्वारा **पंजीकृत व्यक्ति (Registered Person)** को की जाती है, तो यह **10.10.2024 से रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म (RCM)** के अंतर्गत करयोग्य होगी।

क्रम संख्या	**शुल्क शीर्ष (Tariff heading)**	**वस्तुओं की आपूर्ति का विवरण**	**वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता**	**आपूर्ति का प्राप्तकर्ता**
1	0801	काजू के बीज (छिलके सहित या बिना छिलके)	कृषक	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
2	14049010	बीड़ी के आवरण की पत्तियाँ (तेन्दू)	कृषक	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
3	2401	तम्बाकू की पत्तियाँ	कृषक	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
3A (01.01.2023 से)	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540, 33012590	निम्नलिखित आवश्यक तेल (साइट्रस फलों के अतिरिक्त): (a) पिपरमिंट का तेल; (b) अन्य मिंट तेल: स्पीयरमिंट तेल, वाटर मिंट तेल, हॉर्समिंट तेल, बर्गामोट तेल, मेंथा अर्वेंसिस	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति **अधिसूचना सं. 14/2022 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 30-12-2022**

4	5004 से 5006	रेशम का सूत	वह व्यक्ति जो कच्चे रेशम अथवा रेशम के कीटों के कोकून से रेशम का सूत बनाता है, रेशम सूत की आपूर्ति हेतु	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
4A (15.11.2017 से)	5201	कच्चा कपास	कृषक	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति **अधिसूचना सं. 43/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 15-11-2017**
5	-	लॉटरी की आपूर्ति	राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण	लॉटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता
6 (13.10.2017 से)	कोई भी अध्याय	प्रयुक्त वाहन, जब्त एवं ज़ब्तशुदा वस्तुएँ, पुरानी एवं प्रयुक्त वस्तुएँ, अपशिष्ट और कबाड़	भारत सरकार (भारतीय रेल को छोड़कर), राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश या कोई स्थानीय प्राधिकरण (20.10.2023 से प्रभावी)	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति **अधिसूचना सं. 36/2017 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 13-10-2017 अधिसूचना सं. 19/2023 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 19-10-2023**
7 (28.0	कोई भी अध्याय	प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (Priority Sector Lending Certificate)	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति **अधिसूचना सं. 11/2018 -**

5.2018 से)				**केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28-05-2018**
8 (10.10.2024 से)	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 या 81	धातु का कबाड़	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति **अधिसूचना सं. 06/2024 - केंद्रीय कर (दर), दिनांक 08-08-2024 (10-10-2024 से प्रभावी)**

23. रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म (RCM) के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति

प्रासंगिक धाराएँ:

- धारा 9(3) - सीजीएसटी अधिनियम
- धारा 5(3) - आईजीएसटी अधिनियम

पिछले संस्करण से महत्वपूर्ण परिवर्तन (RCM आधार पर सेवाओं पर कर भुगतान में):

1. **प्रायोजन सेवाएँ (Sponsorship Services):**
   अधिसूचना सं. 07/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16-01-2025 के अनुसार, प्रायोजन सेवाओं पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के तहत कर भुगतान केवल **गैर-बॉडी कॉरपोरेट इकाइयों (non-body corporate entities)** से प्राप्त होने पर ही लागू होगा।
2. **अचल संपत्ति (Immovable Property) के किराये की सेवाएँ:**
   10-10-2024 से प्रभावी, कोई भी **पंजीकृत व्यक्ति (Registered Person)** यदि किसी **अ-पंजीकृत व्यक्ति (Unregistered Person)** से "आवासीय आवास (Residential

Dwelling) को छोड़कर किसी अन्य अचल संपत्ति का किराया" प्राप्त करता है, तो वह रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आगे संशोधन किया गया है - **16-01-2025 से प्रभावी**, उक्त सेवा प्राप्त करने पर **संरचना करदाता (Composition Taxpayer)** RCM के तहत कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी **नहीं होगा**।

क्रम संख्या	सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	सेवा का प्रदाता (Supplier of service)	सेवा का प्राप्तकर्ता (Recipient of service)
1	सड़क मार्ग से माल परिवहन सेवा	गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (जिसने FCM विकल्प 5% या 12% नहीं चुना है)	कोई भी व्यक्ति, गैर-व्यावसायिक इकाई को छोड़कर (नोट-1 देखें)
2	व्यक्तिगत अधिवक्ता (सीनियर अधिवक्ता सहित) अथवा अधिवक्ताओं की फर्म द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई विधिक सेवाएँ	व्यक्तिगत अधिवक्ता (सीनियर अधिवक्ता सहित) अथवा अधिवक्ताओं की फर्म	करयोग्य क्षेत्र में स्थित कोई भी व्यावसायिक इकाई
3	पंचाट न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) द्वारा व्यावसायिक इकाई को दी गई सेवाएँ	पंचाट न्यायाधिकरण	करयोग्य क्षेत्र में स्थित कोई भी व्यावसायिक इकाई
4	किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रायोजन सेवा, बॉडी कॉरपोरेट या साझेदारी फर्म को	कोई भी व्यक्ति, बॉडी कॉरपोरेट को छोड़कर *(अधिसूचना सं. 07/2025-CT(R), दिनांक 16-01-2025)*	करयोग्य क्षेत्र में स्थित कोई भी बॉडी कॉरपोरेट या साझेदारी फर्म
5	केंद्र/राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक इकाई को दी	केंद्र/राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश अथवा स्थानीय प्राधिकरण	करयोग्य क्षेत्र में स्थित कोई भी व्यावसायिक इकाई

	गई सेवाएँ (कुछ अपवर्जन - नोट-2 देखें)		
5A	केंद्र सरकार (भारतीय रेल को छोड़कर)/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को **अचल संपत्ति किराये पर देना** *(अधिसूचना सं. 03/2018-CT(R), दिनांक 25-01-2018)*	केंद्र/राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश अथवा स्थानीय प्राधिकरण	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति
5AA	आवासीय आवास को पंजीकृत व्यक्ति को किराये पर देना *(18-07-2022 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 05/2022-CT(R), दिनांक 13-07-2022)*	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
5AB	**आवासीय आवास को छोड़कर किसी अन्य अचल संपत्ति का किराया** *(10-10-2024 से, अधिसूचना सं. 09/2024-CT(R), दिनांक 08-10-2024) (संशोधन: 16-01-2025 से कॉम्पोज़िशन करदाता को RCM देयता से छूट - अधिसूचना सं. 07/2025-CT(R))*	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति (कॉम्पोज़िशन करदाता को छोड़कर)
5B	विकास अधिकारों या FSI (फ्लोर स्पेस इंडेक्स, अतिरिक्त FSI सहित) का अंतरण, परियोजना निर्माण हेतु, प्रोमोटर को	कोई भी व्यक्ति	प्रोमोटर
5C	भूमि का दीर्घकालीन पट्टा (30 वर्ष या अधिक) अग्रिम	कोई भी व्यक्ति	प्रोमोटर

	राशि/नियत किराये के बदले, परियोजना निर्माण हेतु प्रोमोटर को *(01-04-2019 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 05/2019-CT(R))*		
6	कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट के निदेशक द्वारा उस कंपनी/बॉडी कॉरपोरेट को दी गई सेवाएँ	कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट का निदेशक	करयोग्य क्षेत्र में स्थित कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट
7	बीमा एजेंट द्वारा बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को सेवाएँ	बीमा एजेंट	करयोग्य क्षेत्र में स्थित बीमा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति
8	रिकवरी एजेंट द्वारा बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्था/NBFC को सेवाएँ	रिकवरी एजेंट	करयोग्य क्षेत्र में स्थित बैंकिंग कंपनी/वित्तीय संस्था/NBFC
9	संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार आदि द्वारा कॉपीराइट (मौलिक नाटकीय, संगीतिक या कलात्मक कृतियाँ) का हस्तांतरण या उपयोग की अनुमति, म्यूजिक कंपनी/प्रोड्यूसर आदि को *(01-10-2019 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 22/2019-CT(R))*	संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार आदि	करयोग्य क्षेत्र में स्थित संगीत कंपनी, निर्माता आदि
9A	लेखक द्वारा मौलिक साहित्यिक कृतियों के कॉपीराइट का प्रकाशक को हस्तांतरण/उपयोग की अनुमति *(01-10-2019 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 22/2019-CT(R)) (अपवाद - नोट-3 देखें)*	लेखक	करयोग्य क्षेत्र में स्थित प्रकाशक

10	ओवरसीइंग कमेटी के सदस्यों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सेवाएँ *(13-10-2017 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 33/2017-CT(R))*	ओवरसीइंग कमेटी के सदस्य	भारतीय रिज़र्व बैंक
11	व्यक्तिगत डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSAs) (बॉडी कॉरपोरेट, साझेदारी फर्म या LLP को छोड़कर) द्वारा बैंक/NBFC को सेवाएँ *(27-07-2018 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 15/2018-CT(R))*	व्यक्तिगत DSA (बॉडी कॉरपोरेट, साझेदारी फर्म या LLP को छोड़कर)	करयोग्य क्षेत्र में स्थित बैंकिंग कंपनी या NBFC
12	बिज़नेस फ़ैसिलिटेटर (BF) द्वारा बैंकिंग कंपनी को सेवाएँ *(01-01-2019 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 29/2018-CT(R))*	बिज़नेस फ़ैसिलिटेटर (BF)	करयोग्य क्षेत्र में स्थित बैंकिंग कंपनी
13	बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट (BC) के एजेंट द्वारा BC को सेवाएँ *(01-01-2019 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 29/2018-CT(R))*	BC का एजेंट	करयोग्य क्षेत्र में स्थित बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट
14	सुरक्षा सेवाएँ (सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति) पंजीकृत व्यक्ति को *(01-01-2019 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 29/2018-CT(R)) (अपवाद - नोट-4 देखें)*	कोई भी व्यक्ति, बॉडी कॉरपोरेट को छोड़कर	करयोग्य क्षेत्र में स्थित पंजीकृत व्यक्ति
15	मोटर वाहन (यात्री ले जाने हेतु) किराये पर देने की सेवाएँ,	कोई भी व्यक्ति (बॉडी कॉरपोरेट को छोड़कर) जो	करयोग्य क्षेत्र में स्थित कोई भी बॉडी कॉरपोरेट

	जिसमें ईंधन की लागत शामिल हो, जब सेवा बॉडी कॉरपोरेट को दी जाती है *(01-10-2019 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 22/2019-CT(R))*	बॉडी कॉरपोरेट को यह सेवा देता है और 6% केंद्रीय कर चार्ज करते हुए चालान जारी नहीं करता	
16	प्रतिभूतियों की उधारी की सेवाएँ, SEBI की **Securities Lending Scheme, 1997** के अंतर्गत	उधारदाता (Lender) - वह व्यक्ति जो SEBI के अनुमोदित मध्यस्थ के माध्यम से प्रतिभूतियाँ उधार हेतु जमा करता है	उधारकर्ता (Borrower) - जो SEBI की योजना के तहत अनुमोदित मध्यस्थ के माध्यम से प्रतिभूतियाँ उधार लेता है

नोट-1:

निम्नलिखित व्यक्तियों को **GTA (Goods Transport Agency) सेवा प्राप्त करने पर RCM के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा**:

(a) कोई भी कारखाना, जो **कारखाना अधिनियम, 1948 (63 का 1948)** के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा शासित हो; या

(b) कोई भी **सोसाइटी**, जो **सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21 का 1860)** या भारत के किसी भी भाग में प्रचलित किसी अन्य विधि के अंतर्गत पंजीकृत हो; या

(c) कोई भी **सहकारी समिति (Co-operative Society)**, जो किसी कानून द्वारा अथवा उसके अंतर्गत स्थापित की गई हो; या

(d) कोई भी व्यक्ति, जो **केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम** के अंतर्गत पंजीकृत हो; या

(e) कोई भी **बॉडी कॉरपोरेट**, जो किसी कानून द्वारा अथवा उसके अंतर्गत स्थापित की गई हो; या

(f) कोई भी **साझेदारी फर्म**, चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या न हो (व्यक्तियों के संघ सहित); या

(g) कोई भी **आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति (Casual Taxable Person)**, जो करयोग्य क्षेत्र में स्थित हो।

नोट-2:

यह प्रविष्टि (Entry) निम्नलिखित सेवाओं को **अपवर्जित (Exclude)** करती है:

(1) अचल संपत्ति का किराया (Renting of immovable property), और

(2) नीचे निर्दिष्ट सेवाएँ:

(i) **डाक विभाग (Department of Posts)** और **रेल मंत्रालय (भारतीय रेल)** द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ;

(ii) किसी **विमान (Aircraft)** या **पोत (Vessel)** से संबंधित सेवाएँ, बंदरगाह या हवाई अड्डे की सीमा के भीतर अथवा बाहर;

(iii) माल या यात्रियों का परिवहन।

नोट-3:

यह प्रविष्टि लागू नहीं होगी, यदि:

(i) लेखक ने **केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (12 का 2017)** के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और **परिशिष्ट-I (Annexure I)** में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर सक्षम सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त को घोषणा (Declaration) प्रस्तुत की हो कि वह उक्त सेवा पर **फॉरवर्ड चार्ज (Forward Charge)** के अंतर्गत कर का भुगतान करना चाहता है (धारा 9(1) के अनुसार), और अधिनियम की सभी प्रावधानों का पालन करेगा। साथ ही, वह उक्त विकल्प लेने की तिथि से **1 वर्ष की अवधि** तक उसे वापस नहीं लेगा;

(ii) लेखक अपने द्वारा जारी चालान **(Form GST INV-I)** पर, प्रकाशक को **परिशिष्ट-II (Annexure II)** के अनुसार घोषणा अंकित करेगा।

नोट-4:

यह प्रविष्टि लागू नहीं होगी यदि सेवाएँ प्राप्त करने वाला व्यक्ति:

(i)(a) **केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का कोई विभाग अथवा प्रतिष्ठान**; या

(b) **स्थानीय प्राधिकरण (Local Authority)**; या

(c) **सरकारी एजेंसियाँ (Governmental Agencies)**;

ऐसे मामलों में, जब उन्होंने केवल **धारा 51 (TDS कटौती हेतु)** के उद्देश्य से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 (12 का 2017) के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो, न कि करयोग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए;

या

(ii) कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो अधिनियम की **धारा 10 (Composition Scheme)** के अंतर्गत कर का भुगतान करता हो।

♣♣♣

उपरोक्त सभी सेवाएँ आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत भी **रिवर्स चार्ज (RCM)** के लिए अधिसूचित की गई हैं,
अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28-06-2017 (संशोधित रूप में) के तहत।

इनके अतिरिक्त, उक्त अधिसूचना द्वारा **आईजीएसटी प्रयोजनों हेतु** निम्नलिखित सेवा भी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अधिसूचित की गई है:

क्रम संख	सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	सेवा प्रदाता	सेवा प्राप्तकर्ता / RCM पर कर अदा करने के लिए उत्तरदायी
1.	भारत के बाहर स्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त कोई भी सेवा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो **गैर-करयोग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता** (Non-taxable Online Recipient) न हो।	गैर-करयोग्य क्षेत्र (Non-taxable territory) में स्थित कोई भी व्यक्ति	करयोग्य क्षेत्र (Taxable territory) में स्थित कोई भी व्यक्ति, सिवाय गैर-करयोग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के

10.	भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सेवा, जो वस्तुओं के परिवहन के लिए पोत (Vessel) के माध्यम से भारत के सीमा शुल्क निकासी केंद्र (Customs station of clearance) तक लाई जाती हो।	गैर-करयोग्य क्षेत्र (Non-taxable territory) में स्थित व्यक्ति	आयातक (Importer) - जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (अधिनियम सं. 52, 1962) की धारा 2 के खंड (26) में परिभाषित है - जो करयोग्य क्षेत्र में स्थित हो

24.आरसीएम (RCM) पर कर योग्य आपूर्ति

धारा 9(4) CGST अधिनियम एवं धारा 5(4) IGST अधिनियम के अंतर्गत

अधिसूचना संख्या 07/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 29.03.2019
प्रभावी तिथि: 1 अप्रैल, 2019 से

धारा 9(4) CGST अधिनियम एवं धारा 5(4) IGST अधिनियम के अंतर्गत आरसीएम पर कर योग्य आपूर्ति

अधिसूचना संख्या 07/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 29.03.2019, प्रभावी 01.04.2019 से

क्रम संख्या	वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	आपूर्तिकर्ता	वस्तुओं एवं सेवाओं का प्राप्तकर्ता
1	विकास अधिकारों / एफएसआई (FSI) का हस्तांतरण	अपंजीकृत व्यक्ति	प्रमोटर
2	सीमेंट (अध्याय शीर्षक 2523 में आने वाला) जैसा कि कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में है। (01-10-2019 से प्रभावी, अधिसूचना संख्या 24/2019-CT(R), दिनांक 30-09-2019 द्वारा)	अपंजीकृत व्यक्ति	प्रमोटर
3	पूंजीगत वस्तुएँ जो कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के किसी भी	अपंजीकृत व्यक्ति	प्रमोटर

	अध्याय के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें प्रमोटर को परियोजना के निर्माण हेतु आपूर्ति की जाती है, जिस पर कर देय है या अदा किया गया है, अधिसूचना संख्या 11/2017-CT(R), दिनांक 28 जून, 2017 की तालिका के क्रम संख्या 3 के विरुद्ध मद (i), (ia), (ib), (ic) और (id) में निर्धारित दर पर।		

25.अचल संपत्ति के किराये पर देने की सेवा

विवरण	सेवा प्रदाता	सेवा प्राप्तकर्ता	जीएसटी कौन चुकाएगा?	प्रभावी तिथि से	प्राधिकरण
वाणिज्यिक संपत्ति किराये पर देना: 997212	पंजीकृत	कोई भी व्यक्ति	सेवा प्रदाता (मकान मालिक)	01.07.2017	प्रविष्टि संख्या 16, अधिसूचना संख्या 11/2017-CT(R), दिनांक 28.06.2017
किसी भी आवासीय आवास के अतिरिक्त अचल संपत्ति को किराये पर देने की सेवा: 997212	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	सेवा प्राप्तकर्ता (संयोजन करदाता को छोड़कर) आरसीएम पर	10.10.2024	प्रविष्टि संख्या 5AB, अधिसूचना संख्या 09/2024-CT(R), दिनांक 08.10.2024 तथा परिशिष्ट दिनांक 22.10.2024 और 07/2025-CT(R), दिनांक 16.01.2025
आवासीय उपयोग हेतु आवासीय	कोई भी व्यक्ति	कोई भी व्यक्ति	मुक्त (Exempted)	01.07.2017	प्रविष्टि संख्या 12, अधिसूचना संख्या 12/2017-CT(R),

संपत्ति किराये पर देना: 997211					दिनांक 28.06.2017
पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय आवास किराये पर देने की सेवा: 997211	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	सेवा प्राप्तकर्ता आरसीएम पर	18.07.2022	प्रविष्टि संख्या 5AA, अधिसूचना संख्या 05/2022-CT(R), दिनांक 13.07.2022

26.अचल संपत्ति के किराये से संबंधित अधिसूचनाएँ और परिपत्र

अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28-06-2017

आवासीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त आवासीय मकानों के किराये को जीएसटी से मुक्त करती है। वाणिज्यिक संपत्ति का किराया 18% जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य बना रहता है।

अधिसूचना संख्या 5/2022-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 13-07-2022

पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय मकानों के किराये पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) लागू किया। किरायेदार (यदि जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है) मकान-मालिक के स्थान पर जीएसटी का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अधिसूचना संख्या 15/2022-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 30-12-2022

स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत क्षमता में (व्यवसाय स्वरूप में नहीं) आवासीय मकान किराये पर देता है तो वह जीएसटी से मुक्त रहेगा। यदि व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु किराये पर दिया जाता है, तो उस पर RCM के अंतर्गत जीएसटी लागू होगा।

अधिसूचना संख्या 07/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 16-01-2025

संयोजन करदाताओं (Composition taxpayers) को अचल संपत्ति के किराये पर RCM से बाहर रखा गया। 10.10.2024 से 15.01.2025 की अवधि हेतु वाणिज्यिक संपत्ति किराये पर RCM अंतर्गत जीएसटी की लागूता को नियमित किया गया।

परिपत्र संख्या 101/20/2019-जीएसटी, दिनांक 30-04-2019

औद्योगिक प्लॉट्स या वित्तीय अवसंरचना विकास से संबंधित 30 वर्ष या अधिक की दीर्घकालिक लीज़ पर छूट प्रदान की।

राज्य के भीतर सेवाओं की आपूर्ति : ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) कर चुकाने के लिए उत्तरदायी

धारा 9(5) CGST अधिनियम तथा **धारा 5(5) IGST अधिनियम** के अंतर्गत।

मुख्य अधिसूचना: अधिसूचना सं. **17/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017** (संशोधित के अनुसार)।

Sl. No	**विवरण (Description)**	**सेवा प्रदाता (Supplier of service)**
i.	रेडियो-टैक्सी, मोटर-कैब, मैक्सी-कैब, मोटर साइकिल या अन्य किसी मोटर वाहन (ओम्निबस को छोड़कर) द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ	कोई भी व्यक्ति
i(a).	ओम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ। *(20-10-2023 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 16/2023-CT(R), दिनांक 19-10-2023)*	कोई भी व्यक्ति, सिवाय उन मामलों के जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से यह सेवा प्रदाता कंपनी हो।
ii.	होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट या अन्य वाणिज्यिक स्थानों पर आवास की सेवाएँ जो आवास/रहने के प्रयोजन हेतु हों।	कोई भी व्यक्ति, सिवाय उन मामलों के जहाँ यह सेवा प्रदाता ECO के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहा है और CGST अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत पंजीकरण हेतु उत्तरदायी है।
iii.	हाउस-कीपिंग सेवाएँ जैसे प्लम्बिंग, बढ़ईगिरी आदि।	उपरोक्त के समान
iv.	रेस्तरां सेवाओं की आपूर्ति (उन सेवाओं को छोड़कर जो रेस्तरां, ईटिंग जॉइंट आदि द्वारा निर्दिष्ट परिसरों में प्रदान की जाती हैं)। *(01-01-2022 से प्रभावी, अधिसूचना सं. 17/2021-CT(R), दिनांक 18-09-2021)*	कोई भी व्यक्ति

28. **संरचना योजना (Composition Scheme)**

धारा	आपूर्तिकर्ता (Supplier)	कारोबार सीमा (Turnover Limit)	जीएसटी की दर (Rate of GST)	सेवा भाग की स (Limit of serv portion)
10(1) एवं 10(2) (नियमित संरचना योजना)	निर्माता (Manufacturers)	वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष में 1.50 करोड़ रुपये (विशेष श्रेणी राज्यों में 75 लाख रुपये)	01-01-2018 से समग्र कारोबार (Aggregate Turnover) का 1% (01-01-2018 से पूर्व 2%)	पिछले वित्तीय वर्ष के कारोबार का 10% या 5 लाख रुपये, इनमें जो अधिक हो (01-02-2019 से प्रभावी)
	रेस्टोरेंट सेवा (Restaurant service)	–	01-07-2017 से समग्र कारोबार का 5%	–
	व्यापारी (Traders)	–	01-07-2017 से कर योग्य आपूर्ति (Taxable Supply) का 1%	–
10(2A) मिश्रित संरचना योजना (Mixed Composition Scheme)	वे करदाता जो उपरोक्त संरचना योजना के लिए पात्र नहीं हैं, वे इस योजना को चुन सकते हैं	वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये	01-04-2019 से वस्तुओं और सेवाओं के समग्र कारोबार का 6%	50 लाख रुपये (01-04-2019 से प्रभावी)

संरचना योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें (Conditions for Eligibility under Composition Scheme):

- वह सेवा की आपूर्ति में संलग्न न हो (रेस्टोरेंट सेवाओं के अतिरिक्त) जो ऊपर दी गई सीमा से अधिक हो।
- वह ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न न हो जिन पर कर लागू नहीं होता। (धारा 10(2A))
- वह वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य बाहरी आपूर्ति में संलग्न न हो। (धारा 10(2A))
- वह ऐसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति में संलग्न न हो जिसे धारा 52 के तहत स्रोत पर कर संग्रह करना आवश्यक है। (धारा 10(2A))
- वह तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड वाटर और आइसक्रीम का निर्माता न हो। (धारा 10(2A))
- वह अस्थायी कर योग्य व्यक्ति (Casual Taxable Person) या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (Non-Resident Taxable Person) न हो। (धारा 10(2A))
- संरचना योजना **PAN आधार पर लागू होती है**, इसलिए यदि किसी फर्म ने एक राज्य में इसे चुना है, तो उसे अन्य सभी राज्यों में भी इसे चुनना होगा जहाँ वह पंजीकृत है।
- जमा, ऋण और अग्रिमों का मूल्य समग्र कारोबार की गणना हेतु नहीं माना जाएगा - चाहे पात्रता के लिए हो, योजना के अंतर्गत कर भुगतान के लिए हो या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार की गणना हेतु (धारा 10(1) के दूसरे प्रावधान हेतु)।
- **1 अप्रैल से पंजीकरण के लिए पात्र होने की तिथि तक की आपूर्ति** पात्रता हेतु समग्र कारोबार में शामिल की जाएगी, लेकिन धारा 10 के अंतर्गत कर की गणना करते समय इन्हें बाहर रखा जाएगा।

29.मूल्य निर्धारण (Valuation) - लेन-देन मूल्य में सम्मिलन

धारा (Section)	सम्मिलन (Inclusions)	उदाहरण / विश्लेषण (Example / Analysis)

15(2)(a)	वर्तमान में प्रभावी किसी भी क़ानून के तहत लगाए गए कर, शुल्क, उपकर (Cess), फीस और चार्जेज़, लेकिन इस अधिनियम (GST) के तहत लगाए गए करों को छोड़कर	**उदाहरण:** तंबाकू और तंबाकू उत्पाद। बेसिक प्राइस + एक्साइज ड्यूटी + NCCD = GST के लिए मूल्य
15(2)(b)	तृतीय पक्ष भुगतान : ऐसी कोई भी राशि जो प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की गई हो लेकिन जिसका भुगतान करने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की हो	**उदाहरण:** ABC ने XYZ को केटरिंग सेवा दी। समझौते में नहीं होने के बावजूद ABC ने XYZ की ओर से फंक्शन हॉल का किराया चुकाया। यह किराया मूल्य में जोड़ा जाएगा।
15(2)(c)	सहायक (Incidental) खर्चे जिनमें कमीशन और पैकिंग तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के समय या उससे पहले वसूले गए अन्य किसी भी राशि को शामिल किया जाएगा	**उदाहरण:** पैकिंग, लेबलिंग, डिज़ाइनिंग, रॉयल्टी, वारंटी चार्जेज़, बीमा चार्जेज़, लोडिंग, वेटिंग, कुली, इनवॉइस में अलग से दिखाया गया फ्रेट, एरेक्शन/इंस्टॉलेशन चार्ज, प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्ज आदि।
15(2)(d)	विचार (Consideration) के भुगतान में देरी होने पर ब्याज, विलंब शुल्क या दंड	आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाएगा यदि भुगतान में देरी होती है। शामिल नहीं किया जाएगा यदि ब्याज **ऋण, अग्रिम या जमा** पर है।
15(2)(e)	मूल्य से सीधे जुड़े सब्सिडी, सरकार (केंद्र/राज्य) द्वारा दी गई सब्सिडी को छोड़कर	- यदि **सरकार के अलावा किसी अन्य द्वारा दी गई** और मूल्य से सीधे जुड़ी है → शामिल होगी। - यदि **सरकार के अलावा किसी अन्य द्वारा दी गई** और मूल्य से नहीं जुड़ी है → शामिल नहीं होगी। - यदि **सरकार द्वारा दी गई है** → शामिल नहीं होगी।

आपूर्ति के मूल्य से बहिष्करण (Exclusion from Value of Supply)

धारा 15(3): आपूर्ति के मूल्य में किसी भी **डिस्काउंट** को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में समझाया गया है।

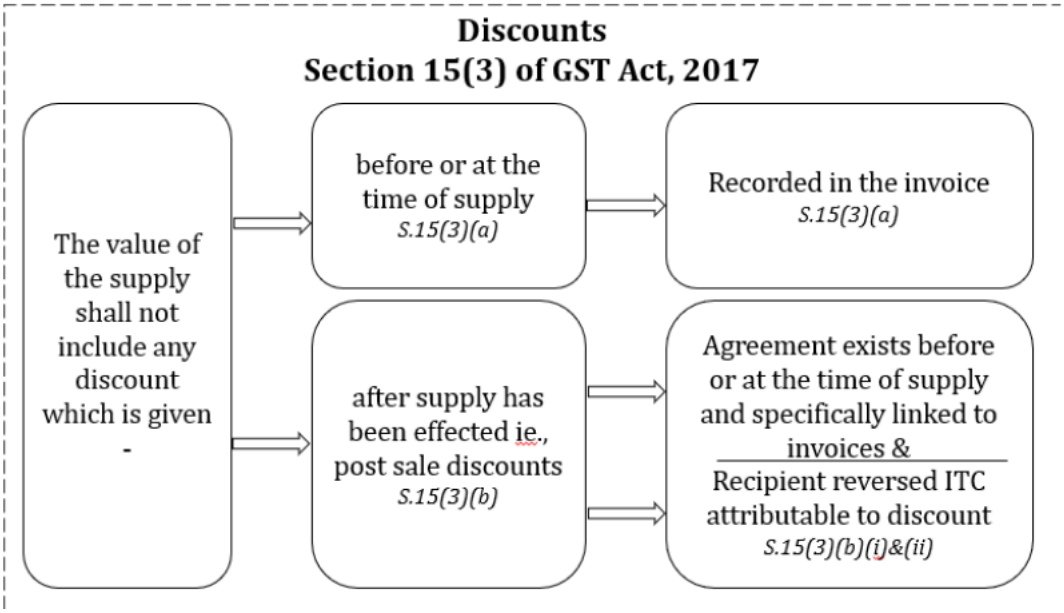

जीएसटी क़ानून के अंतर्गत छूट और उसका उपचार

कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धी बाज़ार में बने रहने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की छूट देना एक सामान्य प्रथा है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15(3) ग्राहकों को दी जाने वाली छूट की स्थिति में आपूर्ति के मूल्यांकन से संबंधित है।

परिपत्र संख्या 92/11/2019-जीएसटी, दिनांक 7 मार्च, 2019 ने व्यवसायों द्वारा दी जाने वाली कुछ छूटों को स्पष्ट किया है।

क़ानूनी प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाया गया है:

Secondary or Post sale Discounts

Not known at the time of supply or are offered after supply.
*Example: M/s A supplies 10,000 packets of biscuits to M/s B at Rs.10/- per packet. Afterwards M/s A re-values it at Rs. 9/- per packet. Subsequently, M/s A issues **credit note** to M/s B for Rs.1/- per packet, as post sale discount.*

In terms of S.34(1) of the Act, financial / commercial credit note(s) can be issued by the supplier even if the conditions mentioned in S.15(3)(b) of the Act are not satisfied.
However, secondary discounts shall not merit exclusion from value of supply as the discounts are not known at the time of supply and the conditions laid down in S.15(3)(b) of the Act are not satisfied.

There is no impact on availability or otherwise of ITC in the hands of supplier in this case. The recipient need not reverse the ITC proportionate to credit note.

Discounts : 'Buy more, save more' offers:

⇒ Volume discounts : Given at the time of supply; Shown in invoices. *Example: >Rs.5,000 purchase 10% discount; >Rs.10,000 purchase 15% discount;*

⇒ Volume discounts : Year ending.
Example- Discount of 1% if 10000 pieces purchased in a year, get addl. discount of 2% if 15000 pieces are purchased in a year in terms of agreement entered into.

Treatment of discount

Merits exclusion from the value of supply, as the discounts are shown in the invoice.

Merits exclusion from value of supply as discounts are established by agreement; provided the recipient reversed proportionate ITC.

The supplier is entitled to avail ITC for such inputs, input services and capital goods used in relation to the supply of goods or services or both on such discounts.

Sales promotion activities

Free samples or Gifts	Buy one get one free offer
samples or gifts which are supplied free of cost, without any consideration, do not qualify as "supply". *In terms of Section 7(1)(a) of CGST Act, 2017, supply shall be made for a consideration.*	⇝ It may appear at first glance that one item is supplied free of cost without any consideration. ⇝ It is not an individual supply of free goods but a case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply.
Exception: Schedule-I activities	Needs to be examined u/s 8, whether it is mixed or composite supply
ITC : Not eligible Sec.17(5)(h)	ITC : Eligible

32.अवरुद्ध क्रेडिट (Blocked Credit)

निम्नलिखित खरीद पर कोई क्रेडिट दावा नहीं किया जा सकता है। **[धारा 17(5)]**

- मोटर वाहन / विमान / पोत

श्रेणी / धारा	विवरण	अपवाद (Exception)	उदाहरण
मोटर वाहन और परिवहन साधन S.17(5)(a)	13 या उससे कम यात्रियों (ड्राइवर सहित) के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहन।	- आगे आपूर्ति हेतु उपयोग- यात्रियों का परिवहन- प्रशिक्षण हेतु उपयोग	(a) व्यक्तिगत उपयोग हेतु खरीदा वाहन → ITC अयोग्य(b) ड्राइविंग स्कूल हेतु वाहन → ITC उपलब्ध(c) कार डीलर द्वारा बिक्री हेतु वाहन → ITC उपलब्ध
विमान / पोत S.17(5)(aa)	विमान / पोत की खरीद, लीज़िंग, किराया, हायरिंग पर ITC उपलब्ध नहीं।	उपरोक्त अपवाद वही लागू।	वही जैसा ऊपर।
सामान्य बीमा / सर्विसिंग / रिपेयरिंग S.17(5)(ab)	मोटर वाहन/विमान/पोत की बीमा, मरम्मत, सर्विसिंग।	- वाहन/विमान/पोत के निर्माता- बीमा सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति- ड्राइविंग स्कूल हेतु वाहन	(a) व्यक्तिगत वाहन की बीमा - ITC अयोग्य(b) ड्राइविंग स्कूल वाहन की मरम्मत - ITC उपलब्ध
भोजन, पेय, कैटरिंग, क्लब सदस्यता, ब्यूटी ट्रीटमेंट आदि S.17(5)(b)(i)	फूड, बेवरेज, कैटरिंग, ब्यूटी/हेल्थ ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, मोटर वाहन/पोत किराया, लाइफ/हेल्थ इंश्योरेंस।	- व्यवसाय हेतु उपयोग- कानूनन नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को देना अनिवार्य	(a) कंपनी का वार्षिक फंक्शन कैटरिंग - ITC अयोग्य(b) सैलून द्वारा खरीदा कॉस्मेटिक - ITC उपलब्ध

क्लब/हेल्थ/फिटनेस सदस्यता S.17(5)(b)(ii)	क्लब, हेल्थ, फिटनेस केंद्र की सदस्यता।	कानूनन नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को देना अनिवार्य।	(a) व्यवसायी द्वारा स्वास्थ्य क्लब की सदस्यता - ITC अयोग्य
यात्रा लाभ S.17(5)(b)(iii)	LTC/HTC जैसे यात्रा लाभ।	- व्यवसाय हेतु यात्रा- कानूनन नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को देना अनिवार्य	(a) कर्मचारियों की निजी यात्रा हेतु टिकट - ITC अयोग्य(b) सेल्स टीम की बिजनेस यात्रा - ITC उपलब्ध
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट S.17(5)(c)	अचल संपत्ति निर्माण हेतु वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेवा।	- इनपुट सेवा का आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में उपयोग- प्लांट एवं मशीनरी निर्माण	(a) बिल्डिंग निर्माण - ITC अयोग्य(b) वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सब-कॉन्ट्रैक्टिंग - ITC उपलब्ध
स्वयं के खाते पर अचल संपत्ति निर्माण S.17(5)(d)	खुद के उपयोग हेतु अचल संपत्ति निर्माण (ऑफिस बिल्डिंग आदि)।	प्लांट और मशीनरी निर्माण।	(a) ऑफिस बिल्डिंग निर्माण - ITC अयोग्य(b) मशीन हेतु मोटर खरीदी - ITC उपलब्ध
कम्पोजीशन स्कीम S.17(5)(e)	कम्पोजीशन डीलर से खरीदे गए माल/सेवा।	कोई अपवाद नहीं।	कम्पोजीशन डीलर से खरीद → ITC अयोग्य
गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति S.17(5)(f)	NRI द्वारा भारत में खरीदे गए माल/सेवा।	आयातित वस्तुएँ।	(a) भारत में खरीद → ITC अयोग्य(b) विदेश से आयात → ITC उपलब्ध
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) S.17(5)(fa)	CSR गतिविधियों हेतु प्राप्त वस्तु/सेवा। (01.10.2023 से प्रभावी)	कोई अपवाद नहीं।	CSR हेतु खरीदी वस्तुएँ → ITC अयोग्य
व्यक्तिगत उपभोग S.17(5)(g)	व्यक्तिगत उपयोग हेतु वस्तु/सेवा।	कोई अपवाद नहीं।	निजी उपयोग हेतु खरीदी वस्तु → ITC अयोग्य

मुफ्त नमूने/नष्ट वस्तुएँ S.17(5)(h)	खोई, चोरी, नष्ट, मुफ्त नमूने में बाँटी वस्तुएँ।	कोई अपवाद नहीं।	मुफ्त नमूने वितरित - ITC अयोग्य
धोखाधड़ी वाले मामले (धारा 74 के अंतर्गत कर भुगतान) S.17(5)(i)	FY 2023-24 तक धारा 74 में चुकाया गया टैक्स ITC हेतु अयोग्य। 01.11.2024 से संशोधन बाद → ITC योग्य।	संशोधन के बाद खरीदार ITC क्लेम कर सकता है।	(a) SCN पर टैक्स FY 2023-24 - ITC अयोग्य(b) SCN पर टैक्स FY 2024-25 - 01.11.2024 से ITC उपलब्ध

आई.टी.सी. की रिवर्सल हेतु गणना पत्रक (नियम 42 के अंतर्गत)

जीएसटीआईएन (GSTIN) :

कानूनी नाम (Legal Name) :

वित्तीय वर्ष (FY)	विवरण	राशि / विवरण
T	कुल उपलब्ध आईटीसी (Total ITC availed)	
T1	कुल आईटीसी में से, केवल *व्यवसाय के अतिरिक्त प्रयोजन* हेतु प्रयुक्त क्रेडिट	
T2	कुल आईटीसी में से, केवल *मुक्त आपूर्ति (Exempted supplies)* हेतु प्रयुक्त क्रेडिट	
T3	धारा 17(5) के अंतर्गत *अयोग्य (Not eligible) क्रेडिट*	
C1	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जोड़ी गई आईटीसी (C1 = T - T1 - T2 - T3)	
T4	*कर योग्य आपूर्ति* (टैक्सेबल एवं ज़ीरो रेटेड सप्लाई सहित) से संबंधित क्रेडिट	

C2	*सामान्य क्रेडिट* (Common Credit) (C2 = C1 - T4)	
E	*मुक्त आपूर्ति (Exempted supplies)* का कुल मूल्य	
F	*कुल टर्नओवर* (टैक्सेबल, ज़ीरो रेटेड, मुक्त और गैर-व्यावसायिक आपूर्ति सहित)	
D1	मुक्त आपूर्ति हेतु आनुपातिक आईटीसी (D1 = E/F × C2)	
	रिवर्सल (Reversals)	
	मुक्त आपूर्ति हेतु रिवर्स की गई वास्तविक आईटीसी	
	शेष (यदि कोई हो) रिवर्स की जाने योग्य	
D2	गैर-व्यावसायिक आपूर्ति हेतु आईटीसी (D2 = C2 का 5%)	
	गैर-व्यावसायिक आपूर्ति हेतु रिवर्स की गई वास्तविक आईटीसी	
	शेष (यदि कोई हो) रिवर्स की जाने योग्य	
रिटर्न्स	GSTR-3B, GSTR-9 और 9C	

आपूर्ति का स्थान (Place of Supply)

i. आपूर्ति के स्थान का महत्व :

जीएसटी एक *गंतव्य-आधारित कर (destination-based tax)* है। कर उसी कर प्राधिकरण (Taxing Authority) को मिलना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) में वस्तुओं या सेवाओं की खपत (consumption) होती है।

इस उद्देश्य के लिए *आपूर्ति का स्थान (Place of Supply)* निर्धारित करना आवश्यक है, अर्थात वह स्थान जहाँ वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान की गई हैं, ताकि कराधान का अधिकार क्षेत्र (Intra-State या Inter-State) तय किया जा सके।

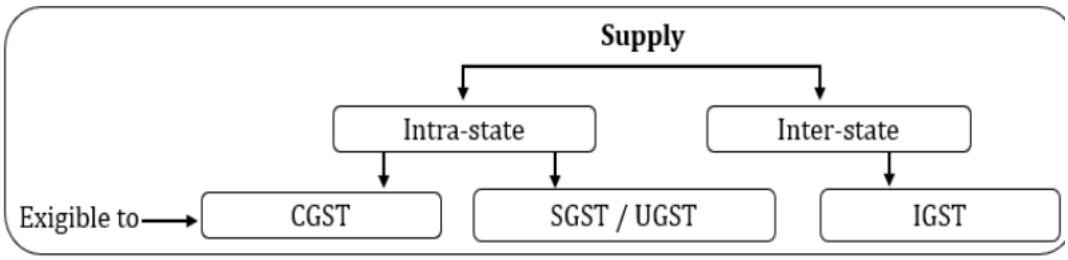

ii. आपूर्ति के स्थान का गलत निर्धारण करने के परिणाम :

आपूर्ति के स्थान का गलत निर्धारण करने से गलत शीर्ष (Head) के अंतर्गत कर का भुगतान हो सकता है (उदा० - आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी+ एसजीएसटी/ यूजीएसटी (IGST की जगह CGST+SGST/UGST) या इसके विपरीत)।

सीजीएसटी (CGST) अधिनियम की धारा 77, आईजीएसटी (IGST) अधिनियम की धारा 19 तथा सीजीएसटी (CGST) नियमों के नियम 89 के अनुसार, यदि सही कर का भुगतान कर दिया जाए तो गलत शीर्ष के अंतर्गत भुगतान किया गया कर वापस (refund) लिया जा सकता है। (इस पर कोई ब्याज देय नहीं है)।

अतः इस प्रक्रिया से बचने के लिए आपूर्ति के स्थान का सही-सही निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बिक्री का प्रकार	लागू कर	वास्तव में भुगतान	सुधार (Rectification)	ब्याज / दंड
आंतरिक राज्य (Intra-state)	सीजीएसटी एवं एसजीएसटी (CGST एवं SGST)	आईजीएसटी (IGST)	CGST एवं SGST का भुगतान करें, IGST की वापसी लें	नहीं

अंतर-राज्य (Inter-state)	आईजीएसटी (IGST)	सीजीएसटी एवं एसजीएसटी (CGST एवं SGST)	IGST का भुगतान करें, CGST एवं SGST की वापसी लें	नहीं

वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान (Place of Supply of Goods)

निम्नलिखित तालिका विभिन्न परिस्थितियों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के स्थान को दर्शाती है :

परिस्थिति (Situation)	**उदाहरण (Example)**	**विधि के अनुसार आपूर्ति का स्थान (Place of supply as per statute)**
वस्तुओं का आवागमन		
S.10(1)(a) of IGST Act	ABC (आंध्र प्रदेश) ने XYZ (उत्तर प्रदेश) को सामान बेचा। सामान की डिलीवरी UP में की गई, जिसके लिए परिवहन की व्यवस्था ABC (सप्लायर) ने की।	वह स्थान जहाँ वस्तुओं की डिलीवरी के लिए उनका आवागमन समाप्त होता है। यहाँ, UP में डिलीवरी हुई, इसलिए PoS = **UP**
तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर आपूर्ति		
S.10(1)(b) of IGST Act	ABC, विजयवाड़ा (AP) ने लखनऊ (UP) के श्री तरुण से सामान खरीदा। खरीदार ने विक्रेता से कहा कि सामान कानपुर (UP) में XYZ को भेज दें। (Bill-to Ship-to मॉडल)	तीसरे व्यक्ति का प्रधान आपूर्ति स्थान (Principal Place of Supply)।
तरुण (UP): सप्लायर		

XYZ (UP): प्राप्तकर्ता		
ABC (AP): तीसरा व्यक्ति		
बिना आवागमन के आपूर्ति		
S.10(1)(c) of IGST Act	ABC (AP) ने बेंगलुरु के श्री Y से एक बिल्डिंग किराए पर ली और मशीनरी लगाई। 3 साल बाद ABC ने बिल्डिंग खाली कर दी और वही मशीनरी "as-is-where-is" स्थिति में मकान मालिक को बेच दी।	डिलीवरी के समय वस्तुएँ जहाँ स्थित हैं वही स्थान PoS होगा।
यहाँ, मशीनरी बेंगलुरु में है, इसलिए PoS = **बेंगलुरु (कर्नाटक)**		
अ-पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति		
S.10(1)(ca) of IGST Act		
(01-10-2023 से प्रभावी, अधिसूचना संख्या - 02/2023-IT dt. 29-09-2023)	(i) श्री A (राज्य X) ने एक मोबाइल फोन मंगवाया जिसकी डिलीवरी राज्य Y में होनी थी, लेकिन बिलिंग एड्रेस X दिया।	
(ii) श्री A (राज्य X) ने एक अ-पंजीकृत व्यक्ति को सामान दिया, जिसका पता इनवॉइस पर दर्ज नहीं था।	(i) उस व्यक्ति का पता जो इनवॉइस पर दर्ज है → यहाँ State Y।	

(ii) जहाँ सप्लायर स्थित है, यदि इनवॉइस पर पता उपलब्ध नहीं है।		
साइट पर असेंबली या इंस्टॉलेशन हेतु वस्तुओं की आपूर्ति		
S.10(1)(d) of IGST Act	XYZ (दिल्ली) ने ABC (दिल्ली) को एक मशीन दी जिसे ABC के फैक्ट्री (फरीदाबाद, हरियाणा) में इंस्टॉल किया गया।	जहाँ असेंबली/इंस्टॉलेशन हुआ वही स्थान PoS होगा।
यहाँ = **फरीदाबाद (हरियाणा)**		
परिवहन साधन (Conveyance) पर आपूर्ति		
S.10(1)(e) of IGST Act	ABC ने विजयवाड़ा- दिल्ली (Delhi) ट्रेन में सफर करते हुए, यात्रा के दौरान वारंगल (तेलंगाना) में सामान बेचा।	वह स्थान जहाँ सामान बोर्ड किया गया हो।
यहाँ = **तेलंगाना**		

36.भारत में आयातित अथवा भारत से निर्यातित वस्तुओं का आपूर्ति स्थान

(**Section 11 of IGST Act**)

परिस्थिति (Situation)	उदाहरण (Example)	आपूर्ति का स्थान (Place of Supply)

भारत में वस्तुओं का आयात (Importation of goods into India)	एबीसी, गुजरात ने विजाग पोर्ट से कोयला आयात किया।	भारत में आयातक का स्थान।गुजरात ही आपूर्ति का स्थान (PoS) है।
भारत से वस्तुओं का निर्यात (Export goods from India)	एबीसी, आंध्र प्रदेश ने विजाग पोर्ट से 'श्रिम्प' (झींगा) अमेरिका को निर्यात किया।	भारत से बाहर।अमेरिका ही आपूर्ति का स्थान (PoS) है।

37. भारत में आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता - सेवाओं की आपूर्ति का स्थान

(धारा 12, IGST अधिनियम, 2017)

धारा	गतिविधि का विवरण	आपूर्ति का स्थान	उदाहरण
S.12(2)	सामान्य प्रावधान: [धारा (3) से (14) में निर्दिष्ट सेवाओं पर लागू] ☞ पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति - पंजीकृत प्राप्तकर्ता का स्थान। ☞ अपंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति - यदि पता रिकॉर्ड में है, तो प्राप्तकर्ता का स्थान; अन्यथा आपूर्तिकर्ता का स्थान।	पंजीकृत प्राप्तकर्ता का स्थान / अपंजीकृत का पता / आपूर्तिकर्ता का स्थान	विजयवाड़ा (AP) का पंजीकृत व्यक्ति है जिसने हैदराबाद (Telangana) की एक रजिस्टर्ड एड एजेंसी को डिज़ाइनिंग सेवाएं दीं → PoS हैदराबाद। यदि एजेंसी अपंजीकृत है और पता उपलब्ध है → हैदराबाद। यदि पता उपलब्ध नहीं है → विजयवाड़ा।
S.12(3)	अचल संपत्ति से संबंधित सेवाएँ: ☞ संपत्ति से सीधे संबंधित सेवाएँ ☞ IP उपयोग का अधिकार ☞ होटल/गेस्ट हाउस/क्लब/कैंपसाइट/हाउसबोट आदि में लॉजिंग ☞ विवाह/फंक्शन हेतु	संपत्ति / बोट / वेसल का स्थान। यदि संपत्ति भारत से बाहर है → प्राप्तकर्ता का स्थान	श्री X (चेन्नई) ने श्री Y (सूरत) को सिंगापुर के घर की सजावट हेतु हायर किया → PoS चेन्नई। श्री X (दिल्ली) ने हरियाणा में गोदाम लीज़ पर दिया → PoS हरियाणा।

	आवासीय स्थल ☞ सहायक सेवाएँ		
S.12(4)	रेस्तरां, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ, कॉस्मेटिक सर्जरी	जहां सेवा दी गई	श्री A (दिल्ली निवासी) नोएडा के जिम गए → PoS नोएडा।
S.12(5)	प्रशिक्षण व परफॉर्मेंस अप्रेज़ल	☞ पंजीकृत व्यक्ति हेतु → पंजीकृत प्राप्तकर्ता का स्थान ☞ अपंजीकृत हेतु → जहां सेवा दी गई	XYZ (अनरजि.) हैदराबाद में स्थित है, अप्रेज़ल AP में हुआ → PoS AP।
S.12(6)	सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल, वैज्ञानिक, शैक्षिक, मनोरंजन कार्यक्रम / पार्क हेतु प्रवेश व सहायक सेवाएँ	जहां इवेंट हुआ या पार्क स्थित	ABC (AP) ने हैदराबाद में नाटक देखा → PoS हैदराबाद।
S.12(7)	आयोजन सेवाएँ (कॉन्फ्रेंस, मेले, एग्ज़िबिशन आदि)	☞ पंजीकृत व्यक्ति हेतु → पंजीकृत प्राप्तकर्ता का स्थान ☞ अन्यथा → जहां इवेंट हुआ ☞ विदेश में इवेंट → प्राप्तकर्ता का स्थान	ABC Co. (Hyd, Tel) ने दिल्ली के X से हरियाणा में प्रमोशन हेतु सेवाएँ लीं। पंजीकृत है → PoS हैदराबाद। अनरजि. है तो → हरियाणा। यदि इवेंट न्यूयॉर्क/लंदन में है → PoS हैदराबाद।
S.12(8)	माल परिवहन सेवा (कोरियर/मेल सहित)	☞ पंजीकृत हेतु → पंजीकृत का स्थान ☞ अन्य हेतु → जहां माल ट्रांसपोर्ट हेतु सौंपा गया	XYZ Pvt Ltd (दिल्ली, पंजीकृत) ने पुणे कोरियर भेजा → PoS दिल्ली।
S.12(9)	यात्री परिवहन सेवा	☞ पंजीकृत हेतु → पंजीकृत का स्थान ☞ अन्य हेतु → जहां से यात्री ने यात्रा आरंभ की	ABC (दिल्ली पंजीकृत) मुंबई-नागपुर यात्रा करता है → PoS दिल्ली। ABC (अनरजि.) जयपुर

			से ट्रेन चढ़ा → PoS जयपुर।
S.12(10)	ऑन-बोर्ड सेवाएँ (वेसल/एयरक्राफ्ट/ट्रेन/मोटर वाहन)	पहली अनुसूचित प्रस्थान बिंदु	ट्रेन "Enjoy on wheels" जयपुर→कन्याकुमारी आउटवर्ड → जयपुर, रिटर्न → कन्याकुमारी।
S.12(11)	दूरसंचार सेवाएँ: फिक्स्ड लाइन, लीज़्ड सर्किट, इंटरनेट, डिश एंटेना पोस्ट-पेड मोबाइल/इंटरनेट प्रीपेड मोबाइल/रीचार्ज	इंस्टॉलेशन का स्थान / बिलिंग पता / एजेंट का पता / ई-पेमेंट में रिसीवर का पता	B ने AP से TN घर पर लीज़ लाइन ली → PoS TN। A ने पोस्ट-पेड कनेक्शन लिया → PoS A का पता।
S.12(12)	बैंकिंग, वित्तीय व स्टॉक-ब्रोकिंग सेवाएँ	रिकॉर्ड पर प्राप्तकर्ता का स्थान; यदि नहीं तो आपूर्तिकर्ता का स्थान	A (कोटा, RJ) ने मुंबई ब्रोकरे से शेयर खरीदे। PoS कोटा (यदि पता उपलब्ध है)। यदि नहीं → मुंबई।
S.12(13)	बीमा सेवाएँ	☞ पंजीकृत हेतु → पंजीकृत का स्थान ☞ अन्य हेतु → रिकॉर्ड में पता	XY Ltd. (गुरुग्राम, पंजीकृत) → PoS गुरुग्राम। X (अनरजि.) ने हेल्थ पॉलिसी ली → PoS X का पता।
S.12(14)	विज्ञापन सेवाएँ (केंद्र/राज्य/स्टैच्यूटरी बॉडी/स्थानीय निकाय हेतु)	प्रत्येक राज्य/UT जहां विज्ञापन प्रसारित/लगाया गया	दिल्ली सरकार ने देशभर में बोर्ड लगवाए → PoS सभी राज्यों/UTs।

38.सेवाओं के आपूर्ति का स्थान - गैर-घरेलू

धारा (Section)	गतिविधि का विवरण (Description of activity)	आपूर्ति का स्थान (Place of Supply)

S.13(1)	जहाँ या तो सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान या सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान भारत के बाहर है	सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान। यदि सामान्य व्यवसाय की स्थिति में प्राप्तकर्ता का स्थान उपलब्ध नहीं है - सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान
S.13(8)(a)	बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था, या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा खाता धारकों को प्रदत्त सेवाएँ	सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान
S.13(8)(b)	मध्यस्थ (Intermediary) सेवाएँ	सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान
S.13(8)(c)	परिवहन के साधनों (means of transport) की किराए पर देने की सेवाएँ, जिनमें याट (yachts) शामिल हैं लेकिन विमान और जहाज़ शामिल नहीं, अवधि एक माह तक	सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान
S.13(12)	ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनःप्राप्ति सेवाएँ (OIDAR)	सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान

धारा (Section)	**स्थिति (Situation)**	**आपूर्ति का समय (Time of Supply)**
12(2)	सामान्य / निरंतर आपूर्ति (Normal / Continuous Supply)	निम्नलिखित में से जो भी पहले हो:• आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि या धारा 31 के अंतर्गत जिस अंतिम तिथि को जारी करना आवश्यक है; या • आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता को भुगतान प्राप्त होने की तिथि।*(नोट: चालान वस्तुओं को हटाने की तिथि पर या वस्तुएँ प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि पर जारी किया जाएगा)*
12(3)	RCM (Reverse	निम्नलिखित में से जो भी पहले हो:• वस्तुओं की प्राप्ति की तिथि • भुगतान की तिथि - पुस्तकों में प्रविष्ट या बैंक से

	Charge Mechanism) के तहत कर देय होने की स्थिति	डेबिट की गई तिथि में जो भी पहले हो • आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि से 30 दिन पूरे होने के बाद का अगला दिन *प्रावधान: यदि उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत निर्धारित करना संभव न हो, तो आपूर्ति का समय प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि होगी*
12(4)	वाउचर की आपूर्ति (Supply of Vouchers)	• उस तिथि पर जब वाउचर जारी किया गया हो, यदि उस समय आपूर्ति पहचानी जा सकती है; या • अन्य सभी मामलों में वाउचर की रिडेम्पशन (भुनाने) की तिथि। **नोट:** बजट 2025 में प्रस्तावित है कि उपधारा 12(4) को हटा दिया जाए, क्योंकि वाउचर की आपूर्ति न तो वस्तुओं की आपूर्ति है और न ही सेवाओं की।
12(5)	ऐसे मामले जहाँ उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत निर्धारित करना संभव न हो	• यदि एक आवधिक रिटर्न दाखिल किया जाना हो - वह तिथि जिस दिन ऐसा रिटर्न दाखिल किया जाना है; या • अन्य किसी मामले में - वह तिथि जिस दिन कर का भुगतान किया जाता है।
12(6)	आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि - ब्याज, विलंब शुल्क या विलंबित भुगतान हेतु दंड	जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता को ऐसी वृद्धि प्राप्त होती है।

39.वस्तुओं की आपूर्ति का समय

धारा (Section)	**परिस्थिति (Situation)**	**आपूर्ति का समय (Time of Supply)**
12(2)	सामान्य / निरंतर आपूर्ति (Normal / Continuous Supply)	निम्नलिखित में से जो भी पहले हो (Earliest of): • आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान (Invoice) जारी करने की तिथि या धारा 31 के तहत जारी करने की अंतिम तिथि; या • आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता को भुगतान प्राप्त होने की

		तिथि। *(चालान उस दिन जारी किया जाएगा जिस दिन माल हटाया गया हो या माल प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराया गया हो।)*
12(3)	ऐसी स्थिति जिसमें कर RCM (Reverse Charge Mechanism) पर देय है	निम्नलिखित में से जो भी पहले हो (Earliest of): • वस्तुओं की प्राप्ति की तिथि; • भुगतान की तिथि - पुस्तकों में दर्ज की गई तिथि या बैंक से डेबिट की गई तिथि, जो भी पहले हो; • आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि से तीस दिन के तुरंत बाद की तिथि। **प्रावधान (Proviso):** यदि उपरोक्त धाराओं के अनुसार निर्धारित करना संभव न हो तो TOS (Time of Supply) प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि होगी।
12(4)	वाउचर की आपूर्ति (Supply of Vouchers)	• यदि उस समय आपूर्ति पहचान योग्य है तो वाउचर जारी करने की तिथि; या • अन्य सभी मामलों में, वाउचर के भुनाने (Redemption) की तिथि। **नोट:** बजट 2025 में यह उप-धारा 12(4) हटाने का प्रस्ताव है, क्योंकि वाउचर की आपूर्ति न तो वस्तुओं की आपूर्ति है और न ही सेवाओं की।
12(5)	ऐसी स्थिति जिसमें उपरोक्त धाराओं के अनुसार निर्धारित करना संभव न हो	• वह तिथि जिस पर आवधिक रिटर्न दाखिल किया जाना है; या • अन्य सभी मामलों में, वह तिथि जिस पर कर का भुगतान किया गया हो।
12(6)	आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि - ब्याज, विलंब शुल्क या विलंबित भुगतान के लिए दंड	जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता को ऐसे मूल्य-वृद्धि (addition in value) की प्राप्ति हो।

40.सेवाओं की आपूर्ति का समय

धारा (Section)	परिस्थिति (Situation)	आपूर्ति का समय (Time of Supply)
13(2)	सामान्य / निरंतर आपूर्ति (Normal / Continuous Supply)	निम्नलिखित में से जो भी पहले हो (Earliest of): • चालान जारी करने की तिथि, यदि चालान धारा 31 के तहत निर्धारित अवधि में जारी किया गया है, या भुगतान प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो; या • सेवा प्रदान करने की तिथि, यदि चालान धारा 31 के तहत निर्धारित अवधि में जारी नहीं किया गया है, या भुगतान प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो; या • जिस तिथि को प्राप्तकर्ता अपनी पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शाता है, यदि उपरोक्त (a) या (b) लागू नहीं होते।
13(3)	ऐसी स्थिति जिसमें कर RCM (Reverse Charge Mechanism) पर देय है	निम्नलिखित में से जो भी पहले हो (Earliest of): • भुगतान की तिथि - प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में दर्ज तिथि या उसके बैंक खाते से डेबिट की तिथि, जो भी पहले हो; या • चालान जारी होने की तिथि के तुरंत बाद साठवें दिन की तिथि (जहाँ आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करना आवश्यक है); या • चालान जारी करने की तिथि, जहाँ चालान प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। **[क्लॉज (c) वित्त अधिनियम (सं.2) 2024, धारा 117 द्वारा दिनांक 16.08.2024 को जोड़ा गया]**
13(4)	वाउचर की आपूर्ति (Supply of Vouchers)	• यदि उस समय आपूर्ति पहचान योग्य है तो वाउचर जारी करने की तिथि; या • अन्य सभी मामलों में, वाउचर के भुनाने (Redemption) की तिथि। **नोट:** बजट 2025 में यह उप-धारा 13(4) हटाने का प्रस्ताव है, क्योंकि वाउचर की आपूर्ति न तो वस्तुओं की आपूर्ति है और न ही सेवाओं की।

13(5)	ऐसी स्थिति जिसमें उपरोक्त धाराओं के अनुसार निर्धारित करना संभव न हो	• वह तिथि जिस पर आवधिक रिटर्न दाखिल किया जाना है; या • अन्य सभी मामलों में, वह तिथि जिस पर कर का भुगतान किया गया हो।
13(6)	आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि - ब्याज, विलंब शुल्क या विलंबित भुगतान के लिए दंड	जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता को ऐसे मूल्य-वृद्धि (addition in value) की प्राप्ति हो।

41.कर की दर में परिवर्तन की स्थिति में आपूर्ति का समय

(सीजीएसटी अधिनियम की धारा 14)

Sl. No.	**सेवा की आपूर्ति की तिथि**	**चालान जारी करने की तिथि**	**भुगतान प्राप्ति की तिथि**	**आपूर्ति का समय (Time of Supply)**	**लागू दर (Applicable Rate)**
1.	कर की दर में परिवर्तन से पहले	कर की दर परिवर्तन के बाद	कर की दर परिवर्तन के बाद	भुगतान प्राप्ति की तिथि या चालान जारी करने की तिथि, जो भी पहले हो	नई दर
2.	कर की दर में परिवर्तन से पहले	कर की दर परिवर्तन के बाद	चालान जारी करने की तिथि	आपूर्ति का समय = चालान की तिथि	पुरानी दर
3.	कर की दर परिवर्तन के बाद	कर की दर परिवर्तन से पहले	भुगतान प्राप्ति की तिथि	आपूर्ति का समय = भुगतान की तिथि	पुरानी दर
1.	कर की दर परिवर्तन के बाद	कर की दर परिवर्तन से पहले	कर की दर परिवर्तन के बाद	आपूर्ति का समय = भुगतान प्राप्ति की तिथि	पुरानी दर

2.	कर की दर परिवर्तन से पहले	कर की दर परिवर्तन से पहले	भुगतान प्राप्ति की तिथि या चालान जारी करने की तिथि, जो भी पहले हो	नई दर	
3.	कर की दर परिवर्तन के बाद	कर की दर परिवर्तन से पहले	चालान जारी करने की तिथि	आपूर्ति का समय = चालान की तिथि	पुरानी दर

42.कर चालान जारी करने की समय-सीमा: माल की आपूर्ति के मामले में:

आपूर्ति का प्रकार	कर चालान जारी करने का समय	वैधानिक संदर्भ
जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है	माल की आपूर्ति के लिए हटाने से पहले या हटाने के समय	धारा 31(1)(a), CGST अधिनियम
जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल नहीं है	डिलीवरी के समय या माल उपलब्ध कराने से पहले	धारा 31(1)(b), CGST अधिनियम
माल की निरंतर आपूर्ति	खातों के विवरण जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्ति की तिथि (जो भी पहले हो) पर या उससे पहले	धारा 31(4), CGST अधिनियम
स्वीकृति हेतु या वापसी हेतु बिक्री पर भेजा गया माल	आपूर्ति के समय या हटाने की तिथि से 6 माह के भीतर (जो भी पहले हो)	प्रावधान धारा 31(7), CGST अधिनियम

आपूर्ति का प्रकार	कर चालान जारी करने का समय
सामान्य सेवाओं की आपूर्ति	सेवा की आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर

बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी), बीमा कंपनियाँ	सेवा की आपूर्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर
सतत सेवाओं की आपूर्ति	(a) जहाँ भुगतान की नियत तिथि अनुबंध से निर्धारित है, चालान नियत तिथि पर या उससे पहले जारी किया जाएगा; (b) जहाँ भुगतान की नियत तिथि अनुबंध से निर्धारित नहीं है, चालान सेवा प्रदाता को भुगतान प्राप्त होने के समय या उससे पहले जारी किया जाएगा; (c) जहाँ भुगतान किसी घटना की पूर्णता से जुड़ा है, चालान उस घटना की पूर्णता की तारीख पर या उससे पहले जारी किया जाएगा।

43.रिटर्न्स और देय तिथियाँ

रिटर्न	किसे दाखिल करना है	रिटर्न किस बारे में है	आवधिकता
GSTR 1 Sec.37-R.59(1)	प्रत्येक पंजीकृत करदाता (RTP), जिसमें सभी नियमित और अस्थायी RP शामिल हैं, ISD/कंपोजीशन करदाता/स्रोत पर कर संग्रह या कटौती करने वाले व्यक्ति को छोड़कर	बाहरी आपूर्तियों का विवरण	QRMP में तिमाही, रिपोर्टिंग तिमाही के बाद की 13 तारीख तक। नियमित TP में मासिक, अगले महीने की 11 तारीख तक
GSTR-2A Sec.38-R.60(1)	यह एक रीड-ओनली स्वतः उत्पन्न विवरण है जो GSTR-1, GSTR-5(NRTP), GSTR-6(ISD), GSTR-7(TDS), GSTR-8(TCS) से विवरण लेता है	इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता का विवरण	रीड-ओनली स्वतः उत्पन्न विवरण। किसी भी समय TP के लिए सुलभ
GSTR-2B	यह एक रीड-ओनली स्वतः उत्पन्न विवरण है जो GSTR-1, GSTR-5(NRTP), GSTR-	इनपुट टैक्स क्रेडिट की	स्थिर मासिक स्वतः तैयार विवरण प्रत्येक

Sec.38-R.60(7)	6(ISD), GSTR-7(TDS), GSTR-8(TCS) से विवरण लेता है	उपलब्धता का विवरण	माह की 14 तारीख से उपलब्ध
GSTR-3B Sec.39 / R-61(1)	प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, ISD/NRTP/कंपोजीशन करदाता/कर कटौतीकर्ता/कर संग्राहक को छोड़कर	वस्तुओं या सेवाओं की आंतरिक व बाहरी आपूर्ति, ली गई ITC, देय कर, चुकाया गया कर	मासिक 20 तारीख तक। QRMP में 22/24 तारीख तक
GSTR-4 Rule-62 (2019-20 से)	सभी कंपोजीशन करदाता	कंपोजीशन करदाताओं द्वारा दाखिल तिमाही रिटर्न की वार्षिक जानकारी	वार्षिक। 30 अप्रैल 2024-25 से 30 जून
GSTR-5 Rule 39(5) & 63	अस्थायी पंजीकृत (NRTP)	बिक्री और खरीद सहित सभी व्यवसाय विवरण	मासिक 13 तारीख तक (01.10.2022 से) 20 तारीख तक (30.09.2022 तक)
GSTR-5A Rule 64	गैर-निवासी OIDAR सेवा प्रदाता (भारत में अपंजीकृत ग्राहकों को सेवाएँ)	भारत में ग्राहकों को की गई आपूर्ति का विवरण	मासिक, अगले माह की 20 तारीख तक
GSTR-6 Sec.20 / Rule-65	सभी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD)	प्राप्त व वितरित ITC का विवरण	मासिक, अगले माह की 13 तारीख तक
GSTR-7 Sec.51/39(3) & 66(1)	सभी करदाता जिन्हें TDS काटना है	काटे गए TDS, देय और भुगतान योग्य TDS, रिफंड का विवरण	मासिक, माह समाप्ति के 10 दिनों में
GSTR-8 Sec.52 /	सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटर (TCS)	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से	मासिक, माह समाप्ति के 10 दिनों में

Rule-67(1)		आपूर्ति और TCS संग्रह का विवरण	
GSTR-9 Sec.44 / Rule-80	सभी पंजीकृत करदाता (कंपोजीशन/CTP/ISD/NRTP/TDS/TCS/< 2Cr टर्नओवर को छोड़कर)	पूरे वित्तीय वर्ष का inward, outward, ITC व कर दायित्व का संकलन	वार्षिक, संबंधित FY के बाद 31 दिसंबर तक
GSTR-9C Sec.44 / Rule-80(3)	सभी पंजीकृत व्यक्ति, कुछ अपवादों को छोड़कर (*)	मेल मिलान विवरण (2020-21 से स्व-प्रमाणन)	वार्षिक, 31 दिसंबर तक
GSTR-9A Sec.44 / Rule-80	कंपोजीशन करदाता (2017-18 व 2018-19 तक)	तिमाही दाखिल रिटर्न का वार्षिक विवरण	वार्षिक, 31 दिसंबर तक
GSTR-10 Sec.45 / Rule-81	जिनका पंजीकरण रद्द या सरेंडर हुआ (ISD/NRTP/TDS/TCS/कंपोजीशन को छोड़कर)	क्लोजिंग स्टॉक व ITC देयता का विवरण	रद्दीकरण की तारीख या आदेश से 3 माह में, जो भी बाद में हो
GSTR-11 Rule-82	UIN धारक (विदेशी मिशन/दूतावास)	प्राप्त आपूर्ति और रिफंड का विवरण	मासिक, अगले माह की 28 तारीख तक
GST ITC-04 Rule 45(3)	पंजीकृत करदाता जो माल जॉबवर्क हेतु भेजते हैं	भेजे/वापस आए माल का विवरण	30.09.2021 तक: तिमाही 25 तारीख तक। 01.10.2021 से: >5Cr टर्नओवर - अर्धवार्षिक; ≤5Cr - वार्षिक

44.इनपुट सेवा वितरक

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(61) के अनुसार, **"इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर" (ISD)** का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का आपूर्तिकर्ता का वह कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर चालान प्राप्त करता है, जिसमें धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं से संबंधित चालान भी शामिल हैं, जो धारा 25 में उल्लिखित पृथक व्यक्तियों की ओर से या उनके लिए होते हैं, और ऐसे चालानों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का वितरण करने का उत्तरदायी होता है, जैसा कि धारा 20 में प्रावधान किया गया है।

उदाहरण:

M/s XYZ लिमिटेड का मुख्य कार्यालय आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी शाखाएँ हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में हैं। वर्ष के लिए सॉफ़्टवेयर रखरखाव खर्च मुख्य कार्यालय ने सभी शाखाओं की ओर से किए और चालान मुख्य कार्यालय में प्राप्त हुआ। चूंकि सभी शाखाएँ सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती हैं, इसलिए पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आंध्र प्रदेश में नहीं लिया जा सकता। इसे सभी स्थानों पर वितरित करना आवश्यक है। इस स्थिति में, मुख्य कार्यालय (जैसे बेंगलुरु कार्यालय) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) के रूप में कार्य करेगा।

पंजीकरण (Registration):

धारा 24(1)(viii) के अनुसार, ISD को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, चाहे वह इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से पंजीकृत हो या न हो।

अनिवार्यता (Mandatory):

वित्त अधिनियम 2024 की धारा 11, दिनांक 15.02.2024 तथा अधिसूचना संख्या 16/2024-CT, दिनांक 06.08.2024 के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से ISD *अनिवार्य* होगा।

ISD की अवधारणा को आसान समझ के लिए चित्रात्मक रूप (Pictorial Form) में भी समझाया गया है।

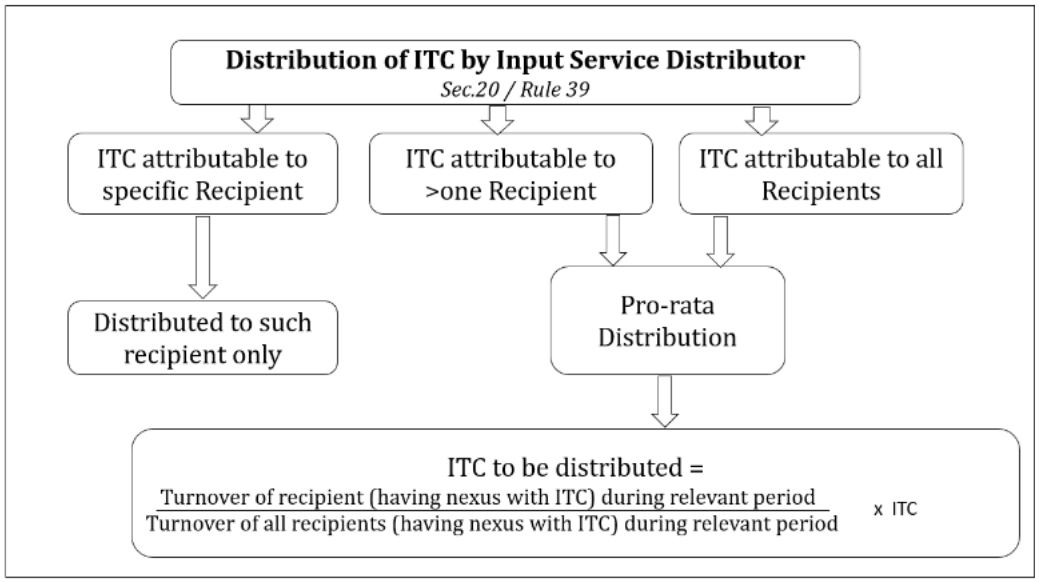

§§§

45. ई-इनवॉइसिंग (**e-Invoicing)**

विषय	विवरण
ई-इनवॉइसिंग क्या है?	सीजीएसटी नियमों का नियम 48(4) के अनुसार, अधिसूचित करदाताओं की श्रेणी को चालान "तैयार" करना होता है, जिसमें चालान की निर्धारित जानकारियाँ (FORM GST INV-01 में) Invoice Registration Portal (IRP) पर अपलोड करनी होती हैं और Invoice Reference Number (IRN) प्राप्त करना होता है। उपरोक्त 'e-invoicing' प्रक्रिया का पालन करने के बाद, IRN (QR Code सहित) युक्त चालान की प्रति, जिसे अधिसूचित आपूर्तिकर्ता(Supplier) खरीदार को जारी करता है, सामान्यतः 'e-invoice' कहलाती है।

ई-इनवॉइस तैयार करने के लिए सीमा (Threshold limit)

क्रम सं.	सीमा (Threshold limit)	लागू होने की तिथि	अधिसूचना संख्या एवं तिथि

1	500 करोड़	1 अप्रैल 2020	70/2019-CT, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 (यह अधिसूचना 13/2020 दिनांक 21-03-2020 द्वारा प्रतिस्थापित की गई)
2	500 करोड़	1 अक्टूबर 2020	13/2020-CT, दिनांक 21 मार्च 2020 तथा 61/2020-CT, दिनांक 30 जुलाई 2020 द्वारा संशोधित
3	100 करोड़	1 जनवरी 2021	13/2020-CT, दिनांक 21 मार्च 2020 एवं 88/2020-CT, दिनांक 10 नवम्बर 2020
4	50 करोड़	1 अप्रैल 2021	05/2021-CT, दिनांक 8 मार्च 2021
5	20 करोड़	1 अप्रैल 2022	01/2022-CT, दिनांक 1 अप्रैल 2022
6	10 करोड़	1 अक्टूबर 2022	17/2022-CT, दिनांक 1 अगस्त 2022
7	5 करोड़	1 अगस्त 2023	10/2023-CT, दिनांक 10 मई 2023

क्र. सं.	**पंजीकृत व्यक्ति**	**अधिसूचना संख्या एवं तिथि**
1	बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियाँ	13/2020-CT, दिनांक 21 मार्च, 2020
2	गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी	
3	यात्री परिवहन सेवा प्रदाता	
4	मल्टीप्लेक्स में सिनेमा फ़िल्मों की प्रदर्शनी हेतु प्रवेश	
5	विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाई	61/2020-CT, दिनांक 30 जुलाई, 2020
6	सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकरण	23/2021-CT, दिनांक 1 जून, 2021
7	सीजीएसटी नियम 14 के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति (OIDAR)	

47.ई-इनवॉइस लागू होने वाले लेन-देन और दस्तावेज़

दस्तावेज़	लेन-देन
टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एवं डेबिट नोट्स (धारा 34 के अंतर्गत जारी)	बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B), बिज़नेस-टू-गवर्नमेंट (B2G), निर्यात, अनुमानित निर्यात (deemed exports), एसईजेड (SEZ) को आपूर्ति (कर भुगतान सहित या बिना कर भुगतान), स्टॉक ट्रांसफर या भिन्न व्यक्तियों को सेवाओं की आपूर्ति, एसईजेड डेवलपर्स, और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) के अंतर्गत आरसीएम (RCM) के अंतर्गत आपूर्ति

1.ई-इनवॉइस रिपोर्टिंग की समय सीमा

30 अप्रैल 2023 से पहले: ई-इनवॉइस रिपोर्टिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं।

1 मई 2023 से: जिन व्यवसायों का AATO ≥ ₹100 करोड़ था, उनके लिए प्रारंभिक रूप से 7 दिनों के भीतर ई-इनवॉइस आवश्यक (लागू नहीं किया गया)।

1 नवम्बर 2023 से: AATO ≥ ₹100 करोड़ वाले व्यवसायों के लिए 30-दिन की रिपोर्टिंग विंडो अनिवार्य।

1 अप्रैल 2025 से: AATO ≥ ₹10 करोड़ वाले व्यवसायों के लिए 30-दिन की रिपोर्टिंग आवश्यकता बढ़ाई गई।

नोट: कृपया 5 नवम्बर 2024 की सलाह देखें।
https://einvoice.gst.gov.in/einvoice/newsandupdates/time-limit

सूचित व्यक्ति द्वारा चालान केवल IRN के साथ ही मान्य

नियम 48(4) के अनुसार, सूचित व्यक्ति को इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर FORM GST INV-01 में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके और इनवॉइस रेफरेंस नंबर (IRN) प्राप्त करने के बाद चालान तैयार करना होगा।

नियम 48(5) के अनुसार, किसी भी सूचित व्यक्ति द्वारा नियम 48(4) में निर्दिष्ट तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से जारी किया गया चालान चालान नहीं माना जाएगा।

2.ई-इनवॉइसिंग के अनुपालन न करने के परिणाम

गलत कर चालान

नियम 46(r) के अनुसार, चालान पर एक क्यूआर कोड का उल्लेख होना चाहिए। क्यूआर कोड IRN के निर्माण पर प्राप्त होता है। यदि चालान को IRP पर पंजीकृत नहीं किया गया है तो यह अमान्य है और दंडनीय है। गलत चालान पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

ई-इनवॉइस का निर्माण न करना

नियम 48(5) के अनुसार, यदि IRN उत्पन्न नहीं किया जाता है और चालान अप्रकाशित रहता है, तो इससे ₹10,000 या बकाया कर का 100% (जो भी अधिक हो) का दंड लगता है।

3.**माल की जब्ती** :सीजीएसटी (CGST) अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, यदि कोई भी माल बिना वैध चालान या बिना क्यूआर कोड के परिवहन किया जा रहा है, तो माल और/या वाहनों को जब्त किया जा सकता है। यह आपको ई-वे बिलों के अनुपालन न करने पर दंड के लिए भी उत्तरदायी बनाता है।

4.इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दावा : सीजीएसटी (CGST) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, टैक्स चालान के बिना ITC का दावा नहीं किया जा सकता। यदि आपूर्तिकर्ता ने ई-इनवॉइस टर्नओवर सीमा को पार कर लिया है और कर चालानों के लिए IRN उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो ऐसे चालान ई-इनवॉइसिंग अधिदेश के अनुसार मान्य नहीं माने जाएंगे। आगे, खरीदार ऐसे अमान्य चालानों पर ITC का दावा नहीं कर पाएगा।

5.ई-वे बिलिंग

चूंकि ई-इनवॉइसिंग अब ई-वे बिलिंग से जुड़ी हुई है, इसलिए बिना वैध चालान के ई-वे बिल अमान्य माना जाएगा। इससे परिवहन किए जा रहे माल की जब्ती हो सकती है।

ई-इनवॉइस पर महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या NIL-रेटेड या पूर्णतः छूट प्राप्त आपूर्ति पर ई-इनवॉइस लागू है?

उत्तर: नहीं। इन मामलों में टैक्स इनवॉइस नहीं बल्कि *बिल ऑफ सप्लाई* जारी किया जाता है।

2. क्या NIL-रेटेड या पूर्णतः छूट प्राप्त आपूर्ति पर ई-इनवॉइस लागू है?

उत्तर: NIL-रेट/पूर्णतः छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए "बिल-ऑफ-सप्लाई" निर्धारित है; टैक्स इनवॉइस

नहीं। इसलिए, ई-इनवॉइस अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति को कर योग्य तथा छूट प्राप्त वस्तुओं/सेवाओं या दोनों की आपूर्ति हेतु सीजीएसटी नियमों का नियम 46A के तहत इनवॉइस-कम-बिल ऑफ सप्लाई जारी किया जाता है, तो ई-इनवॉइस अनिवार्य है।

3. क्या वित्तीय/वाणिज्यिक क्रेडिट नोट्स को भी IRP पर रिपोर्ट करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं, केवल सीजीएसटी/एसजीएसटी (CGST/SGST) अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी क्रेडिट और डेबिट नोट्स को रिपोर्ट करना होगा।

4. हाई सील सेल्स और बॉन्डेड वेयरहाउस सेल्स पर ई-इनवॉइस लागू है?

उत्तर: नहीं। ये गतिविधियां सीजीएसटी/एसजीएसटी (CGST/SGST) अधिनियम की अनुसूची-III के अनुसार न तो वस्तुओं की आपूर्ति हैं और न ही सेवाओं की।

5. आयात लेन-देन के लिए ई-इनवॉइस की लागू योग्यता क्या है?

उत्तर: आयात बिल ऑफ एंट्री के लिए ई-इनवॉइस लागू नहीं है।

6. क्या आयात लेन-देन पर ई-इनवॉइस लागू है?

उत्तर: आयात लेन-देन पर ई-इनवॉइस लागू नहीं है।

7. क्या ISD द्वारा जारी इनवॉइस पर ई-इनवॉइस लागू है?

उत्तर: नहीं।

8. क्या RCM से जुड़ी आपूर्ति पर ई-इनवॉइस लागू है?

उत्तर:

- यदि अधिसूचित व्यक्ति द्वारा जारी इनवॉइस उसकी की गई आपूर्ति के संबंध में है लेकिन वह धारा 9(3) के तहत रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है, तो ई-इनवॉइस लागू है।
- उदाहरण: एक करदाता (जैसे कि अधिवक्ताओं की एक फर्म जिसकी एक वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर ₹500 करोड़ से अधिक है) एक कंपनी को सेवाएं प्रदान कर रही है (जहां कर देनदारी प्राप्तकर्ता द्वारा RCM के तहत पूरी की जाएगी), तो ऐसे इनवॉइस अधिसूचित व्यक्ति द्वारा IRP पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
- दूसरी ओर, जहां अधिसूचित व्यक्ति को (i) किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त होती है (जो धारा 9(4) के तहत रिवर्स चार्ज को आकर्षित करती है) या (ii) सेवाओं के आयात के माध्यम से, तो ई-इनवॉइस लागू नहीं है।

9. क्या SEZ डेवलपर्स को ई-इनवॉइस जारी करना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, यदि उनके पास अधिसूचित टर्नओवर है और अधिसूचना की अन्य शर्तें पूरी करते हैं तो SEZ डेवलपर्स को ई-इनवॉइस जारी करना होगा। अधिसूचना संख्या: 61/2020-CT दिनांक 30.7.2020 के अनुसार, केवल SEZ यूनिट्स को ई-इनवॉइस जारी करने से छूट दी गई है।

10. क्या अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा SEZs को की गई आपूर्ति पर ई-इनवॉइस लागू है?

उत्तर: हाँ, अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा SEZ डेवलपर्स और SEZ यूनिट्स को की गई आपूर्ति पर ई-इनवॉइस लागू है, जैसा कि अधिसूचित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निर्यात पर लागू होता है। अधिसूचना (केंद्रीय कर) 61/2020 दिनांक 30-7-2020 के अनुसार, केवल SEZ यूनिट्स को अपनी बाहरी आपूर्ति के लिए ई-इनवॉइस जारी करने से छूट है।

स्रोत: https://www.gstn.org.in/einvoice-faqs

53.ई-वे बिल की आवश्यकता न होने वाले परिदृश्य: [नियम 138(14)]

SN	ई-वे बिल आवश्यक नहीं
(a)	जहाँ परिवहन की जा रही वस्तुएँ परिशिष्ट में निर्दिष्ट हैं, जिनमें शामिल हैं- 1. घरेलू और *नॉन-डोमेस्टिक एग्ज़ेम्पटेड कैटेगरी (NDEC)* ग्राहकों को आपूर्ति हेतु एल.पी.जी.। 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली पी.डी.एस. के अंतर्गत बेचा जाने वाला केरोसिन तेल। 3. डाक विभाग द्वारा ले जाए जाने वाला डाक पार्सल। 4. प्राकृतिक या संवर्धित मोती तथा बहुमूल्य या अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थर; बहुमूल्य धातु और बहुमूल्य धातु चढ़ाई हुई धातुएँ (अध्याय 71)। 5. आभूषण, सुनार और चांदी के सामान एवं अन्य लेख (अध्याय 71)। 6. मुद्रा। 7. प्रयुक्त व्यक्तिगत एवं घरेलू सामान। 8. मूंगा, अप्रशोधित (0508) तथा प्रशोधित मूंगा (9601)।
(b)	जहाँ माल का परिवहन गैर-यांत्रिक वाहन द्वारा किया जा रहा हो।
(c)	जहाँ माल का परिवहन सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डा, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर माल भाड़ा स्टेशन तक कस्टम्स द्वारा क्लीयरेंस के लिए किया जा रहा हो।
(d)	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 138 के उप-नियम (14) की धारा (d) के अंतर्गत अधिसूचित ऐसे क्षेत्रों के भीतर माल की आवाजाही।

(e)	जहाँ परिवहन की जा रही वस्तुएँ (डी-ऑयल्ड केक को छोड़कर) अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट हों (समय-समय पर संशोधित)।
(f)	जहाँ परिवहन की जा रही वस्तुएँ मानव उपभोग हेतु मादक मदिरा, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल), प्राकृतिक गैस या विमानन टरबाइन ईंधन हों।
(g)	जहाँ परिवहन की जा रही वस्तुओं की आपूर्ति अनुसूची-III के अंतर्गत 'नो सप्लाई' मानी जाती हो।
(h)	जहाँ माल का परिवहन- (i) सीमा शुल्क बांड के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर माल भाड़ा स्टेशन से सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डा, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन तक, या एक सीमा शुल्क स्टेशन/बंदरगाह से दूसरे तक किया जा रहा हो; या (ii) सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या सीमा शुल्क सील के अंतर्गत हो।
(i)	जहाँ परिवहन की जा रही वस्तुएँ नेपाल या भूटान से या उनके लिए ट्रांज़िट कार्गो हों।
(j)	जहाँ परिवहन की जा रही वस्तुएँ अधिसूचना संख्या 7/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 और अधिसूचना संख्या 26/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 21 सितम्बर, 2017 (समय-समय पर संशोधित) के तहत कर से मुक्त हों।
(k)	रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किसी रक्षा गठन द्वारा प्रेषक या प्राप्तकर्ता के रूप में माल की कोई भी आवाजाही।
(l)	जहाँ माल का प्रेषक केंद्रीय सरकार, किसी राज्य की सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण हो और माल का परिवहन रेल द्वारा किया जा रहा हो।
(m)	जहाँ खाली कार्गो कंटेनरों का परिवहन किया जा रहा हो।
(n)	जहाँ माल का परिवहन प्रेषक के व्यवसाय स्थल से 20 किमी की दूरी तक तौल के लिए वेइब्रिज तक या वेइब्रिज से उक्त प्रेषक के व्यवसाय स्थल तक किया जा रहा हो, इस शर्त के अधीन कि माल की आवाजाही नियम 55 के अनुसार जारी वितरण चालान के साथ हो।
(o)	जहाँ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की पैकिंग हेतु खाली सिलेंडरों को आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से ले जाया जा रहा हो।

53.ऑडिट: सत्यापन के क्षेत्रों की संकेतात्मक सूची

. विभिन्न आपूर्तियों से आय का सत्यापन:

- करयोग्य आपूर्ति
- मुक्त / शून्य दर आपूर्ति
- गैर-जीएसटी आपूर्ति
- अर्जित आय लेकिन कोई आपूर्ति शामिल नहीं
- शून्य दर आपूर्ति
- रिवर्स चार्ज के तहत आपूर्ति
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति
- डिपो ट्रांसफर / क्रॉस चार्ज
- वाउचर में लेनदेन
- अग्रिम प्राप्त (सेवाओं के मामले में)
- एकाधिक पंजीकरण - विशिष्ट व्यक्तियों के बीच आपूर्ति
- मिश्रित / समग्र आपूर्ति
- आंतरिक आपूर्ति जिस पर आरसीएम पर कर देय है
- सेवाओं का आयात;
- प्रयुक्त कारों की बिक्री
- डेबिट नोट्स

. व्यय खातें:

- आंतरिक आपूर्ति जिस पर आरसीएम पर कर देय है
- माल भाड़ा जिस पर आरसीएम पर कर देय है
- कानूनी और सुरक्षा सेवाएं जिस पर आरसीएम पर कर देय है
- भुगतान वाउचर, क्या आरसीएम पर कर के भुगतान के लिए जारी किया गया है।
- ईसीओ पर जीएसटी देयता - न तो फॉरवर्ड न ही रिवर्स चार्ज
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर की आय केवल कमीशन से - संपूर्ण आपूर्ति मूल्य पर जीएसटी देयता
- पंजीकृत आपूर्तिकर्ता जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करते हैं, स्वयं कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

. मूल्यांकन:

- छूट की ग्राह्यता

- संबंधित पक्ष लेनदेन
- हानि और क्षतिपूर्ति
- किसी अन्य कानून के अंतर्गत लगाए गए कर, शुल्क, उपकर, फीस और चार्ज जो अलग से लिए गए हों;
- वह राशि जो प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की गई लेकिन आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना आवश्यक है;
- किसी अन्य सहायक शुल्क का समावेश जैसे कमीशन, पैकिंग शुल्क आदि;
- आपूर्ति प्रतिफल के भुगतान में देरी के लिए प्राप्तकर्ता से वसूल किया गया ब्याज, विलंब शुल्क या दंड का समावेश;
- सरकार के अलावा अन्य द्वारा दी गई सब्सिडी, जो सीधे मूल्य से जुड़ी है, का समावेश;
- एक ही आपूर्ति चालान में लिया गया भाड़ा। क्या यह समग्र आपूर्ति है;
- शुद्ध एजेंट के रूप में लागत / व्यय उठाना और मूल्य से कटौती का दावा करना;
- वस्तुओं / सेवाओं का वर्गीकरण और उनकी संबंधित दरें
- जांचें कि क्या वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार सही है?
- जांचें कि क्या सेवाओं का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या 11 दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार सही है।
- जांचें कि वस्तुओं और सेवाओं पर लागू कर की दर समय-समय पर अधिसूचनाओं के अनुसार पालन की गई है।

जीएसटी क्रेडिट नोट्स:

- क्रेडिट नोट जारी करने की समय सीमा;
- प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी का रिवर्सल

इनपुट टैक्स क्रेडिट:

- निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति - सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2)
- जांचें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल वस्तुओं या सेवाओं की प्राप्ति पर लिया गया है।
- जांचें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल मूल कर चालान की प्राप्ति पर लिया गया है।
- जांचें कि वस्तुएं किस्तों में प्राप्त हुई हैं तो आईटीसी का लाभ लिया गया है;
- जांचें कि कोई वस्तुएं या सेवाएं मुक्त वस्तुओं से संबंधित हैं;
- मिलान - GSTR-2A / GSTR-2B - नियम 36(4)

- सामान्य क्रेडिट का उलटाव जो मुक्त आपूर्ति से संबंधित है, जहां आपूर्तिकर्ता दोनों करयोग्य और मुक्त आपूर्ति में संलग्न है; धारा 17, नियम 42 और 43
- ब्लॉक क्रेडिट धारा 17(5);
- बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए आईटीसी क्रेडिट प्रतिबंध;
- यदि वस्तुओं / सेवाओं के मूल्य सहित जीएसटी का भुगतान 180 दिनों में नहीं किया गया तो आईटीसी का रिवर्सल
- आपूर्तिकर्ता को भुगतान पर आईटीसी का पुनः-प्राप्ति - नियम 37A और नियम 88C;
- आपूर्तिकर्ता से क्रेडिट नोट प्राप्त होने पर आईटीसी का रिवर्सल
- मूल्यह्रास और आईटीसी का एक साथ लाभ लेना - सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(3)
- निर्दिष्ट अवधि से परे आईटीसी का लाभ लिया गया;
- आईएसडी चालानों के माध्यम से प्राप्त आईटीसी की पात्रता
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय पर आईटीसी
- उपकर का आईटीसी
- ईसीएल(ECL) में उपलब्ध राशि के उपयोग पर प्रतिबंध - नियम 86B
- आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान न करने की स्थिति में आईटीसी का रिवर्सल
- नि:शुल्क प्राप्तियों के मामले में आईटीसी का लाभ
- पूर्वभुगतान व्यय पर आईटीसी;
- सेवाओं के आयात पर आईटीसी और इसका बाहरी आपूर्ति से संबंध;
- वस्तुओं के आयात पर आईटीसी;
- आंतरिक आपूर्ति पर चुकाए गए कर का आईटीसी (आरसीएम पर);
- नौकरी कार्य हेतु भेजे गए इनपुट / पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी

अन्य आय:

- प्राप्त ब्याज
- विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव
- कमीशन प्राप्त
- विविध आय
- स्थिर संपत्तियों की बिक्री से लाभ
- कबाड़ की बिक्री
- प्राप्त छूट
- कॉर्पोरेट गारंटी पर कमीशन

असामान्य खाते:

- आग / चोरी से हुए नुकसान
    - इनपुट्स
    - तैयार माल
    - अर्ध-तैयार माल
    - पूंजीगत वस्तुएं
- स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर हानि / लाभ
- खातों की पुस्तकों में लिखी गई राशि
- कर्मचारियों से वसूली

54. वार्षिक वित्तीय अभिलेखों का अध्ययन

खातों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts):

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों का उद्देश्य अतिरिक्त विवरण और संदर्भ प्रदान करना है, जो उपयोगकर्ताओं को मुख्य वित्तीय विवरणों (जैसे बैलेंस शीट, आय विवरण और नकद प्रवाह विवरण) में प्रस्तुत आँकड़ों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। खातों पर टिप्पणियाँ आमतौर पर स्पष्ट करती हैं:

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियाँ (जैसे मूल्यह्रास की विधियाँ)
- प्रमुख मदों का विभाजन (जैसे "अन्य व्यय" में क्या सम्मिलित है)
- संभाव्य देनदारियाँ या कानूनी मामले
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ
- विवरण तैयार करने में प्रयुक्त धारणाएँ और अनुमान

लेखापरीक्षक की राय (Opinion of Auditor):

गोपनीयता से संबंधित योग्यताएँ, प्रमुख वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन न करने से संबंधित योग्यताएँ। राय का आधार, महत्वपूर्ण मामलों पर बल (Emphasis of Matter) अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने में मदद करता है।

निदेशक की रिपोर्ट (Director's Report):

सारांशित प्रदर्शन, व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, पूंजीगत व्यय का विवरण, गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक आदि संक्षेप में अप्रत्यक्ष कर (IDT) के संकेत प्रदान करता है।

बैलेंस शीट की वे मदें जिनका जीएसटी पर प्रभाव है (Balance Sheet items having GST implication):

बैलेंस शीट आइटम	जीएसटी प्रभाव
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	
भूमि एवं भवन:	अतिरिक्त - आईटीसी का लाभ; विलोपन - आईटीसी रिवर्सल;
संयंत्र एवं मशीनरी:	अतिरिक्त - आईटीसी पात्रता; विलोपन - धारा 18(6) के तहत जांच: निम्न में से जो अधिक हो, उसका भुगतान: (a) लिया गया आईटीसी, निर्धारित प्रतिशत से घटाकर, या (b) लेन-देन मूल्य पर कर (धारा 15 के अनुसार)।
मोटर वाहन:	अतिरिक्त - आईटीसी पात्रता जाँच; विलोपन - मार्जिन पद्धति/पूर्ण दर देयता।
कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस	आईटीसी पात्रता की जाँच करें
पूर्वभुगतान व्यय	आईटीसी पात्रता की जाँच करें
शेयर होल्डिंग	विलय/विभाजन/हस्तांतरण के संदर्भ में जीएसटी देयता और आईटीसी प्रभाव
ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी बीमा पर आईटीसी पात्र
सरकारी अनुदान	सरकार के अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्राप्त प्रतिफल
वाणिज्य देयताएँ	180 दिनों से अधिक लंबित वाणिज्य देयताएँ, आईटीसी रिवर्सल - नियम 37। भुगतान पर आईटीसी फिर से दावा किया जा सकता है; नोट: रोकी गई राशि (Retention Money) के संबंध में नियम लागू नहीं।
वर्तमान देयताएँ	माल के मामले में अग्रिम - अधिसूचना सं.66/2017 दिनांक 15.11.2017 के अनुसार जीएसटी लागू नहीं। सेवाओं के मामले में अग्रिम: अग्रिम प्राप्ति पर जीएसटी लागू
अमूर्त संपत्तियाँ	यदि एकाधिक जीएसटीआईएन हैं तो क्रॉस चार्ज (Cross Charge) प्रभाव

वाणिज्य प्राप्तियाँ	क्रेडिट नोट जारी करके और कर राशि समायोजित करके लिख-ऑफ की जाँच करें। ग्राहक द्वारा अनुपातिक क्रेडिट रिवर्स किए बिना अनुमति नहीं।
भंडार	आयात: संभावित सीमा शुल्क/विदेश व्यापार नीति लाभ देखे जाएँ संबंधित पक्ष की खरीद: मूल्यांकन जाँच लिख-ऑफ/निपटान: कच्चा माल, अर्ध-निर्मित/तैयार माल - आईटीसी रिवर्सल स्क्रैप/आगे की आपूर्ति: वर्गीकरण एवं दर लागूता हानि: असामान्य हानि पर आईटीसी रिवर्सल
जीएसटी बकाया एवं सरकार के साथ संतुलन	इंगित करता है - ब्याज एवं पिछले बकाया पर संभावित कारण बताओ नोटिस (SCN)/मांग पुस्तकों बनाम जीएसटी पोर्टल पर क्रेडिट एवं नकद संतुलन
अन्य चालू संपत्तियाँ	प्रोत्साहनों का प्रकार (उदा: MEIS, CER, आदि), स्क्रिप/सिक्योरिटी बिक्री पर संभावित जीएसटी

लाभ एवं हानि खाता : जीएसटी प्रभाव वाले मद

बैलेंस शीट मद	जीएसटी प्रभाव
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**भूमि एवं भवन:** • जोड़ - ITC प्राप्त करना; • विलोपन - ITC रिवर्सल; **संयंत्र एवं मशीनरी:** • जोड़ - ITC पात्रता; • विलोपन - धारा 18(6) के अंतर्गत परीक्षण : भुगतान करना होगा उच्चतम में से: (a) ITC का दावा, निर्धारित प्रतिशत से घटाया गया, या (b) धारा 15 के अनुसार लेन-देन मूल्य पर कर। **मोटर वाहन:** • जोड़ - ITC पात्रता जाँच; • विलोपन - मार्जिन पद्धति/पूर्ण दर देयता।
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	ITC पात्रता जाँच करना
पूर्वभुगतान व्यय	ITC पात्रता जाँच करना
शेयर होल्डिंग	जीएसटी देयता एवं ITC प्रभाव - विलय/विभाजन/हस्तांतरण के संदर्भ में
ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी बीमा पर ITC पात्र
सरकारी अनुदान	सरकार के अतिरिक्त, अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्राप्त प्रतिफल

व्यापार देनदारियां	180 दिनों से अधिक लंबित व्यापार देनदारियां, ITC रिवर्सल - नियम 37 भुगतान पर ITC पुनः प्राप्त किया जा सकता है; **नोट:** रिटेंशन मनी अवैतनिक पर नियम लागू नहीं
चालू देनदारियां	• माल की अग्रिम राशि - अधिसूचना सं.66/2017 दिनांक 15.11.2017 के अनुसार जीएसटी लागू नहीं। • सेवाओं की अग्रिम राशि: अग्रिम प्राप्ति पर जीएसटी देय
अमूर्त संपत्ति	एकाधिक जीएसटीआईएन (GSTINs) होने पर क्रॉस चार्ज प्रभाव
व्यापार प्राप्य	क्रेडिट नोट जारी कर लिख-ऑफ और कर राशि समायोजन की जाँच। जब तक ग्राहक आनुपातिक क्रेडिट रिवर्स न करे, अनुमति नहीं।
भंडार	• आयात: संभावित सीमा शुल्क/FTP लाभ देखना • संबंधित पक्ष से खरीद: मूल्यांकन जाँच • लिख-ऑफ/निपटान: - कच्चा माल, अर्ध-तैयार / FG - ITC रिवर्सल - स्क्रैप/आगे की आपूर्ति: वर्गीकरण और दर प्रयोज्यता - हानि: असामान्य हानि पर ITC रिवर्सल
जीएसटी बकाया एवं सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष राशि	• संकेत देता है - ब्याज एवं पिछले बकाये पर संभावित कारण बताओ नोटिस(SCN)/डिमांड • क्रेडिट एवं नकद शेष - पुस्तकों बनाम जीएसटी पोर्टल
अन्य चालू संपत्तियां	प्रोत्साहन का प्रकार (जैसे: MEIS, CER आदि), स्क्रिप/सिक्योरिटी बिक्री पर संभावित जीएसटी

"कुछ प्रमुख खुलासे खातों के नोट्स में दिखाई देते हैं लेकिन बैलेंस शीट / लाभ-हानि खाते का हिस्सा नहीं होते:"

क्र.सं.	**विवरण**
i	व्यवसाय के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकृत HSN कोड
ii	परिशिष्ट IV : सेवा आयात का विवरण
iii	प्रबंधन की रिपोर्ट से प्रमुख चिंताएँ
iv	CARO रिपोर्ट - वस्तुरूप में प्रतिफल की पहचान हेतु
v	अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता - संभावित RCM देयता

vi	विदेशी मुद्रा लेन-देन - संकेत:• सेवा आयात पर RCM देयता (फॉर्म 27Q मंगाकर देयता की पुष्टि करें, यदि कोई हो)• फॉरेक्स न मिलने पर रिफंड संबंधी समस्याएँ (FIRC/e-BRC)
vii	संपत्तियों का अवमूल्यन : आईटीसी रिवर्सल की जांच हेतु
viii	विदेशी मुद्रा व्यय : सेवा आयात पर RCM के तहत कर भुगतान की जांच हेतु
ix	सशर्त देयता - संकेत:• संभावित देयता, जिसका जीएसटी पर प्रभाव हो सकता है जब लेन-देन संबंधित पक्ष के साथ हो (जैसे: कॉर्पोरेट गारंटी)
x	लंबित विवाद - संकेत:• विवाद के क्षेत्र - कारण, मूल्य, स्थिति की पहचान की जा सकती है
xi	AFS के बाहर अन्य क्षेत्र:• अपंजीकृत व्यक्तियों से खरीद पर RCM (जुलाई - अक्तूबर 2017)• बिना लागत के प्राप्त आयातित वस्तुओं (Delivered Duty Paid) पर आईटीसी• विदेशी मुद्रा प्राप्ति के बिना निर्यात पर रिफंड पात्रता (जैसे: नमूने)

क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट

क्रेडिट नोट - धारा 34(1) CGST अधिनियम

क्रेडिट नोट जारी किया जाता है जब:

1. चालान (Invoice) का मूल्य अधिक दर्शाया गया हो।
2. कर (Tax) वास्तविक से अधिक लिया गया हो।
3. प्राप्तकर्ता द्वारा माल लौटाया गया हो।
4. बिक्री के बाद की छूट (Post-sale discount) हो, जो बिक्री के समय ज्ञात नहीं थी।

उदाहरण:

- आपने ₹1,00,000 + जीएसटी (18%) = ₹1,18,000 के माल बेचे।
- बाद में पता चला कि वास्तविक मूल्य ₹90,000 + जीएसटी = ₹1,06,200 होना चाहिए।
- समायोजन हेतु ₹10,000 + जीएसटी = ₹11,800 का क्रेडिट नोट जारी करें।

शर्तें:

- टैक्स इनवॉइस से लिंक होना अनिवार्य।
- जारी करने की समय-सीमा:
    - संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 नवम्बर तक, या
    - वार्षिक रिटर्न दाखिल करने तक, **जो भी पहले हो।**

डेबिट नोट - धारा 34(3) CGST अधिनियम

डेबिट नोट जारी किया जाता है जब:

1. चालान (Invoice) का मूल्य कम दर्शाया गया हो।
2. कर (Tax) वास्तविक से कम लगाया गया हो।
3. गलती से अतिरिक्त मात्रा में माल सप्लाई कर दिया गया हो।

उदाहरण:

- आपने ₹80,000 + जीएसटी = ₹94,400 के माल बेचे।
- बाद में पता चला कि सही मूल्य ₹90,000 + जीएसटी = ₹1,06,200 होना चाहिए।
- समायोजन हेतु ₹10,000 + जीएसटी = ₹11,800 का डेबिट नोट जारी करें।

जीएसटी रिटर्न में रिपोर्टिंग

Return Type	कहाँ रिपोर्ट करें?
GSTR-1	टेबल 9B (क्रेडिट/डेबिट नोट्स)
GSTR-3B	आउटवर्ड टैक्स देयता को अनुसार समायोजित करें

किन मामलों में अनुमन्य नहीं:

- जब क्रेडिट नोट जारी करने की समय-सीमा समाप्त हो गई हो।
- बिना सहायक दस्तावेजों के समायोजन।

- छूटयुक्त (Exempt) या शून्य दर (Nil-rated) आपूर्ति के लिए - ऐसे मामलों में **व्यावसायिक नोट (Commercial Note)** जारी करें, न कि जीएसटी (GST) क्रेडिट/डेबिट नोट।

विभिन्न व्यवसायों में उपयोग के मामले:

- **रिटेल (Retail):** ग्राहक द्वारा कपड़े लौटाने पर - क्रेडिट नोट जारी।
- **मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing):** बिक्री के बाद दर संशोधन - डेबिट नोट जारी।
- **सेवाएँ (Services):** कंसल्टेंट द्वारा ग्राहक को कम बिल करने पर - डेबिट नोट जारी।

56.**JOB WORK** के काम के लिए चेक लिस्ट: (धारा 143 : नियम 45)

क्रम संख्या	विवरण	धारा / नियम
1	क्या जॉब वर्क हेतु भेजे गए माल इनपुट हैं या कैपिटल गुड्स	इनपुट्स / कैपिटल गुड्स
2	क्या जॉब वर्क हेतु भेजे गए माल चालान (Challan) के साथ भेजे गए हैं	नियम 45(1)
3	क्या प्रिंसिपल द्वारा जारी चालान में नियम 55 में निर्दिष्ट विवरण शामिल है	नियम 45(2)
4	क्या माल एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भेजा गया	नियम 45(1)
5	यदि हाँ, तो चालान किसने जारी किया	नियम 45(1) का प्रावधान
6	क्या डिलीवरी चालान पर उचित समर्थन (Endorsement) किया गया है	नियम 45(1) का प्रावधान
7	क्या ITC-04 (जॉब वर्क हेतु भेजे गए और वापस आए माल का विवरण) दाखिल किया गया। रिटर्न की आवधिकता (Periodicity) भी जांचें।	नियम 45(3)
8	यदि यह इनपुट है, तो क्या एक वर्ष के भीतर वापस प्राप्त हुआ	धारा 143(1)(a)

9	यदि यह कैपिटल गुड्स है, तो क्या तीन वर्ष के भीतर वापस प्राप्त हुआ	धारा 143(1)(a)
10	यदि इनपुट्स एक वर्ष के भीतर वापस नहीं आते तो क्या कार्रवाई की जानी है	धारा 143(1)(a) एवं (3) सहपठित नियम 45(4)
11	यदि कैपिटल गुड्स तीन वर्ष के भीतर वापस नहीं आते तो क्या कार्रवाई की जानी है	धारा 143(1)(a) एवं (4) सहपठित नियम 45(4)
12	क्या प्रिंसिपल ने जॉब वर्क हेतु भेजे गए माल पर ITC लिया	धारा 19
13	क्या जॉब वर्कर ने जॉब वर्क में प्रयुक्त इनपुट्स पर ITC लिया	परिपत्र 38/12/2018, दिनांक 26.03.2018 में स्पष्ट किया गया है कि जॉब वर्कर पात्र है। लेकिन अधिनियम/नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
14	क्या वापस भेजे गए माल का घरेलू आपूर्ति (Domestic Supply) या निर्यात किया गया	धारा 143(1)(b) एवं उसके अंतर्गत प्रावधान
	क्या जॉब वर्क के बाद माल प्रिंसिपल के स्थान से या जॉब वर्कर के स्थान से आपूर्ति किया गया	
	यदि माल जॉब वर्कर के स्थान से आपूर्ति किया गया:	
	(i) जांचें कि क्या जॉब वर्कर पंजीकृत है;	
	(ii) यदि जॉब वर्कर पंजीकृत नहीं है, तो क्या प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के स्थान को अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान (Additional Place of Business) घोषित किया	
15	क्या वापस आए माल निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपूर्ति किए गए	धारा 143(1)(b)
16	क्या प्रिंसिपल उचित रिकॉर्ड रख रहा है	धारा 143(2)
17	क्या जॉब वर्क की प्रक्रिया में उत्पन्न स्क्रैप प्रिंसिपल को वापस भेजा गया या	धारा 143(5)

	जॉब वर्कर के स्थान से आपूर्ति किया गया	
	यदि यह जॉब वर्कर के स्थान से है, तो जांचें कि क्या वह पंजीकृत है	

§§§

57. मांग प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण (Demand Provisions at a Glance) (Sec. 74A, 73, 74 and 76) नोटिस

विषय	धारा 74A (FY 2024-25 से)	धारा 73 (2023-24 तक)	धारा 74 (2023-24 तक)	धारा 76
प्रयोज्यता	कर देयता के लिए, चाहे धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को दबाने की घटना हो या न हो	ऐसी किसी भी कर देयता के लिए जो धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को दबाने की घटना से उत्पन्न नहीं हुई है	कर देयता जो धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण या तथ्यों को दबाने की घटना से उत्पन्न हुई है	कर का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि वसूल की गई परंतु सरकार को जमा नहीं की गई
नोटिस जारी करने की समय-सीमा	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से 42 माह	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने से 3 माह पहले	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से 6 माह पहले	कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है
आदेश जारी करने की समय-सीमा	नोटिस जारी करने की तारीख से 12 माह के भीतर	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से 3 वर्ष के भीतर	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से 5 वर्ष के भीतर	कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अंतिम आदेश पारित करना आवश्यक

दंड (Penalty)	करदाता की गलत कार्रवाई की स्थिति में बकाया कर का 10% या ₹10,000/- (जो अधिक हो)	धोखाधड़ी, तथ्यों को दबाना, जानबूझकर गलत विवरण की स्थिति में बकाया कर के बराबर	बकाया कर का 10% या ₹10,000/- (जो अधिक हो)	धोखाधड़ी, तथ्यों को दबाना, जानबूझकर गलत विवरण की स्थिति में बकाया कर के बराबर
SCN से पहले स्वैच्छिक भुगतान पर दंड राहत	गैर-धोखाधड़ी मामलों में यदि पूरा भुगतान (कर + ब्याज) किया जाता है तो शून्य दंड; धोखाधड़ी मामलों में कर का 15% दंड	यदि पूरा भुगतान (कर + ब्याज) किया जाता है तो शून्य दंड उपधारा 5	कर का 15% दंड उपधारा 5	कोई प्रावधान नहीं
SCN के बाद स्वैच्छिक भुगतान पर दंड राहत	गैर-धोखाधड़ी मामलों में कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर भुगतान करने पर शून्य दंड धोखाधड़ी मामलों में: कर का 25% दंड	कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान करने पर शून्य दंड उपधारा 8	कर का 25% दंड (समय-सीमा 30 दिन) उपधारा 8	कोई ऐसा प्रावधान नहीं
आदेश पारित होने के बाद दंड राहत	कर का 50% दंड (समय-सीमा 60 दिन)	-	कर का 50% दंड (समय-सीमा 30 दिन)	कोई ऐसा प्रावधान नहीं

58.नोटिस (SCN) जारी करने एवं आदेश पारित करने की नियत तिथियाँ

धारा 73 के अंतर्गत (2023-24 तक)

वित्तीय वर्ष	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि	कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी करने की अंतिम तिथि	आदेश पारित करने की अंतिम तिथि	टिप्पणी
2017-18	07-फरवरी-2020	30-सितंबर-2023	31-दिसंबर-2023	नोट-1 देखें
2018-19	31-दिसंबर-2020	30-जनवरी-2024	30-अप्रैल-2024	नोट-2 देखें
2019-20	31-मार्च-2021	30-मई-2024	30-अगस्त-2024	नोट-2 देखें
2020-21	28-फरवरी-2022	28-नवंबर-2024	28-फरवरी-2025	नोट-3 देखें
2021-22	31-दिसंबर-2022	30-सितंबर-2025	31-दिसंबर-2025	शून्य
2022-23	31-दिसंबर-2023	30-सितंबर-2026	31-दिसंबर-2026	शून्य
2023-24	31-दिसंबर-2024	30-सितंबर-2027	31-दिसंबर-2027	शून्य

टिप्पणियाँ (Notes):

- **नोट-1:** वर्ष 2017-18 के आदेश पारित करने की तिथि अधिसूचना संख्या 09/2023-CT, दिनांक 31.03.2023 द्वारा बढ़ाई गई।
- **नोट-2:** वर्ष 2018-19 और 2019-20 के आदेश पारित करने की तिथि अधिसूचना संख्या 56/2023-CT, दिनांक 28-12-2023 द्वारा बढ़ाई गई।
- **नोट-3:** वर्ष 2020-21 के GSTR-9 की नियत तिथि अधिसूचना संख्या 40/2021-CT, दिनांक 29-12-2021 द्वारा बढ़ाई गई।

59.नोटिस (SCN) जारी करने एवं आदेश पारित करने की नियत तिथियाँ

धारा 74 के अंतर्गत (2023-24 तक)

वित्तीय वर्ष	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि	SCN जारी करने की अंतिम तिथि	आदेश पारित करने की अंतिम तिथि
2017-18	07-फरवरी-2020	07-अगस्त-2024	07-फरवरी-2025
2018-19	31-दिसंबर-2020	30-जून-2025	31-दिसंबर-2025
2019-20	31-मार्च-2021	30-सितंबर-2025	31-मार्च-2026
2020-21	28-फरवरी-2022	28-अगस्त-2026	28-फरवरी-2027
2021-22	31-दिसंबर-2022	30-जून-2027	31-दिसंबर-2027
2022-23	31-दिसंबर-2023	30-जून-2028	31-दिसंबर-2028
2023-24	31-दिसंबर-2024	30-जून-2029	31-दिसंबर-2029

60.नोटिस (SCN) जारी करने एवं आदेश पारित करने की नियत तिथियाँ

धारा 74A के अंतर्गत (2024-25 से आगे)

वित्तीय वर्ष	वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि	SCN जारी करने की अंतिम तिथि	आदेश पारित करने की अंतिम तिथि
2024-25	31-दिसंबर-2025	30-जून-2029	30-जून-2030
2025-26	31-दिसंबर-2026	30-जून-2030	30-जून-2031

नोट:

माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दिनांक **05 फरवरी 2025** का निर्णय,

मामला: *M/s. Cotton Corporation of India, Guntur बनाम Assistant Commissioner (ST)(Audit)(FAC), Regional GST Audit & Enforcement Office, Vijayawada*,

W.P. संख्या 1463/2025 में, SCN और आदेशों के निर्गमन पर कार्य करते समय देखा जाना चाहिए।

61.कुछ परिस्थितियों में नोटिस की सेवा : (धारा 169)

1. इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी निर्णय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संचार की सेवा निम्नलिखित किसी एक विधि से की जाएगी, अर्थात् -

भौतिक वितरण मोड (Physical delivery mode):

- सीधे या किसी दूत (Messenger) सहित कूरियर द्वारा
    - संबोधित व्यक्ति को; या
    - करयोग्य व्यक्ति को; या
    - उसके प्रबंधक (Manager) को; या
    - अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised representative) को; या
    - एक अधिवक्ता (Advocate) को; या
    - कर प्रैक्टिशनर (Tax Practitioner) को, जिसके पास करयोग्य व्यक्ति की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने की प्राधिकृति हो; या
    - व्यवसाय से संबंधित कार्य में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को; या
    - करयोग्य व्यक्ति के साथ रहने वाले परिवार के किसी वयस्क सदस्य को।

डिस्पैच डिलीवरी मोड (Dispatch delivery mode):

- रजिस्टर्ड डाक (Registered Post) या स्पीड पोस्ट (Speed Post) या कूरियर द्वारा,
- अपेक्षित व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (यदि कोई हो) को,
- उसके अंतिम ज्ञात व्यवसाय स्थल या निवास स्थान पर, **प्राप्ति रसीद (Acknowledgement Due)** सहित।

इलेक्ट्रॉनिक मोड (Electronic Mode):

- पंजीकरण के समय दिए गए या समय-समय पर संशोधित ई-मेल पते पर संचार भेजकर; या
- कॉमन पोर्टल (Common Portal) पर उपलब्ध कराकर।

मीडिया मोड (Media Mode):

- स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा,
  जिसमें वह करयोग्य व्यक्ति या वह व्यक्ति, जिसके लिए यह जारी किया गया है, अंतिम बार निवास करता था, व्यवसाय करता था, या व्यक्तिगत रूप से जीविका अर्जित करता था।

डिस्प्ले मोड (Display Mode):

- यदि उपर्युक्त कोई भी विधि व्यवहार्य नहीं है,
  - तो उसके अंतिम ज्ञात व्यवसाय स्थल या निवास स्थान पर किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाकर; और
- यदि यह विधि भी किसी कारणवश व्यवहार्य नहीं है,
  - तो उसकी एक प्रति उस अधिकारी या प्राधिकरण के कार्यालय के सूचना पट्ट (Notice Board) पर चिपकाकर,
    जिसने ऐसा निर्णय या आदेश पारित किया है या ऐसा समन या नोटिस जारी किया है।

2. प्रत्येक निर्णय, आदेश, समन, नोटिस या संचार की सेवा उस दिन मानी जाएगी जिस दिन इसे उपधारा (1) के अनुसार प्रस्तुत, प्रकाशित या चिपकाया गया है।
3. यदि इसे रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया है, तो निर्णय, आदेश, समन, नोटिस या संचार सामान्य पारगमन अवधि के बाद प्राप्त हुआ माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो।

62.रिटर्न की जांच हेतु चेक लिस्ट

Sl. No.	सत्यापन का क्षेत्र	आवश्यक दस्तावेज़
1	GSTR-1 और GSTR-3B में देयता का अंतर	GSTR-1; GSTR-3B
2	RCM पर चुकाए गए कर बनाम ली गई ITC	GSTR-3B
3	नकद में चुकाया गया कुल कर बनाम RCM पर देय कर	GSTR-3B

4	ISD पर ली गई ITC क्या GSTR-2A में दर्शाई गई से मेल खाती है	GSTR-3B और GSTR-2A
5	अन्य सभी ITC ली गई क्या GSTR-2A / 2B में दर्शाई गई से मेल खाती है	GSTR-3B और GSTR-2A
6	GSTR-3B में घोषित कर योग्य मूल्य क्या GSTR-2A में TCS और TDS के रूप में दर्शाई गई शुद्ध देय राशि के बराबर या अधिक है	GSTR-3B और GSTR-2A/2B
7	GSTR-3B में घोषित कर देयता क्या E-way bill पोर्टल में दर्शाई गई देयता से मेल खाती है	GSTR-3B और E-way bill डेटा
8	क्या ITC निष्क्रिय करदाताओं द्वारा जारी चालानों पर ली गई है	GSTR-2A / 2B
9	क्या पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (जिन्होंने चालान/डेबिट नोट जारी किए) ने रिटर्न दायर किया है	GSTR-2A / 2B
10	क्या ITC धारा 16(4) में प्रदान की गई नियत तिथि के बाद ली गई है	रिटर्न दाखिल करने की तिथि
11	आयातित वस्तुओं पर ली गई ITC क्या GSTR-2A में दर्शाई गई से मेल खाती है	GSTR-3B और GSTR-2A / 2B
12	कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की स्थिति में, क्या नियम 42 / 43 के प्रावधानों के अंतर्गत ITC रिवर्स की गई है	GSTR-1; GSTR-3B
13	भुगतान में देरी होने पर क्या ब्याज चुकाया गया है	रिटर्न दाखिल करने की तिथि
14	क्या लेट फीस चुकाई गई है	रिटर्न दाखिल करने की तिथि
15	बाहरी आपूर्ति जो E-way Bill से नहीं की गई	

	- GSTR-1 में 50,000 रुपये से कम के चालान मूल्य	
	- GSTR-1 में 50,000 रुपये से अधिक के चालान मूल्य	
	- बाहरी E-way bills के अनुसार मूल्य	
	- बाहरी आपूर्ति जो E-way Bill से नहीं की गई	

जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज़ / रिटर्न

- **GSTR-1**
- **E-way bill डेटा**
- **GSTR-3B**
- **रिटर्न दाखिल करने की तिथि**
- **GSTR-2A / 2B**
- **GSTR-9 और 9C**

संदर्भ: SOP निर्देश संख्या 02/2022, दिनांक 22.03.2022 और 02/2023, दिनांक 26.05.2023।

63.रिटर्न की जांच के लिए समय-सीमा

S.No.	प्रक्रिया/घटना	Instruction No.02/2022, दिनांक 22.03.2022 (2017-18 एवं 2018-19)	Instruction No.02/2023, दिनांक 26.05.2023 (2019-20 से आगे)
(i)	जांच हेतु चयनित GSTINs की सूची का संचार	समय-समय पर	समय-समय पर

	(DGARM द्वारा संबंधित आयुक्तालय के नोडल अधिकारी को)		
(ii)	नोडल अधिकारी द्वारा चयनित GSTINs की सूची का संबंधित अधिकारियों को वितरण	DGARM से सूची प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर	NA
(iii)	संबंधित सहायक/उप आयुक्त की स्वीकृति से जांच कार्यक्रम का अंतिम रूप	नोडल अधिकारी से संबंधित GSTINs का विवरण प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर	ACES-GST एप्लिकेशन पर संबंधित GSTINs का विवरण प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर
(iv)	जोन द्वारा जांच कार्यक्रम का DGGST से साझा करना	DGARM से संबंधित GSTINs का विवरण प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर	NA
(v)	आवश्यकता होने पर FORM GST ASMT-10 में विसंगतियों को सूचित करने हेतु उचित अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करना	संबंधित GSTIN की जांच हेतु जांच कार्यक्रम में उल्लिखित माह के भीतर	संबंधित GSTIN की जांच हेतु जांच कार्यक्रम में उल्लिखित माह के भीतर
(vi)	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा FORM GST ASMT-11 में उत्तर देना	FORM GST ASMT-10 में उचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर या उचित अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त अतिरिक्त अवधि के भीतर	FORM GST ASMT-10 में उचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर या उचित अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त अतिरिक्त अवधि के भीतर
(vii)	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की स्वीकृति हेतु FORM GST ASMT-12 में	FORM GST ASMT-11 में	FORM GST ASMT-11 में पंजीकृत व्यक्ति से

	आदेश जारी करना (जहाँ लागू हो)	पंजीकृत व्यक्ति से उत्तर प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर	उत्तर प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर
(viii)	धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत कर एवं अन्य बकाया निर्धारित करने की उचित कार्रवाई की शुरुआत, जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया	FORM GST ASMT-10 में नोटिस जारी होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि पूर्ण होने के पंद्रह दिनों के भीतर या उचित अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त अतिरिक्त अवधि में	FORM GST ASMT-10 में नोटिस जारी होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि पूर्ण होने के पंद्रह दिनों के भीतर या उचित अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त अतिरिक्त अवधि में
(ix)	धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत कर एवं अन्य बकाया निर्धारित करने की उचित कार्रवाई की शुरुआत, जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया लेकिन उचित अधिकारी द्वारा अस्वीकार्य पाया गया	FORM GST ASMT-11 में पंजीकृत व्यक्ति से उत्तर प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर	FORM GST ASMT-11 में पंजीकृत व्यक्ति से उत्तर प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर
(x)	धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अंतर्गत उचित कार्रवाई के संबंध में निर्णय हेतु आयुक्त को संदर्भ भेजना (यदि कोई हो)	FORM GST ASMT-11 में पंजीकृत व्यक्ति से उत्तर प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर या FORM GST ASMT-10 के जारी होने की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर, यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया	FORM GST ASMT-11 में पंजीकृत व्यक्ति से उत्तर प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर या FORM GST ASMT-10 के जारी होने की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर, यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया

64.कुछ अपराधों के लिए दंड

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122 में 21 अपराधों का उल्लेख है जो दंडनीय हैं, जिन्हें मोटे तौर पर चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- फर्जी/गलत चालान जारी करना
- कर की चोरी या भुगतान न करना
- वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियाँ
- जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

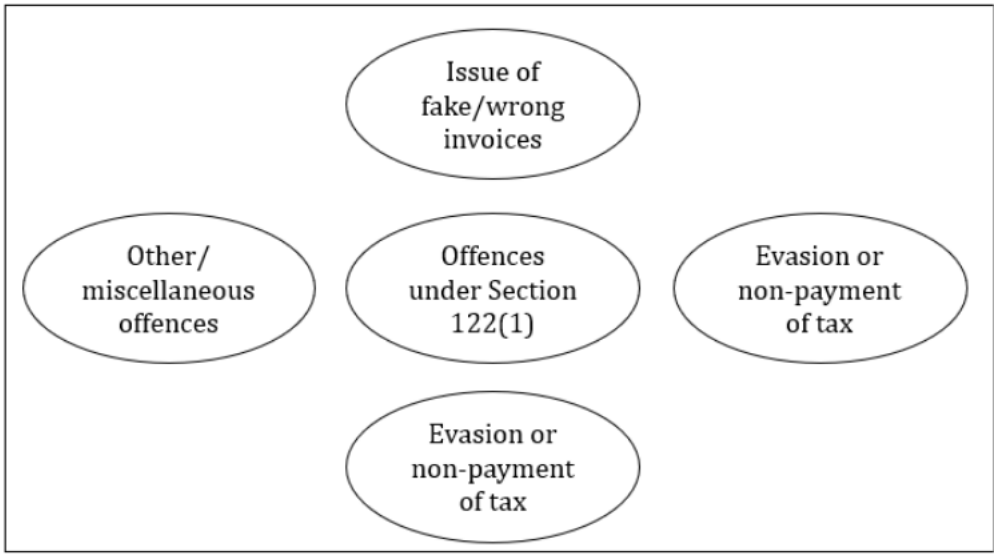

65. अपराध और दंड

कर चोरी और/या कर का भुगतान न करने से संबंधित अपराध

धारा	अपराध	दंड की राशि
नकली/गलत चालान जारी करने से संबंधित अपराध		
122(1)(i)	किसी भी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति बिना चालान जारी किए करता है या ऐसी आपूर्ति के संबंध में गलत या झूठा चालान जारी करता है	₹10,000/- या कर चोरी की गई राशि के बराबर, जो भी अधिक हो।

122(1)(ii)	अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति किए बिना कोई चालान या बिल जारी करता है	₹10,000/- या कर चोरी की गई राशि के बराबर, जो भी अधिक हो।
122(1)(vii)	वास्तविक प्राप्ति के बिना, आंशिक या पूर्ण रूप से, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता या उपयोग करता है	₹10,000/- या प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर, जो भी अधिक हो।
122(1)(xix)	किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति की पंजीकरण संख्या का उपयोग करके कोई चालान या दस्तावेज जारी करता है	₹10,000/- या कर चोरी की गई राशि के बराबर, जो भी अधिक हो।

धोखाधड़ी से संबंधित अपराध

धारा	अपराध	दंड की राशि
122(1)(iii)	कर के रूप में कोई राशि वसूल करता है लेकिन नियत तिथि से तीन महीने की अवधि से अधिक समय तक सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है	₹10,000/- या वसूला गया लेकिन न दिया गया कर, जो भी अधिक हो।
122(1)(iv)	अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर कोई कर वसूलता है लेकिन नियत तिथि से तीन महीने की अवधि से अधिक समय तक सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है	₹10,000/- या वसूला गया लेकिन न दिया गया कर, जो भी अधिक हो।
122(1)(v)	धारा 51(1) के अनुसार कर की कटौती करने में विफल रहता है, या निर्धारित राशि से कम कर की कटौती करता है, या धारा 51(2) के तहत सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है (TDS)	₹10,000/- या न काटा गया/कम काटा गया/काटा गया परंतु न दिया गया कर, जो भी अधिक हो।

122(1)(vi)	धारा 52(1) के अनुसार कर संग्रह करने में विफल रहता है, या निर्धारित राशि से कम कर संग्रह करता है, या धारा 52(3) के तहत सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है (TCS)	₹10,000/- या न संग्रहित/कम संग्रहित/संग्रहित परंतु न दिया गया कर, जो भी अधिक हो।
122(1)(ix)	धारा 20 या नियमों का उल्लंघन कर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता या वितरित करता है (ISD)	₹10,000/- या गलत तरीके से वितरित क्रेडिट के बराबर, जो भी अधिक हो।

अन्य विविध प्रावधान

धारा	अपराध	दंड की राशि
122(1)(x)	वित्तीय अभिलेखों को गलत करता है, नकली खाते प्रस्तुत करता है, या कर चोरी की मंशा से झूठी जानकारी/रिटर्न देता है	₹10,000/- या कर चोरी की गई राशि के बराबर, जो भी अधिक हो।
122(1)(xiv)	बिना निर्धारित दस्तावेज़ों के किसी भी कर योग्य माल का परिवहन करता है	₹10,000/- या कर चोरी की गई राशि के बराबर, जो भी अधिक हो।
122(1)(xiii)	किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है या रोकता है	₹10,000/- या कर चोरी की गई राशि के बराबर, जो भी अधिक हो।
122(1)(xvi)	अधिनियम या नियमों के अनुसार खातों और अन्य दस्तावेज़ों को रखने/सुरक्षित करने में विफल रहता है	₹10,000/- या कर चोरी की गई राशि के बराबर, जो भी अधिक हो।
122(1)(xvii)	अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है या कार्यवाही के दौरान गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करता है	₹10,000/- या कर चोरी की गई राशि के बराबर, जो भी अधिक हो।

कुछ अपराधों के लाभ को बनाए रखने वाले व्यक्तियों पर दंड

धारा	अपराध	दंड की राशि
122(1A)	कोई भी व्यक्ति जो धारा 122(1) की उपधारा (i), (ii), (vii) या (ix) में आच्छादित लेन-देन का लाभ रखता है और जिसके कहने पर ऐसा लेन-देन किया गया है।	कर चोरी की गई राशि या प्राप्त/पारित इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर दंड।

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा किए गए कुछ अपराधों पर दंड

धारा	अपराध	दंड की राशि
122(1B)	(i) किसी अपंजीकृत व्यक्ति (सिवाय उस व्यक्ति के जिसे अधिसूचना द्वारा पंजीकरण से छूट दी गई हो) को अपने माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की अनुमति देना; (ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने माध्यम से अंतर-राज्य आपूर्ति की अनुमति देना जो इस तरह की अंतर-राज्य आपूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; (iii) धारा 52(4) (GSTR-08) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहना, जब वस्तुओं की आपूर्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जिसे इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने से छूट दी गई हो।	₹10,000/- या उतने कर की राशि के बराबर दंड जितना कर देय होता यदि ऐसी आपूर्ति किसी पंजीकृत व्यक्ति (धारा 10 के तहत कर भुगतान करने वाले को छोड़कर) द्वारा की जाती – जो भी अधिक हो। *(प्रभावी तिथि: 01.10.2023, वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2024 की धारा 144, अधिनियम संख्या 15/2024 दिनांक 16.08.2024)*

कम भुगतान, गलत रिफंड या गलत ITC लेने के मामलों में दंड

धारा	अपराध	दंड की राशि
122(2)	जहां कोई कर का भुगतान नहीं किया गया है, कम भुगतान किया गया है, गलत तरीके से रिफंड किया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया या उपयोग किया गया है।	गैर-धोखाधड़ी मामलों में: ₹10,000/- या देय कर का 10%, जो भी अधिक हो। धोखाधड़ी मामलों में: ₹10,000/- या देय कर के बराबर, जो भी अधिक हो।

सहयोग, कब्जा या अन्य अप्रत्यक्ष अपराधों पर दंड

धारा	अपराध	दंड की राशि
122(3)	- धारा 122(1)(i) से (xxi) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध में सहायता या उकसाना; - किसी ऐसे माल का कब्जा करना, परिवहन करना, छिपाना, आपूर्ति करना या खरीदना जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या नियमों के तहत जब्त होने योग्य है; - किसी सेवा की आपूर्ति में संलग्न होना जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह अधिनियम/नियमों का उल्लंघन है; - केंद्रीय कर अधिकारी के सम्मन पर गवाही देने/दस्तावेज प्रस्तुत करने में उपस्थित न होना; - चालान जारी करने में विफल रहना या उसे खातों में दर्ज न करना।	₹25,000/- तक का दंड।

सामान्य दंड

धारा	अपराध	दंड की राशि
125	कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है और जिसके लिए इस अधिनियम में अलग से दंड का प्रावधान नहीं है।	अधिकतम दंड ₹25,000/-।

66.धारा 132 के अंतर्गत अपराधों के लिए दंड की मात्रा

क्रम सं.	अपराध से संबंधित राशि	दंड
(i)	जब कर चोरी की गई राशि ₹5 करोड़ से अधिक हो	अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना
(ii)	जब कर चोरी की गई राशि ₹2 करोड़ से अधिक लेकिन ₹5 करोड़ से कम या बराबर हो	अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना
(iii)	जब कर चोरी की गई राशि ₹1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹2 करोड़ से कम या बराबर हो *(01 अक्टूबर 2023 से केवल धारा 132(1)(b) तक सीमित)*	अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना
(iv)	धारा 132(1) की उपधारा (a), (g) एवं (j) में निर्दिष्ट अपराध करना या उसमें उकसाना *(धारा 132(1)(g) एवं (j) को 01 अक्टूबर 2023 से हटा दिया गया है)*	अधिकतम 6 माह का कारावास और/या जुर्माना
(v)	धारा 132(2) - प्रत्येक पुनः दोषसिद्धि (subsequent conviction)	अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना

67.कर चोरी के सामान्य तरीके

क्रम सं.	तरीका	विवरण

1	बिक्री को कम दिखाना	व्यवसाय जानबूझकर कम बिक्री आंकड़े दिखाते हैं ताकि अपनी जीएसटी देयता घटा सकें। इसमें नकली चालान बनाना या लेनदेन को छिपाना शामिल है।
2	काल्पनिक चालान	कंपनियां नकली चालान जारी या स्वीकार करती हैं ताकि गैर-मौजूद या बढ़ी-चढ़ी लेनदेन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकें।
3	इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग	व्यवसाय उन ख़रीदों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं जो या तो की ही नहीं गईं या कर-योग्य वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन में उपयोग नहीं हुईं।
4	रिटर्न दाखिल न करना	कुछ व्यवसाय जानबूझकर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करते, ताकि कर-योग्य लेनदेन रिपोर्ट न हो और कर से बच सकें।
5	नकली या बदले हुए दस्तावेज़	व्यवसाय नकली या बदले हुए दस्तावेज़ों का उपयोग करते हैं ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ीपूर्ण दावा किया जा सके या कम बिक्री आंकड़ों को उचित ठहराया जा सके।
6	व्यापार संचालन को विभाजित करना	कंपनियां अपने कार्यों को कई इकाइयों में विभाजित करती हैं ताकि जीएसटी पंजीकरण की सीमा से नीचे रह सकें और अधिक टर्नओवर पर कर देने से बच सकें।
7	अपंजीकृत बिक्री	जीएसटी पंजीकरण से बचकर लेनदेन करना, विशेषकर छोटे या असंगठित व्यवसायों में।
8	वस्तुओं/सेवाओं का गलत वर्गीकरण	वस्तुओं या सेवाओं को कम जीएसटी स्लैब में वर्गीकृत करना ताकि कर भार कम हो सके।
9	निर्यात लाभ में हेरफेर	निर्यात दस्तावेजों को गलत दिखाना ताकि गैर-मौजूद निर्यात पर अनुचित लाभ या रिफंड का दावा किया जा सके।
10	श्रृंखला लेनदेन	जटिल श्रृंखला लेनदेन करना ताकि वास्तविक लेनदेन की प्रकृति छिपाई जा सके और जीएसटी दायित्व से बचा जा सके।

68.Refund Situations

क्रम सं.	रिफंड की स्थिति	कानूनी प्रावधान	टिप्पणियाँ
1	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष राशि	धारा 49(6), नियम 89(1)	अधिक जमा करने या गलत कर हेड में जमा करने के कारण।
2	कर भुगतान (IGST) के साथ वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात	धारा 54(3), नियम 96	निर्यात पर भुगतान किया गया IGST रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है।
3	LUT/बॉन्ड के अंतर्गत निर्यात (कर का भुगतान किए बिना)	धारा 54(3), नियम 89(4)	अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड।
4	SEZ इकाइयों/डेवलपर्स को आपूर्ति	धारा 54(3), नियम 89(1)	शून्य-रेटेड आपूर्ति। IGST या अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड।
5	उलटा शुल्क ढांचा (इनपुट पर आउटपुट से अधिक कर)	धारा 54(3)(ii), नियम 89(5)	अप्रयुक्त आईटीसी का रिफंड। कुछ वस्तुएँ/सेवाएँ अपवर्जित।
6	अस्थायी निर्धारण का अंतिमकरण	धारा 54(1)	यदि पहले चुकाया गया कर वास्तविक देयता से अधिक है तो रिफंड।
7	आपूर्ति न होना / अधिक कर का भुगतान	धारा 54(1)	इसमें अग्रिम की वापसी या त्रुटि के कारण अधिक कर शामिल है।
8	अपील/आदेश/अंतिम निर्धारण के कारण रिफंड	धारा 54(1)	अनुकूल आदेश प्राप्त होने पर।
9	अनुमानित निर्यात (Deemed Exports)	धारा 54(3), अधिसूचना 48/2017-CT दिनांक 18.10.2017	आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता रिफंड का दावा कर सकते हैं।

10	आपूर्ति को राज्य-आधारित मानकर गलत हेड में कर भुगतान, जिसे बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना गया और इसके विपरीत	धारा 77 (सीजीएसटी), धारा 19 (आईजीएसटी)	गलत हेड में भुगतान किए गए कर का रिफंड।
11	कर का अधिक भुगतान	धारा 54(1)	गणना या भुगतान में त्रुटि।
12	अग्रिम प्राप्त हुआ पर आपूर्ति रद्द	धारा 54(1), नियम 89	अग्रिम पर भुगतान किया गया जीएसटी रिफंड किया जा सकता है।
13	UN/दूतावासों/अधिसूचित निकायों को आपूर्ति	धारा 55, नियम 95	विशेष संस्थाएँ चुकाए गए जीएसटी के रिफंड के लिए पात्र।
14	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को रिफंड	धारा 55	अभी अधिसूचित होना बाकी। विदेश ले जाए गए सामान पर चुकाए गए कर का रिफंड।
15	अग्रिम जमा (अपील से पहले किया गया) का रिफंड	धारा 107(6) और धारा 112(8), धारा 54(1) के साथ पढ़ें	अपील के दौरान विवादित कर का 10%/20% अग्रिम जमा, यदि मामला करदाता के पक्ष में तय होता है तो वापस योग्य है।
16	किसी अन्य कारण से रिफंड	धारा 54(1), नियम 89(1)	यह एक अवशिष्ट श्रेणी है जो उन रिफंड दावों को कवर करती है जो विशेष रूप से अन्यत्र सूचीबद्ध नहीं हैं – जैसे लिपिकीय त्रुटियाँ, न्यायालय के निर्णय, सिस्टम की खराबी, या ऐसी कोई भी स्थिति जो विशिष्ट प्रावधानों में शामिल न हो।

69.जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए प्रासंगिक तिथि एवं समय सीमा

धारा 54(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति प्रासंगिक तिथि (Relevant Date) से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले रिफंड हेतु आवेदन कर सकता है।

धारा 54 की **व्याख्या 2 (Explanation 2)** विभिन्न परिस्थितियों में रिफंड दावे के लिए *'प्रासंगिक तिथि'* को परिभाषित करती है।

क्रम सं.	स्थिति	प्रासंगिक तिथि	व्याख्या खंड	टिप्पणियाँ
1	समुद्र या वायु मार्ग से वस्तुओं का निर्यात	जिस दिन जहाज या विमान भारत छोड़ता है	व्याख्या 2(क)(i)	सीमा शुल्क (Customs) के निर्यात घोषणापत्र / प्रस्थान पर आधारित
2	स्थल मार्ग से वस्तुओं का निर्यात	जिस दिन वस्तुएँ सीमा पार करती हैं	व्याख्या 2(क)(ii)	सीमा दस्तावेज़ (Frontier documentation) पर आधारित
3	डाक द्वारा वस्तुओं का निर्यात	डाकघर द्वारा भारत के बाहर भेजने की तिथि	व्याख्या 2(क)(iii)	डाक निर्यात घोषणापत्र आवश्यक
4	अनुमानित निर्यात (Deemed Exports)	जिस दिन ऐसे आपूर्ति के लिए रिटर्न (GSTR-1) दाखिल किया जाता है	व्याख्या 2(ख)	रिटर्न में deemed export प्रदर्शित होना चाहिए
5	SEZ इकाई या डेवलपर को आपूर्ति (वस्तुएँ/सेवाएँ, कर के भुगतान सहित या बिना)	जिस कर अवधि में आपूर्ति की गई, उस अवधि के लिए GSTR-3B दाखिल करने की नियत तिथि	व्याख्या 2(बा) (वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा, 01.10.2022 से प्रभावी)	IGST रिफंड और अप्रयुक्त ITC रिफंड दावों पर लागू
6	सेवाओं का निर्यात	परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या आरबीआई द्वारा अनुमत भारतीय रुपये	व्याख्या 2(ग)(i)	BRC/FIRC या RBI-अनुपालन प्रमाण आवश्यक

		में भुगतान प्राप्ति की तिथि। *(जहाँ सेवा आपूर्ति भुगतान से पहले पूरी हो चुकी थी।)*		
7	सेवाओं का निर्यात	चालान जारी करने की तिथि। *(जहाँ सेवा प्रदाय से पहले अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ था।)*	व्याख्या 2(ग)(ii)	जब अग्रिम पर कर चुकाया गया हो पर सेवा न दी गई हो तब लागू
8	अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय के आदेश से रिफंड उत्पन्न होना	ऐसे निर्णय/आदेश/निर्देश के संप्रेषण की तिथि	व्याख्या 2(घ)	2 वर्ष की अवधि आदेश की सेवा की तिथि से शुरू होती है
9	उलटे शुल्क ढांचे (Inverted Duty Structure) के मामले में अप्रयुक्त ITC रिफंड	जिस अवधि में रिफंड दावा उत्पन्न हुआ, उस अवधि के लिए GSTR-3B की नियत तिथि	व्याख्या 2(ङ)	GSTR-3B रिटर्न
10	अस्थायी आकलन (Provisional Assessment) के दौरान अधिक कर का भुगतान	अंतिम आकलन आदेश की तिथि	व्याख्या 2(च)	अंतिम आकलन आदेश पर आधारित
11	गलत कर भुगतान (अंतर-राज्यीय बनाम राज्य-आधारित)	सही कर भुगतान की तिथि	धारा 77 (सीजीएसटी), धारा 19 (आईजीएसटी) पढ़ें नियम 89	उदाहरण: IGST के स्थान पर CGST+SGST भुगतान किया गया

			और परिपत्र 162/18/2021-GST दिनांक 25.09.2021 के साथ	
12	आपूर्तिकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिफंड का दावा	ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुएँ या सेवाएँ प्राप्त करने की तिथि	व्याख्या 2(छ)	
13	अन्य कोई भी स्थिति जो ऊपर शामिल नहीं	कर भुगतान की तिथि	व्याख्या 2(ज)	अवशिष्ट प्रावधान - सभी अन्य स्थितियों को कवर करता

70.कुछ मामलों में कर चुकाने की देनदारी (Liability to pay in certain cases)

क्र. सं.	धारा	घटना (Event)	कर चुकाने वाला व्यक्ति (Person liable)
1	85(1)	व्यवसाय का हस्तांतरण	हस्तांतरक और हस्तांतरित (संयुक्त एवं पृथक रूप से)
2	85(2)	व्यवसाय का हस्तांतरण	A) यदि हस्तांतरित (Transferee) अपंजीकृत डीलर है → हस्तांतरित
B) यदि हस्तांतरित पंजीकृत डीलर है → हस्तांतरित			

3	86	प्रिंसिपल एवं एजेंट	एजेंट और उसका प्रिंसिपल, संयुक्त एवं पृथक रूप से
4	87	विलय/विलयन (Amalgamation/Merger)	ऐसे आपूर्ति और प्राप्ति के लेन-देन को संबंधित कंपनियों के टर्नओवर में शामिल किया जाएगा और वे उसके अनुसार कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगी
5	88(1)	परिसमापक (Liquidator)	परिसमापक की व्यक्तिगत देनदारी
6	88(3)	निदेशक (Directors)	निदेशक - उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर देय है। (संयुक्त एवं पृथक रूप से); जब तक वे यह साबित न कर दें कि वसूली न होना उनकी गंभीर लापरवाही या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण नहीं है
7	89	निदेशक (Directors)	निदेशक - उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर देय है। (संयुक्त एवं पृथक रूप से); जब तक वे यह साबित न कर दें कि वसूली न होना उनकी गंभीर लापरवाही या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण नहीं है
8	90	सतत् फर्म (Continuing firm)	प्रत्येक साझेदार (संयुक्त एवं पृथक रूप से)
9	धारा 90 का प्रावधान	फर्म से किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति (Retirement)	सेवानिवृत्त साझेदार
10	91	जहाँ व्यवसाय, जिसके संबंध में कर देय है, किसी नाबालिग या अक्षम व्यक्ति के संरक्षक, ट्रस्टी या एजेंट द्वारा चलाया जा रहा हो	ऐसा संरक्षक, ट्रस्टी या एजेंट (व्यक्तिगत देनदारी) - कर नाबालिग या अक्षम व्यक्ति पर इस प्रकार आंका जाएगा जैसे वह स्वयं व्यवसाय कर रहा हो
11	92	जहाँ व्यवसाय, जिसके संबंध में कर देय है, वार्ड की	ऐसा वार्ड की अदालत, प्रशासक जनरल, आधिकारिक ट्रस्टी, रिसीवर या

		अदालत (Court of Wards), प्रशासक जनरल, आधिकारिक ट्रस्टी या किसी रिसीवर या प्रबंधक के नियंत्रण में है जिसे न्यायालय के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है	प्रबंधक (व्यक्तिगत देनदारी) - कर वसूल किया जाएगा जैसे वह स्वयं व्यवसाय कर रहा हो
12	93(1)(a)	जहाँ डीलर की मृत्यु हो जाती है और व्यवसाय उसके कानूनी प्रतिनिधियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है	ऐसे कानूनी प्रतिनिधि/अन्य व्यक्ति, मानो वह स्वयं कर योग्य व्यक्ति हो
13	93(1)(b)	कानूनी प्रतिनिधि - जहाँ डीलर की मृत्यु हो जाती है और व्यवसाय उसकी मृत्यु से पहले या बाद में बंद हो जाता है	मृतक का कानूनी प्रतिनिधि - मृतक की संपत्ति के मूल्य तक सीमित
14	93(2)	हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या व्यक्तियों का संघ (AOP) - संपत्ति का विभाजन	प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह - संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी
15	93(3)	जहाँ किसी फर्म ने अपना व्यवसाय भंग कर दिया है	विघटन के समय प्रत्येक साझेदार - संयुक्त एवं पृथक रूप से
16	94(1)	फर्म ने व्यवसाय बंद कर दिया है	बंद होने के समय प्रत्येक साझेदार/सदस्य - संयुक्त एवं पृथक रूप से; मानो वह स्वयं कर योग्य व्यक्ति हो

71.नोटिस जारी करने की मौद्रिक सीमा

धारा 73, 74 एवं 74A के अंतर्गत

क्र. सं.	केंद्रीय कर अधिकारी	केंद्रीय कर (सेस सहित)	समेकित कर (सेस सहित)	केंद्रीय कर एवं समेकित कर (सेस सहित)
1	केंद्रीय कर के अधीक्षक	अधिकतम ₹10 लाख तक	अधिकतम ₹20 लाख तक	अधिकतम ₹20 लाख तक
2	केंद्रीय कर के उप आयुक्त या सहायक आयुक्त	₹10 लाख से अधिक और अधिकतम ₹1 करोड़ तक	₹20 लाख से अधिक और अधिकतम ₹2 करोड़ तक	₹20 लाख से अधिक और अधिकतम ₹2 करोड़ तक
3	केंद्रीय कर के अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त	₹1 करोड़ से अधिक - बिना किसी सीमा के	₹2 करोड़ से अधिक - बिना किसी सीमा के	₹2 करोड़ से अधिक - बिना किसी सीमा के

72.जीएसटी के अंतर्गत अपील की प्रक्रिया (Steps of Appeals under GST)

अपील स्तर	आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी	अपील की जाएगी	अधिनियम की धारा
प्रथम (1st)	निर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authority)	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority)	धारा 107 (नियम 109A, CGST Rules 2017)
द्वितीय (2nd)	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority)	अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal)	धारा 109, 110
तृतीय (3rd)	अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal)	उच्च न्यायालय (High Court)	धारा 111-116
चतुर्थ (4th)	उच्च न्यायालय (High Court)	सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)	धारा 117-118

74. प्रथम स्तर की अपील : अपीलीय प्राधिकारी (धारा 107 के अंतर्गत)

अपीलकर्ता	अपील की अवधि	पूर्व-निक्षेप (Pre-deposit)	अन्य विवरण
करदाता (Tax Payer)	- मूल आदेश की सूचना की तिथि से **3 माह के भीतर** : धारा 107(1) - अपीलीय प्राधिकारी द्वारा **1 माह तक बढ़ाई जा सकती है** : धारा 107(4)	- स्वीकृत कर, ब्याज एवं दंड की राशि पूर्ण रूप से चुकानी होगी : धारा 107(6)(a) - विवादित शेष माँग का **10% पूर्व-निक्षेप** करना होगा : धारा 107(6)(b) - अधिकतम पूर्व-निक्षेप सीमा **₹20 करोड़** (01 नवम्बर 2024 से) : धारा 141(a), वित्त अधिनियम 2024, अधिसूचना 17/2024-CT - यदि आदेश धारा 129(3) के अंतर्गत पारित हुआ है, तो अपील दायर करने से पूर्व दंड की **10% राशि** जमा करनी होगी (प्रावधान धारा 107(6), बजट 2025)	
विभाग (Department)	- पुनरीक्षण आदेश की तिथि से **6 माह के भीतर** : धारा 107(2) - **1 माह तक बढ़ाई जा सकती है** : धारा 107(4)	लागू नहीं	

अतिरिक्त प्रावधान

- **वसूली कार्यवाही (Recovery proceedings):**
  पूर्व-निक्षेप करने पर वसूली कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी। (धारा 107(7))

- **अपील आदेश (Appeal Order):**

  अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने की तिथि से **1 वर्ष के भीतर** निर्णय देना होगा। (धारा 107(13))

75. **द्वितीय स्तर की अपील : अपीलीय अधिकरण के समक्ष (धारा 112 के अंतर्गत)**

अपीलकर्ता	अपील की अवधि	पूर्व-निक्षेप
करदाता	अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की सूचना की तिथि से **3 माह के भीतर** : धारा 112(1) **3 माह तक बढ़ाई जा सकती है** : धारा 112(6)	- कर, ब्याज और दंड की स्वीकृत राशि पूर्ण रूप से चुकानी होगी : धारा 112(8)(a) - विवादित शेष माँग का **10% पूर्व-निक्षेप** करना होगा, जो प्रथम अपील दाखिल करते समय चुकाए गए पूर्व-निक्षेप के अतिरिक्त होगा : धारा 112(8)(b) (**01 नवम्बर 2024 से लागू**, धारा 143(d)(i), वित्त अधिनियम 2024 तथा अधिसूचना 17/2024-CT, दिनांक 27.09.2024) - अधिकतम पूर्व-निक्षेप सीमा **₹20 करोड़** (01 नवम्बर 2024 से) : धारा 143(d)(ii), वित्त अधिनियम 2024 तथा अधिसूचना 17/2024-CT, दिनांक 27.09.2024

प्रतिवादी	**क्रॉस-ऑब्जेक्शन का ज्ञापन** दाखिल करना होगा : धारा 112(5) नोटिस प्राप्ति से **45 दिन के भीतर**। **45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है** : धारा 112(6)	लागू नहीं
विभाग	पुनरीक्षण आदेश की तिथि से **6 माह के भीतर** : धारा 112(3) **3 माह तक बढ़ाई जा सकती है** : धारा 112(6)	लागू नहीं
वसूली कार्यवाही	पूर्व-निक्षेप करने पर वसूली कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी : धारा 112(9)	
ट्रिब्यूनल का आदेश	अपीलीय ट्रिब्यूनल, यथासंभव, अपील दाखिल करने की तिथि से **एक वर्ष की अवधि** के भीतर अपील का निर्णय करेगा : धारा 113(4)	

76.उच्च न्यायालय में तीसरे स्तर की अपील धारा 117 के अंतर्गत

अपीलकर्ता	अपील की अवधि	पूर्व-निक्षेप
करदाता या विभाग	अधिकरण के आदेश की तिथि से **180 दिनों के भीतर** : धारा 117(2) अपील दायर करने में हुई देरी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माफ की जा सकती है : उपबंध धारा 117(2)	निर्दिष्ट नहीं

77.सुप्रीम कोर्ट में चौथे स्तर की अपील धारा 118 के अंतर्गत

चौथा स्तर अपील : उच्चतम न्यायालय के समक्ष (धारा 118)	
अपीलकर्ता	करदाता या विभाग
अपील किसके विरुद्ध	- अपीलीय अधिकरण की **प्रधान पीठ** द्वारा पारित आदेश; या - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश
समय सीमा	निर्दिष्ट नहीं
प्रपत्र	अधिनियम में अपील दायर करने के लिए कोई विशिष्ट प्रपत्र निर्धारित नहीं है, एक लिखित अपील दायर की जानी होगी।
समय सीमा प्रावधान	अधिनियम में उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
टिप्पणी	तथापि, *पूर्व लंबित अपीलों (legacy appeals)* के लिए, दिनांक 01.06.2017 की निदेशालय कानूनी मामलों, CBEC द्वारा जारी निर्देश संख्या F.No.1080/DLA/50/Tech/Monitoring/SLPs-Appeals/16 तथा CBEC का परिपत्र संख्या 1077/01/2021-CX, दिनांक 19.01.2021 (F.No.275/65/2013-CX.8A(Pt.)) का पालन किया जाएगा।

सिविल अपील (CA) / विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने की संशोधित समय-सीमा

(DLA, CBEC, Instruction in F.No.1080/DLA/50/Tech/Monitoring/SLPs-Appeals/16 दिनांक 01.06.2017)

सिविल अपील (CA)	विशेष अनुमति याचिका (SLP)
प्रभावित आदेश CESTAT द्वारा पारित	**प्रभावित आदेश - उच्च न्यायालय**
डाक द्वारा प्रभावित आदेश की प्राप्ति (दिन 0)	डाक द्वारा प्रभावित आदेश की प्राप्ति (दिन 0)
उसी दिन प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन	उसी दिन प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन
प्रमाणित प्रति की प्राप्ति (दिन 0)	प्रमाणित प्रति की प्राप्ति (दिन 0)

संबंधित आयुक्तालय द्वारा आदेश को चुनौती देने हेतु टिप्पणियों के रूप में प्रस्ताव तैयार करना और प्रस्तुत करना (7 दिन)	संबंधित आयुक्तालय द्वारा आदेश को चुनौती देने हेतु टिप्पणियों के रूप में प्रस्ताव तैयार करना और प्रस्तुत करना (7 दिन)
सभी प्रकरण पत्रक सहित प्रस्ताव न्यायिक प्रकोष्ठ, CBEC को भेजना (ड्यूटी और मूल्यांकन से संबंधित मामलों में), जो आदेश को चुनौती देने का निर्णय लेता है (6 दिन)	उच्च न्यायालय आदेश के विरुद्ध SLP प्रस्ताव की कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षा (6 दिन)
संबंधित नीति अनुभाग से परामर्श (2 दिन)	प्रकरण पत्रक अपील का मसौदा तैयार करने हेतु केंद्रीय एजेंसी को भेजना
	विधि मंत्रालय द्वारा SLP प्रस्ताव की परीक्षा और केंद्रीय एजेंसी अनुभाग (CAS) को प्रेषण; CAS विधि अधिकारी की राय प्राप्त करता है कि आदेश को SLP द्वारा चुनौती दी जा सकती है या नहीं (15 दिन)
CAS द्वारा अपील/SLP का मसौदा तैयार करने हेतु पैनल अधिवक्ता को फाइल अंकित करना (1 दिन)	CAS द्वारा अपील/SLP का मसौदा तैयार करने हेतु पैनल अधिवक्ता को फाइल अंकित करना (1 दिन)
मसौदा अधिवक्ता द्वारा SLP/अपील का मसौदा CAS को लौटाना (13 दिन)	मसौदा अधिवक्ता द्वारा SLP/अपील का मसौदा CAS को लौटाना (13 दिन)
CAS द्वारा मसौदा SLP/अपील को CBEC (कानूनी/न्यायिक प्रकोष्ठ), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रमाणीकरण हेतु भेजना (1 दिन)	CAS द्वारा मसौदा SLP/अपील को CBEC (कानूनी/न्यायिक प्रकोष्ठ), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रमाणीकरण हेतु भेजना (1 दिन)
मसौदे का प्रमाणीकरण और CAS को संलग्नकों सहित दायर करने हेतु लौटाना (5 दिन)	मसौदे का प्रमाणीकरण और CAS को संलग्नकों सहित दायर करने हेतु लौटाना (5 दिन)
CAS द्वारा पेपर बुक (टंकण/नकल) तैयार करना (10 दिन)	CAS द्वारा पेपर बुक (टंकण/नकल) तैयार करना (10 दिन)

CESTAT आदेश के विरुद्ध CA दायर करने की कुल समय-सीमा - कुल 43 दिन।	उच्च न्यायालय आदेश के विरुद्ध SLP दायर करने की कुल समय-सीमा - कुल 60 दिन।

उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की समय-सीमा

क्र.सं.	चरण	दिनों की **पूर्ण** संख्या **(Absolute)**	दिनों की **संचयी** संख्या **(Cumulative)**
1	आयुक्त के कार्यालय में CESTAT आदेश की प्राप्ति	0	0
2	आयुक्त कार्यालय में अभिलेखों में प्रविष्टि और पूर्व की फाइलों एवं फोल्डरों से लिंक करना	2	2
3	आयुक्तालय के भीतर परामर्श, जैसे कि डिवीजन और रेंज के साथ आदि, तथा आयुक्त द्वारा आदेश पर प्रथम दृष्टया (prima facie) राय लेना	45	47
4	आवश्यकता पड़ने पर मुख्य आयुक्त और बोर्ड के साथ परामर्श	15	62
5	स्थायी अधिवक्ता (Standing Counsel) से परामर्श	10	72
6	उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का आयुक्त द्वारा अंतिम निर्णय	3	75
7	अपील फ़ोल्डर को स्थायी अधिवक्ता को अपील ज्ञापन का मसौदा तैयार करने हेतु भेजना	1	76
8	अधिवक्ता द्वारा अपील ज्ञापन का मसौदा तैयार करना	30	106
9	अधिवक्ता से अपील ज्ञापन प्राप्त करना, परीक्षण करना, संलग्नकों सहित सेट तैयार	10	116

	करना तथा दाख़िले हेतु स्थायी अधिवक्ता को भेजना		
10	उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में वास्तविक दाख़िला	2	118
11	डायरी/लॉजिंग नंबर की सूचना आयुक्त के कार्यालय को देना तथा संबंधित अभिलेखों और रजिस्टरों में प्रविष्टि करना	2	**कुल 120**

78. कर अधिकारियों / अपीलीय प्राधिकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

परिपत्र संख्या 132/02/2020-GST, दिनांक 18 मार्च, 2020:

- वर्तमान में, अपीलीय अधिकरण में आवेदन करने की निर्धारित समय सीमा उस तिथि से गिनी जाएगी जिस दिन अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष पदभार ग्रहण करते हैं।
- अपीलीय प्राधिकारी आदेश पारित करते समय प्रस्तावना (preamble) में यह उल्लेख कर सकते हैं कि अपील, अपीलीय अधिकरण के गठन के बाद, अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन माह के भीतर की जा सकती है।
- अपीलीय प्राधिकारी सभी लंबित अपीलों का शीघ्र निपटारा करें और अपीलीय अधिकरण के गठन की प्रतीक्षा न करें।

परिपत्र संख्या 172/04/2022-GST, दिनांक 06.07.2022:

- इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग, जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी कर के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

परिपत्र संख्या 224/18/2024-GST, दिनांक 11 जुलाई, 2024:

- ऐसे मामलों में, जहाँ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने निर्णायक प्राधिकारी द्वारा जारी मांग की पुष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से कर दी है, करदाता वर्तमान में उस अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी अपीलीय अधिकरण अभी कार्यरत नहीं है।

परिपत्र संख्या 207/1/2024-GST, दिनांक 26.06.2024 - मौद्रिक सीमा निर्धारित करने के सिद्धांत:

- धारा 112(9) के अनुसार, यदि करदाता ने पूर्व-निक्षेप (pre-deposit) का भुगतान कर दिया है, तो वसूली की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।
- कर अधिकारी वसूली की कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेंगे, यदि करदाता अपील करना चाहता है, पूर्व-निक्षेप का भुगतान कर चुका है और इस प्रभाव का एक उपबंध (undertaking) दायर करता है कि वह अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील दायर करेगा।

79 .आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए की बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के साथ तुलना

क्र. सं.	**जाँच के दौरान कार्रवाई**	**सीजीएसटी अधिनियम की धाराएँ**	**विषय**	**आईपीसी/सीआरपीसी की धाराएँ**	**नए कानून की संबंधित धाराएँ**	**जीएसटी अपराधों की जाँच के संबंध में नए कानून में कोई बदलाव, यदि हो तो ध्यान देने योग्य**
				IPC	CrPC	BNS
1	समन	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70	सार्वजनिक सेवक से आदेश की अवज्ञा में गैर-हाजिरी	174		208
			झूठे साक्ष्य के लिए दंड	193		229
			न्यायिक कार्यवाही में बैठे सार्वजनिक सेवक का जानबूझकर अपमान या बाधा	228		267
2	बयान की रिकॉर्डिंग	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70	अधिकृत सार्वजनिक सेवक को उत्तर देने से मना करना	179		214

			बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करना	180		215
			इकबालिया बयान और वक्तव्यों की रिकॉर्डिंग		164	
3	तलाशी एवं जब्ती	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67(2)	उस स्थान की तलाशी जहाँ गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति ने प्रवेश किया है		47	
			बंद स्थान के प्रभारी व्यक्तियों को तलाशी की अनुमति देना		100	
			पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी		165	
			जब कानून द्वारा सहायता देने के लिए बाध्य होने पर भी सार्वजनिक सेवक की सहायता न करना	187		222
4	गिरफ्तारी	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69(3)	गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य		41B	
			पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार		41D	
			गिरफ्तारी कैसे की जाए		46	
			उस स्थान की तलाशी जहाँ गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति ने प्रवेश किया है		47	
			अनावश्यक बंधन न लगाना		49	

			गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना		50	
			गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का दायित्व कि गिरफ्तारी के बारे में रिश्तेदार या मित्र को सूचित करे		50A	
			गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी		51	
			आक्रामक हथियार जब्त करने की शक्ति		52	
			पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सक द्वारा अभियुक्त की चिकित्सीय जांच		53	
			चिकित्सक द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच		54	
			गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा		55A	
			गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश करना		56	
			गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक हिरासत में न रखना		57	
			भाग जाने पर पीछा करके पुनः गिरफ्तार करने की शक्ति		60	
			गिरफ्तारी संहिता के अनुसार ही की जानी चाहिए		60A	

5	अभियोजन	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(6)/134	मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान		190	

80.संशोधन (वित्त अधिनियम, 2024, 2025)

पिछले संस्करण के बाद से किए गए संशोधन यहाँ आसान संदर्भ के लिए दिए गए हैं।

शुरुआत में, व्यापार के लिए आम माफी योजनाओं की मुख्य बातें -

- **आम माफी योजना** - धारा 128A नया जोड़ा गया है, जिसमें 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की कर अवधियों के लिए धारा 73 के अंतर्गत उठाई गई मांगों से संबंधित ब्याज या दंड या दोनों की छूट प्रदान की गई है।
- **व्यापार सुविधा** - धारा 16 में उप-धारा (5) और (6) जोड़ी गई हैं, जिनके द्वारा 2017-18 से 2020-21 की कर अवधियों के लिए आईटीसी प्राप्त करने की समयसीमा 30 नवम्बर 2021 तक बढ़ाई गई।
- **एक और व्यापार सुविधा** - धारा 74 के अंतर्गत अदा किए गए कर के संबंध में आईटीसी प्राप्त करने पर 2023-24 की कर अवधि तक प्रतिबंध लगाया गया। 2024-25 से आगे इस तरह का कोई आईटीसी प्रतिबंध नहीं है। धारा 129 (माल की हिरासत) और धारा 130 (माल की जब्ती) के अंतर्गत अदा किए गए कर के संबंध में आईटीसी प्राप्त करने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है।

वित्त अधिनियम, 2024 (8 का 2024), दिनांक 15 फरवरी 2024 के अनुसार संशोधन

प्रभावी: 1 अक्टूबर 2024 से

संबंधित धारा (FA 2024)	CGST अधिनियम की संबंधित धारा	संशोधन का संक्षेप

13	नई धारा 122A का समावेश	विशेष प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली कुछ मशीनों का पंजीकरण न करने पर दंड। उदाहरण: अधिसूचना संख्या 4/2024-CT, दिनांक 05 जनवरी 2024 में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माताओं के लिए पैकिंग मशीनों का विवरण प्रस्तुत करने की विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

प्रभावी: 1 अप्रैल 2025 से

संबंधित धारा (FA 2024)	CGST अधिनियम की संबंधित धारा	संशोधन का संक्षेप
11	धारा 2(61)	"इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर" की परिभाषा में संशोधन।
12	धारा 20 का प्रतिस्थापन	इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा क्रेडिट के वितरण की पद्धति।

वित्त (द्वितीय) अधिनियम, 2024 (15 का 2024), दिनांक 16.08.2024 के अनुसार संशोधन

27 सितम्बर 2024 से प्रभावी संशोधन

संबंधित धारा (FA 2024)	CGST अधिनियम की संबंधित धारा	संशोधन का संक्षेप
118	इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता और शर्तें	नई उप-धाराएँ 16(5) और (6) जोड़ी गईं। विशेष प्रावधान जोड़ा गया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि से संबंधित चालान/डेबिट नोट के लिए, आईटीसी 30 नवम्बर 2021 तक दायर किसी भी रिटर्न में लिया जा सकता है। रद्द किए गए पंजीकरण की बहाली के मामले में आईटीसी लेने की समय सीमा हेतु विशेष प्रावधान जोड़ा गया।

142	109 (जीएसटी अपीलीय अधिकरण और इसकी पीठों का गठन)	जीएसटी अपीलीय अधिकरण की प्रधान पीठ के दायरे का विस्तार कर एंटी-प्रॉफिटियरिंग से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया।
148	171 (एंटी-प्रॉफिटियरिंग)	वह दिनांक अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया, जिसके बाद एंटी-प्रॉफिटियरिंग संबंधी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
150	कोई संबंधित प्रावधान नहीं	संशोधन किया गया है कि यदि कोई कर चुका दिया गया है या आईटीसी रिवर्स कर दिया गया है, या यदि FA 2024 की धारा 118 हर समय प्रभावी रही है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

1 नवम्बर 2024 से प्रभावी संशोधन

संबंधित धारा (FA 2024)	CGST अधिनियम की संबंधित धारा	संशोधन का संक्षेप
114	9 (लेवी और वसूली)	'अविकृत अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल या मानव उपभोग हेतु मादक पेय बनाने के लिए प्रयुक्त रेक्टिफाइड स्पिरिट' को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया।
116	नई धारा 11A	सरकार को उद्योग प्रथा के रूप में अल्प भुगतान/अभुगतान की स्थिति में जीएसटी माफ करने का अधिकार देने के लिए नई धारा डाली गई।
117	13 (सेवाओं की आपूर्ति का समय)	उन सेवाओं की आपूर्ति का समय, जहाँ रिवर्स चार्ज के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को चालान जारी करना आवश्यक है, चालान जारी करने की तिथि होगी।
119	17 (क्रेडिट का वितरण और ब्लॉक्ड क्रेडिट्स)	धारा 74 के अंतर्गत चुकाए गए कर पर आईटीसी FY 2023-24 तक ही सीमित रहेगा (धोखाधड़ी/जानबूझकर गलत बयानी/तथ्यों को दबाने के मामलों में)।

		धारा 129 (माल की हिरासत) और धारा 130 (माल की जब्ती) के अंतर्गत चुकाए गए कर पर आईटीसी लेने का प्रतिबंध हटा दिया गया।
122	31 (कर चालान)	रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपूर्ति के मामले में सेल्फ-इनवॉइस जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का प्रावधान जोड़ा गया।
124	39 (रिटर्न दाखिल करना)	टीडीएस रिटर्न मासिक आधार पर दाखिल करने का प्रावधान किया गया, चाहे किसी माह में टीडीएस काटा गया हो या नहीं।
128	54 (कर की वापसी)	उन वस्तुओं पर आईटीसी या आईजीएसटी रिफंड लेने पर रोक, जो निर्यात शुल्क के अधीन हैं और जिन्हें शून्य दर आपूर्ति के रूप में निर्यात किया गया है।
135	70 (गवाह देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तियों को समन करने की शक्ति)	समन कार्यवाही में अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने का अधिकार दिया गया।
136	73	केवल FY 2023-24 तक की अवधि के लिए ही कर निर्धारण पर लागू होगा, जहाँ धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी/तथ्यों को दबाना नहीं है।
137	74	केवल FY 2023-24 तक की अवधि के लिए ही कर निर्धारण पर लागू होगा, जहाँ धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को दबाना है।
138	नई धारा 74A	सामान्य निर्णय की धारा डाली गई, जिसमें 42 माह की समय सीमा होगी, चाहे धोखाधड़ी/गलत बयानी/तथ्यों को दबाना शामिल हो या नहीं। परंतु धोखाधड़ी/गलत बयानी/तथ्यों को दबाने के मामलों में अधिक दंड रहेगा (FY 2024-25 से प्रभावी)।
141	107 (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील)	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु सीजीएसटी पर पूर्व-निक्षेप की अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये की गई।

143	112 (अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील)	वह दिनांक अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया, जिससे अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने की समय सीमा प्रारंभ होगी। अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु सीजीएसटी पर पूर्व-निक्षेप की सीमा विवादित राशि के 20% से घटाकर 10% की गई। साथ ही, अधिकतम पूर्व-निक्षेप सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये की गई।
146	नई धारा (आम माफी योजना)	धारा 128A जोड़ी गई, जिसके तहत 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए कुछ परिदृश्यों में उठाई गई मांगों पर ब्याज और दंड की सशर्त छूट दी जाएगी। पहले से चुकाए गए ब्याज और दंड की वापसी नहीं होगी।
147	140 (इनपुट टैक्स क्रेडिट की संक्रमणकालीन व्यवस्था)	1 जुलाई 2017 से पहले प्राप्त सेवाओं पर संक्रमणकालीन आईटीसी वितरित की जा सकती है, बशर्ते इनवॉइस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को उक्त तिथि से पहले प्राप्त हुआ हो।
149	अनुसूची III	निम्नलिखित गतिविधियों को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति नहीं माना जाएगा: — सह-बीमाकर्ता को मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमा प्रीमियम का बंटवारा, कुछ शर्तों के अधीन। — बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को प्रदान की गई सेवाएँ, जिनके लिए पुनर्बीमा प्रीमियम से पुनर्बीमा कमीशन घटाया जाता है, कुछ शर्तों के अधीन। संबंधित संशोधन IGST अधिनियम, 2017, केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 और क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 में भी किए गए, जो 1 नवम्बर 2024 से प्रभावी होंगे।

IGST अधिनियम, 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में किए गए संबंधित संशोधन भी अधिसूचित किए गए हैं, जो 1 नवम्बर 2024 से प्रभावी होंगे।

वित्त अधिनियम, 2025 (दिनांक 29.03.2025) के अनुसार संशोधन

संशोधित धारा	संशोधन
धारा 2(61) - इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में संशोधन	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) और 5(4) के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति का संदर्भ शामिल कर, आईएसडी के अंतर्गत अंतरराज्यीय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) लेनदेन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया।
धारा 2(69) खंड (c) - स्थानीय प्राधिकरण में संशोधन	पहले, खंड (c) "स्थानीय प्राधिकरण" को परिभाषित करता था और स्थानीय निधि व नगरपालिका निधि जैसे कोषों का संदर्भ देता था, बिना विस्तृत परिभाषा के।
स्पष्टीकरण का समावेश	धारा 2(69) के खंड (c) के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जिससे "स्थानीय निधि" और "नगरपालिका निधि" शब्दों की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। "स्थानीय निधि" का अर्थ है कोई भी निधि जो स्थानीय स्वशासी निकाय के नियंत्रण या प्रबंधन के अंतर्गत है, जो पंचायत क्षेत्र से संबंधित नागरिक कार्यों के निर्वहन हेतु स्थापित की गई है और जिसे किसी भी नाम से कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस लगाने, संग्रह करने और विनियोजित करने के अधिकार विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं। "नगरपालिका निधि" का अर्थ है कोई भी निधि जो स्थानीय स्वशासी निकाय के नियंत्रण या प्रबंधन के अंतर्गत है, जो महानगरीय क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित नागरिक कार्यों के निर्वहन हेतु स्थापित की गई है और जिसे किसी भी नाम से कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस लगाने, संग्रह करने और विनियोजित करने के अधिकार विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं।
"विशिष्ट पहचान अंकन" की परिभाषा का समावेश - धारा 2(116A)	"विशिष्ट पहचान अंकन" का अर्थ है धारा 148A(2)(b) में संदर्भित विशिष्ट पहचान अंकन और इसमें डिजिटल स्टाम्प, डिजिटल मार्क या कोई अन्य समान अंकन शामिल है, जो अद्वितीय, सुरक्षित और अपसारणीय नहीं है।

नई धारा 148A का समावेश	यह एक सक्षम प्रावधान है जो सरकार को निर्दिष्ट कर-चोरी प्रवृत्त वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू करने का अधिकार देता है।
धारा 17(5) में संशोधन	"प्लांट या मशीनरी" को "प्लांट एंड मशीनरी" से प्रतिस्थापित किया गया। एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया - यह स्पष्ट करने हेतु कि "प्लांट या मशीनरी" को हमेशा "प्लांट एंड मशीनरी" के रूप में समझा जाएगा, भले ही पूर्व में कोई निर्णय, आदेश या डिक्री कुछ और संकेत करता हो। यह स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा और किसी भी विरोधाभासी न्यायिक व्याख्या पर प्राथमिकता रखेगा।
धारा 20 में संशोधन - आईएसडी द्वारा क्रेडिट के वितरण की विधि	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति का संदर्भ शामिल कर, आईएसडी के अंतर्गत अंतरराज्यीय आरसीएम लेनदेन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। इसी प्रकार अन्य धाराओं में भी समान संशोधन प्रस्तावित है। प्रभावी तिथि 01.04.2025 से।
धारा 34(2) के प्रावधान में संशोधन - आपूर्तिकर्ता की आउटपुट टैक्स देयता	संशोधन से पहले, आपूर्तिकर्ता क्रेडिट नोट जारी होने पर अपनी आउटपुट टैक्स देयता घटा सकता था। **संशोधित प्रावधान:** अब कटौती तभी मान्य होगी जब - (i) प्राप्तकर्ता ने आईटीसी को रिवर्स किया हो; अन्यथा आपूर्तिकर्ता कटौती का दावा नहीं कर सकता। (ii) कर का भार किसी तीसरे पक्ष पर स्थानांतरित न किया गया हो।
धारा 38 में संशोधन - आंतरिक आपूर्तियों का विवरण प्रस्तुत करना	प्रावधानों को संशोधित कर कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है ताकि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) के तहत ऑटो-पॉपुलेटेड विवरण पर करदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर इनवर्ड रिपोर्ट बनाई जा सके।
धारा 39 में संशोधन - रिटर्न दाखिल करना	संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि समय सीमा के अतिरिक्त सरकार रिटर्न दाखिल करने हेतु शर्तें और प्रतिबंध भी निर्धारित कर सकती है।
धारा 107(6) में संशोधन	केवल दंड से संबंधित विवादों में अपील दायर करने हेतु प्री-डिपॉज़िट को 25% से घटाकर 10% किया गया। यह प्रावधान धारा 129(3) के अंतर्गत दंड संबंधी मामलों पर लागू है।

धारा 112(8) में संशोधन	एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके अनुसार केवल दंड की मांग वाले मामलों में अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु 10% प्री-डिपॉज़िट करना होगा।
नई धारा 122B का समावेश	ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म का उल्लंघन करने वाले पर अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा: (i) ₹1,00,000 या (ii) ऐसे माल पर देय कर का 10% **जो अधिक हो।** यह दंड अन्य दंडों के अतिरिक्त होगा।
नई धारा 148A - ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म	निर्दिष्ट वस्तुओं पर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू करने का प्रावधान। इससे संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं की निगरानी एवं कर-चोरी की रोकथाम होगी।
अनुसूची III में संशोधन	अनुसूची III के पैरा 8 में नया खंड (aa) जोड़ा गया (01.07.2017 से प्रभावी)। इसके तहत - एसईजेड या फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग ज़ोन (FTWZ) में रखे गए माल को निर्यात या डीटीए में क्लीयरेंस से पूर्व किए गए लेन-देन को वस्तु या सेवा की आपूर्ति नहीं माना जाएगा।
अनिवार्य 10% प्री-डिपॉज़िट	धारा 107(6) और धारा 112(8) दोनों में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि केवल दंड की मांग वाले मामलों में अपीलीय प्राधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने हेतु 10% अनिवार्य प्री-डिपॉज़िट करना होगा।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12(4) और 13(4) का विलोपन, जो वाउचर से संबंधित है:

पूर्व परिदृश्य: धारा 12(4) और धारा 13(4) के प्रावधान, 2017 के सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत, वाउचर के मामले में आपूर्ति का समय प्रदान करते हैं, अर्थात्

धारा	परिस्थिति	आपूर्ति का समय
धारा 12(4): वस्तुओं के बदले विनिमेय वाउचर के मामले में आपूर्ति का समय	आपूर्ति उस बिंदु पर पहचानी जा सकती है जिस पर वाउचर पहचाना गया है	वाउचर जारी करने की तिथि।

	आपूर्ति उस बिंदु पर पहचानी नहीं जा सकती जिस पर वाउचर पहचाना गया है	वाउचर के भुनाने (रिडेम्प्शन) की तिथि।
धारा 13(4): वाउचर के मामले में सेवाओं की आपूर्ति का समय	आपूर्ति उस बिंदु पर पहचानी जा सकती है जिस पर वाउचर पहचाना गया है	वाउचर जारी करने की तिथि।
	आपूर्ति उस बिंदु पर पहचानी नहीं जा सकती जिस पर वाउचर पहचाना गया है	वाउचर के भुनाने (रिडेम्प्शन) की तिथि।

होटल उद्योग पर अद्यतन:

- घोषित टैरिफ की अवधारणा को हटा दिया गया है।
- जीएसटी वास्तविक वसूल की गई राशि के आधार पर लगाया जाएगा।
- जो होटल ₹7,500/- प्रति यूनिट/दिन से अधिक शुल्क लेते हैं, उन्हें "निर्दिष्ट परिसर" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उन पर रेस्तरां सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा, जिसमें आईटीसी लाभ मिलेगा।

81.जीएसटी में महत्वपूर्ण परिपत्र/निर्देश/फॉर्म

(देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें)

क्रम संख्या	विवरण
1	वित्त वर्ष 2019-20 से आगे की रिटर्न की जांच (Scrutiny) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
2	जीएसटी की रिफंड पर मास्टर परिपत्र
3	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अंतर्गत समन जारी करने के लिए दिशानिर्देश

4	तलाशी अभियान के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में निर्देश/दिशानिर्देश
5	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 83 के अंतर्गत संपत्ति के अस्थायी संलग्नक के लिए दिशानिर्देश
6	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से संबंधित गिरफ्तारी और जमानत के लिए दिशानिर्देश
7	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत अभियोजन शुरू करने के लिए दिशानिर्देश
8	राजस्व की बकाया राशि की वसूली और लिख-ऑफ (Write-Off) पर मास्टर परिपत्र
9	नियमित करदाताओं के साथ जांच में संलग्न होने के दौरान व्यापार करने में आसानी बनाए रखने हेतु सीजीएसटी फील्ड संरचनाओं के लिए दिशानिर्देश - दिनांक 30.03.2024
10	मांग आदेश की सेवा की तिथि से तीन माह से पूर्व वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए दिशानिर्देश - दिनांक 30.05.2024

82.कारण बताओ नोटिस (SCN) का मसौदा :

1. प्रस्तावना

- कारण बताओ नोटिस (SCN) जाँच/कार्यवाही की शुरुआत से लेकर निष्कर्ष तक हमारे प्रयासों का परिणाम है।
- SCN जारी करना वैधानिक आवश्यकता है।
- यह कर देयता या दंडात्मक कार्रवाई (सिविल कार्यवाही) के विवाद के निपटारे का मूल दस्तावेज़ है।
- SCN का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निर्गमन अधिकारी की ज़िम्मेदारी है।
- SCN किसी भी कानूनी कार्यवाही की शुरुआत है, इसलिए इसे तैयार करने में विशेष सावधानी आवश्यक है।

SCN के विभिन्न भाग

भाग-I: खुफिया सूचना/ऑडिट आपत्ति/संदर्भ की प्राप्ति

- पृष्ठभूमि का उल्लेख कि कार्यवाही कैसे प्रारंभ हुई।
- मामला किस आधार पर है:
    - खुफिया सूचना,
    - ऑडिट आपत्ति,
    - रिटर्न की जाँच में विसंगति,
    - अन्य विभाग/DRI/DGCEI/विजिलेंस/ऑडिट से प्राप्त संदर्भ।
- नोटिसी का नाम, इकाई/आयातक/निर्यातक/डीलर का विवरण।
- कथित अपराधी द्वारा अपनाए गए ड्यूटी चोरी के तौर-तरीके।
- विवरण इतना पर्याप्त हो कि आगे की जाँच को उचित ठहराया जा सके।

भाग-II: खुफिया सूचना/ऑडिट आपत्ति/संदर्भ पर प्रारंभिक कार्रवाई

- खुफिया सूचना/इनपुट/संदर्भ मिलने के बाद की गई कार्रवाई।
- प्रकार की कार्रवाई:
    - तलाशी (स्थान का विवरण और परिणाम),
    - संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करना,

- बैंक/अन्य विभाग से जानकारी लेना।
- यदि कंप्यूटर जब्त हुआ है तो विशेषज्ञ द्वारा जाँच और आपत्तिजनक दस्तावेज़ों की बरामदगी का उल्लेख।
- पंचनामा, समन, बयान, दस्तावेज़ों को RUD बनाना।
- आपत्तिजनक दस्तावेज़ बयान दर्ज करते समय दिखाना और नोटिसी की व्याख्या दर्ज करना।

भाग-III: आगे की जाँच का विवरण

- आगे की जाँच के लिए उठाए गए कदम:
  - जब्त की गई वस्तुएँ और उनकी अस्थायी रिहाई।
  - परीक्षण हेतु भेजे गए नमूने और उनका परिणाम।
  - गिरफ्तारी और उसके बाद की कार्यवाही।
  - न्यायालयीन कार्यवाही (जैसे समन अनुपालना न करना)।
  - वसूल योग्य अंतर शुल्क और उसकी गणना।

भाग-IV: जाँच का सारांश

- अब तक की गई जाँच का सारांश:
  - तलाशी,
  - बयान,
  - बाजार जाँच,
  - नमूने की जाँच,
  - जब्ती/अस्थायी रिहाई के बाद उभरी तथ्यात्मक स्थिति।

भाग-V: प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

- प्रासंगिक धाराएँ, नियम, अधिसूचनाएँ, परिपत्र, विभागीय निर्देश आदि का उल्लेख।

भाग-VI: नोटिसी का आचरण बनाम वैधानिक आवश्यकता

- नोटिसी के आचरण और वैधानिक आवश्यकताओं का तुलनात्मक अध्ययन।
- प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका और अधिनियम के उल्लंघन का उल्लेख।
- यदि पाँच वर्षों की विस्तारित अवधि हेतु माँग उठाई गई है, तो कारण स्पष्ट करना।

- धोखाधड़ी, तथ्यों को छिपाना, मिथ्या विवरण या जानबूझकर उल्लंघन को स्पष्ट करना।
- "Mens rea" (दोषपूर्ण मानसिकता) को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य का उल्लेख।

भाग-VII: चार्जिंग पैरा

- नोटिसी से कारण बताने के लिए कहना कि प्रतिकूल कार्रवाई क्यों न की जाए।
- उल्लेख कि SCN का उत्तर किस प्राधिकृत अधिकारी (पदनाम और कार्यालय पते सहित) को देना है।
- प्रस्तावित कार्रवाई:
    - जब्त वस्तुओं की जब्ती,
    - ड्यूटी/कर की माँग ब्याज सहित,
    - जाँच के दौरान जमा राशि का समायोजन,
    - दंड का प्रस्ताव (पार्टी और व्यक्तियों पर)।
- प्रासंगिक अधिनियम की धाराओं का उल्लेख।
- प्री-डिपॉजिट की गई राशि का समायोजन।
- SCN में यह स्पष्ट करना कि कौन-सा प्राधिकारी (पदनाम से) इसका निपटारा करेगा।

भाग-VIII: तीन मानक पैराग्राफ (हर SCN का हिस्सा)

- नोटिसी को 30 दिनों के भीतर लिखित उत्तर देने को कहना।
- समय पर उत्तर न देने पर SCN का एकतरफा निपटान।
- नोटिसी को दस्तावेज़/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहना।
- नोटिसी से लिखित रूप में पूछना कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है।
- यह उल्लेख कि यह SCN अन्य किसी कार्रवाई के अधिकारों को प्रभावित किए बिना जारी हुआ है।

भाग-IX: प्रयुक्त दस्तावेज़ों (RUDs) की सूची

- सभी RUDs को क्रमवार संख्या देना (RUD-1, RUD-2 …)।
- प्रत्येक दस्तावेज़ की पूरी प्रति संलग्न करना।
- आंशिक पन्ने संलग्न करना गलत प्रथा है।
- बयान को यदि RUD बनाया गया है, तो उस समय दिखाए गए दस्तावेज़ों को भी उसका हिस्सा बनाना।
- नोटिसी को मूल दस्तावेज़ देखने का विकल्प देना और उसका रिकार्ड रखना।

भाग-X: नोटिसियों का निर्धारण

- उन सभी नोटिसियों का नाम और पता स्पष्ट और सही रूप से उल्लेखित होना चाहिए जिन्हें नोटिस भेजा जाना है।
- कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की भूमिका SCN में वर्णित होने के बावजूद उसे नोटिसी नहीं बनाया जाता, ऐसे दोषों से बचना चाहिए।
- ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी और व्यक्ति अलग-अलग हैं और दोनों को अलग-अलग नोटिसी बनाया जाना चाहिए (सिवाय प्रोपाइटरशिप फर्म के मामले में)।

भाग-XI: गैर-RUDs या ज़ब्त कंप्यूटर की वापसी (यदि आगे की जाँच या आपराधिक कार्यवाही के लिए आवश्यक न हो)

- गैर-RUDs या ज़ब्त कंप्यूटर उस व्यक्ति को लौटा दिए जाने चाहिए जिससे वे प्राप्त किए गए थे।
- यदि संभव हो, SCN में ही नोटिसी को गैर-RUDs/कंप्यूटर वापस लेने का अवसर दिया जा सकता है।
- गैर-RUDs/कंप्यूटर की वापसी से संबंधित साक्ष्य फाइल में रखा जाना चाहिए और यदि संभव हो, तो SCN के साथ RUDs भेजते समय इसे भी निर्णायक प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए।

कारण बताओ नोटिस (SCN) की सेवा

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 153 या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37C (जिसे सेवा कर पर भी लागू किया गया है - वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के तहत) के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।
- सुनिश्चित करें कि SCN नोटिसी को SCN जारी करने की अंतिम तिथि से पहले पहुँचा दिया जाए।
- SCN की सेवा/डिलीवरी का प्रमाण फाइल में रखा जाए और उसकी प्रति निर्णायक प्राधिकारी को भी भेजी जाए।

SCN जारी करते समय ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण बातें

- SCN उसी प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी हो जो इसे निपटाने के लिए सक्षम हो।

- किस स्तर का निर्णायक प्राधिकारी (सुपरिंटेंडेंट/AC/DC/JC/ADC/कमिश्नर) होगा, यह तय करने के लिए विभागीय परिपत्र/निर्देशों में निर्धारित मौद्रिक सीमाओं को देखें।
- क्या विस्तारित सीमा अवधि लागू की जा रही है? यदि हाँ, तो उसके आधार SCN में स्पष्ट रूप से लिखे जाएँ।
- SCN जारी करने की अंतिम तिथि क्या है? इसे ड्राफ्ट SCN अनुमोदन हेतु भेजते समय फाइल में स्पष्ट लिखा जाए।
- यदि जाँच में अन्य संबद्ध कानूनों (जैसे आयकर/विक्रय कर आदि) का उल्लंघन पाया जाता है, तो SCN की प्रति RUDs सहित संबंधित विभाग को भी भेजी जाए।
- यह भी देखें कि मामला REIC (Regional Economic Intelligence Council) को भेजे जाने योग्य है या नहीं। यदि मामला जाली दस्तावेज़ बनाने जैसे आपराधिक कृत्य का है, जो सरकार को गंभीर राजस्व/धन हानि पहुँचाता है, तो इसे CBI/पुलिस जैसे विभागों के साथ साझा किया जा सकता है।
- क्या मामला बिना SCN के निर्णय की प्रतीक्षा किए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने योग्य है? यदि हाँ, तो अपराधियों के खिलाफ अभियोजन प्रारंभ किया जाए।
- क्या मामला केंद्रीय उत्पाद शुल्क चोरी के मामले में निवारक कार्रवाई योग्य है? यदि हाँ, तो जाँच शुरू होने की तिथि से एक माह के भीतर क्षेत्रीय प्रधान आयुक्त को निवारक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा जाए।

SCN के लिए चेकलिस्ट

- क्या नोटिसी का नाम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या/सेवा कर पंजीकरण संख्या/ आयात-निर्यात कोड (IEC) और पूरा पता लिखा गया है?
- क्या नोटिसी निर्माता/डीलर/सेवा प्रदाता/सेवा प्राप्तकर्ता/ आयातक/ निर्यातक/ गोदाम मालिक/EOU/SEZ इकाई है, इसका उल्लेख किया गया है?
- क्या नोटिसी प्रोपाइटरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/कॉर्पोरेट बॉडी है, इसका उल्लेख किया गया है?
- क्या नोटिसी की प्राथमिक गतिविधि (जैसे - किस प्रकार का उत्पादन) का उल्लेख किया गया है?
- क्या खुफिया सूचना/जानकारी का सार SCN में दिया गया है?
- क्या विस्तारित सीमा अवधि लागू करने के कारण SCN में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं?
- क्या माँगी गई ड्यूटी की गणना स्पष्ट रूप से बताई गई है?
- क्या गणना से संबंधित दस्तावेज़ों का उल्लेख और उन्हें RUD बनाया गया है?

- क्या RUDs की सूची विवरण और पेज नंबर सहित SCN के साथ संलग्न है?
- क्या RUDs स्पष्ट और सही तरह से फोटोकॉपी किए गए हैं?
- क्या SCN को उस निर्णायक प्राधिकारी ने अनुमोदित किया है जो इसे निपटाने के लिए सक्षम है?
- क्या गैर-RUDs वापस कर दिए गए हैं? यदि नहीं, तो SCN जारी होने के तुरंत बाद लौटाए जाएँ।
- उपरोक्त जाँच सूची केवल उदाहरणार्थ है, संपूर्ण नहीं।

SCN अनुमोदन से पहले/अनुमोदन के समय की अन्य आवश्यक जाँच

- अक्सर कहा जाता है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा खराब गुणवत्ता का SCN जारी करना ही विभाग द्वारा अपील/ट्रिब्यूनल में मामलों के हारने का प्रमुख कारण है।
- इसलिए, ड्राफ्ट SCN वरिष्ठ अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजने से पहले या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदन करते समय निम्न बिंदुओं पर पुनः जाँच की जाए।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन

सभी निर्णायक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

- **प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत:**
  - कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
  - किसी को भी बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता।
- **SCN में इन सिद्धांतों की जाँच:**
  - क्या निर्णायक प्राधिकारी मामले में केवल पर्यवेक्षी भूमिका से अधिक किसी अन्य क्षमता में शामिल रहा है (जैसे - पंचनामा या बयान दर्ज करना)? यदि हाँ, तो व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप लग सकता है।
  - क्या आरोपित व्यक्ति को अपनी सफाई/व्याख्या देने का अवसर दिया गया?
  - क्या नोटिसी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज़/साक्ष्य रिकॉर्ड में लिए गए हैं? यदि नहीं, तो पक्षपात का आरोप लग सकता है।
  - SCN में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे नोटिसी “व्यक्तिगत पक्षपात” का आरोप लगा सके। अन्यथा, SCN निरस्त हो सकता है।

B.दस्तावेज़ों / ज़ब्त कंप्यूटर की अनुपलब्धता / हानि

- जाँच के दौरान कई दस्तावेज़, कंप्यूटर आदि जाँच अधिकारियों द्वारा ज़ब्त किए जाते हैं।
- इनमें से कुछ दस्तावेज़ों पर SCN में लगाए गए आरोपों का समर्थन करने के लिए भरोसा किया जाता है।
- जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा नहीं किया गया है, उन्हें उस पक्ष को वापस कर देना चाहिए जिससे वे प्राप्त हुए थे।

SCN निम्न परिस्थितियों में प्रभावित हो सकता है:

- कोई भी ज़ब्त दस्तावेज़ जिस पर भरोसा नहीं किया गया है, यदि उसे उसके मालिक को वापस नहीं किया गया।
- कोई दस्तावेज़ यदि फाइल के गुम हो जाने आदि के कारण खो गया हो। ऐसी स्थिति में नोटिसी इसे वापस माँग सकता है क्योंकि यह SCN के विरुद्ध अपनी सफाई तैयार करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- यदि किसी ज़ब्त कंप्यूटर से दस्तावेज़ बरामद किए गए हैं और नोटिसी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि उनकी **साक्ष्यात्मक वैधता बनाए रखने की आवश्यक प्रक्रिया** का पालन किया गया हो। अन्यथा ऐसे साक्ष्य की वैधता समाप्त हो सकती है और SCN कमज़ोर हो सकता है।

बयान / पंचनामा की गहन जाँच

- कानून के अंतर्गत बयान गज़टेड अधिकारी के समक्ष दर्ज किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि जाँच के दौरान दर्ज बयान और जिस पर भरोसा किया गया है, अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों और उसके हस्ताक्षर के नीचे नाम भी हो।
- यदि बयान गज़टेड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, तो वह बयान वैध नहीं है और कानून की दृष्टि में उसकी कोई क़ीमत नहीं है।
- तलाशी के दौरान उपस्थित गवाह स्वतंत्र होने चाहिए। यदि गवाह स्वतंत्र नहीं हैं, तो पंचनामा कार्यवाही को चुनौती दी जा सकती है।
- कभी-कभी SCN में उद्धृत बयान और वास्तविक बयान में अंतर होता है। अधिकारियों को ड्राफ्टिंग के समय अपनी व्याख्या जोड़ने से बचना चाहिए।
- यह देखें कि बयान को विभाग की व्याख्या से अलग तरह से समझा जा सकता है या नहीं, और इस संभावना से बचने के लिए सावधानी से बयान दर्ज किया जाए।

विभाग द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन

- मामला केवल उन्हीं साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए जो कानूनी तरीके से प्राप्त किए गए हों।
- नोटिसी से इन साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण जाँच के दौरान लिया जाना चाहिए।
- सभी साक्ष्य जिन पर SCN आधारित है, कानूनी तरीके से प्राप्त होने चाहिए।
- आयातित वस्तुओं के कम मूल्यांकन के मामलों में वैल्यूएशन नियमों का पालन क्रमवार होना चाहिए।
- यदि साक्ष्य कानूनी रूप से प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो उनकी वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। उदाहरण: विदेशी कस्टम से बिना किसी परस्पर सहायता समझौते के प्राप्त दस्तावेज़ों की वैधता कम होती है।
- यदि मामला केवल बयानों पर आधारित है, तो ऐसे व्यक्तियों से जिरह (cross-examination) आवश्यक होगा। इसलिए केवल बयानों पर आधारित मामला न बनाकर साक्ष्यों पर आधारित मामला बनाया जाना चाहिए।

SCN जारी करने वाले प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र

- सुनिश्चित करें कि SCN जारी करने वाले अधिकारी के पास क्षेत्राधिकार है। यदि नहीं, तो SCN को क्षेत्राधिकार के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

समय-सीमा से बाहर SCN

- यदि विस्तारित अवधि लागू की जा रही है, तो यह देखा जाए कि आरोप धोखाधड़ी, तथ्यों का दमन, मिथ्या बयान या जानबूझकर कर चोरी का है या नहीं।
- SCN में आरोपों की प्रकृति स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए।
- साक्ष्यों का मूल्यांकन सावधानी से किया जाए और यह सुनिश्चित हो कि उनकी स्वीकार्यता पर प्रश्न न उठ सके।
- कभी-कभी विभाग केवल अपने पक्ष के साक्ष्यों का उपयोग करता है और जो साक्ष्य विभाग के विरुद्ध जाते हैं, उन्हें RUD नहीं बनाता। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और उन दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड पर लाकर SCN में ही उनका प्रतिवाद करना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि SCN सेवा/डिलीवरी के आधार पर चुनौती न दी जा सके। कानून द्वारा निर्धारित सेवा प्रक्रिया का पालन करें और उसका साक्ष्य फाइल में रखें।

माँग का परिमाणीकरण (Quantification of demand)

- नोटिसी से माँगी गई ड्यूटी/कर की गणना सही तरीके से और उचित दस्तावेज़ों पर आधारित हो।
- जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा करके गणना की गई है, उन्हें RUD बनाया जाए।
- दस्तावेज़ों का स्रोत प्रामाणिक होना चाहिए ताकि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठाया जा सके।

SCN का "चार्जिंग पैरा"

- चार्जिंग पैराग्राफ़ को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाए और संबंधित कानून की सही धाराओं का उल्लेख हो।
- यह पैरा SCN की सीमा तय करता है। निर्णायक प्राधिकारी चार्जिंग पैरा से बाहर नहीं जा सकता।

I. विभाग द्वारा SCN में निष्कर्ष निकालना

- SCN की भाषा ऐसी न हो जिससे यह प्रतीत हो कि विभाग ने पहले से ही निष्कर्ष निकाल लिया है।
- “यह स्पष्ट मामला है” / “यह सिद्ध है कि नोटिसी ने कर चोरी की है” जैसे शब्दों का प्रयोग न करें।
- ऐसे शब्द यह दर्शाते हैं कि निर्णायक प्राधिकारी के पास निर्णय करने के लिए कुछ नहीं बचा, और केवल इस आधार पर SCN निरस्त किया जा सकता है।

J. प्रमाण का भार (Burden of Proof)

- सुनिश्चित करें कि प्रमाण का भार विभाग द्वारा पूरा किया गया है।
- सामान्यतः प्रमाण का भार विभाग पर होता है, लेकिन यदि दस्तावेज़ नोटिसी से बरामद किए गए हैं तो उन्हें समझाने का भार नोटिसी पर डाला जा सकता है।
- नोटिसी से बरामद या प्रस्तुत दस्तावेज़ों का स्पष्टीकरण देना नोटिसी की ज़िम्मेदारी है, विभाग की नहीं।

(सौजन्य - NACIN, ZTI, लखनऊ द्वारा संकलन)

83.एक अच्छे निर्णय आदेश (Adjudication Order) का मसौदा तैयार करना

सामान्यतः, किसी भी निर्णय आदेश के निम्नलिखित पृथक भाग होते हैं:

- मामले के संक्षिप्त तथ्य, नोटिसी के विरुद्ध आरोप, उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई आदि, जो विधि के विशिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन एवं उससे संबंधित दंडों से संबंधित हो।
- नोटिसी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन
- व्यक्तिगत सुनवाई एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई प्रस्तुतियाँ
- चर्चा एवं निष्कर्ष {निर्णय प्राधिकारी द्वारा}
- आदेश।

प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक RUD की प्रति नोटिसी को दी गई है और गैर-RUDs को भी नोटिसी को लौटा दिया गया है। आगे यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नोटिसी द्वारा उठाया गया कोई भी मुद्दा अनसुलझा न रह गया हो, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। यह न केवल प्रक्रिया बल्कि निर्णय आदेश (Adjudication Order) को भी प्रभावित कर सकता है।
यह हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि कोई अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो मामला वापस निर्णय प्राधिकारी को पुनः निर्णय (de-novo adjudication) हेतु भेजा जा सकता है, चाहे वह ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही क्यों न हो।

निर्णय और निर्णय आदेश जारी करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में संक्षेपित किया जा सकता है:

चरण संख्या 1: अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक विचार

निर्णय प्राधिकारी को अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों का सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, जैसे:

- मामले के तथ्य।
- प्रत्येक नोटिसी के विरुद्ध साक्ष्य, विधि के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में।
- प्रत्येक नोटिसी के विरुद्ध आरोप।
- प्रत्येक नोटिसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर।
- प्रत्येक नोटिसी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किए गए निर्णय (मुद्दावार)।

- व्यक्तिगत सुनवाई का अभिलेख - सुनवाई के दौरान नोटिसी द्वारा प्रस्तुत नए दस्तावेज़ {जो विभाग के ज्ञान में पहले न हों}।
- मामले से संबंधित विधिक प्रावधानों को सावधानी से पढ़ना। यदि विधिक प्रावधान समय-समय पर संशोधित हुए हैं, तो उस प्रावधान पर विचार करना जो संबंधित अवधि में प्रभावी था (यानी मामले दर्ज होने के समय प्रभावी प्रावधान)।

चरण संख्या 2: तय किए जाने वाले मुद्दों की सूची बनाना [तथ्यों और विधि प्रावधानों के संदर्भ में]

- अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, निर्णय प्राधिकारी को उन सभी मुद्दों की सूची बनानी चाहिए जिनका निर्णय विवादित मामले में करना है।
- कभी-कभी, विभाग द्वारा नोटिसी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के अतिरिक्त, कुछ मुद्दे जैसे SCN जारी करने वाले प्राधिकारी का अभाव, निर्णय प्राधिकारी का अभाव, SCN का समय-सीमा से बाहर होना, SCN की समय पर डिलीवरी न होना, RUDs की प्रतियां न देना, गैर-RUDs को वापस न करना आदि भी नोटिसी द्वारा उठाए जाते हैं।
- यदि ऐसा है, तो निर्णय प्राधिकारी को इन मुद्दों पर भी विचार करना और अपना निष्कर्ष एवं आदेश देना आवश्यक है।
- निर्णय प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक RUD की प्रति नोटिसी को दी गई है और गैर-RUDs उस नोटिसी को लौटा दिए गए हैं जिनसे उन्हें जाँच के दौरान लिया गया था।

चरण संख्या 3: उन मुद्दों का पृथक्करण करना जिन पर विभाग और पक्षकार के बीच विवाद नहीं है

- सभी मुद्दों की सूची बनाने के बाद, निर्णय प्राधिकारी को उन्हें दो श्रेणियों में बाँटना चाहिए -
    - ऐसे मुद्दे जिन पर विभाग और नोटिसी के बीच विवाद नहीं है।
    - ऐसे मुद्दे जिन पर विभाग और नोटिसी के बीच विवाद है।
- जिन मुद्दों पर कोई विवाद नहीं है, उन्हें निष्कर्ष में एक-दो पैराग्राफ़ में संक्षेपित किया जा सकता है और उन्हें विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

- शेष मुद्दे, जिन पर विवाद (lis) मौजूद है, उन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस चरण में तय किए जाने वाले मुद्दों के क्रम (sequencing) पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

चरण संख्या 4: तय किए जाने वाले मुद्दों का क्रम (Sequencing)

- यदि नोटिसी द्वारा उठाए गए किसी आधार का प्रभाव पूरे SCN को निरस्त करने पर पड़ता है (जैसे SCN जारी करने वाले प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र न होना, निर्णय प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र न होना, SCN का समय-सीमा से बाहर होना आदि), तो निर्णय प्राधिकारी को इन मुद्दों का निर्णय पहले करना चाहिए।
- उदाहरण: यदि कोई नोटिसी यह कहता है कि पूरा SCN समय-सीमा से बाहर है और विभाग विस्तारित अवधि लागू नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में, समय-सीमा का मुद्दा पहले तय करना उचित होगा, उसके बाद ही SCN पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय करना चाहिए।
- इसी प्रकार, किसी भी रिफंड मामले में निर्णय प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों का सामान्य क्रम यह होता है:
    - समय-सीमा (time bar)
    - गुण-दोष (merit) पर रिफंड दावा की स्वीकृतता
    - अनुचित समृद्धि (unjust enrichment) का मुद्दा।

👉 इस क्रम का पालन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, रिफंड मामले में unjust enrichment का मुद्दा पहले और time bar का मुद्दा बाद में तय नहीं किया जा सकता।

चरण संख्या 5: प्रत्येक मुद्दे पर क्रमवार विचार करना

एक बार तय किए जाने वाले मुद्दों की सूची और उनका क्रम निश्चित हो जाए, तब निर्णय प्राधिकारी को प्रत्येक मुद्दे पर क्रमवार विचार करना चाहिए -

- विभाग द्वारा लगाए गए आरोप।
- विभाग द्वारा आरोप के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य।
- आरोप के विरुद्ध नोटिसी की दलील और बचाव।
- नोटिसी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत साक्ष्य और निर्णय।
- उस मुद्दे से संबंधित विधि के प्रावधान (जो संबंधित अवधि में प्रभावी थे)।

चरण संख्या 6:

न्यायिक निर्णयों (Case Laws) पर सावधानीपूर्वक विचार

- नोटिसी द्वारा अपने बचाव में उद्धृत किए गए न्यायिक निर्णयों को सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए।
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक आदेश में मुख्यतः दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं:
    - **Obiter dictum (बहुवचन- obiter dicta):** यह केवल अवलोकन (Observation) के रूप में होता है और न्यायालय द्वारा विचाराधीन मुद्दा नहीं होता।
    - **Ratio decidendi:** न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांत।

☞ न्यायिक दृष्टांत (Judicial Precedent) के उद्देश्य से **ratio decidendi बाध्यकारी (binding)** होता है, जबकि **obiter dicta केवल प्रेरक (persuasive)** होते हैं।

- जब पार्टी द्वारा उद्धृत न्यायिक निर्णयों पर विचार किया जाए, तो केवल हेड नोट्स (head notes) पर निर्भर न होकर पूरे केस को गहराई से पढ़ा जाना चाहिए।
- प्रत्येक उद्धृत केस लॉ को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वह विवादित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है या नहीं।
- यदि निर्णय प्राधिकारी पाता है कि वह केस लॉ लागू नहीं है, तो आदेश में यह कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए कि क्यों उक्त केस लॉ लागू नहीं है।
- यदि उद्धृत केस लॉ प्रासंगिक है और असेसी के पक्ष में है, लेकिन इसके विपरीत कोई अन्य केस भी उपलब्ध है, तो उसका भी उल्लेख आदेश में होना चाहिए।

न्यायिक अनुशासन/न्यायिक दृष्टांत बनाए रखना

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **सर्वोच्च दृष्टांत** (highest precedence) होता है और यह "देश का कानून" बन जाता है।
- यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय अपना ही पूर्व निर्णय पलटता है, तो वह पूर्व निर्णय पर चर्चा करता है और पलटने का कारण बताता है। अक्सर यह बड़े पीठ (larger bench) द्वारा किया जाता है। उस स्थिति में अंतिम निर्णय ही कानून बन जाता है।
- किसी विधि की व्याख्या के संदर्भ में कभी-कभी अलग-अलग उच्च न्यायालय भिन्न दृष्टिकोण ले सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रायः विषय अंततः सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

- अन्य मामलों में, **अधिकार क्षेत्रीय उच्च न्यायालय का निर्णय उस क्षेत्राधिकार के सभी लोगों पर बाध्यकारी होता है।**
- यदि एक ही स्तर (जैसे उच्च न्यायालय/ट्रिब्यूनल) पर विपरीत निर्णय मौजूद हैं, तो दो पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है:
    - निर्णय देने वाले पीठ में शामिल न्यायाधीशों/सदस्यों की संख्या।
    - निर्णय की तिथि।
- कभी-कभी, निचली अपीलीय प्राधिकारी (Lower appellate authority) के केस लॉ पर उच्च स्तर पर विभाग की अपील लंबित होने के कारण **stay** लगा होता है। ऐसी स्थिति में उद्धृत केस लॉ को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

निम्न मौद्रिक सीमा (Low Monetary Consideration) पर विभाग द्वारा स्वीकृत आदेश की कोई दृष्टांतात्मक (precedence) वैल्यू नहीं

- राष्ट्रीय वाद नीति (National Litigation Policy) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
- यदि ड्यूटी की राशि उस सीमा से कम है और आदेश विभाग के खिलाफ है, तो विभाग अपील दायर नहीं कर सकता।
- ऐसी स्थिति में, **आयुक्त/ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय का आदेश दृष्टांतात्मक मूल्य (precedence value) नहीं रखता।**
- इसलिए प्रत्येक उद्धृत केस लॉ का इस आधार पर भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

केस लॉ को उस समय लागू विधि (Material Time Law) के संदर्भ में देखना

- चूँकि विधि और उसकी व्याख्या दोनों गतिशील (dynamic) होते हैं, केस लॉ को उसी समय प्रभावी विधि के प्रकाश में देखा जाना चाहिए।
- कभी-कभी, जिस विधिक प्रावधान के आधार पर केस लॉ दिया गया था, वह विवादित मामले के समय प्रभावी प्रावधान से अलग होता है।
- कभी-कभी निर्णय प्राधिकारी सभी उद्धृत केस लॉ को केवल इस प्रकार लिखकर खारिज कर देता है:

"मैंने नोटिसी द्वारा उद्धृत केस लॉ का अध्ययन किया है और पाया है कि उनके तथ्य एवं परिस्थितियाँ विवादित मामले से अलग हैं, अतः वे इस मामले में लागू नहीं होते।"

☞ ऐसा संक्षिप्त खारिज करना उचित नहीं है। इसे **मनःस्थिति का प्रयोग न करना (non-application of mind)** और **गैर-बोलता/गैर-कारणयुक्त आदेश (non-speaking or non-reasoned order)** माना जा सकता है।

- यह आवश्यक है कि नोटिसी द्वारा उद्धृत केस लॉ क्यों और कैसे विवादित मामले में लागू नहीं है, इसका आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में या नोटिसी के केस लॉ के विपरीत केस लॉ पर विचार

- SCN जारी करते समय, विभाग प्रायः आरोपों के समर्थन में कोई केस लॉ नहीं उद्धृत करता।
- नोटिसी केवल अपने पक्ष के केस लॉ ही उद्धृत करता है।
- इसलिए, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु यह आवश्यक है कि निर्णय प्राधिकारी स्वयं सभी प्रासंगिक केस लॉ ढूँढे और विचार करे।
- इस आधार पर एक कारणयुक्त आदेश (reasoned order) पारित करना अनिवार्य है।
- **चरण संख्या 7: कारणयुक्त आदेश (Speaking Order) जारी करना अनिवार्य है**

निर्णय प्राधिकारी को प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय देना आवश्यक है और प्रत्येक निष्कर्ष के साथ कारण भी दर्ज करना चाहिए। अर्थात् आदेश **speaking order** होना चाहिए।

इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का *Kranti Associates Pvt. Ltd. बनाम Masood Ahmed Khan* {Citation: 2011 (273) ELT 345 (SC)} का निर्णय ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है:

- भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा से यही रही है कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि वे किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, तो कारण दर्ज किए जाएँ।
- अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारण दर्ज करने ही होंगे।
- कारण दर्ज करने की अनिवार्यता न्याय के व्यापक सिद्धांत की पूर्ति के लिए है - न्याय केवल किया ही न जाए बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए।
- कारण दर्ज करना न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों के मनमाने प्रयोग पर नियंत्रण का साधन है।
- कारण यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी प्रासंगिक आधारों पर विवेक का प्रयोग कर रहा है और अप्रासंगिक बातों की उपेक्षा कर रहा है।

- कारण अब निर्णय प्रक्रिया का उतना ही अनिवार्य अंग बन गए हैं जितना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन।
- कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा (judicial review) को भी सुगम बनाते हैं।
- सभी विधि-शासित देशों में प्रवृत्ति यही है कि निर्णय तर्कयुक्त हों और प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हों। यह न्यायिक निर्णय प्रक्रिया का "life blood" है।
- कारण यह दिखाते हैं कि प्रासंगिक पहलुओं पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है, जिससे न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास बना रहता है।
- पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण का मूल आधार (sine qua non) है।
- निर्णय देने की प्रक्रिया में कारण दर्ज करना अब मानवाधिकार का हिस्सा माना गया है (Strasbourg Jurisprudence के अंतर्गत)।
- सभी कॉमन लॉ देशों में न्यायिक निर्णय भविष्य के लिए दृष्टांत स्थापित करते हैं। इसलिए कारणयुक्त आदेश देना कानून के विकास और "Due Process" का आवश्यक हिस्सा है।

चरण संख्या 8: आदेश (Adjudication Order) का प्रारूपण

- आदेश का प्रारूप तैयार करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *JCIT Surat बनाम Saheli Leasing & Industries Ltd.* {Citation:- 2010 (253) ELT 705 (SC)} में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- ये दिशानिर्देश केवल **उदाहरण स्वरूप (illustrative in nature)** हैं, न कि संपूर्ण (exhaustive)। आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार इन्हें और विस्तृत किया जा सकता है।

21 आदेश प्रारूपण के समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु

- यह हमेशा ध्यान रखा जाए कि निर्णय/आदेश में ऐसा कुछ न लिखा जाए, जिसका मामले के तथ्यों से कोई संबंध न हो।
- निर्णय/आदेश का प्रत्यक्ष संबंध लागू विधि और तथ्यों से होना चाहिए।
- आदेश/निर्णय में **ratio decidendi (निर्णय का मूल आधार)** स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
- प्रारूप तैयार करने के बाद, इसे पुनः पढ़ा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई आवश्यक बात चर्चा से छूट न गई हो।

आदेश की संरचना और प्रवाह

- अंतिम निर्णय/आदेश में सतत कालक्रम (sustained chronology) होना चाहिए।
- इसमें ऐसा प्रवाह और घटनाओं का क्रम होना चाहिए कि पाठक की रुचि बनी रहे और बीच में छोड़ने का मन न हो।
- इसे पठनीय, व्यवस्थित और रुचिकर होना चाहिए।

केस लॉ (न्यायिक निर्णय) का उपयोग

- आदेश में अनावश्यक रूप से सभी कानूनी ज्ञान (legal knowledge) न भरा जाए।
- बहुत अधिक निर्णयों का उल्लेख करने से स्पष्टता के बजाय भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि प्रमुख (leading) निर्णयों का उल्लेख किया जाए।
- उन निर्णयों के बाद हुई विधिक प्रगति (evolution) और अंततः नवीनतम निर्णय, जिसमें सभी पूर्व निर्णयों पर विचार किया गया है, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- आदेश लिखते समय पाठक की मनोविज्ञान (psychology) का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि यह धारणा (perception) अत्यंत आवश्यक है।

भाषा और शैली

- भाषा अलंकारपूर्ण (rhetoric) न हो।
- लेखक की कृत्रिम या बनावटी शैली का आभास न हो।

निर्णय सुनाने का समय

- तर्क-वितर्क (arguments) समाप्त होने के बाद, निर्णय जल्द से जल्द सुनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- किसी भी स्थिति में इसे **तीन महीने से अधिक लंबित** नहीं रखा जाना चाहिए।
- लंबे समय तक लंबित रखने से वादकारियों और समाज को गलत संदेश जाता है।

सामाजिक संवेदनशीलता

- ऐसे उदाहरण देने से बचना चाहिए जो सार्वजनिक उत्तेजना (public agitation) या किसी विशेष समाज में असंतोष पैदा कर सकते हों।
- ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति या समाज की भावनाएँ आहत हों।

निष्कर्ष

- उपर्युक्त कुछ दिशानिर्देश हैं, जिन्हें निर्णय लिखते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

विधिक सूक्तियाँ एवं वाक्यांश (LEGAL MAXIMS & PHRASES)

परिचय:

एक विधिक सूक्ति (Legal Maxim) अथवा विधिक वाक्यांश किसी विधिक सिद्धांत, प्रस्तावना या अवधारणा को स्पष्ट करता है। अनेक विधिक सूक्तियाँ सामान्यतः प्रयुक्त होती हैं। यह चयनित संकलन कुछ ऐसी सूक्तियों/वाक्यांशों को समझाने का प्रयास करता है जो विशेषकर **कर (Tax) संदर्भ** में अधिक प्रयुक्त और प्रासंगिक हैं।

विधिक सूक्ति / वाक्यांश (Legal Maxim / Phrase)	**विधिक सिद्धांत / अवधारणा (Legal Principle / Concept)**
Ab initio	प्रारम्भ से / उत्पत्ति से / प्रथम क्रिया से
Ad hoc	केवल इस हेतु / इस विशेष प्रयोजन के लिए
Ad valorem	मूल्य पर आधारित / मूल्य के अनुसार
Audi Alterem Partem	किसी व्यक्ति को बिना सुने दण्डित नहीं किया जा सकता
Actori incumbit onus probandi	प्रमाण का भार वादी (Plaintiff) पर है
Actus Reus	अपराधजनक कृत्य या दोषपूर्ण कार्य
De Facto	वस्तुतः विद्यमान, विशेषकर जब विधि द्वारा स्थापित न हो या विपरीत हो
Ex Post Facto	तथ्य के पश्चात / बाद में लागू
Habeas Corpus	"You have the body" – एक रिट (न्यायालय का आदेश) जो किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को आदेश देता है कि उसने जिसे हिरासत में लिया है उसे न्यायालय में प्रस्तुत करे
In absentia	अनुपस्थिति में

Locus Standi	किसी पक्ष का न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार
Mandamus	एक रिट/आदेश, जो उच्च न्यायालय से निर्गत होकर किसी अधीनस्थ न्यायालय/प्राधिकरण को आदेश देता है कि वह कोई कार्य करे अथवा न करे, जिसका करना विधि द्वारा अनिवार्य है
Modus Operandi	कार्य करने की विधि / तरीका
Mutatis Mutandis	आवश्यक परिवर्तन (जैसा आवश्यक हो वैसे परिवर्तन के साथ)
Nemo Debet Esse Judex in Propria Sua Causa	कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता
Non Obstante	इसके बावजूद (किसी विधि प्रावधान के विपरीत भी)
Obiter Dicta	न्यायाधीश की टिप्पणियाँ, जो निर्णय हेतु आवश्यक नहीं हैं, परन्तु विचार/उदाहरणस्वरूप कही जाती हैं
Pari Materia	समान विषय पर / समान प्रकृति का मामला
Per Incuriam	भूलवश / गलती से
Quid pro quo	बदले में कुछ / किसी वस्तु के बदले कुछ और
Quo Warranto	राजा के अधिकार से जारी आदेश; एक विधिक कार्यवाही जिसमें किसी व्यक्ति के पद धारण करने के अधिकार या सरकार के विशेषाधिकार को चुनौती दी जाती है
Ratio Decidendi	न्यायालय द्वारा निर्णय का कारण या तर्क
Res Integra	एक संपूर्ण वस्तु; एक बिल्कुल नया अथवा अछूता मामला
Res Ipsa Loquitur	वस्तु स्वयं बोलती है (तथ्य स्वयं स्पष्ट हैं)
Res Judicata	निर्णयित विषय / पहले से निर्णीत मामला

*****

भाग- सी / Part-C

प्रशासन / स्थापना / सतर्कता

Administration / Establishment/ Vigilance

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1. THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

सूचना का अधिकार नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेकर और सभी स्तरों पर भ्रष्ट एवं मनमानी कार्रवाइयों को चुनौती देकर, नियंत्रण लेने का अधिकार देता है। सरकारी अभिलेखों तक पहुँच के साथ, नागरिक यह मूल्यांकन और निर्धारण कर सकते हैं कि उनके द्वारा चुनी गई सरकार अपेक्षित परिणाम दे रही है या नहीं। इस प्रकार, सूचना का अधिकार एक ऐसा साधन है जो नागरिकों की भूमिका को केवल दर्शक से बदलकर शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना सकता है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:-

- सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच - सभी नागरिकों को किसी भी अवधि से संबंधित, किसी भी रूप में, आधिकारिक भाषा में सूचना प्राप्त करने की सुविधा है।
- सूचना के अधिकार में अभिलेखों, कार्यों का निरीक्षण और सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है।
- 'सूचना' की व्यापक परिभाषा में अभिलेख, ईमेल, नमूने और मॉडल शामिल हैं।
- प्रावधानों के अधीन सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों, निजी निकायों पर लागू होता है।
- राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर अधिकतम (17 श्रेणियों की) जानकारी का स्वैच्छिक प्रकटीकरण।
- जन सूचना अधिकारी ("पीआईओ") जानकारी प्रदान करेंगे।
- पीआईओ का कर्तव्य है कि वह अनुरोधकर्ताओं की सहायता करे और यदि आवश्यक हो, तो अनुरोध को उचित लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित करे।

- कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं।
- उचित शुल्क; गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए कोई शुल्क नहीं।
- सूचना का अनुरोध करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीआईओ को अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण बताने चाहिए।
- जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी 48 घंटों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।
- अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शीघ्रता से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
- यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो इसे अस्वीकार माना जाएगा।
- सूचना के प्रकटीकरण से केवल पूर्ण छूट।
- अन्य सभी छूट जनहित परीक्षण के अधीन हैं।
- जो जानकारी संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं की जा सकती, वह आपको देने से इनकार नहीं की जाएगी।
- आंशिक प्रकटीकरण की अनुमति देता है।
- शुल्क/पहुँच के प्रकार/अस्वीकृति/आंशिक प्रकटीकरण पर पीआईओ के निर्णयों के विरुद्ध आंतरिक प्रथम अपील।
- केंद्र और राज्य स्तर पर स्वतंत्र सूचना आयोग।
- नागरिक सीधे सूचना आयोगों में शिकायत और अपील कर सकते हैं।
- सूचना के प्रकटीकरण के पक्ष में पूर्वधारणा। यह साबित करने का दायित्व पीआईओ पर होगा कि अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था।
- अन्य गोपनीयता कानूनों पर अधिभावी प्रभाव।
- दोषी पीआईओ पर दंड।
- एक मार्गदर्शिका जिसमें सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के पीआईओ का विवरण शामिल है।
- वंचित समुदायों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम।
- सूचना आयोगों द्वारा वार्षिक रिपोर्टिंग।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लाभ:

- यह भ्रष्टाचार को कम करता है और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाता है;
- यह सरकारों और उनके तंत्रों को शासितों के प्रति जवाबदेह बनाता है;

- यह जागरूक नागरिकों और सूचना की पारदर्शिता को सुगम बनाता है जो लोकतंत्र के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, किसी लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना, लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच का अधिकार देता है और इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं: कार्य, दस्तावेज़ों, अभिलेखों का निरीक्षण करना;

• दस्तावेज़ों या अभिलेखों के नोट्स, अंश या प्रमाणित प्रतियाँ लेना;

• सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

• डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना प्राप्त करना जहाँ ऐसी सूचना कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में संग्रहीत हो।

यह अधिनियम "लोक प्राधिकरणों" द्वारा धारित सूचना तक पहुँच का अधिकार देता है, जिसमें प्राधिकरण, निकाय, स्वशासन की संस्थाएँ शामिल हैं जो:

• स्थापित या गठित:

-- संविधान द्वारा;

-- संसद या राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा;

-- राज्य या केंद्र सरकार की अधिसूचना या आदेश द्वारा;

• राज्य या केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या उनके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय,

• गैर-सरकारी संगठन जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सरकारी धन प्राप्त होता है।

महत्वपूर्ण बिंदु -

निजी निकाय सीधे तौर पर इसके दायरे में नहीं आते। लेकिन निजी निकायों से संबंधित सभी जानकारी, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आप प्राप्त कर सकते हैं। गैर-सरकारी संगठनों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी धन द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं।

आरटीआई अधिनियम सूचना को किसी भी रूप में किसी भी सामग्री के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें शामिल हैं -

रिकॉर्ड; दस्तावेज़; ज्ञापन; ई-मेल; राय; सलाह; प्रेस विज्ञप्ति; परिपत्र; आदेश; लॉगबुक; अनुबंध; रिपोर्ट; कागजात; नमूने; मॉडल; किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी, जो किसी अन्य कानून के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा प्रकटीकरण से किस सूचना को छूट प्राप्त है?

क) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, किसी विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या किसी अपराध को बढ़ावा मिल सकता है;

ख) ऐसी सूचना जिसे किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है;

ग) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा;

घ) ऐसी सूचना जिसमें वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापारिक रहस्य या बौद्धिक संपदा शामिल है, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुँच सकता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है;

ङ) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है;

च) किसी विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना;

छ) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायता के स्रोत का पता चले;

ज) ऐसी सूचना जो अपराधियों की जाँच, गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे;

झ) मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेखों सहित कैबिनेट के कागजात। बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उनके कारण और वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिए गए थे, निर्णय लिए जाने के बाद और मामला पूरा होने या समाप्त होने के बाद सार्वजनिक किए जाएँगे:

इसके अलावा, इस धारा में निर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आने वाले मामलों का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा; ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता का अनुचित उल्लंघन करेगी, जब तक कि लोक सूचना अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है।

सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण: (धारा 4)

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानीय भाषा में निम्नलिखित जानकारी प्रकाशित करनी होगी:

→ उसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण;

→ उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

→ निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम शामिल हैं;

→ अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंड;

→ उसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे गए या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख;

→ उसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण;

→ उसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान किसी भी व्यवस्था का विवरण;

→ इसके भाग के रूप में या इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त निम्नलिखित के लिए सुलभ हैं -

→ जनता;

→ इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

→ इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदत्त पारिश्रमिक प्रणाली शामिल है;

→ इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों का विवरण दर्शाया गया हो;

→ सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल हो;

→ इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण;

→ इसके द्वारा उपलब्ध या इसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया;

→ नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल है, यदि वह सार्वजनिक उपयोग के लिए हो;

→ लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;

→ ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है; और उसके बाद इन प्रकाशनों को हर साल अद्यतन करना;

लोक प्राधिकरण से सूचना हेतु आवेदन:

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु अनुरोध लोक प्राधिकरण द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- सूचना हेतु अनुरोध अंग्रेजी/हिंदी/राजभाषा में किया जा सकता है।
- आपको अपने अनुरोध का कारण या व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उन विवरणों के जो आपसे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों।
- आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क (10 रुपये) का भुगतान करें। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- आवेदन तैयार करने में सहायता के लिए लोक सूचना अधिकारी आपकी सहायता करेंगे।
- शुल्क का भुगतान नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय किया जा सकता है।

प्रथम अपील:

- लोक प्राधिकरण के किसी वरिष्ठ अधिकारी (नामित अपीलीय अधिकारी) को अपील की जा सकती है;
- यदि आप लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित हैं (निर्णय प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर);
- यदि आपको लोक सूचना अधिकारी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है (समय सीमा समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर)

द्वितीय अपील:

- अधिनियम को लागू करने के लिए स्वतंत्र केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों का गठन किया गया है।

- प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सूचना आयोग में द्वितीय अपील, निर्णय प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर या यदि ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया है तो निर्णय की अपेक्षित तिथि के भीतर की जा सकती है।
- यदि आप अपील दायर करने में देरी करते हैं तो पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा।
- यदि आपको कोई हानि या नुकसान हुआ है, तो आप लोक प्राधिकरण से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।
- सूचना आयोग पहले लोक सूचना अधिकारी की सुनवाई करता है, इसलिए जब तक वह लोक सूचना अधिकारी से सहमत न हो, आपको आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि आयोग को जन सूचना अधिकारी के तर्कों में दम नज़र आता है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से/आपके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। आप उपस्थित न होने का विकल्प चुन सकते हैं।

सूचना आयोगों को किसी लोक प्राधिकारी को आदेश देने का अधिकार है -

- सूचना, अभिलेख उपलब्ध कराने का
- लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने का
- सूचना प्रकाशित करने का
- अनुरोध को अस्वीकार करने का
- **जुर्माना:**

सूचना आयोग निम्नलिखित के लिए दोषी जन सूचना अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है:

बिना किसी उचित कारण के:

- आवेदन अस्वीकार करना
- बिना उचित कारण के सूचना जारी करने में देरी करना

- दुर्भावनापूर्वक सूचना देने से इनकार करना
- जानबूझकर अधूरी, गलत, भ्रामक जानकारी देना
- मांगी गई जानकारी को नष्ट करना
- किसी भी तरह से सूचना प्रदान करने में बाधा डालना

आयोग को जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का भी अधिकार है। वह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अपीलकर्ता को मुआवजा देने का भी निर्देश दे सकता है।

*****

2. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

(निवारण, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013

2. SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

अधिनियम का उद्देश्य - कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना और उनकी सुरक्षा करना तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निवारण करना।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण नियम, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य ("विशाखा निर्णय") में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद लागू किए गए हैं। विशाखा निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिसके तहत प्रत्येक नियोक्ता के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र प्रदान करना और कामकाजी महिलाओं के लैंगिक समानता के अधिकार को लागू करना अनिवार्य है।

सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अंतर्गत "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013" शीर्षक से नियम अधिसूचित किए हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम भारत में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। यह क़ानून, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी निकायों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, वित्तीय गतिविधियाँ चलाने वाले संगठनों, अस्पतालों और नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थानों, खेल संस्थानों और व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाले स्टेडियमों और आवास या घर पर लागू होता है।

परिभाषाएँ:

'यौन उत्पीड़न' में अवांछित यौन व्यवहार शामिल है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, जैसे -

(i) शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव,

(ii) यौन संबंधों की माँग या अनुरोध,

(iii) यौन रूप से रंजित टिप्पणियाँ करना,

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना, या

(v) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण। रोज़गार में अधिमान्य व्यवहार के निहित या स्पष्ट वादे की परिस्थितियों की उपस्थिति या घटना; रोज़गार में हानिकारक व्यवहार की धमकी; वर्तमान या भविष्य के रोज़गार के बारे में धमकी; काम में हस्तक्षेप या डराने वाला, आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना; या महिला कर्मचारी के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमानजनक व्यवहार भी यौन उत्पीड़न माना जा सकता है।

'कर्मचारी' नियमित, अस्थायी, तदर्थ कर्मचारी, दैनिक वेतन पर कार्यरत व्यक्ति, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से, ठेका मजदूर, सहकर्मी, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु और प्रशिक्षु, मुख्य नियोक्ता की जानकारी में हो या न हो, चाहे पारिश्रमिक के लिए हो या नहीं, स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्यरत हों, चाहे रोजगार की शर्तें स्पष्ट हों या निहित।

'कार्यस्थल' में रोजगार के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान शामिल है, जिसमें रोजगार के स्थान तक आने-जाने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया परिवहन भी शामिल है।

शिकायत समिति: किसी नियोक्ता को यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और निवारण हेतु, 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक 'आंतरिक शिकायत समिति' (ICC) स्थापित करना आवश्यक है।

ICC का गठन:

अध्यक्ष: कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला।

सदस्य: कर्मचारियों में से कम से कम 2 सदस्य। महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध या सामाजिक कार्य में अनुभव रखने वाले या कानूनी ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। बाहरी सदस्य: महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर सरकारी संगठन या संघ से या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति से।

आईसीसी के सदस्यों में कम से कम आधे महिलाएँ होंगी। आईसीसी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

शिकायत दर्ज करने की इच्छुक पीड़ित महिला को लिखित शिकायत की छह प्रतियाँ, सहायक दस्तावेज़ों और गवाहों के नाम व पते के साथ, घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर आईसीसी या एलसीसी को प्रस्तुत करनी होंगी और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में, अंतिम घटना की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर। आईसीसी/एलसीसी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा को 3 महीने तक बढ़ा सकती है।

कानून में मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि वे उन स्थितियों में शिकायत दर्ज कर सकें जहाँ पीड़ित कर्मचारी शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता या मृत्यु के कारण शिकायत दर्ज करने में असमर्थ है।

यौन उत्पीड़न की शिकायत:

कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत, यदि आंतरिक समिति गठित हो, या स्थानीय समिति, यदि स्थानीय समिति गठित न हो, तो घटना की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में, अंतिम घटना की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में कर सकती है।

जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई:

पीड़ित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर जांच लंबित रहने के दौरान, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकती है -

(क) पीड़ित महिला या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करना; या

(ख) पीड़ित महिला को तीन माह की अवधि तक की छुट्टी प्रदान करना; या पीड़ित महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करना जो निर्धारित की जा सकती है।

(ग) इस धारा के तहत पीड़ित महिला को दी गई छुट्टी उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसकी वह अन्यथा हकदार होती।

अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर दंड:

जहां नियोक्ता - आंतरिक समिति गठित करने में विफल रहता है; इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, तो वह पचास हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

****

3. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964

(महत्वपूर्ण नियमों का उद्धरण)

3. CENTRAL CIVIL SERVICES (CONDUCT) RULES, 1964

(Extract of important rules)

2. परिभाषाएँ

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सरकार" से तात्पर्य केंद्र सरकार से है;

(ख) "सरकारी सेवक" से तात्पर्य संघ के मामलों से संबंधित किसी सिविल सेवा या पद पर सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें रक्षा सेवा में कार्यरत कोई सिविलियन भी शामिल है;

(ग) सरकारी सेवक के संबंध में "परिवार के सदस्यों" में शामिल हैं:-

(i) सरकारी सेवक की पत्नी या पति, चाहे वह सरकारी सेवक के साथ रहती हो या नहीं, परंतु इसमें वह पत्नी या पति शामिल नहीं है जो किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री द्वारा सरकारी सेवक से अलग हो गया हो;

(ii) सरकारी सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, परंतु इसमें वह बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं है जो अब किसी भी तरह से सरकारी सेवक पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा से सरकारी सेवक को किसी कानून द्वारा या उसके अधीन वंचित किया गया है;

(iii) कोई अन्य व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी या उसकी पत्नी या पति से रक्त या विवाह से संबंधित हो और सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो।

3. सामान्य कार्य

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय--

(i) पूर्ण निष्ठा बनाए रखेगा;

(ii) कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा; और

(iii) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित हो।

(iv) संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध रखेगा और उसे बनाए रखेगा;

(v) भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा;

(vi) उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखेगा;

(vii) राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा;

(viii) कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा;

(ix) जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेगा;

(x) जनता, विशेषकर कमजोर वर्ग के प्रति जवाबदेही बनाए रखेगा;

(xi) जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार बनाए रखेगा;

(xii) केवल जनहित में निर्णय लेना और जन संसाधनों का कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और मितव्ययितापूर्वक उपयोग करना या करवाना;

(xiii) अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करना और जनहित की रक्षा करने वाले किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए कदम उठाना;

(xiv) किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रति स्वयं को किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखना जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित कर सकता हो;

(xv) सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना और अपने, अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु निर्णय नहीं लेना;

(xvi) केवल योग्यता के आधार पर चुनाव करना, निर्णय लेना और सिफारिशें करना;

(xvii) निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ कार्य करना और किसी के साथ, विशेष रूप से समाज के गरीब और वंचित वर्गों के साथ भेदभाव नहीं करना;

(xviii) ऐसा कुछ भी करने से बचना जो किसी भी कानून, नियम, विनियम और स्थापित प्रथाओं के विपरीत हो या हो सकता हो;

(xix) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन बनाए रखना और उसे विधिवत सूचित किए गए वैध आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होना;

(xx) वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा अपेक्षित अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में गोपनीयता बनाए रखें, विशेष रूप से ऐसी सूचना के संबंध में, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राज्य के सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या किसी व्यक्ति को अपराध या अवैध या गैरकानूनी लाभ के लिए उकसाया जा सकता है;

(xxi) अपनी पूरी क्षमता के साथ उच्चतम व्यावसायिकता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।

न करें

1. विदेशी दूतावासों या मिशनों/उच्चायोग के साथ कोई निजी पत्राचार न करें।

2. आपके साथ आधिकारिक लेन-देन करने वाले किसी भी व्यक्ति, औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्म, संगठन आदि से भव्य या बार-बार आतिथ्य स्वीकार न करें।

3. यदि सरकार के साथ अनुबंध करने वाली विदेशी फर्मों की ओर से ऐसा प्रस्ताव आता है, तो विदेश जाने के खर्च या वहाँ मुफ्त आवास और भोजन के रूप में आतिथ्य का कोई प्रस्ताव स्वीकार न करें।

4. एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन या विदेशी एयरलाइंस द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क उद्घाटन उड़ानों के लिए आपको और आपके परिवार के सदस्यों को दिए गए निमंत्रण स्वीकार न करें।

5. किसी भी विदेशी फर्म से कोई उपहार स्वीकार न करें, जिसका आधिकारिक लेन-देन हो।

6. अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व या प्रबंधन वाली जीवन बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी या विज्ञापन एजेंसी के प्रचार व्यवसाय में शामिल न हों।

7. किसी भी ऐसे व्यक्ति, फर्म या निजी कंपनी, जिसके साथ आपके आधिकारिक लेन-देन होने की संभावना हो, को सदस्य या एजेंट के रूप में धन उधार न दें, उधार न लें या जमा न करें। अन्यथा ऐसे व्यक्ति, फर्म या निजी कंपनी के साथ स्वयं को आर्थिक दायित्व में न डालें।

आपके/आपके रिश्तेदारों/मित्रों द्वारा निजी स्रोतों से लिए गए ऋणों के लिए अपने अधीनस्थों से ज़मानत न लें।

8. निजी परामर्श कार्य न करें।

9. किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में सट्टा न लगाएं।

10. मित्रों और सहयोगियों के लिए आरक्षित कोटे से शेयर न खरीदें।

11. ऐसी किसी भी संपत्ति की नीलामी में बोली न लगाएँ जहाँ नीलामी आपके अपने अधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती है।

12. भारत में विदेशी राजनयिकों या विदेशी नागरिकों के साथ अतिथि के रूप में न रहें।

13. किसी भी विदेशी राजनयिक को भारत में अपने साथ अतिथि के रूप में रहने के लिए आमंत्रित न करें।

14. किसी विदेशी मिशन/सरकार या संगठन से यात्रा भत्ता या निःशुल्क हवाई परिवहन स्वीकार न करें और न ही अपनी पत्नी या आश्रितों को ऐसा करने की अनुमति दें।

15. अपनी सेवा से संबंधित मामलों में किसी भी राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग न करें।

16. ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं का सेवन न करें।

17. नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर न जाएँ।

18. कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न न करें।

19. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर न रखें।

20. निजी ट्रस्टों/फाउंडेशन आदि द्वारा स्थापित मौद्रिक लाभ स्वीकार न करें।

21. साझा हित के मामलों में संयुक्त प्रतिनिधित्व न करें।

22. सरकारी कर्मचारी के अनुचित कार्यों में लिप्त न हों।

23. अशिष्ट, बेईमान और पक्षपाती न बनें।

24. जनता के साथ व्यवहार में टालमटोल न करें।

25. अधीनस्थों को मौखिक निर्देश न दें। यदि कोई मौखिक निर्देश अत्यावश्यक हो, तो यथाशीघ्र लिखित रूप में उसकी पुष्टि करें।

26. अस्पृश्यता का व्यवहार न करें।

27. किसी भी प्रतिबंधित संगठन से न जुड़ें।

28. किसी ऐसे संगठन या प्रदर्शन में शामिल न हों जिसके उद्देश्य या गतिविधियाँ भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित के लिए हानिकारक हों।

29. विदेश यात्रा के दौरान भारतीय या विदेशी मामलों पर अपने विचार व्यक्त न करें।

30. किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे आप ऐसे दस्तावेज़ या वर्गीकृत जानकारी संप्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ या उसके किसी भाग या वर्गीकृत जानकारी का अनधिकृत संप्रेषण न करें।

31. किसी भी गैरकानूनी हड़ताल में शामिल न हों या उसका समर्थन न करें।

32. दहेज न दें, न लें, न देने या लेने के लिए प्रेरित करें और न ही वर या वधू के माता-पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करें।

जब तक यह स्थापित न हो जाए कि पहले दिए गए सभी बिंदुओं या प्रस्तुतीकरण पर तत्काल वरिष्ठ कार्यालय प्रमुख या मामले से निपटने के लिए सक्षम निम्नतम स्तर के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है, तब तक उसी मुद्दे पर उच्च अधिकारी से समय से पहले संपर्क न करें।

33. किसी भी कंपनी या फर्म में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आधिकारिक पद या प्रभाव का उपयोग न करें।

34. किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रति अपने आप को किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन न रखें जो आपके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में आपको प्रभावित कर सकता है।

35. अपने, अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग न करें और निर्णय न लें।

3A. तत्परता और शिष्टाचार

कोई भी सरकारी कर्मचारी

(a) अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में, अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा;

(b) जनता के साथ अपने आधिकारिक व्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी रणनीति नहीं अपनाएगा या उसे सौंपे गए कार्य के निपटान में जानबूझकर देरी नहीं करेगा।

3C. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो कार्यस्थल का प्रभारी है, कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण: - (I) इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

(a) "यौन उत्पीड़न" में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ से) शामिल हैं, अर्थात्: -

i. शारीरिक संपर्क और प्रस्ताव; या

ii. यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध; या

iii. यौन रूप से रंगीन टिप्पणी करना; या

iv. अश्लील साहित्य दिखाना; या

v. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर-मौखिक आचरण।

(b) निम्नलिखित परिस्थितियाँ, अन्य परिस्थितियों के साथ, यदि यौन उत्पीड़न के किसी कृत्य या व्यवहार के संबंध में घटित होती हैं या मौजूद हैं, तो यौन उत्पीड़न मानी जा सकती हैं: -

(i) रोजगार में अधिमान्य व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा; या

(ii) रोजगार में हानिकारक व्यवहार की निहित या स्पष्ट धमकी; या

(iii) उसकी वर्तमान या भविष्य की रोजगार स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट धमकी; या

(iv) उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए डराने वाला, आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना; या

(v) अपमानजनक व्यवहार जिससे उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना हो।

(c) "कार्यस्थल" में शामिल हैं, -

कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा या इकाई जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई धनराशि से स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रण या पूर्णतः या अधिकांशतः वित्तपोषित हो;

(i) अस्पताल या नर्सिंग होम;

(ii) कोई खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेल स्थल, चाहे आवासीय हो या नहीं, जिसका उपयोग प्रशिक्षण, खेल या उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता हो;

(iii) कर्मचारी द्वारा रोजगार के दौरान या उसके कारण दौरा किया गया कोई स्थान, जिसमें ऐसी यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया परिवहन भी शामिल है;

(iv) कोई आवास या घर।

4. सरकारी कर्मचारी के निकट संबंधियों का कंपनियों या फर्मों में नियोजन

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पद या प्रभाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी कंपनी या फर्म में रोजगार दिलाने के लिए उपयोग नहीं करेगा;

(2) (i) कोई भी प्रथम श्रेणी अधिकारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित को किसी ऐसी कंपनी या फर्म में, जिसके साथ उसका आधिकारिक लेन-देन है, या किसी अन्य कंपनी या फर्म में, जिसका सरकार के साथ आधिकारिक लेन-देन है, रोजगार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा:

(ii) कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे ही उसे अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी कंपनी या फर्म में रोजगार स्वीकार किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है, ऐसी स्वीकृति की सूचना विहित प्राधिकारी को देगा और यह भी सूचित करेगा कि क्या उसका उस कंपनी या फर्म के साथ कोई आधिकारिक लेन-देन है या था:

(3) कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी कंपनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई मामला नहीं संभालेगा या कोई अनुबंध नहीं देगा या स्वीकृत नहीं करेगा, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उस कंपनी या फर्म में या उस व्यक्ति के अधीन कार्यरत है या यदि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य तरीके से ऐसे मामले या अनुबंध में हितबद्ध है और सरकारी कर्मचारी ऐसे प्रत्येक मामले या अनुबंध को अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजेगा और उसके बाद उस मामले या अनुबंध का निपटारा उस प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जिसे संदर्भित किया गया है।

5. राजनीति और चुनावों में भाग लेना

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं होगा या उससे अन्यथा संबद्ध नहीं होगा जो राजनीति में भाग लेता हो, न ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा, उसकी सहायता के लिए चंदा देगा या किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा।

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चंदा देने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोकने का प्रयास करे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध हो या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता हो और जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चंदा देने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, तो वह इस आशय की रिपोर्ट सरकार को देगा।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई दल राजनीतिक दल है या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या कोई आंदोलन या गतिविधि उप-नियम (2) के दायरे में आती है, तो उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(3) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में प्रचार नहीं करेगा, अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा, या अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा:

परंतु -

(i) ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए अर्ह कोई सरकारी कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, किन्तु जहाँ वह ऐसा करता है, वहाँ वह इस बात का कोई संकेत नहीं देगा कि वह किस प्रकार मतदान करने का प्रस्ताव रखता है या कर चुका है;

(ii) किसी सरकारी कर्मचारी को केवल इस कारण इस उप-नियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह किसी तत्समय प्रवृत्त कानून द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य के सम्यक् पालन में चुनाव के संचालन में सहायता करता है। स्पष्टीकरण - किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शरीर, वाहन या आवास पर किसी चुनावी प्रतीक का प्रदर्शन इस उप-नियम के अर्थ में चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करने के समान होगा।

7. प्रदर्शन और हड़तालें

कोई भी सरकारी कर्मचारी -

(i) किसी ऐसे प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा या भाग नहीं लेगा जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो, या जिसमें न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना शामिल हो, या

(ii) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार की हड़ताल, जबरदस्ती या शारीरिक दबाव का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा नहीं देगा।

8. प्रेस या अन्य मीडिया से संबंध

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी समाचार पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वामित्व नहीं रखेगा, या उसके संपादन या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा या उसका संचालन नहीं करेगा।

(2) उप-नियम (1) की कोई भी बात उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में कोई पुस्तक प्रकाशित करता है या किसी सार्वजनिक मीडिया में भाग लेता है।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी, जो कोई पुस्तक प्रकाशित करता है या सार्वजनिक मीडिया में भाग लेता है, उसे हर समय यह स्पष्ट करना होगा कि उसके द्वारा व्यक्त विचार उसके अपने हैं, न कि सरकार के।

9. सरकार की आलोचना

कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित या अपने नाम से या गुमनाम, छद्म नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज़ में या प्रेस को भेजे गए किसी संचार में या किसी सार्वजनिक वक्तव्य में, कोई तथ्य या राय का कथन नहीं करेगा -

(i) जिसका प्रभाव केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी वर्तमान या हालिया नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना के रूप में हो:

(ii) जो केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच संबंधों को खराब करने में सक्षम हो; या

(iii) जो केंद्र सरकार और किसी विदेशी राज्य सरकार के बीच संबंधों को खराब करने में सक्षम हो;

बशर्ते कि इस नियम की कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी आधिकारिक हैसियत में या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सम्यक पालन में दिए गए किसी भी कथन या व्यक्त विचारों पर लागू नहीं होगी।

13. उपहार

(1) इन नियमों में दिए गए प्रावधानों के अलावा, कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, न ही अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा। स्पष्टीकरण: "उपहार" में निःशुल्क परिवहन, भोजन, आवास या अन्य सेवा या कोई अन्य आर्थिक लाभ शामिल होगा, जब वह किसी निकट संबंधी या निजी मित्र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया हो, जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ कोई आधिकारिक लेन-देन न हो।

नोट (1) - आकस्मिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य को उपहार नहीं माना जाएगा। - नोट (2) - कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने साथ आधिकारिक लेन-देन रखने वाले किसी भी व्यक्ति, औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्म, संगठन आदि से भव्य आतिथ्य या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचेगा।

[(2) विवाह, वर्षगांठ, अंत्येष्टि या धार्मिक समारोह जैसे अवसरों पर, जब दान देना प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, तो सरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों या अपने निजी मित्रों से, जिनका उससे कोई आधिकारिक लेन-देन नहीं है, उपहार स्वीकार कर सकता है, किन्तु यदि ऐसे उपहार का मूल्य इससे अधिक हो तो उसे सरकार को सूचित करना होगा:-

(i) समूह 'क' का कोई पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी की स्थिति में पच्चीस हजार रुपये;

(ii) समूह 'ख' का कोई पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी की स्थिति में पंद्रह हजार रुपये;

(iii) समूह 'ग' का कोई पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी की स्थिति में सात हजार पांच सौ रुपये; और

(3) किसी अन्य मामले में, यदि किसी सरकारी कर्मचारी का मूल्य इससे अधिक हो तो वह सरकार की मंजूरी के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा।

(i) समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी की स्थिति में एक हजार पांच सौ रुपये; और

(ii) समूह 'ग' या समूह 'घ' का कोई पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी की स्थिति में पांच सौ रुपये।

13-ए. दहेज

कोई भी सरकारी कर्मचारी-

(i) दहेज नहीं देगा या नहीं लेगा या दहेज देने या लेने के लिए प्रेरित नहीं करेगा; या

(ii) दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता या अभिभावक से, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं करेगा।

15. निजी व्यापार या रोज़गार

(1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना-

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या कारोबार में संलग्न नहीं होगा, या

(ख) किसी अन्य रोज़गार के लिए बातचीत नहीं करेगा या उसे ग्रहण नहीं करेगा, या

(ग) किसी भी निकाय में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, कोई निर्वाचित पद धारण नहीं करेगा, या किसी निर्वाचित पद के लिए किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेगा, या

(घ) अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व या प्रबंधन वाली किसी बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी आदि के कारोबार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा, या

(ङ) अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 या किसी अन्य लागू कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत होने के लिए आवश्यक किसी बैंक या अन्य कंपनी, या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किसी सहकारी समिति के पंजीकरण, प्रचार या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा।

(च) निम्नलिखित के निर्माण में किसी भी तरह से भाग नहीं लेगा या स्वयं को संबद्ध नहीं करेगा-

(i) एक प्रायोजित मीडिया (रेडियो या टेलीविजन) कार्यक्रम; या

(ii) सरकारी मीडिया द्वारा संचालित किन्तु निजी एजेंसी द्वारा निर्मित मीडिया कार्यक्रम; या

(iii) वीडियो पत्रिका सहित निजी तौर पर निर्मित मीडिया कार्यक्रम:

बशर्ते कि यदि सरकारी कर्मचारी अपनी आधिकारिक क्षमता में सरकारी मीडिया द्वारा निर्मित या संचालित कार्यक्रम में भाग लेता है, तो किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना -

(क) सामाजिक या धर्मार्थ प्रकृति का मानद कार्य कर सकता है, या

(ख) साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का कभी-कभार कार्य कर सकता है, या

(ग) शौकिया तौर पर खेल गतिविधियों में भाग ले सकता है, या

(घ) किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ संस्था या क्लब या समरूप संगठन के पंजीकरण, प्रचार या प्रबंधन (जिसमें कोई निर्वाचित पद धारण करना शामिल नहीं है) में भाग ले सकता है, जिसका उद्देश्य या लक्ष्य खेल, सांस्कृतिक या मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून के तहत पंजीकृत है, या

(ङ) सहकारी संस्था अधिनियम, 1912 या किसी अन्य समय प्रवृत्त कानून के तहत पंजीकृत किसी सहकारी संस्था के पंजीकरण, प्रचार या प्रबंधन (जिसमें कोई निर्वाचित पद धारण करना शामिल नहीं है) में भाग ले सकता है:

बशर्ते कि: -

यदि सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए, तो वह ऐसी गतिविधियों में भाग लेना बंद कर देगा; और

(i) इस उप-नियम के खंड (घ) या खंड (ङ) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में, उसके आधिकारिक कर्तव्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह ऐसी गतिविधि में भाग लेने के एक महीने की अवधि के भीतर, अपनी भागीदारी की प्रकृति का विवरण देते हुए सरकार को रिपोर्ट करेगा।

(3) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सरकार को रिपोर्ट करना होगा यदि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या व्यवसाय में लगा हुआ है या किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का मालिक या प्रबंधक है।

(4) जब तक सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी निजी या सार्वजनिक निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए विहित प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई शुल्क स्वीकार नहीं कर सकता है।

15 क. सरकारी आवास को उप-किराए पर देना और खाली करना

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, कोई भी सरकारी कर्मचारी उसे आवंटित सरकारी आवास को उप-किराए पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा या किसी अन्य व्यक्ति को उस पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी आवास के आवंटन के रद्द होने के पश्चात, आवंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसे खाली कर देगा।

16. निवेश, उधार और उधार लेना

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा: बशर्ते कि इस उप-नियम की कोई भी बात स्टॉक ब्रोकरों या विधिवत अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त अन्य व्यक्तियों या जिन्होंने संबंधित कानून के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, के माध्यम से किए गए सामयिक निवेशों पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद या बिक्री या दोनों को इस उप-नियम के अर्थ में सट्टा माना जाएगा।

(2) (i) कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई निवेश नहीं करेगा, या अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसा निवेश करने की अनुमति नहीं देगा, जिससे उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसे शर्मिंदा होने या प्रभावित होने की संभावना हो। इस प्रयोजन के लिए, कंपनियों के निदेशकों या उनके मित्रों और सहयोगियों के लिए आरक्षित कोटे से शेयरों की कोई भी खरीद एक ऐसा निवेश माना जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारी को शर्मिंदा होने की संभावना हो।

(ii) कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के मूल्य निर्धारण की निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, ऐसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम में शेयरों के आवंटन के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन उप-नियम (1) या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तो उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(i) कोई भी सरकारी कर्मचारी, किसी बैंक या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के साथ सामान्य व्यावसायिक क्रम में, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से,-

(क) अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके साथ उसका आधिकारिक लेन-देन होने की संभावना है, किसी व्यक्ति या फर्म या निजी लिमिटेड कंपनी को, या उसके साथ, प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में, धन उधार नहीं देगा, उधार नहीं लेगा या जमा नहीं करेगा या अन्यथा

ऐसे व्यक्ति या फर्म या निजी लिमिटेड कंपनी के प्रति स्वयं को किसी वित्तीय दायित्व के अधीन नहीं रखेगा; या

(ख) किसी व्यक्ति को ब्याज पर या किसी ऐसे तरीके से धन उधार देगा जिससे धन या वस्तु के रूप में प्रतिफल लिया या भुगतान किया जाए;

परंतु कोई सरकारी कर्मचारी किसी रिश्तेदार या निजी मित्र को ब्याज मुक्त एक छोटी राशि का पूर्णतः अस्थायी ऋण दे सकता है या स्वीकार कर सकता है, या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ ऋण खाता संचालित कर सकता है या अपने निजी कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकता है; यह भी परंतु यह कि इस उप-नियम की कोई भी बात किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार की पूर्व स्वीकृति से किए गए किसी भी लेन-देन के संबंध में लागू नहीं होगी।

(ii) जब किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसे पद पर नियुक्त या स्थानांतरित किया जाता है जिससे वह उप-नियम (2) या उप-नियम (4) के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वह तुरंत विहित प्राधिकारी को परिस्थितियों की सूचना देगा और उसके बाद ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कार्य करेगा।

17. दिवालियापन और आदतन ऋणग्रस्तता

एक सरकारी कर्मचारी अपने निजी मामलों का प्रबंधन इस प्रकार करेगा कि आदतन ऋणग्रस्तता या दिवालियापन से बचा जा सके। जिस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उसके बकाया ऋण की वसूली या उसे दिवालिया घोषित करने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है, उसे तुरंत सरकार को कानूनी कार्यवाही के पूरे तथ्य की सूचना देनी होगी।

18. चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति

(1) (i) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी भी सेवा या पद पर अपनी पहली नियुक्ति पर, सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित का पूरा विवरण दिया जाएगा -

(क) उसे विरासत में मिली, या उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा अर्जित या उसके द्वारा पट्टे या बंधक पर धारित अचल संपत्ति, चाहे वह उसके अपने नाम पर हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो;

(ख) शेयर, डिबेंचर और नकदी, जिसमें उसे विरासत में मिली या उसी प्रकार उसके स्वामित्व में, अर्जित या धारित बैंक जमा शामिल हैं;

(ग) उसे विरासत में मिली या उसी प्रकार उसके स्वामित्व में, अर्जित या धारित अन्य चल संपत्ति; और

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियाँ।

समूह 'क' और समूह 'ख' में शामिल किसी भी सेवा से संबंधित या किसी भी पद पर आसीन प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उसे विरासत में मिली या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित या उसके द्वारा अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर धारित अचल संपत्ति के संबंध में पूर्ण विवरण दिया जाएगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना, अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पट्टे, बंधक, क्रय, विक्रय, उपहार या अन्यथा किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान नहीं करेगा:

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई लेन-देन उसके साथ आधिकारिक व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ हो, तो सरकारी कर्मचारी को विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(3) जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से चल संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन करता है, तो वह ऐसे लेन-देन की तारीख से एक महीने के भीतर विहित प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य सरकारी कर्मचारी के दो महीने के मूल वेतन से अधिक है:

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका उसके साथ आधिकारिक व्यवहार हो, तो सरकारी कर्मचारी को विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

स्पष्टीकरण 1. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

(1) "चल संपत्ति" शब्द में शामिल हैं-

(क) आभूषण, बीमा पॉलिसियां, जिनका वार्षिक प्रीमियम सरकारी कर्मचारी के 'दो महीने के मूल वेतन' से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियां और डिबेंचर;

(ख) सभी ऋण, चाहे वे सुरक्षित हों या नहीं, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए या लिए गए;

(ग) मोटर कार, मोटर साइकिल, घोड़े या परिवहन का कोई अन्य साधन; और

(घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम और टेलीविजन सेट।

20. गैर-सरकारी या अन्य बाहरी प्रभाव का प्रचार

कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा या डालने का प्रयास नहीं करेगा।

21. विवाह संबंधी प्रतिबंध

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा या अनुबंध नहीं करेगा जिसका पति/पत्नी जीवित हो; और

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसका पति/पत्नी जीवित हो, किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा या अनुबंध नहीं करेगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को खंड (1) या खंड (2) में निर्दिष्ट किसी भी विवाह में प्रवेश करने या अनुबंध करने की अनुमति दे सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि-

(क) ऐसा विवाह ऐसे सरकारी कर्मचारी और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमेय है; और ऐसा करने के अन्य आधार हैं।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या करने वाला है, इस तथ्य की सूचना तुरंत सरकार को देगा।

22. मादक पेय और नशीली दवाओं का सेवन

सरकारी कर्मचारी -

(क) किसी भी क्षेत्र में, जहाँ वह वर्तमान में हो, मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का कड़ाई से पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्य के दौरान किसी भी मादक पेय या नशीली दवा के प्रभाव में नहीं रहेगा और यह भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन ऐसे पेय या नशीली दवा के प्रभाव से किसी भी तरह प्रभावित न हो;

(खख) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मादक पेय या नशीली दवा का सेवन करने से परहेज करेगा;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी भी मादक पेय या नशीली दवा का अत्यधिक सेवन नहीं करेगा।

☘ ☘ ☘

4. सामान्य वित्तीय नियम, 2017
(महत्वपूर्ण नियमों का सार)

4. General Financial Rules, 2017
(Extract of Important Rules)

नियम 7

सरकार द्वारा या उसकी ओर से सरकार के बकाया के रूप में या जमा, प्रेषण या अन्य किसी रूप में प्राप्त सभी धनराशियाँ, संविधान के अनुच्छेद 150 और 283 (1) के अंतर्गत जारी किए जा सकने वाले सामान्य या विशेष नियमों के अनुसार, बिना किसी देरी के सरकारी खाते में जमा की जाएँगी।

नियम 12

सरकार को देय राशियाँ बिना पर्याप्त कारणों के बकाया नहीं छोड़ी जाएँगी। जहाँ ऐसी राशियाँ वसूली योग्य न प्रतीत हों, वहाँ उनके समायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए जाएँगे।

व्यय और धन के भुगतान से संबंधित सामान्य सिद्धांत

नियम 21

वित्तीय औचित्य के मानक। सार्वजनिक धन से व्यय करने या अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय व्यवस्था और कठोर मितव्ययिता भी लागू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कार्यालय और अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन किया जाए। जिन सिद्धांतों पर सामान्यतः बल दिया जाता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

(i) प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उसी प्रकार सतर्कता बरते जैसा कि एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने धन के व्यय के संबंध में बरतेगा।

(ii) व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की अपेक्षा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) किसी भी प्राधिकारी को व्यय स्वीकृत करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपने लाभ के लिए हो।

(iv) सार्वजनिक धन से व्यय किसी व्यक्ति विशेष या जनता के किसी वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि -

(क) राशि के लिए दावा न्यायालय में लागू न किया जा सके, या

(ख) व्यय किसी मान्यता प्राप्त नीति या प्रथा के अनुसरण में न हो।

नियम 33 (6)

सरकारी कर्मचारियों की दोषसिद्धि के कारण सरकार को होने वाली हानि के मामलों में, हानि का वहन लेन-देन से संबंधित केंद्रीय सरकारी विभाग या राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, यदि दोषी सरकारी अधिकारियों से नकद राशि वसूली जाती है, तो रसीद केंद्र सरकार के उस विभाग या राज्य सरकार के खाते में जमा की जाएगी, जिसे हानि हुई है।

नियम 33 (7)

चेकों के गलत या अनियमित जारीकरण या प्राप्तियों के अनियमित लेखांकन से उत्पन्न सरकारी धन की हानि से संबंधित सभी मामलों की रिपोर्ट लेखा महानियंत्रक को हानि के कारणों सहित दी जाएगी, ताकि वह नियमों या प्रक्रियाओं में, यदि कोई हो, दोषों को दूर करने के लिए कदम उठा सकें।

नियम 34

आग, चोरी, धोखाधड़ी के कारण सरकारी संपत्ति की हानि। विभागीय अधिकारी, नियम 33 में निर्धारित कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आग, चोरी, धोखाधड़ी आदि के परिणामस्वरूप सरकारी संपत्ति की भौतिक हानि या विनाश से संबंधित मामलों में नीचे दिए गए प्रावधानों का पालन करेंगे।

आग, चोरी, धोखाधड़ी आदि के संदिग्ध कारणों से पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के सभी नुकसानों की जाँच के लिए यथाशीघ्र पुलिस को रिपोर्ट की जाएगी।

एक बार जब मामला पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है, तो सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस को उनकी जाँच में सहायता करनी चाहिए। पुलिस प्राधिकारियों को भेजे गए सभी मामलों में उनसे एक औपचारिक जाँच रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।

नियम 35

आग, बाढ़ आदि से अचल संपत्ति का नुकसान। आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से हुई अचल संपत्ति, जैसे भवन, संचार या अन्य निर्माण, की पचास हजार रुपये से अधिक की सभी हानि की सूचना संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा सामान्य माध्यम से सरकार को तुरंत दी जाएगी। अन्य सभी हानियों की सूचना तुरंत अगले उच्च प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

नियम 37

हानि का उत्तरदायित्व। किसी अधिकारी को उसकी ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण सरकार को हुई किसी भी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उसे किसी अन्य अधिकारी की धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाली किसी भी हानि के लिए भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जहाँ तक यह दर्शाया जा सके कि उसने अपनी कार्रवाई या लापरवाही से हानि में योगदान दिया है। हानि के उत्तरदायित्व के आकलन हेतु विभागीय कार्यवाही परिशिष्ट 1 में निहित निर्देशों और कार्मिक मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार संचालित की जाएगी।

नियम 42

वित्तीय वर्ष। सरकार का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।

बजट के विरुद्ध व्यय नियंत्रण

नियम 57 (1)

व्यय नियंत्रण का उत्तरदायित्व। केंद्र सरकार के विभाग, अपने अधीन स्वीकृत अनुदानों और विनियोगों के विरुद्ध व्यय नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होंगे। यह नियंत्रण विभागाध्यक्षों और अन्य नियंत्रण अधिकारियों, यदि कोई हों, तथा उनके अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

नियम 59

बचत या अधिकता का अनुमान लगाने के लिए विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आवश्यक है। विभागाध्यक्ष या नियंत्रण अधिकारी हर महीने बचत या अधिकता की संभावना का अनुमान लगाने और नियम 62 में दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें नियमित करने में सक्षम होंगे।

नियम 62 (2)

बचत और प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, तुरंत सरकार को सौंप दिया जाएगा। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं रखी जाएगी।

नियम 62 (3)

व्यय की अधिकता, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन मानी जाएगी और इससे बचा जाना चाहिए। मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार निर्धारित मासिक

व्यय योजना और आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

नियम 75

लेखा अवधि। केंद्र सरकार के वार्षिक खातों में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले लेन-देन दर्ज किए जाएँगे।

नियम 76

खाते किस मुद्रा में रखे जाएँगे। सरकार के खाते भारतीय रुपये में रखे जाएँगे। सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन और विदेशी सहायता को भारतीय रुपये में रूपांतरण के बाद खाते में लाया जाएगा।

माल की खरीद

नियम 143

माल की परिभाषा। इस अध्याय में प्रयुक्त 'माल' शब्द में सभी वस्तुएँ, सामग्री, वस्तु, पशुधन, फर्नीचर, फिक्सचर, कच्चा माल, पुर्जे, उपकरण, मशीनरी, उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, वाहन, विमान, जहाज, दवाइयाँ, रेलवे रोलिंग स्टॉक, असेंबली, सब-असेंबली, सहायक उपकरण, एकीकृत उत्पादन प्रक्रिया से युक्त मशीनरी का समूह या माल की ऐसी अन्य श्रेणी या अमूर्त उत्पाद जैसे सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंस, पेटेंट या सरकार के उपयोग के लिए खरीदे गए या अन्यथा प्राप्त अन्य बौद्धिक संपदाएँ शामिल हैं, लेकिन पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, प्रकाशन, पत्रिकाएँ आदि इसमें शामिल नहीं हैं। 'माल' शब्द में ऐसे कार्य और सेवाएँ भी शामिल हैं जो ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित या परिणामी हैं, जैसे परिवहन, बीमा, स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण और रखरखाव।

नियम 144

सार्वजनिक खरीद के मूलभूत सिद्धांत (कार्यों की खरीद सहित सभी खरीद के लिए)। जनहित में वस्तुओं की खरीद की वित्तीय शक्तियों से प्रत्यायोजित प्रत्येक प्राधिकरण की सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता लाने और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार करने तथा सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी।

सार्वजनिक खरीद करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए:

-

(i) खरीद की विषय-वस्तु का विवरण, जहाँ तक संभव हो, -

(a) वस्तुनिष्ठ, कार्यात्मक, सामान्य और मापनीय होना चाहिए और तकनीकी, गुणात्मक और प्रदर्शन विशेषताओं को निर्दिष्ट करना चाहिए।

(b) किसी विशेष ट्रेडमार्क, व्यापार नाम या ब्रांड की आवश्यकता का संकेत नहीं देना चाहिए।

(ii) गुणवत्ता, प्रकार आदि के संदर्भ में विनिर्देशों, साथ ही खरीदे जाने वाले माल की मात्रा, को खरीद करने वाले संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इस प्रकार तैयार किए गए विनिर्देशों को संगठन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, बिना किसी अनावश्यक और गैर-आवश्यक विशेषताओं को शामिल किए, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित व्यय हो सकता है।

(iii) जहाँ लागू हो, तकनीकी विनिर्देश, जहाँ तक संभव हो, राष्ट्रीय तकनीकी विनियमों या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों या भवन संहिताओं पर आधारित होंगे, जहाँ ऐसे मानक मौजूद हों, और उनकी अनुपस्थिति में, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होंगे। भारत सरकार द्वारा विदेशों में वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में, तकनीकी विनिर्देश मेजबान लाभार्थी सरकार की आवश्यकताओं और मानकों के आधार पर तैयार किए जा सकते हैं, जहाँ ऐसे मानक मौजूद हों।

बशर्ते कि कोई खरीद करने वाली संस्था, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी अन्य तकनीकी विनिर्देश को अपना सकती है।

(iv) इन्वेंट्री वहन लागत से बचने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीद से बचने का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(v) निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने चाहिए।

(vi) क्रय प्राधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव सभी प्रकार से आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करता है।

(vii) क्रय प्राधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव का मूल्य उचित है और अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप है।

नियम 145

माल खरीदने के लिए सक्षम प्राधिकारी। कोई प्राधिकारी जो व्यय करने में सक्षम है, निम्नलिखित नियमों में निहित सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक सेवा में उपयोग के लिए आवश्यक माल की खरीद को मंजूरी दे सकता है।

नियम 147

वस्तुओं की खरीद के लिए शक्तियाँ। [मंत्रालयों या विभागों को उन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपनी व्यवस्था करने के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं जो GeM पर उपलब्ध नहीं हैं। GeM पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को नियम 149 के अनुसार अनिवार्य रूप से GeM के माध्यम से ही खरीदा जाना आवश्यक है।]

नियम 149

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)

भारत सरकार ने सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) की स्थापना की है। GeM SPV संभावित आपूर्तिकर्ताओं के लिए GeM के माध्यम से खरीदी जाने वाली वस्तुओं का आवधिक विज्ञापन सहित पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा। GeM पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए मंत्रालयों या विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य होगी। GeM पर आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडेंशियल GeM SPV द्वारा प्रमाणित किए जाएँगे। खरीद अधिकारी दरों की उचितता प्रमाणित करेंगे। सरकारी क्रेता सीधे ऑनलाइन खरीद के लिए GeM पोर्टल का उपयोग निम्नानुसार करेंगे:

(i) GeM पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से 50,000/- रुपये तक, जो अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और वितरण अवधि को पूरा करता हो।

नोट: ऑटोमोबाइल के मामले में, इस उप-नियम के अंतर्गत खरीद बिना किसी अधिकतम सीमा के अनुमत है।

(ii) GeM पर उपलब्ध विक्रेताओं में से सबसे कम कीमत वाले कम से कम तीन विभिन्न निर्माताओं के GeM विक्रेता के माध्यम से 50,000/- रुपये से अधिक और 10,00,000/- रुपये तक, जो अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और वितरण अवधि को पूरा करता हो। GeM पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली और ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के उपकरणों का उपयोग क्रेता द्वारा 10,00,000/- रुपये से कम की खरीद के लिए भी किया जा सकता है।

(iii) अनिवार्य रूप से बोलियाँ प्राप्त करने के बाद, अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और वितरण अवधि को पूरा करने वाले न्यूनतम मूल्य वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम से 10,00,000/- रुपये से अधिक की राशि, GeM पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली या रिवर्स नीलामी उपकरण का उपयोग करके।

(iv) ऑनलाइन ई-बोली/रिवर्स नीलामी का निमंत्रण पोर्टल पर पंजीकृत सभी मौजूदा विक्रेताओं या अन्य विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने GeM के नियमों और शर्तों के अनुसार, किसी विशेष उत्पाद/सेवा श्रेणी के अंतर्गत अपनी वस्तुओं/सेवाओं की पेशकश की है।

(v) उपर्युक्त मौद्रिक सीमा केवल GeM के माध्यम से की गई खरीद के लिए लागू है। GeM के बाहर की गई खरीद के लिए, यदि कोई हो, तो संबंधित GFR नियम लागू होंगे।

(vi) मंत्रालय/विभाग बजट अनुमान (BE) तैयार करते समय अपनी आवश्यकता/उपयुक्तता के अनुसार "OPEX" मॉडल या "CAPEX" मॉडल पर वस्तुओं और सेवाओं की अपनी खरीद आवश्यकताओं की गणना करेंगे और बजट अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर GeM पोर्टल पर वस्तुओं और सेवाओं की अपनी वार्षिक खरीद योजना प्रस्तुत करेंगे।

(vii) सरकारी क्रेता, GeM पर उपलब्ध बिज़नेस एनालिटिक्स (BA) टूल का उपयोग करके, जिसमें GeM पर अंतिम क्रय मूल्य, विभाग का अपना अंतिम क्रय मूल्य आदि शामिल हैं, ऑर्डर देने से पहले कीमतों की उचितता का पता लगा सकते हैं।

(viii) वस्तुओं की माँग को छोटी-छोटी मात्राओं में विभाजित करके टुकड़ों में खरीदारी नहीं की जाएगी ताकि GeM पर L-1 क्रय/बोली/रिवर्स नीलामी के माध्यम से खरीद से बचा जा सके या कुल माँग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े।

नियम 154

बिना कोटेशन के वस्तुओं की खरीद।

प्रत्येक अवसर पर केवल 50,000 रुपये (पचास हज़ार रुपये) मूल्य तक की वस्तुओं की खरीद, निम्नलिखित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर कोटेशन या बोली आमंत्रित किए बिना की जा सकती है।

"मैं" व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ कि खरीदी गई ये वस्तुएँ अपेक्षित गुणवत्ता और विनिर्देशों की हैं और एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित मूल्य पर खरीदी गई हैं।"

नियम 155

वस्तुओं की खरीद क्रय समिति।

[यदि कोई वस्तु GeM पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है,]

प्रत्येक अवसर पर [50,000 रुपये (केवल पचास हज़ार रुपये) से अधिक और 5,00,000 रुपये (केवल पाँच लाख रुपये) तक] मूल्य की वस्तुओं की खरीद, विभागाध्यक्ष द्वारा तय किए गए उचित स्तर के तीन सदस्यों वाली विधिवत गठित स्थानीय क्रय समिति की सिफारिशों पर की जा सकती है। समिति दर, गुणवत्ता और विनिर्देशों की उचितता का पता लगाने के लिए बाज़ार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। क्रय आदेश देने की सिफारिश करने से पहले, समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नलिखित प्रमाण पत्र दर्ज करेंगे:

"प्रमाणित किया जाता है कि हम, क्रय समिति के सदस्य, संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं कि खरीद के लिए अनुशंसित वस्तुएँ अपेक्षित विनिर्देशों और गुणवत्ता की हैं, और उनकी कीमत प्रचलित बाजार दर पर है और अनुशंसित आपूर्तिकर्ता विश्वसनीय है और संबंधित माल की आपूर्ति करने में सक्षम है, और उसे वाणिज्य विभाग या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।]

नियम 157

माल की मांग को छोटी मात्रा में विभाजित करके टुकड़ों में खरीदारी नहीं की जानी चाहिए ताकि कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में उच्च प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से बचा जा सके।

नियम 160

ई-खरीद

(i) मंत्रालयों/विभागों के लिए सभी खरीदों के संबंध में सभी बोलियाँ ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करना अनिवार्य है।

(vi) सामान्यतः, बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि या बिक्री के लिए बोली दस्तावेज़ की उपलब्धता, जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह होना चाहिए। जहाँ विभाग विदेश से भी बोलियाँ प्राप्त करने पर विचार करता है, वहाँ घरेलू और विदेशी दोनों बोलीदाताओं के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।

नियम 162

सीमित निविदा पूछताछ

(i) यह पद्धति तब अपनाई जा सकती है जब खरीदी जाने वाली वस्तुओं का अनुमानित मूल्य पच्चीस लाख रुपये तक हो। बोली दस्तावेज़ की प्रतियाँ उन फर्मों को सीधे स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कूरियर/ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए जो ऊपर नियम 150 के अंतर्गत उल्लिखित वस्तुओं के

लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल हैं। सीमित निविदा पूछताछ में आपूर्तिकर्ता फर्मों की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए।

प्रतिस्पर्धी आधार पर अधिक प्रतिक्रियाशील बोलियाँ प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, किसी संगठन को नियम 159 के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) पर अपनी सीमित निविदा पूछताछ प्रकाशित करनी चाहिए।

CPPP के अलावा, संगठनों को विभाग या मंत्रालय की वेबसाइट पर भी निविदा पूछताछ प्रकाशित करनी चाहिए।

(ii) अनचाही बोलियाँ स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। हालाँकि, मंत्रालयों/विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके द्वारा इच्छुक फर्म पंजीकरण करा सकें और अगले दौर की निविदा में बोली लगा सकें।

(iii) निम्नलिखित परिस्थितियों में, जहाँ खरीद का अनुमानित मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक है, वहाँ भी सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से खरीद को अपनाया जा सकता है।

(क) मंत्रालय या विभाग का सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि माँग अत्यावश्यक है और विज्ञापित निविदा पूछताछ के माध्यम से खरीद न करने से होने वाला कोई भी अतिरिक्त व्यय अत्यावश्यकता को देखते हुए उचित है। मंत्रालय या विभाग को अत्यावश्यकता की प्रकृति और खरीद का पूर्वानुमान न लगा पाने के कारणों को भी रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त कारण हैं, जो दर्शाते हैं कि विज्ञापित निविदा पूछताछ के माध्यम से माल की खरीद करना जनहित में नहीं होगा।

(ग) आपूर्ति के स्रोत निश्चित रूप से ज्ञात हैं और उपयोग किए जा रहे स्रोतों के अलावा नए स्रोतों की संभावना बहुत कम है।

(घ) सीमित निविदा पूछताछ के मामलों में बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

नियम 170 बोली सुरक्षा

(i) विज्ञापित या सीमित निविदा पूछताछ के मामले में बोली की वैधता अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा अपनी बोली वापस लेने या उसमें परिवर्तन करने से बचाव के लिए, बोली सुरक्षा (जिसे बयाना राशि भी कहा जाता है) बोलीदाताओं से प्राप्त की जानी है, सिवाय सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई खरीद नीति

में परिभाषित है या जो केंद्रीय क्रय संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग [या उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप] के साथ पंजीकृत हैं।

बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ बोली सुरक्षा जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए। बोली सुरक्षा की राशि सामान्यतः खरीदी जाने वाली वस्तुओं के अनुमानित मूल्य के दो प्रतिशत से पाँच प्रतिशत के बीच होनी चाहिए। बोली सुरक्षा की राशि मंत्रालय या विभाग द्वारा तदनुसार निर्धारित की जानी चाहिए और बोली दस्तावेजों में दर्शाई जानी चाहिए। बोली सुरक्षा किसी भी वाणिज्यिक बैंक से [बीमा ज़मानत बांड], खाताधारक डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में या स्वीकार्य रूप में ऑनलाइन भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है, जिससे क्रेता के हितों की हर तरह से रक्षा हो सके। बोली सुरक्षा सामान्यतः अंतिम बोली वैधता अवधि के बाद पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए वैध रहती है।

(ii) असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूतियाँ अंतिम बोली वैधता की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र और अनुबंध प्रदान किए जाने के 30वें दिन या उससे पहले उन्हें वापस कर दी जानी चाहिए। तथापि, दो पैकेट या दो चरण की बोली के मामले में, पहले चरण अर्थात तकनीकी मूल्यांकन आदि के दौरान असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूतियाँ, पहले चरण अर्थात तकनीकी मूल्यांकन आदि के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए।]

(iii) बोली प्रतिभूति के स्थान पर, मंत्रालय/विभाग बोलीदाताओं से एक बोली प्रतिभूति घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर सकते हैं जिसमें यह स्वीकार किया जाएगा कि यदि वे वैधता अवधि के दौरान अपनी बोलियाँ वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, या यदि उन्हें अनुबंध प्रदान किया जाता है और वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं, या बोली अनुरोध दस्तावेज़ में परिभाषित समय सीमा से पहले निष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बोली अनुरोध दस्तावेज़ में निर्दिष्ट समय अवधि के लिए उस संस्था के साथ अनुबंधों के लिए बोलियाँ जमा करने के पात्र होने से निलंबित कर दिया जाएगा जिसने बोलियाँ आमंत्रित की थीं।

नियम 171 निष्पादन सुरक्षा

(i) अनुबंध के समुचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, अनुबंध प्राप्त करने वाले सफल बोलीदाता से निष्पादन सुरक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। निर्माण और संयंत्रों के अनुबंधों के विपरीत, माल के अनुबंधों के मामले में, निष्पादन सुरक्षा की आवश्यकता, विशेष प्रकार के माल के लिए बाजार की स्थितियों और व्यावसायिक व्यवहार पर निर्भर करती है। निष्पादन सुरक्षा, बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुबंध के मूल्य के [तीन से पांच प्रतिशत (3-5%)] की राशि के बराबर होनी चाहिए।

निष्पादन सुरक्षा [बीमा ज़मानत बांड], खाताधारक डिमांड ड्राफ्ट, किसी वाणिज्यिक बैंक से सावधि जमा रसीद, किसी वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) या क्रेता के हितों की सभी प्रकार से रक्षा करते हुए स्वीकार्य रूप में ऑनलाइन भुगतान के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(ii) निष्पादन सुरक्षा, वारंटी दायित्वों सहित आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।

(iii) निष्पादन सुरक्षा प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को बोली सुरक्षा वापस कर दी जानी चाहिए।

नियम 175 (1) सत्यनिष्ठा संहिता

खरीदकर्ता संस्था या बोलीदाता का कोई भी अधिकारी संहिताओं का उल्लंघन नहीं करेगा, जिसमें शामिल हैं:

(i) निम्नलिखित का निषेध -

(क) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या खरीद प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति।

(ख) कोई भी चूक, या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके।

(ग) कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।

(घ) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के इरादे से खरीदकर्ता संस्था द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।

(ङ) बोलीदाता और खरीदकर्ता संस्था के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन; जो

खरीदकर्ता संस्था के निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।

(च) खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्ष या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचाने या नुकसान पहुँचाने के लिए कोई दबाव डालना या धमकी देना।

(छ) खरीद प्रक्रिया की किसी जाँच या लेखा परीक्षा में बाधा डालना।

(ज) (i) किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध प्राप्त करने के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी जानकारी प्रदान करना;

(ii) हितों के टकराव का खुलासा।

(iii) बोलीदाता द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश में किसी भी संस्था के साथ उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पूर्व उल्लंघन या किसी अन्य खरीदकर्ता संस्था द्वारा प्रतिबंधित किए जाने का खुलासा।

नियम 175 (2)

खरीदकर्ता संस्था, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि बोलीदाता या संभावित बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, ने सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, तो वह उचित उपाय कर सकती है।

सेवाओं की प्राप्ति

नियम 177

"परामर्श सेवा" का अर्थ है, खरीद का कोई भी विषय (जो 'गैर-परामर्श सेवाओं' से भिन्न है, जिसमें मुख्य रूप से गैर-भौतिक परियोजना-विशिष्ट, बौद्धिक और प्रक्रियात्मक प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जहाँ परिणाम/डिलीवरेबल्स एक परामर्शदाता से दूसरे परामर्शदाता में भिन्न होंगे), वस्तुओं या कार्यों के अलावा, सेवा से संबंधित या परिणामी सेवाओं को छोड़कर, और इसमें पेशेवर, बौद्धिक, प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाएँ या कोई अन्य सेवा शामिल है जिसे किसी क्रयकर्ता संस्था द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत या घोषित किया गया हो, लेकिन इसमें किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की प्रत्यक्ष नियुक्ति शामिल नहीं है।

नोट: इन सेवाओं में आमतौर पर विशेषज्ञ या रणनीतिक सलाह प्रदान करना शामिल होता है, जैसे प्रबंधन सलाहकार, नीति सलाहकार, संचार सलाहकार, सलाहकार और परियोजना संबंधी परामर्श सेवाएँ, जिनमें व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना प्रबंधन, इंजीनियरिंग सेवाएँ, वित्त, लेखा और कराधान सेवाएँ, प्रशिक्षण और विकास आदि शामिल हैं।

सवाओं की आउटसोर्सिंग

नियम 197

"गैर-परामर्श सेवा" का अर्थ है, खरीद का कोई भी विषय (जो 'परामर्श सेवाओं' से भिन्न है), जिसमें भौतिक, मापनीय डिलिवरेबल्स/परिणाम, जहां प्रदर्शन मानकों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता

है और लगातार लागू किया जा सकता है, माल या कार्यों के अलावा, सेवा के लिए प्रासंगिक या परिणामी को छोड़कर, और इसमें रखरखाव, वाहन किराए पर लेना, भवन सुविधा प्रबंधन की आउटसोर्सिंग, सुरक्षा, फोटोकॉपियर सेवा, चौकीदार, कार्यालय संबंधी सेवाएं, ड्रिलिंग, हवाई फोटोग्राफी, उपग्रह इमेजरी, मानचित्रण आदि शामिल हैं।

5. अवकाश नियम

(केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 से उद्धरण)

5. LEAVE RULES

(Extracts from Central Civil Services (Leave) Rules, 1972)

नियम - 7: **छोड़ने का अधिकार:**	**छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।** सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार या रद्द किया जा सकता है, लेकिन देय और लागू छुट्टी के प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बशर्ते कि नियम 20 के तहत लागू छुट्टी को चिकित्सा प्राधिकारी के संदर्भ के बिना अस्वीकार या रद्द नहीं किया जाएगा, जिसकी सलाह बाध्यकारी होगी।
नियम - 9: **बर्खास्तगी, निष्कासन या जमा अवकाश पर त्यागपत्र का प्रभाव:**	**बर्खास्तगी और निष्कासन की स्थिति में:** जमा अवकाश के लिए कोई अवकाश वेतन नहीं दिया जाएगा। **इस्तीफे की स्थिति में:** यदि सरकारी कर्मचारी नए विभाग में पद के लिए आवेदन करता है और उचित माध्यम से आवेदन भेजता है, तो उसके जमा अवकाश समाप्त नहीं होंगे और कुल अवकाश नए पद पर जोड़ दिया जाएगा।
नियम-10: एक प्रकार के अवकाश को दूसरे में परिवर्तित करना:	सरकारी कर्मचारी के अनुरोध पर, पहले से स्वीकृत/प्राप्त अवकाश को पूर्वव्यापी रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि वह

	अवकाश की समाप्ति के बाद पुनः कार्यभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर लागू हो और अवकाश वेतन के समायोजन के अधीन हो। लेकिन सरकारी कर्मचारी इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता।
नियम 11: विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का संयोजन:	इन नियमों में अन्यथा प्रावधान के अलावा, इन नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या उसके क्रम में प्रदान किया जा सकता है।
नियम 12: छुट्टी की अधिकतम अवधि	• राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना 5 वर्ष से अधिक का अवकाश नहीं दिया जाएगा। • जब तक राष्ट्रपति अन्यथा निर्धारित न करें, यदि कोई सरकारी कर्मचारी विदेश सेवा के अलावा, अवकाश सहित या उसके बिना, लगातार 5 वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो उसे सेवा से त्यागपत्र दे दिया गया माना जाएगा। • परंतु यह नियम उस स्थिति में लागू नहीं होगा जहाँ विकलांगता के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश के लिए आवेदन किया जाता है।
नियम 13	अवकाश पर रहते हुए, किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी रोजगार करने की अनुमति नहीं है।
नियम 14: **छुट्टी के लिए आवेदन**	अवकाश या अवकाश विस्तार के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जाएगा। परंतु जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी विकलांगता के कारण आवेदन या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वहाँ ऐसा आवेदन या चिकित्सा प्रमाण पत्र निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जा सकता है: (क) सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी; या

	(ख) अविवाहित सरकारी कर्मचारी के मामले में माता-पिता; या (ग) सरकारी कर्मचारी का दत्तक पुत्र या भाई या बहन सहित बच्चा, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका हो; या (घ) कोई भी व्यक्ति जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 14 के अनुसार सरकारी कर्मचारी का सीमित संरक्षकत्व सौंपा गया हो, और यह माना जाएगा कि यह सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं बनाया और प्रस्तुत किया गया है।
नियम 15: **छुट्टी का विवरण**	कर्मचारियों का अवकाश लेखा कार्यालय प्रमुख द्वारा रखा जाएगा।
नियम 16: **अवकाश की स्वीकार्यता**	अवकाश स्वीकृत करने से पहले, स्वीकार्यता रिपोर्ट आवश्यक है। यदि ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध न हो और स्वीकार्यता रिपोर्ट प्राप्त करने में अनुचित विलंब हो, तो अवकाश की अनंतिम स्वीकृति जारी की जा सकती है।
नियम 17: **कुछ परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत न किया जाना।**	ऐसे सरकारी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिसे किसी सक्षम दंड प्राधिकारी ने सरकारी सेवा से बर्खास्त, हटाया या अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया हो।
नियम 19: **चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश स्वीकृत** **सीजीएचएस लाभार्थी:**	• एक सरकारी कर्मचारी (सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन) जो सीजीएचएस लाभार्थी है, उसे नियम 19 में निर्धारित प्रारूप में सीजीएचएस डॉक्टर/सरकारी अस्पताल से चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। • यदि कोई राजपत्रित अधिकारी, जो सीजीएचएस लाभार्थी है, बीमार पड़ जाता है, सीजीएचएस क्षेत्र से बाहर है या मुख्यालय के बाहर

	ड्यूटी पर है, तो उसे अधिकृत चिकित्सा परिचारक से चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। • यदि 8 किमी के दायरे में अधिकृत चिकित्सा परिचारक उपलब्ध नहीं है, तो एक गैर-राजपत्रित अधिकारी को पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। गैर-सीजीएचएस लाभार्थी: एक सरकारी कर्मचारी (सरकारी या गैर सरकारी) जो गैर-सीजीएचएस लाभार्थी है, उसे नियम 19 में निर्धारित प्रारूप में सरकारी अस्पताल या अधिकृत चिकित्सा परिचारक से चिकित्सा/स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय चिकित्सा राय: अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन करने वाले अधिकारी को सूचित करते हुए सिविल/स्टाफ सर्जन से द्वितीय चिकित्सा राय प्राप्त करने का विवेकाधिकार है।
नियम 25: **अवकाश की समाप्ति के बाद अनुपस्थिति**	(1) जब तक अवकाश प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी अवकाश की अवधि नहीं बढ़ाता, तब तक अवकाश की समाप्ति के बाद अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन नहीं मिलेगा और उस अवधि को उसके अवकाश खाते से अर्ध-वेतन अवकाश की तरह, देय अवकाश की सीमा तक, डेबिट किया जाएगा, और देय अवकाश से अधिक अवधि को असाधारण अवकाश माना जाएगा। (2) अवकाश की समाप्ति के बाद जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई का पात्र होगा।

नियम 26 और 27: **अर्जित अवकाश**	• जनवरी/जुलाई माह में प्रत्येक छमाही के लिए 15 दिनों का अग्रिम क्रेडिट। • नए भर्ती के मामले में, प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2 ½ दिनों की दर से क्रेडिट होगा। • पिछली छमाही के दौरान ली गई मृत्यु/अप्रत्याशित अवकाश की अवधि का 1/10वां हिस्सा अग्रिम क्रेडिट से काट लिया जाएगा। • एक बार में अधिकतम स्वीकृत अवकाश 180 दिन है।
नियम 29: **अर्ध वेतन अवकाश**	• चिकित्सा या निजी कारणों से लिया जा सकता है। • अग्रिम क्रेडिट प्रत्येक छमाही के लिए 10 दिन का होगा। • नए भर्ती के मामले में, प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन का क्रेडिट होगा। • पिछली छमाही अवधि के दौरान ली गई छुट्टियों का 1/18वाँ हिस्सा अग्रिम क्रेडिट से काट लिया जाएगा।
नियम 30: **परिवर्तित अवकाश**	• यह अर्ध वेतन अवकाश के स्थान पर है। • अधिकतम 180 दिनों तक के अर्ध वेतन अवकाश को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के संपूर्ण सेवाकाल के दौरान परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा अवकाश जनहित में किसी अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता हो। • यदि यह चिकित्सा आधार पर हो, तो कोई अधिकतम सीमा नहीं है। • मातृत्व अवकाश/बाल दत्तक ग्रहण अवकाश के क्रम में, बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के अधिकतम 60 दिनों का परिवर्तित अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
नियम 31: **अदेय अवकाश**	• यदि कोई अर्ध वेतन अवकाश जमा नहीं है, तो अदेय अवकाश चिकित्सा आधार पर और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रदान किया

	जाता है। इसे भविष्य में अर्जित अर्ध वेतन अवकाश की आय में समायोजित किया जाएगा। • अदेय अवकाश संपूर्ण सेवाकाल के दौरान केवल 360 दिनों के लिए ही स्वीकार्य है। • यदि सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र देता है/सेवानिवृत्त होता है, तो अदेय अवकाश के कारण देय अंतर अवकाश वेतन की वसूली की जानी चाहिए।
नियम 32: **असाधारण अवकाश**	• चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना भी असाधारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है। • ऐसे सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 3 महीने का अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जिसकी सेवा अभी स्थायी नहीं हुई है। • टीबी/कुष्ठ रोग/कैंसर जैसी लंबी बीमारियों के मामले में, यदि सेवा अवधि 1 वर्ष से अधिक है, तो 18 महीने का असाधारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
नियम 38-ए: **एल.टी.सी. नकदीकरण**	• किसी सरकारी कर्मचारी को एलटीसी लेते समय 10 दिनों के असाधारण अवकाश को भुनाने की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि 10 दिनों के असाधारण अवकाश के भुनाने के बाद उसके खाते में 30 दिनों का असाधारण अवकाश शेष हो और उस एलटीसी के लिए ली गई असाधारण अवकाशों की संख्या भी हो। • पूरे सेवाकाल के दौरान इस प्रकार भुनाई गई कुल छुट्टी 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
नियम 39: **सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण:**	सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने के समय अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश अर्ध वेतन अवकाश सहित नकदीकृत किया जा सकता है।

39-ए: **मृत्यु की स्थिति में अवकाश नकदीकरण**	अवकाश नियम, 1972 के नियम 39-सी के अंतर्गत निर्धारित तरीके से परिवार के सदस्यों को अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश अर्ध वेतन अवकाश सहित भुगतान किया जा सकता है।
43: **मातृत्व अवकाश**	• दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से 180 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है। • गर्भपात की स्थिति में: पूरी सेवा के दौरान 45 दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकार्य है। बच्चों की संख्या के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। • किसी भी प्रकार का देय और स्वीकार्य अवकाश (60 दिनों से अधिक नहीं का परिवर्तित अवकाश और देय नहीं अवकाश सहित) अधिकतम दो वर्ष तक, यदि आवेदन किया गया हो, तो मातृत्व अवकाश (स्वीकृत) के क्रम में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रदान किया जा सकता है।
43A: **पितृत्व अवकाश**	दो से कम जीवित बच्चों वाला पुरुष सरकारी कर्मचारी "प्रसव से पहले या प्रसव की तारीख से छह महीने तक" की अवधि के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र है।
43B: **बाल दत्तक ग्रहण अवकाश**	• वैध दत्तक ग्रहण की तारीख के तुरंत बाद 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश किसी महिला सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जा सकता है। • केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी ही बाल दत्तक ग्रहण अवकाश के लिए पात्र है।
43सी: **बाल देखभाल अवकाश**	• पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन स्वीकार्य हैं। • सातवें वेतन आयोग से पहले केवल महिला सरकारी कर्मचारी ही बाल देखभाल अवकाश के लिए पात्र हैं। लेकिन सातवें वेतन आयोग

	की सिफारिशों के अनुसार, एकल पुरुष अभिभावक भी इस बाल देखभाल अवकाश के लिए पात्र हैं। • बाल देखभाल अवकाश केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए ही स्वीकार्य है। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि बच्चा विकलांग है, तो कोई आयु सीमा नहीं है। • पहले 365 दिनों की अवधि के लिए 100% अवकाश वेतन और 365 दिनों की अवधि के दूसरे भाग के लिए अवकाश वेतन का 80% स्वीकार्य है। • एक कैलेंडर वर्ष में बाल देखभाल अवकाश की अधिकतम 3 अवधियाँ स्वीकार्य हैं। एकल माताओं के लिए, यह एक कैलेंडर वर्ष में 6 अवधियाँ हैं। • प्रत्येक अवधि में कम से कम 5 दिनों के बाल देखभाल अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। • परिवीक्षा अवधि के दौरान बाल देखभाल अवकाश सामान्यतः प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। • बाल देखभाल अवकाश के दौरान एलटीसी का लाभ उठाया जा सकता है।• बाल देखभाल अवकाश के दौरान मुख्यालय छोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स

PAY MATRIX AS PER 7TH PAY COMMISSION

Pay Band	9300-34800			15600-39100			37400-67000		67000-79000	75500-80000	80000
Grade Pay	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	10000			
Level	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	Inspector	Superintendent	NFU for Supdt.	AC	DC	JC	ADC	Commissioner	Pr. Commissioner	Chief Commissioner	Pr. Chief Commissioner
Cell No.	44,900	47,600	53,100	56,100	67,700	78,800	1,23,100	1,44,200	1,82,200	2,05,400	2,25,000
Cell No.	46,200	49,000	54,700	57,800	69,700	81,200	1,26,800	1,48,500	1,87,700	2,11,600	
Cell No.	47,600	50,500	56,300	59,500	71,800	83,600	1,30,600	1,53,000	1,93,300	2,17,900	
Cell No.	49,000	52,000	58,000	61,300	74,000	86,100	1,34,500	1,57,600	1,99,100	2,24,400	
Cell No.	50,500	53,600	59,700	63,100	76,200	88,700	1,38,500	1,62,300	2,05,100		
Cell No.	52,000	55,200	61,500	65,000	78,500	91,400	1,42,700	1,67,200	2,11,300		

Cell No.	53,600	56,900	63,300	67,000	80,900	94,100	1,47,000	1,72,200	2,17,600		
Cell No.	55,200	58,600	65,200	69,000	83,300	96,900	1,51,400	1,77,400	2,24,100		
Cell No.	56,900	60,400	67,200	71,100	85,800	99,800	1,55,900	1,82,700			
Cell No.	58,600	62,200	69,200	73,200	88,400	1,02,800	1,60,600	1,88,200			
Cell No.	60,400	64,100	71,300	75,400	91,100	1,05,900	1,65,400	1,93,800			
Cell No.	62,200	66,000	73,400	77,700	93,800	1,09,100	1,70,400	1,99,600			
Cell No.	64,100	68,000	75,600	80,000	96,600	1,12,400	1,75,500	2,05,600			
Cell No.	66,000	70,000	77,900	82,400	99,500	1,15,800	1,80,800	2,11,800			
Cell No.	68,000	72,100	80,200	84,900	1,02,500	1,19,300	1,86,200	2,18,200			
Cell No.	70,000	74,300	82,600	87,400	1,05,600	1,22,900	1,91,800				
Cell No.	72,100	76,500	85,100	90,000	1,08,800	1,26,600	1,97,600				
Cell No.	74,300	78,800	87,700	92,700	1,12,100	1,30,400	2,03,500				

Cell No.	76,500	81,200	90,300	95,500	1,15,500	1,34,300	2,09,600				
Cell No.	78,800	83,600	93,000	98,400	1,19,000	1,38,300	2,15,900				
Cell No.	81,200	86,100	95,800	1,01,400	1,22,600	1,42,400					
Cell No.	83,600	88,700	98,700	1,04,400	1,26,300	1,46,700					
Cell No.	86,100	91,400	1,01,700	1,07,500	1,30,100	1,51,100					
Cell No.	88,700	94,100	1,04,800	1,10,700	1,34,000	1,55,600					
Cell No.	91,400	96,900	1,07,900	1,14,000	1,38,000	1,60,300					
Cell No.	94,100	99,800	1,11,100	1,17,400	1,42,100	1,65,100					
Cell No.	96,900	1,02,800	1,14,400	1,20,900	1,46,400	1,70,100					
Cell No.	99,800	1,05,900	1,17,800	1,24,500	1,50,800	1,75,200					
Cell No.	1,02,800	1,09,100	1,21,300	1,28,200	1,55,300	1,80,500					
Cell No.	1,05,900	1,12,400	1,24,900	1,32,000	1,60,000	1,85,900					

Cell No.	1,09,100	1,15,800	1,28,600	1,36,000	1,64,800	1,91,500					
Cell No.	1,12,400	1,19,300	1,32,500	1,40,100	1,69,700	1,97,200					
Cell No.	1,15,800	1,22,900	1,36,500	1,44,300	1,74,800	2,03,100					
Cell No.	1,19,300	1,26,600	1,40,600	1,48,600	1,80,000	2,09,200					
Cell No.	1,22,900	1,30,400	1,44,800	1,53,100	1,85,400						
Cell No.	1,26,600	1,34,300	1,49,100	1,57,700	1,91,000						
Cell No.	1,30,400	1,38,300	1,53,600	1,62,400	1,96,700						
Cell No.	1,34,300	1,42,400	1,58,200	1,67,300	2,02,600						
Cell No.	1,38,300	1,46,700	1,62,900	1,72,300	2,08,700						
Cell No.	1,42,400	1,51,100	1,67,800	1,77,500							

अन्य भत्तों के सामान्य नियम

GENERAL RULES OF OTHER ALLOWANCES

महंगाई भत्ता (डीए):

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आम तौर पर वर्ष में दो बार घोषित किया जाएगा, पहली बार मार्च/अप्रैल में जो जनवरी से लागू होगा और दूसरी बार सितंबर/अक्टूबर में जो जुलाई से लागू होगा।

डीए का विनियमन:

1. छुट्टी के दौरान: स्वीकार्य मूल वेतन पर निर्भर करता है।

2. कार्यभार ग्रहण के दौरान: कार्यभार ग्रहण के समय के वेतन के आधार पर।

3. निलंबन के दौरान: निर्वाह भत्ते पर।

मकान किराया भत्ता (एचआरए):

पूरे भारत में कस्बों/शहरों को X, Y और Z के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के X, Y, Z शहर/कस्बें

आंध्र प्रदेश/तेलंगाना के शहरों/कस्बों का वर्गीकरण		
X	Y	Z
HRA- 30% (न्यूनतम- ₹5400)	HRA- 20% (न्यूनतम- ₹3600)	HRA-10% (न्यूनतम- ₹1800)
हैदराबाद (शहरी क्षेत्र)	विजयवाड़ा, ग्रेटर विशाखापत्तनम, गुंटूर, नेल्लोर और वारंगल के शहरी क्षेत्र।	X और Y श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए सभी शहर।

HRA पर लागू सामान्य आदेश:

- HRA की दर वेतन और कार्यस्थल पर निर्भर करती है।
- वेतन में केवल मूल वेतन शामिल है।
- (कोई अन्य वेतन जैसे NPA, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन आदि शामिल नहीं)

- छुट्टी के दौरान: अध्ययन अवकाश, बाल देखभाल अवकाश सहित सभी प्रकार के अवकाश के दौरान HRA स्वीकार्य है। लेकिन जब छुट्टी 180 दिनों से अधिक हो जाती है, तो किराए के मकान में लगातार बने रहने/कार्यस्थल पर लगातार रहने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। यदि सरकारी कर्मचारी अशक्तता/मृत्यु के कारण छुट्टी के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो छुट्टी की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता देय होता है, लेकिन त्यागपत्र देने की स्थिति में त्यागपत्र स्वीकार किए जाने से पहले ही वसूली कर ली जानी चाहिए।
- कार्यग्रहण अवधि के दौरान: मकान किराया भत्ता उसी दर पर मिलता है जिस पर स्थानांतरण से पहले मिलता था।
- निलंबन के दौरान: निलंबन के दौरान निर्धारित वेतन के आधार पर 180 दिनों की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) देय होता है। 180 दिनों की अवधि के बाद, प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
- सरकारी आवास में रहने पर मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा। यदि सरकारी कर्मचारी आवंटन स्वीकार करता है, तो आवास भत्ता कब्जे की तिथि से या आवंटन के 8वें दिन से, जो भी पहले हो, बंद कर दिया जाएगा। इनकार करने की स्थिति में, आवंटन की तिथि से मकान किराया भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
- नए स्टेशन पर केवल 8 महीने की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) देय है, बशर्ते सरकारी कर्मचारी पुराने स्टेशन पर सामान्य किराए/दंडात्मक किराए/बाज़ार किराए पर सरकारी आवास बनाए रखे।
- यदि सरकारी कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, बंदरगाह ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम आदि द्वारा अपने पति/पत्नी, माता-पिता, पुत्र/पुत्री को आवंटित आवास में रहता है, तो उसे मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा।
- अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ आवास साझा करना: मकान किराया भत्ता देय है, बशर्ते वह भुगतान की गई राशि के संदर्भ के बिना किराए/कर का भुगतान या अंशदान करे।
- परिवार के दो या दो से अधिक सदस्य सरकारी आवास साझा करते हैं, तो उनमें से केवल एक ही अपनी इच्छा से मकान किराया भत्ता ले सकता है। यदि वे निजी आवास साझा करते हैं, तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होता।

1 जुलाई, 2017 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिवहन भत्ता

वेतन स्तर प्राप्त करने वाले कर्मचारी	हैदराबाद (शहरी क्षेत्र)	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अन्य स्थानों में

9 और उससे अधिक	7200+दैनिक भत्ता	3600+दैनिक भत्ता
3 से 8 तक तथा वेतन स्तर 1 व 2 में 24,200 या उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी भी	3600+दैनिक भत्ता	1800+दैनिक भत्ता
वेतन स्तर 1 और 2 में 24,200 से कम मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी	1350+दैनिक भत्ता	900+दैनिक भत्ता

- सरकारी परिवहन सुविधा प्राप्त कर्मचारी टीपीटीए के लिए पात्र नहीं हैं।
- छुट्टी के दौरान: पूरी तरह से छुट्टी वाले कैलेंडर माह (माहों) के लिए भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
- विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान: विदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
- दौरे के दौरान: यदि कोई कर्मचारी दौरे के कारण पूरे कैलेंडर माह/माहों के लिए मुख्यालय/तैनाती स्थान से अनुपस्थित रहता है, तो वह उस/उन कैलेंडर माह/माहों के दौरान परिवहन भत्ते का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, यदि अनुपस्थिति किसी भी कैलेंडर माह (माहों) को पूरी तरह से कवर नहीं करती है, तो पूरे महीने के लिए परिवहन भत्ता स्वीकार्य होगा।
- ड्यूटी के रूप में माने जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान: यदि प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने के लिए कोई परिवहन सुविधा/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया जाता है, तो ऐसे प्रशिक्षण के दौरान भत्ता दिया जा सकता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आधिकारिक दौरे के दौरान, जब दौरे की अवधि पूरे कैलेंडर माह को कवर करती है, तो भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा, विदेश में प्रशिक्षण के दौरान, यदि प्रशिक्षण की अवधि पूरे कैलेंडर माह की हो, तो कोई परिवहन भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
- मुख्यालय के बाहर: परिवहन भत्ता ड्यूटी और निवास स्थान के बीच आने-जाने के लिए किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पूरे कैलेंडर माह की

अवधि के लिए क्षेत्र/निरीक्षण/सर्वेक्षण ड्यूटी या दौरे के लिए सड़क माइलेज/दैनिक भत्ता या निःशुल्क परिवहन मिलता है, तो वह उस कैलेंडर माह के दौरान परिवहन भत्ते का हकदार नहीं होगा।

- निलंबन के दौरान: चूँकि निलंबन के अधीन सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, इसलिए वह निलंबन के दौरान परिवहन भत्ते का हकदार नहीं है, जहाँ निलंबन पूरे कैलेंडर माह (माहों) के लिए है। यह स्थिति तब भी बनी रहेगी, जब निलंबन अवधि को अंततः ड्यूटी के रूप में माना जाता है। जहाँ निलंबन अवधि आंशिक रूप से एक कैलेंडर माह को कवर करती है, उस माह के लिए देय परिवहन भत्ता आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा।
- विकलांग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता: केन्द्र सरकार में कार्यरत विकलांग व्यक्ति सामान्य दरों के दोगुने + उस पर महंगाई भत्ते की दर से परिवहन भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं, भले ही वे परिसर में ही रहते हों - कार्यस्थल और निवास स्थान या कार्यालय से एक किलोमीटर के भीतर सरकारी या निजी आवास में।

निरीक्षक (जो विभाग में नए भर्ती के रूप में शामिल हुए हैं) का प्रारंभिक वेतन और भत्ते, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनके कार्य स्थान के अनुसार नीचे दिए गए हैं:

आंध्र प्रदेश/तेलंगाना में शहरों/कस्बों का वर्गीकरण			
शहरों/कस्बों का वर्गीकरण	X	Y	Z
HRA की दर	HRA- 30%	HRA- 20%	HRA-10%
शहर/कस्बों	हैदराबाद (शहरी क्षेत्र)	विजयवाड़ा, ग्रेटर विशाखापत्तनम, गुंटूर, नेल्लोर और वारंगल के शहरी क्षेत्र	सभी शहर जो X और Y श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हैं
मूल वेतन (Basic Pay)	44,900	44,900	44,900

दैनिक भत्ता @ 55% (w.e.f. 01-04-2025) (DA)	24,695	24,695	24,695
मकान किराया भत्ता (HRA)	13,470	8,980	4,490
परिवहन भत्ता (TA)	3,600	1,800	1,800
परिवहन भत्ते पर 55% की दर से दैनिक भत्ता (01-04-2025 से प्रभावी) (DA on TA)	1,980	990	990
कुल (Total)	**88,645**	**81,365**	**76,875**

नोट: *सकल वेतन में कोई विशेष भत्ता जैसे प्रतिनियुक्ति भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता आदि शामिल नहीं है।*

बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति

सामान्य स्वीकार्यता एवं शर्तें:	• सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी। • यदि पत्नी और पति दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, तो उनमें से केवल एक ही इसका लाभ उठा सकता है। • यदि पति/पत्नी किसी अन्य सरकारी या संगठन में कार्यरत हैं: यदि पति/पत्नी को समान भत्ता नहीं दिया जाता है और इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो सीईए स्वीकार्य हो सकता है।

किस कक्षा तक स्वीकार्य:	• नर्सरी कक्षाओं (प्रथम श्रेणी से तीन वर्ष पूर्व) से बारहवीं कक्षा तक। "तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा" के पहले दो वर्षों के लिए, बशर्ते दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रवेश लिया हो। • बच्चों को सरकारी स्कूल (राज्य या केंद्र) में पढ़ना चाहिए या स्कूल केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के मामले में सीईए स्वीकार्य है। • दिव्यांग संस्थानों के लिए: मान्यता आवश्यक नहीं है। • यदि बच्चा किसी विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब भी सीईए प्रतिपूर्ति देय होगी। वह उसी कक्षा में दोबारा पढ़ सकता है। लेकिन, किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, यदि बच्चे का उसी कक्षा में किसी अन्य स्कूल में दाखिला होता है, तो सीईए देय नहीं होगा।
बच्चों की अधिकतम सीमा:	सीईए निम्नलिखित अपवादों के साथ पहले दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए स्वीकार्य है: दूसरे बच्चे के जन्म के परिणामस्वरूप जुड़वां/एक से अधिक बच्चे पैदा होने की स्थिति में। यदि सामान्य दो बच्चों के अलावा एक और बच्चा पैदा होता है, तो नसबंदी ऑपरेशन विफल होने की स्थिति में।
प्रतिपूर्ति:	1. बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) की प्रतिपूर्ति: प्रति बच्चा 2812-50 रुपये प्रति माह। दिव्यांग बच्चे के लिए प्रति बच्चा 5625 रुपये प्रति माह (यह राशि डीए में 50% की वृद्धि होने पर प्रत्येक बार 25% की वृद्धि की जाएगी)। 2. छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति: 8,437-50 प्रति बच्चा प्रतिमाह या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो (यह राशि प्रत्येक बार महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर 25% बढ़ाई जाएगी)। नोट: बच्चे को सरकारी कर्मचारी के निवास से कम से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन करना चाहिए।

बच्चों की आयु सीमा:	1. कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। 2. सामान्य बच्चे के लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष और दिव्यांग बच्चों के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष है।
प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया:	• शैक्षणिक वर्ष पूरा होने पर वित्तीय वर्ष में एक बार प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकारी कर्मचारी को स्कूल/संस्था के प्रधानाध्यापक से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि बच्चे ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में स्कूल में अध्ययन किया है। • यदि ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उस शैक्षणिक वर्ष से संबंधित रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति या स्व-सत्यापित शुल्क रसीदें (ई-रसीदें सहित) जिसके लिए सीईए दावा कर रहा है।

यात्रा भत्ता:

हवाई जहाज/ट्रेन/बस/स्टीमर द्वारा यात्रा की पात्र श्रेणियों के लिए

TRAVELLING ALLOWANCE:

Entitled classes of JOURNEY by AIR/TRAIN/BUS/STEAMER

(संदर्भ: O.M. No. 19030/1/2017-E. IV, GOI, M.F. DOE. New Delhi dated 13-07-2017)

वेतन का स्तर	वायु	रेलगाड़ी	सड़क	अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के लिए स्टीमर	अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप द्वीपसमूह के अलावा अन्य स्थानों के लिए स्टीमर
1	2	3	4	5	6

14 और उससे अधिक	बिजनेस/ क्लब क्लास	एसी I	एसी बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया।	डीलक्स क्लास	उच्चतम वर्ग
12 और 13	किफायती वर्ग	एसी I	एसी बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया।	डीलक्स क्लास	उच्चतम वर्ग
9 से 11	किफायती वर्ग	एसी II	Actual fare by any type of public bus including AC Bus.	डीलक्स क्लास	उच्चतम वर्ग
6 से 8	किफायती वर्ग	एसी II	एसी बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया।	प्रथम/"ए" केबिन श्रेणी	निम्न श्रेणी, यदि स्टीमर पर केवल दो श्रेणियां हों।
4 और 5	हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं	एसी III	डीलक्स/साधारण बस का वास्तविक किराया	द्वितीय/'बी' केबिन श्रेणी	यदि केवल दो वर्ग हों, तो निम्न वर्ग, यदि तीन वर्ग हों, तो मध्यम या द्वितीय वर्ग, यदि चार वर्ग हों, तो तृतीय वर्ग
3 और उससे नीचे	हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं	एसी III	डीलक्स/साधारण बस का वास्तविक किराया	बंक क्लास	निम्नतम वर्ग

Note: Col.4:

1. रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के मामले में, रेल द्वारा एसी II टियर और उससे ऊपर की श्रेणी में यात्रा करने के हकदार सभी लोगों के लिए एसी बस द्वारा यात्रा की अनुमति है और अन्य लोगों के लिए डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा की अनुमति है।

2. रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच सड़क यात्रा के मामले में, सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन द्वारा यात्रा की अनुमति है, बशर्ते कुल किराया हकदार श्रेणी के रेल किराए से अधिक न हो।

यात्रा भत्ता: अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पात्रता

TRAVELLING ALLOWANCE: INTERNATIONAL TRAVEL ENTITLEMENT

(संदर्भ: DOPT O.M.No. 19030/1/2017-E.IV, GOI,M.F. DOE. New Delhi dated 13-07-2017)

वेतन का स्तर	**यात्रा पात्रता**
17 और उससे अधिक	प्रथम श्रेणी
14 से 16	बिजनेस / क्लब क्लास
13 और उससे कम	किफायती वर्ग

यात्रा भत्ता: प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/राजधानी/दुरंतो/तेजस/वंदे भारत/ हमसफर ट्रेनों में यात्रा पात्रता।

TRAVELLING ALLOWANCE: Travel Entitlements in Premium/Premium Tatkal/Suvidha/Shatabdi/Rajdhani/Duranto/Tejas/Vande Bharat/Humsafar Trains.

(संदर्भ: O.M.No. 19030/1/2017-E.IV, GOI,M.F. DOE. New Delhi dated 13-07-2017, O.M.No. 19030/1/2017-E.IV, GOI,M.F. DOE. New Delhi dated 12-09-2022 & O.M.No. 19030/1/2017-E.IV, GOI,M.F. DOE. New Delhi dated 30-08-2023)

वेतन का स्तर	प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/राजधानी/दुरंतो/वंदे भारत/हमसफर ट्रेनों में यात्रा पात्रता
12 और उससे अधिक	कार्यकारी/एसी प्रथम श्रेणी (प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/तेजस/राजधानी/वंदे भारत/हमसफर ट्रेनों के मामले में उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के अनुसार)
6 से 11	एसी द्वितीय श्रेणी (राजधानी प्रकार या समान प्रकार की ट्रेनें)/ चेयर कार (शताब्दी या समान प्रकार की ट्रेनें)
5 और उससे कम	एसी तृतीय श्रेणी (राजधानी प्रकार या समान प्रकार की ट्रेनें)/ चेयर कार (शताब्दी या समान प्रकार की ट्रेनें)

TRAVELLING ALLOWANCE: Entitlement of DAILY ALLOWANCE

(संदर्भ: O.M.No. 19030/1/2017-E. IV, GOI, M.F. DOE. New Delhi dated 13-07-2017)

वेतन का स्तर	**प्रतिदिन आवास शुल्क की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा**	**प्रतिदिन स्थानीय यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा**	**प्रतिदिन भोजन शुल्क के लिए देय एकमुश्त राशि**
1	2	3	4
14 और उससे अधिक	रु. 9,375/- + कर	एसी टैक्सी का शुल्क वास्तविक के अनुसार	रु. 1,500/-
12 और 13	रु. 5,625/- + कर	एसी टैक्सी का किराया प्रतिदिन 50 किमी तक	रु. 1,250/-
9 से 11	रु. 2,812.50 + कर	रु. 422.50 प्रतिदिन	रु. 1,125/-
6 से 8	रु. 937.50 + कर	रु. 281.25 प्रतिदिन	रु. 1,000/-

यात्रा भत्ता: दौरे/प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय यात्रा

TRAVELLING ALLOWANCE: LOCAL TRAVEL during TOUR/TRAINING

उन स्थानों पर जहां संबंधित राज्य या पड़ोसी राज्यों के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की गई हैं।

(संदर्भ: O.M. No. 19030/1/2017-E. IV, GOI, M.F. DOE. New Delhi dated 13-07-2017)

अपनी कार/टैक्सी से की गई यात्रा के लिए	रु. 30/- प्रति कि.मी.	संशोधित 01-01-2024 से प्रभावी
ऑटो रिक्शा, स्वयं के स्कूटर आदि द्वारा की गई यात्रा के लिए।	रु. 15/- प्रति कि.मी.	संशोधित 01-01-2024 से प्रभावी

अवकाश यात्रा रियायत: हवाई/रेल/बस/स्टीमर की पात्र श्रेणियां

(संदर्भ: O. M.No. 19030/1/2017-E. IV, GOI, M.F. DOE. New Delhi dated 13-07-2017, O.M. No. 31011/8/2017-Estt.A-IV, GOI, DOPT, New Delhi dated 19-09-2017 & O.M. No. 31011/3/2022- PP.A-IV, GOI, DOPT, New Delhi dated 14-01-2025)

वेतन का स्तर	वायु	रेलगाड़ी	रेलगाड़ी	स्टीमर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह के अलावा
1	2	3	4	5	6
14 और उससे अधिक	बिजनेस/ क्लब क्लास	एसी I	एसी बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया।	डीलक्स क्लास	उच्चतम वर्ग

12 और 13	किफायती वर्ग	एसी I	एसी बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया।	डीलक्स क्लास	उच्चतम वर्ग
9 से 11	किफायती वर्ग	एसी II	एसी बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया।	डीलक्स क्लास	उच्चतम वर्ग
6 से 8	हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं	एसी II	एसी बस सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया।	प्रथम/"ए" केबिन श्रेणी	निम्न श्रेणी, यदि स्टीमर पर केवल दो श्रेणियां हों।
4 और 5	हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं	एसी III	डीलक्स/साधारण बस का वास्तविक किराया	द्वितीय/'बी' केबिन श्रेणी	यदि केवल दो वर्ग हों, तो निम्न वर्ग। यदि तीन वर्ग हों, तो मध्यम या द्वितीय वर्ग। यदि चार वर्ग हों, तो तृतीय वर्ग।
3 और उससे नीचे	हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं	एसी III	डीलक्स/साधारण बस का वास्तविक किराया	बंक क्लास	निम्नतम वर्ग

नोट: कॉलम 4:

1. रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के मामले में, रेल द्वारा एसी II टियर और उससे ऊपर की श्रेणी में यात्रा करने के हकदार सभी लोगों के लिए एसी बस द्वारा यात्रा की अनुमति है और अन्य लोगों के लिए डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा की अनुमति है।

2. रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच सड़क यात्रा के मामले में, सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन द्वारा यात्रा की अनुमति है, बशर्ते कुल किराया हकदार श्रेणी के रेल किराए से अधिक न हो।

अवकाश यात्रा रियायत: प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/राजधानी/दुरंतो/तेजस/वंदे भारत/हमसफर ट्रेनों में यात्रा पात्रता।

(संदर्भ: O. M.No. 19030/1/2017-E. IV, GOI, M.F. DOE. New Delhi dated 13-07-2017, O.M. No. 31011/8/2017-Estt.A-IV, GOI, DOPT, New Delhi dated 19-09-2017 & O.M. No. 31011/3/2022- PP.A-IV, GOI, DOPT, New Delhi dated 14-01-2025)

वेतन का स्तर	प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/राजधानी/दुरंतो/वंदे भारत/हमसफर ट्रेनों में यात्रा पात्रता
12 और उससे अधिक	कार्यकारी/एसी प्रथम श्रेणी (प्रीमियम/प्रीमियम तत्काल/सुविधा/शताब्दी/तेजस/राजधानी/वंदे भारत/हमसफर ट्रेनों के मामले में उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के अनुसार)
6 से 11	एसी द्वितीय श्रेणी (राजधानी प्रकार या समान प्रकार की ट्रेनें)/ चेयर कार (शताब्दी या समान प्रकार की ट्रेनें)
5 और उससे कम	एसी तृतीय श्रेणी (राजधानी प्रकार या समान प्रकार की ट्रेनें)/ चेयर कार (शताब्दी या समान प्रकार की ट्रेनें)

नव नियुक्त अधिकारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) स्वीकार्यता:

LEAVE TRAVEL CONCESSION (LTC) ADMISSIBILITY FOR NEWLY JOINED OFFICERS:

(संदर्भ: OM No. 31011/7/2013-Estt. (A-IV) GOI, DOPT, New Delhi dated 26-09-2014 & OM F.No.31011/15/2022-Estt-A-IV GOI, DOPT, New Delhi dated 17-09-2024)

केन्द्र सरकार में एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर नव नियुक्त अधिकारी एलटीसी के लिए पात्र होता है।

<u>उदाहरण</u>: यदि कोई व्यक्ति 1-2-2025 को सेवा में शामिल होता है, तो वह 1-2-2026 से एलटीसी प्राप्त करने के लिए पात्र है। वह पहले 8 वर्षों के लिए एलटीसी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार पात्र है:

2026	प्रथम वर्ष में	गृहनगर	तीन गृह नगर कैलेंडर वर्षों में से, एक गृह नगर वर्ष को उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और	एक और गृह नगर वर्ष को जम्मू-कश्मीर में परिवर्तित
2027	दूसरे वर्ष में	गृहनगर		
2028	तीसरे वर्ष में	गृहनगर		

			निकोबार द्वीप समूह में परिवर्तित किया जा सकता है	किया जा सकता है
2029	चौथे वर्ष में	भारत में कहीं भी	-	
2030	5वें वर्ष में	गृहनगर	तीन गृह नगर कैलेंडर वर्षों में से, एक गृह नगर वर्ष को उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परिवर्तित किया जा सकता है	एक और गृह नगर वर्ष को जम्मू-कश्मीर में परिवर्तित किया जा सकता है
2031	छठे वर्ष में	गृहनगर		
2032	7वें वर्ष में	गृहनगर		
2033	8वें वर्ष में	भारत में कहीं भी	-	

अधिकारियों को उनके आवास पर खरीदे/आपूर्ति किए गए समाचार पत्र प्रतिपूर्ति की मौद्रिक सीमा

Newspapers purchased/supplied to Officers at their Residence

Monetary ceiling of reimbursement

(संदर्भ: OM No. 25(12)/E. Coord-2018, GOI, M.F., D.O.E. dated 03-04-2018)

अधिकारियों का स्तर	प्रतिपूर्ति प्रति माह (रु. में) की जाएगी।
सचिव/सचिव समकक्ष	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
अतिरिक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव समकक्ष	रु. 1,100/-
संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव समकक्ष	रु. 850/-
निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी या समकक्ष	रु. 500/-

आवासीय टेलीफोन/मोबाइल/मोबाइल डेटा/डेटा कार्ड/इंटरनेट शुल्क प्रतिपूर्ति की मौद्रिक सीमा

Residential telephone/mobile/mobile data /data card/ internet Charges

Monetary ceiling of reimbursement

(संदर्भ: OM F. No. 24(3)/E. Coord-2018, M.F., D.O.E. dated 26-03-2018)

अधिकारी का स्तर	प्रतिपूर्ति की सीमा
भारत सरकार के सचिव और समकक्ष स्तर	रु. 4200/- प्रति माह + लागू कर
भारत सरकार के अपर सचिव और समकक्ष स्तर	रु. 3000/- प्रति माह + लागू कर
संयुक्त सचिव, भारत सरकार और समकक्ष स्तर	रु. 2700/- प्रति माह + लागू कर
भारत सरकार के निदेशक/उप सचिव और समकक्ष स्तर	रु. 2250/- प्रति माह + लागू कर
भारत सरकार में उप सचिव के पद से नीचे और समकक्ष (किसी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में ग्रुप ए अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 25% तक सीमित)	रु. 1200/- प्रति माह + लागू कर

ब्रीफ़केस/ऑफ़िस बैग/लेडीज़ पर्स की प्रतिपूर्ति

Reimbursement of Briefcase/Office Bag/Ladies Purse

(संदर्भ: F. No. 13016/1/2005-GAD, G.O.I, M.F., D.O.E. dated 01-05-2024)

वेतन का स्तर	प्रतिपूर्ति की सीमा
स्तर-17	3 साल में एक बार 12,500 रुपये
स्तर -15 &16	3 साल में एक बार 10,000 रुपये
स्तर -14	3 साल में एक बार 8,125 रुपये
स्तर -12 & 13	3 साल में एक बार 6,250 रुपये
स्तर -11	3 साल में एक बार 5,000 रुपये
स्तर - 8 to 10	3 साल में एक बार 5,000 रुपये
स्तर -7	3 साल में एक बार 4,375 रुपये

1. ब्याज सहित अग्रिम (संक्षिप्त विवरण)

1. INTEREST BEARING ADVANCES (Brief details)

क्रम सं.	अग्रिम का नाम	Admissible Advance Amount	स्वीकार्य अग्रिम राशि	ब्याज दर
1	पर्सनल कंप्यूटर **संदर्भ: सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान संबंधी नियमों का संग्रह**	रु. 50,000/-	अधिकतम 150 मासिक किश्तों में। कंप्यूटर अग्रिम सहित सभी अग्रिमों की कुल वसूली सरकारी कर्मचारी के कुल परिलब्धियों के 50% से अधिक नहीं होगी। स्थानांतरण के लिए यात्रा भत्ता (टीए) दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा यात्रा पूरी होने की तिथि से 60 दिन बाद तक है।	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर साधारण ब्याज।
2	गृह निर्माण अग्रिम **संदर्भ: गृह निर्माण अग्रिम नियम।**	34 माह का मूल वेतन या 25 लाख रुपये जो भी कम हो।	1. यदि कर्मचारी की सेवा अवधि 20 या उससे अधिक वर्ष शेष है: मूल वेतन का 40% 2. यदि कर्मचारी की सेवा अवधि 10 से 20 वर्ष के बीच शेष है: मूल वेतन का 40% तक और डीसीआर ग्रेच्युटी का 65%। 3. यदि कर्मचारी 10 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है: मूल वेतन का 50% और डीसीआर ग्रेच्युटी का 75%।	सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर साधारण ब्याज।

ब्याज मुक्त अग्रिम (संक्षिप्त विवरण)

संदर्भ: सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम देने संबंधी नियमों का संग्रह

INTEREST FREE ADVANCES (Brief details)

Ref: Compendium of Rules on Advances to Government Servants

क्रम सं.	अग्रिम का नाम	मात्रा	वसूली
1	दौरे/स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम।	टूर टीए / ट्रांसफर टीए की अनुमानित लागत का 80%	स्थानांतरण/यात्रा यात्रा भत्ता (टीए) के अग्रिम समायोजन दावे के रूप में एकमुश्त वसूली की जाएगी। अग्रिम भुगतान के मामलों में, यात्रा यात्रा भत्ता (टीए) का दावा यात्रा समाप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्यथा, दंडात्मक ब्याज सहित अग्रिम राशि एकमुश्त वसूली जाएगी।
2	एलटीसी का अग्रिम	हवाई/रेल/बस किराये की अनुमानित लागत का 90%।	अग्रिम राशि एलटीसी दावे के रूप में एकमुश्त वसूल की जाएगी। अग्रिम राशि के मामले में, एलटीसी दावा वापसी यात्रा की तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्यथा, अग्रिम राशि दंडात्मक ब्याज सहित एकमुश्त वसूल की जाएगी।

7. अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)

संदर्भ: केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988

7. LEAVE TRAVEL CONCESSION (L.T.C.)

Ref: Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules,1988

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर, कोई भी सरकारी कर्मचारी एलटीसी सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होता है।

उदाहरण: यदि वह 12-04-2025 को कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह 12-04-2026 से एलटीसी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

एलटीसी पात्रता अवधि के पहले 8 वर्षों के दौरान, नए भर्ती हुए कर्मचारी अपने गृह नगर में छह सुविधाओं और भारत में कहीं भी दो सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि कैलेंडर वर्षवार नीचे विस्तार से बताया गया है।

<table>
<tr><td>एलटीसी प्रारंभ का पहला वर्ष</td><td>गृहनगर</td><td rowspan="3">तीन गृह नगर कैलेंडर वर्षों में से, एक गृह नगर वर्ष को गृह नगर एलटीसी के बदले उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जाने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।</td><td rowspan="3">एक और गृह नगर वर्ष को जम्मू-कश्मीर में परिवर्तित किया जा सकता है</td></tr>
<tr><td>द्वितीय वर्ष</td><td>गृहनगर</td></tr>
<tr><td>तीसरा वर्ष</td><td>गृहनगर</td></tr>
<tr><td>चौथा वर्ष</td><td colspan="3">भारत में कहीं भी</td></tr>
<tr><td>5वां वर्ष</td><td>गृहनगर</td><td rowspan="3">तीन गृह नगर कैलेंडर वर्षों में से, एक गृह नगर वर्ष को गृह नगर एलटीसी के बदले उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जाने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।</td><td rowspan="3">एक और गृह नगर वर्ष को जम्मू-कश्मीर में परिवर्तित किया जा सकता है</td></tr>
<tr><td>6वां वर्ष</td><td>गृहनगर</td></tr>
<tr><td>7वां वर्ष</td><td>गृहनगर</td></tr>
<tr><td>8वां वर्ष</td><td colspan="3">भारत में कहीं भी</td></tr>
</table>

एलटीसी की स्वीकार्य अवधि के पहले 8 वर्ष पूरे होने पर, सरकारी कर्मचारी को एलटीसी के तत्कालीन चल रहे चार-वर्षीय ब्लॉक में स्थानांतरित होना होगा। वर्तमान में चल रहा 4-वर्षीय एलटीसी ब्लॉक 2022-25 है। भविष्य के 4-वर्षीय एलटीसी ब्लॉक वर्ष हैं: 2026-2029, 2030-2033, 2023-4-37 इत्यादि। 4-वर्षीय एलटीसी ब्लॉक वर्ष में, कोई व्यक्ति दो-वर्षीय उप-ब्लॉक में एक गृह नगर एलटीसी सुविधा और अन्य दो-वर्षीय उप-ब्लॉक में एक कहीं भी भारत एलटीसी सुविधा का लाभ कुछ शर्तों के अधीन उठा सकता है।

<u>एलटीसी नकदीकरण</u>: यदि सरकारी कर्मचारी के खाते में अर्जित अवकाश का पर्याप्त शेष है, तो वह कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन एलटीसी का लाभ उठाते समय 10 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण कर सकता है। 10 दिनों के एलटीसी नकदीकरण की गणना = (मूल वेतन+डीए) x (10/30) है। संपूर्ण सेवाकाल में, कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 बार ही एलटीसी के 10 दिन के नकदीकरण का उपयोग कर सकता है, अर्थात् संपूर्ण सेवाकाल में कुल नकदीकरण 60 दिन (अधिकतम सीमा) है।

8. सीमा शुल्क कल्याण कोष

संदर्भ: डीजीएचआरडी द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का संग्रह 2021

8. CUSTOMS WELFARE FUND

Ref: Compendium of Welfare Schemes 2021 by DGHRD

क्रम सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	स्वीकार्यता
1	सीएस (एमए)/सीजीएचएस नियमों के तहत गैर-प्रतिपूर्ति योग्य चिकित्सा व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	वित्तीय सहायता केवल कर्मचारी, बेरोजगार जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के इलाज पर हुए खर्च के लिए दी जाएगी। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन चिकित्सा दावे के निपटारे के 3 महीने के भीतर विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। <u>आश्रित माता-पिता इसके लिए पात्र नहीं हैं</u>। <u>सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसके लिए पात्र नहीं हैं</u>।
2	सेवाकाल के दौरान विभागीय अधिकारियों की मृत्यु होने पर अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करना	1) प्रवर्तन कार्यों के निष्पादन के दौरान हुई मृत्यु - 25 लाख रुपये 2) ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटनाओं या हिंसा की घटनाओं के कारण हुई मृत्यु - 15 लाख रुपये 3) ड्यूटी के दौरान हुई कोरोना वायरस बीमारी (COVID-19) के कारण हुई मृत्यु - 7 लाख रुपये

		4) उपरोक्त 1), 2) और 3) के अंतर्गत कवर न होने वाली मृत्यु - 5 लाख रुपये 5) आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन के दौरान लगी स्थायी चोट या विकलांगता - 15 लाख रुपये
3	डीओपीटी द्वारा ग्रुप 'ए' अधिकारियों की वार्षिक चिकित्सा परीक्षा की तर्ज पर कल्याण कोष से 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' विभागीय अधिकारियों की वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के वित्तपोषण की योजना कार्यान्वित की जा रही है।	यह योजना 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी समूह 'ख' और 'ग' अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू है। अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच की अधिकतम सीमा क्रमशः पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए ₹2000/- और ₹2200/- या वास्तविक राशि, जो भी कम हो, होगी।
4	विभागीय अधिकारियों के मेधावी बच्चों को 10वीं और 12वीं कक्षा के स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं में प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करना	यह योजना केवल समूह 'ख' और 'ग' के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिए लागू है। नकद पुरस्कार विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रतिशत/ग्रेडिंग के आधार पर दिया जाएगा।

☘ ☘ ☘

भाग-डी / Part-D

राजभाषा / Official Language

राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक जानकारी

1. Information Regarding Official Language

राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 2 के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन के लिए तीन क्षेत्र बनाए गए हैं :

As per Rule 2 of the Official Language Rules 1976 (As amended 1987) for implementation of the Official Language three regions have been created

"क" क्षेत्र: उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अंदमान एवं निकोबार तथा दिल्ली

'A' Region: U.P., Uttaranchal, M.P., Chattisgarh, Rajasthan, Bihar, Jharkhand, H.P., Haryana, Andaman Nickobar & Delhi.

"ख" क्षेत्र: महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केन्द्र शासित प्रदेश चंडिगढ

'B' Region: Maharashtra, Gujrat, Punjab & Chandigarh Union Territory.

"ग" क्षेत्र: अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जो "क" एवं "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।

'C' Region: All other States or Union Territories not included in the 'A' and 'B' Regions.

राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संसद के सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट तथा सरकारी कागजात, अनुबंध, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित या जारी किए जाएं।

Important Directions regarding Official Language Policy

Under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press

Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Tender Forms should invariably be issued bilingually both in Hindi and English.

Under Rule 6 of the Official Language Rules, 1976, it shall be the responsibility of the person signing such documents to ensure that such documents are prepared, executed or issued in both Hindi and English languages.

टिप्पणी/N.B. :

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:-

1. ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों।

2. ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों।

3. ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

As per Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 the following are covered in general orders:-

(1) All orders, decisions or instructions intended for departmental use and which are of standing nature;

(2) All such orders, instructions, letters, Memoranda, Notices, etc. related to or intended for group or groups of Government employees;

(3) All circulars whether intended for departmental use or for Government employees.

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिदी में ही दिया जाना चाहिए ।

As per Rule 5 of the Official Language Rules 1976 all letters received in Hindi should be replied in Hindi.

प्रशासनिक इकाईयाँ

2. Administrative Units

1	Ministry	मंत्रालय
2	Department	विभाग
3	Secretariat	सचिवालय
4	Zone	अंचल जोन / क्षेत्र /
5	Directorate	निदेशालय
6	Directorate General	महानिदेशालय
7	Commissionerate	आयुक्तलय
8	O/o The Commissioner	आयुक्त कार्यालय
9	Headquarters	मुख्यालय
10	Division office	प्रभाग मंडल कार्यालय /
11	Range office	रेंज कार्यालय
12	Circle office	सर्कल कार्यालय
13	Chief Commissioner Office	मुख्य आयुक्त कार्यालय
14	Section	अनुभाग
15	Cell	प्रकोष्ठ
16	Unit	इकाई

सामान्य प्रशासनिक टिप्पण

3. General Office Notings

Letter receive from .....may please seen	से प्राप्त पत्र कृपया देखें । .....
Submitted for perusal/approval/sanction.	अवलोकन स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है।/अनुमोदन/
Draft submitted for perusal/approval.	मसौदा अवलोकनार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।/

Draft reply is put up for approval.	उत्तर का मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।
Approval may be accorded	अनुमोदन प्रदान किया जाए
Put up for financial Sanction please.	वित्तीय मंजूरी हेतु प्रस्तुत है।
Submitted for necessary orders.	आवश्यक आदेशों के लिए प्रस्तुत है ।
Submitted for consideration/information.	विचार के लिए प्रस्तुत है ।
Submitted for signature please.	हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है ।
May be approved/sanctioned.	कृपया अनुमोदित स्वीकृत करें । /
A brief note is placed below.	संक्षिप्त नोट नीचे रखा है ।
Consolidated report put up for perusal/approval.	समेकित रिपोर्ट अवलोकन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत / है ।
Submitted for administrative approval	प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है ।
A brief note is placed below	संक्षिप्त नोट नीचे रखा है ।
Summary of the case is placed below	मामले का सारांश नीचे प्रस्तुत है ।
Accord approval/sanction to ……..	कृपया मंजूर करें । / को अनुमोदित ....
Please see before issue	कृपया जारी करने से पहले देखें ।
Bill has been scrutinized and found in order	बिल की जाँच की गई और उसे सही पाया गया ।
The required information can be obtained from the concerned divisions.	अपेक्षित सूचना संबंधित प्रभागों से प्राप्त की जा सकती है।
Necessary report is still awaited	आवश्यक रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है ।

Notes / orders may please be seen on page ……. in this connection	इस संबंध में पृष्ठआदेश देखें।/पर दी गई टिप्पणी .....
The report called for in the above matter is nil.	उपर्युक्त विषय पर मांगी गई रिपोर्ट 'शून्य' है।
Report/information called for in the reference cited is enclosed in the proforma prescribed.	उपर्युक्त संदर्भ में मांगी गई रिपोर्ट सूचना निर्धारित / प्रपत्र में संलग्न है ।
No further action is called for.	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।
Matter may be referred to the …… concerned.	मामला संबंधित को भेजा जाए । .....
Advance of Rs. …… from G.P.F. may be sanctioned to ……	सामान्य भविष्य निधि से ..... .को रू ..... की पेशगी मंजूर की जा सकती है ।
Letter received from …… is put up for perusal.	से प्राप्त पत्र अवलोकन के लिए प्रस्तुत है । .....
Joining report may be seen.	कार्यग्रहण रिपोर्ट देखी जा सकती है ।
Submitted for sanction of Earned leave of ……. days to ……	द ..... को .....िन का अर्जित अवकाश स्वीकृत करने लिए प्रस्तुत है ।
A list of cases disposed off is placed below	निपटाए गए मामलों की सूची नीचे रखी है ।
Matter is under consideration.	मामला विचाराधीन है ।
May be informed accordingly.	तदनुसार सूचित कर दिया जाए ।
Medical Advance may kindly be sanctioned.	कृपया चिकित्सा अग्रिम की मंजूरी प्रदान करें।
Proposal has been approved by the Competent Authority.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

Pay fixation is put up for Head of the office's Signature please.	वेतन निर्धारण, कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।
Medical permission letter is put up for Competent authorities signature please.	चिकित्सा अनुमति पत्र सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर हेतु सादर प्रस्तुत है ।
LTC Advance may kindly be sanctioned.	कृपया यात्रा छुट्टी रियायत अग्रिम स्वीकृत करें ।
Draft minutes of the meeting submitted	बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा प्रस्तुत है

विभागाध्यक्ष फाइलों में प्रयुक्त वाक्यांश :वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सामान्यत /

4. Phrases commonly used in official correspondence

Approved	अनुमोदित किया
As proposed	यथा प्रस्तावित
Sanctioned	स्वीकृत किया / मंजूर किया
Put up a proposal	प्रस्ताव प्रस्तुत करें
Please put up a note	कृपया नोट प्रस्तुत करें
Please discuss/speak	कृपया चर्चा करें / बात करें
Issue as amended	यथा संशोधित जारी करें
Administrative approval may be obtained	प्रशासनिक अनुमोदन लिया जाए
Please expedite action	कृपया कार्रवाई में शीघ्रता करें
Leave granted	अवकाश स्वीकृत।
Expedite action.	शीघ्र कार्रवाई करें।
Take action immediately	तत्काल कार्यवाही कीजिए

Issue reminder urgently	शीघ्र अनुस्मारक जारी करें
All concerned should note.	सभी संबंधित व्यक्ति नोट करें।
Appropriate action may be taken.	उपयुक्त कार्रवाई की जाए।
Action may be taken as proposed in the note…..	..... के नोट में यथा प्रस्तावित कार्यवाही की जाए।
Attention is invited to….	….की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
Facts given at page no. ….. may be seen.	पृष्ठ सं. .... पर दिए गए तथ्य देखे जाए।
Facts of the case may be put up / intimated.	मामले के तथ्य प्रस्तुत किये जाए / सूचित किये जाए।
Minutes may be prepared.	कार्यवृत्त तैयार किया जाए।
Orders may be complied with.	आदेशों का अनुपालन किया जाए।
Seen and returned thanks.	देखकर वापस किया, धन्यवाद।
Reply should be sent in Hindi.	उत्तर हिन्दी में भेजा जाना चाहिए।
Pending cases be disposed off early	अनिर्णित मामलें शीघ्र निपटाए जाएं।
Please circulate among all the officers.	कृपया सभी अधिकारियों को परिचालित करें।
With regards	सादर
With compliments	शुभकामनाओं सहित
Yours faithfully	भवदीय / भवदीया
Yours sincerely	आपका / आपकी शुभचिन्तक
A brief note is placed below	संक्षिप्त नोट नीचे प्रस्तुत है
Action may be taken as proposed.	यथाप्रस्तावित कार्रवाई की जाए।
Administrative approval may be obtained.	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

Leakage of the revenue should be checked	राजस्व की हानि की जाँच की जाए
Leave may be granted, if due	यदि देय हो, तो छुट्टी दी जाए
(Please) ensure that orders/ instructions are strictly observed	(कृपया) आदेशों/अनुदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाना सुनिश्चित करें
(Please) expedite action	(कृपया) शीघ्र कार्रवाई करें
(Please) examine in the light of…	.... को ध्यान में रखते हुए परीक्षण /जाँच कीजिए
(Please) examine and explain	(कृपया) जाँच करें और बतायें
Facts of the case may be given	मामले के तथ्य दिए जाएँ

****

केवल विभागीय आंतरिक उपयोग हेतु

जीएसटी अधिकारियों के लिए पुस्तिका

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक परिसर, विशाखापट्टनम,आंध्र प्रदेश